जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः 141

दिनांक 13/2/24

विज्ञप्ति

श्री माहेश्वरी समाज द्वारा श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जनउपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 में भूखण्ड आवंटन कराने के क्रम में भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/समाज को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003
प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

दिनांक : 13 सितम्बर, 2023

श्रीमान् आयुक्त महोदय
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

विषय : श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जन उपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) (जोन संख्या 12) आवंटन करवाने हेतु।

मान्यवर,

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर वर्ष 1926 से समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिको की सेवा करता आ रहा है। समाज का यह लक्ष्य है कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समाज की व्यवस्थाओं एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप राज्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा कर राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया जा सके। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर लम्बी अवधि से श्री महेश सेवा कोष, महेश मैरिज ब्यूरो, रीति रिवाज सुधार समिति, सांस्कृतिक एवं अन्य समितियों के माध्यम से समाज सेवा करता आ रहा है। श्री माहेश्वरी समाज द्वारा चांदपोल मोक्षधाम में आधुनिक सुविधायुक्त सर्वधर्म मोक्षधाम का संचालन भी समाज के सभी वर्गो के लिए किया जा रहा है। श्री माहेश्वरी समाज डायलिसिस एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। समाज के विभिन्न कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :

- निराश्रित बन्धुओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- श्री महेश अस्पताल, चांदपोल बाजार में न्यूनतम दरों पर आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाना।
- श्री माहेश्वरी समाज डायलिसिस, डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर का निर्माण नगर, जयपुर में संचालन।
- श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर, सेक्टर-2, विघाधर नगर, जयपुर में सभी वर्गो हेतु न्यूनतम दरों पर आधुनिक मशीनों से जाँच उपलब्ध करवाना।
- असमर्थ बंधुओं के सामूहिक विवाह करवाना तथा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- श्री माहेश्वरी समाज वृद्धाश्रम (कृष्णाधाम), विधाधर नगर में निराश्रित बुजुर्गो को रखना व उनकी सेवा करना।
- सामाजिक व मांगलिक कार्यो हेतु श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'उत्सव' का विद्याधर नगर में संचालन।
- सामाजिक व मांगलिक कार्यो हेतु श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'अभिन्नदन' का मानसरोवर में संचालन।

मान्यवर, यह ज्ञात हुआ है कि श्रीधर नगर, गॉंच जयपुरिया का बास, जोन संख्या 12 में आपके पास लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) उपलब्ध है जिसे किम्बरलाईट एज्यूकेशन सोसायटी को शैक्षणिक उपयोग हेतु आवंटित किए जाने की कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता शर्तो के अनुसार विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर भूखण्ड होना आवश्यक होता है। इस कारण 3408 वर्ग मीटर भूमि पर विद्यालय का संचालन किया जाना संभव नही है।

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003
प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा पूर्व में भी आपके समक्ष जनोपयोगी भवन/सामूदायिक केन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जनोपयोगी भवन/सामूदायिक केन्द्र हेतु आवंटित करवाने की कृपा करें।

सादर,
आपके अपेक्षित सहयोग की आशा में,

भवदीय
Kedar Bhala

(केदार मल भाला)
अध्यक्ष

TRUE COPY

3

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक : 60 / जयपुर / 1960–61

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर** जिला–जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 27 फरवरी 2019 को जयपुर में किया गया।

दिनांकः– 02 नवम्बर, 1960

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 60/JAIPUR/1960-61

दिनांक / DATE- 30-10-2022

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR जिला **जयपुर** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR DISTRICT **Jaipur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Ajay Kumar Sarda	MALE	भवन मंत्री (MPS, P.N.)		07/05/1977
2		Ajay Nowal	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		15/05/1977
3		Alok Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		30/12/1973
4		Amit Gattani	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, J.N.)		26/04/1971
5		Amit Kumar Laddha	MALE	सांस्कृतिक मंत्री		29/06/1976

Signature valid

Digitally signed by A[illegible] Diwakar

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Anil Ajmera	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		01/01/1973
7		Anil Kacholia	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		19/05/1969
8		Anil Kothari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		31/03/1967
9		Anil Kumar Sharda	MALE	कोषाध्यक्ष		28/12/1965
10		Arun Kumar Baheti	MALE	प्रचार मंत्री		21/03/1980
11		Arun Kumar Maloo	MALE	शिक्षा सचिव (MPS Sanskriti, Banipark)		22/02/1955
12		Arun Partani	MALE	स्वास्थ्य मंत्री		16/05/1980
13		Arvind Kumar Mandhaniya	MALE	भवन मंत्री		21/11/1974
14		Ashish Maheshwari	MALE	भवन मंत्री		08/09/1980
15		Ashish Mantri	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		07/03/1981
16		Ashok Ajmera	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		07/07/1974
17		Ashok Kumar Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		16/07/1965
18		Ashok Kumar Malu	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, Kalwar Road)		22/04/1964
19		Bajrang Lal Baheti	MALE	उपाध्यक्ष (शिक्षा)		25/10/1961
20		Bhawani Shanker Baheti	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		22/03/1965
21		Brij Mohan Baheti	MALE	संयुक्त मंत्री		07/12/1961
22		Chandra Mohan Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		12/08/1968
23		Chandra Prakash Dhoot	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		07/12/1977
24		Deepak Birla	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		22/02/1981

Signature valid

25	Deepak Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		04/08/1979
26	Deepak Sharda	MALE	शिक्षा सचिव (MPS,INT.)		01/01/1965
27	Dinesh Kumar Modani	MALE	शिक्षा सचिव (MGPGC, PN)		13/05/1958
28	Dinesh Kumar Soni	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		29/10/1953
29	Dwarka Das Maheshwari	MALE	भवन मंत्री (MHS)		30/01/1968
30	Dwarka Das Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		01/01/1958
31	Ganesh Maheshwari	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, P.N.)		08/12/1968
32	Ghanshyam Maheshwari	MALE	शिक्षा सचिव (MGPS)		20/01/1970
33	Girdhar Jhanwar	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		27/07/1967
34	Giriraj Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		23/10/1967
35	Gopal Lal Malpani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		05/07/1956
36	Govind Malpani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		24/06/1972
37	Harish Kumar Bhararia	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		21/10/1974
38	Harish Kumar Daga	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		25/09/1970
39	Kamal Kishore Saboo	MALE	शिक्षा सचिव (MHS)		03/08/1958
40	Kamal Kishore Somani	MALE	शिक्षा सचिव (MHS)		27/02/1969
41	Kamalesh Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		13/03/1972
42	Kedar Mal Bhala	MALE	अध्यक्ष		02/10/1957
43	Krishan Gopal	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		01/03/196

Signature valid

		Maheshwari			8
44		Madhu Sudan Bihani	MALE	महासचिव शिक्षा	19/04/1970
45		Mahesh Chandak	MALE	भवन मंत्री (MPS, INT.)	03/10/1965
46		Mahesh Gupta	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	22/11/1971
47		Mal Chand Baheti	MALE	महेश सेवा कोष मंत्री	15/05/1950
48		Manish Gagarani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	30/11/1981
49		Manish Jajoo	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/06/1980
50		Manish Somani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	04/11/1972
51		Manoj Kumar Birla	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	21/05/1973
52		Manoj Kumar Moondhra	MALE	महामंत्री	13/06/1965
53		Natwar Kumar Sarda	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	15/08/1966
54		Nirmal Kumar Dargar	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	08/01/1975
55		Om Prakash Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/07/1977
56		Om Prakash Sodhani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	01/08/1970
57		Pawan Kumar Bajaj	MALE	उपाध्यक्ष (अर्थ)	18/09/1967
58		Pradeep Baheti	MALE	पदेन सदस्य	12/02/1958
59		Prakash Birla	MALE	शिक्षा सचिव (MBV)	01/07/1970
60		Prakash Maheshwari	MALE	भवन मंत्री (MBV)	22/08/1966
61		Pramod Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/06/1966
62		Praveen Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/06/197

Signature valid

Digitally signed by [illegible]

63		Punam Chand Bhala	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	09/02/1963
64		Radha Mohan Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	30/01/1973
65		Raj Kishore Bhala	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/11/1959
66		Rajeev Bagari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	30/06/1979
67		Rajesh Kumar Sodhani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	26/09/1970
68		Rakesh Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	23/10/1975
69		Ramavatar Kabra	MALE	भवन मंत्री	30/03/1970
70		Ramesh Chand Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	07/11/1949
71		Ravi Periwal	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	21/11/1976
72		Ravindra Jhanwar	MALE	अर्थ मंत्री	24/11/1963
73		Rohit Maheshwari	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, Sanskriti, Jagatpura)	31/08/1974
74		Sandeep Kacholia	MALE	संयुक्त मंत्री	04/02/1981
75		Sandeep Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/07/1975
76		Sanjay Maheshwari	MALE	उपाध्यक्ष (समाज)	11/09/1960
77		Sanjay Maheshwari	MALE	उपाध्यक्ष (समाज)	26/03/1976
78		Sat Narain Karwa	MALE	विवाह प्रकोष्ठ मंत्री	05/09/1964
79		Shanti Lal Jagetia	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	12/12/1956
80		Sharad Kabra	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/10/1969
81		Shri Ballabh	MALE	वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण	19/12/194

Signature valid

		Maheshwari		मंत्री		2
82		Shyam Das Mantri	MALE	भंडार मंत्री		07/11/1956
83		Shyam Lal Malpani	MALE	भवन मंत्री		23/07/1965
84		Shyam Sunder Jajoo	MALE	भवन मंत्री (MPS, Kalwar Road)		09/08/1974
85		Shyam Sunder Totla	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, Ajmer Rd)		25/12/1969
86		Sumit Kabra	MALE	भवन मंत्री		05/02/1980
87		Suresh Kumar	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		06/09/1972
88		Sushil Jaju	MALE	कोषाध्यक्ष (समाज)		03/11/1966
89		Vaibhav Somani	MALE	भवन मंत्री (MPS Sanskriti, Banipark)		18/09/1979
90		Vijay Sarda	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		20/02/1980
91		Vimal Kishore Sarda	MALE	संगठन मंत्री		08/02/1964
92		Vipin Saboo	MALE	भवन मंत्री (MPS, Sanskriti, Jagatpura)		21/02/1976

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature valid

क्रमांक– जविप्रा/अआ(एलपीसी)/22/डी– 2660 दिनांकः 18/12/2023

अध्यक्ष,
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
कार्यालयः–समाज परिसर, तृतीय–तल,
एम.पी.एस, इंटरनेशलन स्कूल, तिलक नगर,
जयपुर।

विषयः– श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जन उपयोगी भवन/ सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) (जोन–12) आवंटन करवानें हेतु।

संदर्भः– आपका पत्रांक दिनांक 13.09.2023 से संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 3408 व.मी (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन–12 में आवंटन करने हेतु अपने पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है।

अतः आप द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली भूमि के लिए निर्धारित प्रावधानानुसार अपेक्षित पूर्तियाँ की जाकर आवेदन करने श्रम करें।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

11

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(प्रकोष्ठ में जमा कराने वाली प्रति)

प्रकोष्ठ : Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या **902544**

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता सख्या **ICICI-675401700500**

दिनांक **01/01/2024 Valid upto 31/01/2024**

जमा[illegible]दनकर्ता का ना[illegible] SH. SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंकों में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

(valid upto 31/01/2024)

Name of Bank PUNJAB NATIONAL BANK

Payment Mode-DD No. 410013 Date 26/12/2023

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरूद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या **902544**

Contact No. 9314503259

हस्ताक्षर जमाकर्ता

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(जमाकर्ता की प्रति)

प्रकोष्ठ : Additional Commissioner (LPC)

चालान संख्या **902544**

बैंक ICICI BANK LTD

सीएमएस/खाता सख्या **ICICI-675401700500**

दिनांक **01/01/2024 Valid upto 31/01/2024**

जमाकर्ता / आवेदनकर्ता का नाम SH. SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR

जमा की जाने वाली राशि का विवरण

Code	Head	Rupees
1020304	Processing Fees	5000.00
	कुल योग (अंकों में)	5000.00

Amount (Rs.)=5,000.00

(valid upto 31/01/2024)

Name of Bank PUNJAB NATIONAL BANK

Payment Mode-DD No. 410013 Date 26/12/2023

चालान पर अंकित मान्य अवधि का सम्बन्ध जमा करायी जाने वाली राशि पर देय ब्याज एवं पेनल्टी से नहीं है।

वचनबद्धता

उपरोक्त जमा कराई गई राशि मात्र से जमाकर्ता के जविप्रा के विरूद्ध किसी प्रकार कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा यह जमा राशि मेरे स्वनिर्धारण के आधार पर है, जिसके औचित्य एवं पर्याप्त होने आदि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

चालान संख्या **902544**

Contact No. 9314503259

हस्ताक्षर जमाकर्ता

ICICI Bank Limited
J.D.A. Campus, Jaipur (5754)
02 JAN 2024
SUBJECT TO REALISATION CLEARING

ICICI Bank Limited
J.D.A. Campus, Jaipur (5754)
02 JAN 2024
SUBJECT TO REALISATION CLEARING

12/58

नागरिक सेवा केन्द्र

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

file movement slip

किससे	किसको	दिनांक	लघुहस्ताक्षर	
			dispatcher	receiver
	A-7(LAND)/P-35855 28/11/23	DAR 29/12/23	DDR (LPC) 28/12/23	DDR (LPC) 29/12/23

जयपुर विकास प्राधिकरण
Jaipur Development Authority
नागरिक सेवा केन्द्र
Citizen Care Center

पंजीयन क्रमांक Registration No. **406748**

प्राप्ति | **(Receipt)**

Linked CCC Reg. Nos.:			
किसके लिए अनुरोध किया है। :- Requested For	Institutional Land Allotment (CCC-14)		
प्राप्ति दिनांक Receipt Date	27/12/2023	नियत दिनांक Due Date	15/05/2024

आवेदक का ब्यौरा **(Applicant's Details)**

आवेदक का नाम Applicant Name	SH. SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR
पिता/पति का नाम Father's/Husband's Name	SH.
पता Address	SAMAJ PARISAR III TAL MPS INTERNATIONAL SCHOOL TILAK NAGAR, JAIPUR PIN:

चाही गई सेवा से सम्बन्धित भूखण्ड का विवरण **(Concerned Plot Details)**

विकासकर्ता का प्रकार Developer Type		विकासकर्ता का नाम Developer Name			
योजना का नाम Scheme Name					
योजना की लोकेशन Scheme Location		भूखण्ड का प्रकार Type Of Plot			
भूखण्ड संख्या Plot No.		भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज में)/(वर्ग मीटर में) Plot Area (Sq.Yds.) /(Sq. Mtr.)			
चालान सं. Challan No		राशि (रूपयों में) Fee In Rs.		दिनांक Date	

सलंग्न दस्तावेज **(Document(s) enclosed)**

अतिरिक्त सलंग्न दस्तावेज की सूची (List of additional document(s))		दस्तावेजों की संख्या Total Documents		पृष्ठों की संख्या No.of Pages	137
DRG. DD RS. 5000 & CD & PHOTO COPY					
सम्बन्धित कार्यालय	AC(LPC)	सम्बन्धित अधिकारी	AC (LPC)	प्रभारी अधिकारी	AC (LPC)

.... Cut from here ....

सम्बन्धित कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणी जो कि नागरिक सेवा केन्द्र को भेजी जानी है:-

पंजीयन क्रमांक Registration No.	**406748**	आवेदक का नाम Applicant's Name	SH. SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR		
किसके लिए अनुरोध किया है। :- Service Requested For	Institutional Land Allotment (CCC-14)				
नियत दिनांक Due Date	09/05/2024	डी. क्रमांक Despatch No.		डी. दिनांक Despatch Date	
सम्बन्धित कार्यालय	AC(LPC)	सम्बन्धित अधिकारी	AC (LPC)	प्रभारी अधिकारी	AC (LPC)

Information to be filled in by the concerned officer and sent along with result / document(s) and cover letter addressed to the applicant.

Status of the Case	Detail's of Status
☐ Matter Disposed ☐ Disposed Finally ☐ Pending at Applicant's Level ☐ Pending	

Date : ____________________

सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) 3408.04 वर्ग मीटर भूमि (जोन–12)

आवंटन हेतु आवेदन पत्रावली

नाम : श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

पता : कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एमपीएस इन्टरनेशनल भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर–302004

विषय : श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) 3408.04 वर्ग मीटर भूमि (जोन–12) आवंटन करने बाबत।

अध्यक्ष का नाम : श्री केदार मल भाला– 9314503259

महामंत्री का नाम : श्री मनोज कुमार मूंदड़ा–9314222222

सम्पर्क सूत्र का नाम : दिनेश कुमार कचौलिया (प्रशासनिक अधिकारी)
मो.नं. 9588089801

15

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

राजा पार्क, जयपुर (राज) (222600)
Raja Park, JAIPUR (Raj) - 302004

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

2	6	1	2	2	0	2	3
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY SECRETARY JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये RUPEES **Five Thousand Only**

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED ₹ **5,000.00**

XAG 410013

शाखा क्रमांक Branch Serial No
0131/2023

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एवं डि.क्र. Drawee Branch with D No
D.No. 2091 - FINACLE -
RCC JAIPUR FINACLE

Purchaser. SHRI MAHESHVARI SAMAJ JAIPUR
Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 10,000/-
(NOT OVER Rs.5000/-)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No. 515

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No. 4140

9 8 7 6 5 4 3 2 1

⑈410013⑈ 000024000⑆ 16

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/ चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत्। निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

क्र.सं.	पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं	
1	आवेदक का नाम/ पता	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर कार्यालय समाज परिसर, तृतीय-तल, एम.पी.एस. इन्टरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर - 302004
2	शहर/ कस्बे/ कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	श्रीधर नगर, गाँव जयपुरिया का बास, जगतपुरा 3408 व.मी. भूमी (जोन संख्या-12) (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया)
3	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/ कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	K.H.NO. 107, 109, 110, 111, 111/178, 112, 113, 114, 128, 130, 131 131/179, 137, 138, 139, 139/180, 140, 108, 136, 134 135 etc Layout Plan of SHRIDHAR NAGAR के 3408.4 SQM में K.NO. 133, 130, 128, 134, 146 पेज क्रमांक 137 पर
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	क्रमांक 60/जयपुर/1960-61 दिनांक 02-11-1960 (पेज क्रमांक 10 पर)
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न है:- पेज क्रमांक ~~107 से 136 तक~~ 97 से 106 तक
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न है:- पेज क्रमांक ~~18 से 19 तक~~ विधान में 97 से 106 तक
6.1	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	जन उपयोगी भवन / सामुदायिक केन्द्र उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण संलग्न है पेज क्रमांक 09 से 09 तक

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग व आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु रियायती दरों पर लाभ मिलेगा
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	राज्य सरकार की निति-नियमों अनुसार (श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की विधान नियमावली में बनाये सामुदायिक केन्द्रों वाले नियमानुसार)
7	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल।	विवरण संलग्न है। पेज क्रमांक 07
8	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	विवरण संलग्न है पेज क्रमांक 07

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

9	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवाई गई।	विवरण संलग्न है पेज क्रमांक – 07
10	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
11	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	
12	चाही गई भूमि नगर निगम/ नगर परिषद/ स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर।	चाही गई भूमी स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है। जयपुर विकाश प्राधिकरण जोन – 12 में
13	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/ सदस्यों/ प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण।	विवरण संलग्न है। पेज क्रमांक 12 से 17 तक
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	–
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/ राज्य सरकार/ अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण।	–
14	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य।	समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग व आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यों हेतु रियायती दरों उपलब्ध करवाना
15	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण।	
16	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण।	–
17	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत।	
18	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	नहीं
19	अन्य विवरण।	

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

18

प्रपत्र– अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना–पत्र

1.	संस्था/ संगठन का नाम	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	श्री केदारमल भाला - अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार मूंदड़ा - महामंत्री [illegible]
3.	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	कार्यालय समाज परिसर, तृतीय तल, MPS इन्टरनेशनल स्कूल तिलक नगर, जयपुर, 9314503259 shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिकों की रियायती दरों पर सेवा करना।
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	[illegible] गांव जयसिंहपुरा का बास में (नॉन सेलेबल [illegible]) (जोन-12)
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	3408 वर्ग मीटर (लगभग)
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न है। पेज क्रमांक: 08 व 09 तक
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	संलग्न है। पेज क्रमांक: 07 पर
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	(i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न है पेज क्रमांक 10-11
	(ii) बाईलॉज/ रेग्युलेशन्स	संलग्न है पेज क्रमांक 12 से 96 तक
	(iii) गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	संलग्न है पेज क्रमांक 107 से 136 तक
	(iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है। पेज क्रमांक 08 पर
	(v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न है। पेज क्रमांक 09 पर
	(vi) रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे–ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	पंजाब नैशनल बैंक, राजापार्क, जयपुर D.D.NO. 410013 DT. 26/12/23 राशि 5000/= पक्ष सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय **(Urban Body)** आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 16-12-2023

स्थान : जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

69 19

प्रपत्र–2

स्व- घोषणा पत्र

Kedar Bh

मैं/ हम.....केदार मल भाला.....पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री.....स्व. श्री ओम प्रकाश भाला
उम्र.....66.....वर्ष, निवासी.....बी-31, पार्श्वनाथ मार्ग, प्रकाश नगर, शास्त्रीनगर, जयपुर.....जिला.....जयपुर.....
राजस्थान घोषणा करता हूँ/ ~~करती हूँ~~ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूंठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक : 16-12-2023

स्थान : जयपुर

Kedar Bhala

आवेदक के हस्ताक्षर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

20

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

केदार मल भाला
Kedar Mal Bhala
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1957
पुरुष / Male

4774 8098 2892

आधार – आम आदमी का अधिकार

Kedar Bhala

AADHAAR

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता : S/O ओम प्रकाश भाला, बी ३१, पार्श्व नाथ मार्ग, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर, जयपुर, राजस्थान, 302016

Address : S/O Om Prakash Bhala, B 31, PARSHVA NATH MARG, SUBHASH NAGAR, SHASTRI NAGAR, jaipur, Jaipur, Rajasthan, 302016

1800 180 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

21

प्रपत्र–2

स्व– घोषणा पत्र

मैं/ हम मनोज कुमार मूँदड़ा पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री स्व० श्री लक्ष्मी निवास मूंदड़ा उम्र 58 वर्ष, निवासी G-5B, गंगापथ, दुर्गा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर जिला – जयपुर राजस्थान घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूंठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक : 16-12-2023

स्थान : जयपुर

आवेदक के हस्ताक्षर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

भारत सरकार

Government of India

मनोज कुमार मूदड़ा

Manoj Kumar Moondhra

जन्म तिथि / DOB : 13/06/1965

पुरुष / Male

5519 1388 9671

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

पता:
S/O लक्ष्मी निवास मूंदड़ा, जी-५-बी, गंगा पथ, दुर्गा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर, राजस्थान, 302016

Address:
S/O Laxmi Niwas Moondhra, G-5-B, GANGA PATH, DURGA MARG, BANI PARK, Jaipur, Shastri Nagar, Rajasthan, 302016

5519 1388 9671

1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

(9)

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

राजा पार्क, जयपुर (राज) (222600)
Raja Park, JAIPUR (Raj) - 302004

केवल तीन माह के लिए वैध
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

D D M M Y Y Y Y

SECRETARY JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

मांगे जाने पर ON DEMAND PAY — या उनके आदेश पर OR ORDER

** Five Thousand Only**

रुपये RUPEES

प्राप्त मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹ **5,000.00**

XAG 410013

शाखा क्रमांक Branch Serial No

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

अदाकर्ता शाखा एव डि०स० Drawee Branch with D No

D.No. 0091 - FINACLE -
RCC JAIPUR FINACLE

Draft is signed singly as it is for amount up to Rs. 5000/-
NOT OVER Rs.5000/-

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए. नं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जी.बी.पी.ए. नं.
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No

⑈410013⑈ 000024000⑆ 16

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंधी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

दिनांक : 26 दिसम्बर, 2023

श्रीमान् आनन्दी लाल वैष्णव
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.एस)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विषय : श्रीधर नगर, गांव जयपुरिया का बास में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 वर्ग मीटर (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 आवंटन करवाने हेतु।

सन्दर्भ : आपका पत्र क्रमांक–जविप्रा/अआ (एलपीसी) 22/डी–2660 दिनांक 13.12.2023 के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 3408 वर्ग मीटर (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन–12 में प्रस्तावित भूमि के लिए निर्धारित प्रावधानानुसार अपेक्षित पूर्तियॉ के साथ पत्रावली आवेदन आपके समक्ष भिजवाई जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटित करवाने की कृपा करें।

सादर,

आपके अपेक्षित सहयोग की आशा में...

Kedar Bhala
(केदार मल भाला)
अध्यक्ष
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

(मनोज कुमार मूंदड़ा)
महामंत्री
महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक– जविप्रा/अआ(एलपीसी)/22/डी– 2660 दिनांक: 18/12/2023

अध्यक्ष,
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
कार्यालयः–समाज परिसर, तृतीय–तल,
एम.पी.एस. इंटरनेशलन स्कूल, तिलक नगर,
जयपुर।

विषयः– श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जन उपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) (जोन–12) आवंटन करवानें हेतु।

संदर्भः– आपका पत्रांक दिनांक 13.09.2023 से संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 3408 व.मी (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन–12 में आवंटन करने हेतु अपने पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है।

अतः आप द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली भूमि के लिए निर्धारित प्रावधानानुसार अपेक्षित पूर्तियाँ की जाकर आवेदन करने श्रम करें।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटैंशन: (7019); फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

D:\ letter 2020.docx

ak

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

दिनांक : 13 सितम्बर, 2023

श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय
एल.पी.सी. जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

विषय : श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जन उपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) (जोन संख्या 12) आवंटन करवाने हेतु।

मान्यवर,

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर वर्ष 1926 से समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिको की सेवा करता आ रहा है। समाज का यह लक्ष्य है कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समाज की व्यवस्थाओं एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप राज्य सरकार के लक्ष्यों को पूरा कर राज्य सरकार को सहयोग प्रदान किया जा सके। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर लम्बी अवधि से श्री महेश सेवा कोष, महेश मैरिज ब्यूरो, रीति रिवाज सुधार समिति, सांस्कृतिक एवं अन्य समितियों के माध्यम से समाज सेवा करता आ रहा है। श्री माहेश्वरी समाज द्वारा चांदपोल मोक्षधाम में आधुनिक सुविधायुक्त सर्वधर्म मोक्षधाम का संचालन भी समाज के सभी वर्गो के लिए किया जा रहा है। श्री माहेश्वरी समाज डायलिसिस एवं डाइग्नोस्टिक सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। समाज के विभिन्न कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :

- निराश्रित बन्धुओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- श्री महेश अस्पताल, चांदपोल बाजार में न्यूनतम दरों पर आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाना।
- श्री माहेश्वरी समाज डायलिसिस, डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर का निर्माण नगर, जयपुर में संचालन।
- श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर, सेक्टर-2, विघाधर नगर, जयपुर में सभी वर्गो हेतु न्यूनतम दरों पर आधुनिक मशीनों से जाँच उपलब्ध करवाना।
- असमर्थ बंधुओं के सामूहिक विवाह करवाना तथा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- श्री माहेश्वरी समाज वृद्धाश्रम (कृष्णाधाम), विधाधर नगर में निराश्रित बुजुर्गो को रखना व उनकी सेवा करना।
- सामाजिक व मांगलिक कार्यो हेतु श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'उत्सव' का विद्याधर नगर में संचालन।
- सामाजिक व मांगलिक कार्यो हेतु श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'अभिन्नदन' का मानसरोवर में संचालन।

मान्यवर, यह ज्ञात हुआ है कि श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास, जोन संख्या 12 में आपके पास लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) उपलब्ध है जिसे किम्बरलाईट एज्यूकेशन सोसायटी को शैक्षणिक उपयोग हेतु आवंटित किए जाने की कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मान्यता शर्तो के अनुसार विद्यालय संचालन हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर भूखण्ड होना आवश्यक होता है। इस कारण 3408 वर्ग मीटर भूमि पर विद्यालय का संचालन किया जाना संभव नही है।

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

Manoj
महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा पूर्व में भी आपके समक्ष जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटित करवाने की कृपा करें।

सादर,
आपके अपेक्षित सहयोग की आशा में,

Kedar Bhala

(केदार मल भाला)
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

(मनोज मूंदड़ा)
महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

JAIPUR ... INDIA

Kedar Bhala

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BR 835640

स्व–घोषणा पत्र

मैं केदार मल भाला पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश भाला उम्र 66वर्ष, निवासी बी–31, पार्श्वनाथ मार्ग, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान घोषणा करता हूँ कि:

1. श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एक **सामाजिक संस्था** है जिसका उद्देश्य जन–समुदाय की उन्नति के निमित सेवा, सहयोग संगठन एवं सुधार कार्य करना जिसमें उन्नत जन–समुदाय भारतीय राष्ट्र को सहयोग देता हुआ सार्वजनिक कल्याण कार्य में भाग लेना है इस उद्देश्य पूर्ति के साधन निम्न प्रकार से हैः–

(क) सत्संग द्वारा सुनागरिक धर्म का प्रचार करना ।

(ख) सम्मेलनों का आयोजन करके पारम्परिक प्रेम और एकता में वृद्धि करना तथा देशकालानुसार हितकर सामाजिक नीति का निर्धारण करके उसे कार्यान्वित कराना।

(ग) विद्यालयों की स्थापना करके बालक व बालिकाओं के लिये मानसिक, व्यावसायिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षण, उपलब्ध कराना।

(घ) आश्रमों, की स्थापना करना जिसमें निराश्रित, असमर्थ और वृद्ध भाई–बहिनों, बालक–बालिकाओं एवं विधवा स्त्रियों को आश्रय प्राप्त हो, उनकी सेवा–सुश्रुषा हो और विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

(ड.) सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों के आयोजनों हेतु एवं धार्मिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों में आने वाले भाई–बहिनों के ठहरने व अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनोपयोगी भवनों की समाज के तत्वावधान में स्थापना करना, उसके लिए दान प्राप्त करना जो अपने निज के विधान अथवा नियमावली के अन्तर्गत जनोपयोगी भवनों का निर्माण,प्रबन्ध व संचालन कर सकें।

Kedar Bhala

NOTARY GOVT. OF INDIA
ATTESTED
GANESH KATARIA
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.) INDIA
Reg. No. 19138 Exp. Dt. 5-2-2028
26 DEC 2023

(च) समाज के किसी भी उददेश्य की पूर्ति के लिये अलग–अलग व सम्मिलित कोषों की स्थापना करना, कोष (Corpus) के लिये दान स्वीकार करना, निराश्रित भाई –बहिनों को निर्वाह एवं विद्याध्ययन निमित्त सहायता देना।

(छ) समाज की सुविधा के लिये वस्तु भंडार की स्थापना करना।

(ज) समाज के सदस्यों को सदाचार एवं सुरीति का स्वयं पालन करके उदाहरण उपस्थित करना तथा प्रेरणा से प्रचार करना।

(झ) सार्वजनिक सेवायें करते हुए राष्ट्रीय भावना को जागृत करना।

(ण) नवयुवकों तथा नवयुवतियों के स्वयं सेवक दलों की स्थापना करके प्रयत्न करना।

(ट) सामाजिक नियम भंग करने वाले व्यक्ति के सुधार निमित्त यथासंभव प्रयत्न करना।

(ठ) महिला परिषद्, नवयुवक मण्डल एवं अन्य उपयोगी परिषदों की स्थापना करना जो इस संस्था के तत्वावधान में कार्य करें।

(ड़) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

(ढ) सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन में सहयोग करना।

जिसका पंजीयन क्रमांक : 60/जयपुर/1960–61 तथा पंजीयन दिनांक 2 नवम्बर, 1960 है।

2. श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को पूर्व में इसी शहर में निम्न भूमि आवंटित की गई थी। निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया था नाम आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है:

(i) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांकः ज.वि.प्रा./जोन ए–2/वि.न./2002/डी–2887 दिनांक 30.09.2003 से योजना विद्याधर नगर की भूखण्ड संख्या पी–10 ए, सेक्टर–2, क्षेत्रफल 1000 वर्गगज निःशुल्क श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित किया गया। जिसमें **'कृष्णधाम वृद्धाश्रम'** का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

(ii) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांकः ज.वि.प्रा./जोन ए–2/वि.न./2002/डी–3046 दिनांक 18.10.2003 से योजना विद्याधर नगर की भूखण्ड संख्या पी–10, सेक्टर–2, क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर सुरक्षित दर 2630/– का 25 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर दर पर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित किया गया। जिसमें श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन **'उत्सव'** का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

(iii) यह कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 पर उल्लेखित जनोपयोगी भवन एवं वृद्धाश्रम का वाणिज्य उपयोग नही किया जा रहा है तथा इनमें जयपुर शहर के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान रूप से उपयोग हेतु देकर नियमानुसार सामाजिक–मांगलिक कार्यक्रमों की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

संस्था को आवंटित होने वाली भूमि का वाणिज्य उपयोग नही किया जायेगा।

दिनांक : 10 अक्टूबर, 2023

स्थान : जयपुर

ATTESTED
GANESH KATARIA
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.) INDIA
Reg. No. 19138/Exp. Dt. 5-2-2025

26 DEC 2023

Kedar Bhala
(केदार मल भाला)
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंधी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी सभा दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 में पारित प्रस्ताव में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपीः–

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर वर्ष 1960 से समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिको की सेवा करता आ रहा है। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा जनोपयोगी भवनो का संचालन समाज के नियमानुसार कर रहा है। समाज का यह लक्ष्य है कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समाज की व्यवस्थाओं एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जोन संख्या–12 में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण में आंवटित करवा कर समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग एवं आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध करवाई जावें। जिससे जयपुर शहर के निवासियों को रियायती दरों पर सेवाएँ उपलब्ध करा कर राज्य सरकार के लक्ष्यों को पुरा करने का प्रयास हो सके।

सभा में उपस्थित सदस्यों की राय थी कि जयपुर शहर के विकास एवं वृद्धि को देखते हुए समाज एवं सभी वर्गो के जन–समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जोन संख्या–12 में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जयपुर में लगभग 3408 वर्ग मीटर भूमि आवंटित हेतु आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किया जाए।

सभा में उपस्थित सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श के पश्चात् जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु राजस्थान सरकार के निकायों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने तथा अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही हेतु समाज के अध्यक्ष श्री केदार मल भाला एवं समाज महामंत्री श्री मनोज कुमार मूंदड़ा को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

–: प्रमाणित प्रतिलिपि :–

Kedar Bhala

(केदार मल भाला)
अध्यक्ष

(मनोज कुमार मूंदड़ा)
महामंत्री

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंधी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003
प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

श्रीधर नगर, गाँव जयपुरिया का बास, जयपुर
लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि जनोपयोगी भवन सामुदायिक केन्द्र

क्र. स.	विवरण	एरिया (लगभग)	लागत (लगभग)
1	ग्राउण्ड फ्लोर : डायनिंग हॉल, लॉन व किचन	15.000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
2	प्रथम तल : मुख्य बैक्वेट हॉल, डबल हाईट	15.000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
3	द्वितीय तल : 25 कमरे (4 डॉरमेट्री सहित)	15.000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
4	तृतीय तल : 20 कमरे (1 मिनी हॉल, 1 डायनिग हॉल, 1 डॉरमेट्री हॉल, किचन	15.000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
5	चतुर्थ तलः तृतीय तल : 20 कमरे (1 मिनी हॉल, 1डायनिग हॉल, 1 डॉरमेट्री हॉल, किचन)	15.000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
6	भूमि की लागत व लीज इत्यादि शुल्क		1.5 करोड़ रूपये

Means of Finance

Particulars	Amount
Corpus Fund	8.00 Crores
Contrubution/Donations	4.00 Crores
Total	**12.00 Crores**

Approx Cost of Project: 11.5 Crores

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर वर्ष 1960 से समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिको की सेवा करता आ रहा है। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा जनोपयोगी भवनो का संचालन समाज के नियमानुसार कर रहा है। समाज का यह लक्ष्य है कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समाज की व्यवस्थाओं एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप जयपुर शहूर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जोन संख्या–12 में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण में आंवटित करवा कर समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग एवं आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध करवाई जावें। जिससे जयपुर शहर के निवासियों को रियायती दरों पर सेवाएँ उपलब्ध करा कर राज्य सरकार के लक्ष्यों को पुरा करने का प्रयास हो सके।

भूमि आवंटन होने एवं समस्त कार्यवाही सम्पादन के 3–4 माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र का सम्पूर्ण निर्माण कार्य लगभग 18 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

32 (10)

TRUE COPY

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक : 60 / जयपुर / 1960–61

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर** जिला–जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 27 फ़रवरी 2019 को जयपुर में किया गया।

दिनांकः– 02 नवम्बर, 1960

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर
रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
एवं उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, जयपुर

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

33

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक ८० सन् १९६०-६१

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर तहसील जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९५८ (राजस्थान अधिनियम नं० २८, १९५८) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक दो माह नवम्बर सन् एक हजार नौसौ साठ को जयपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
जयपुर।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

प्रमाण-पत्र

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि नीचे वर्णित सार्वजनीन प्रन्यास राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम, १९५९ (१९५९ का ४२) के अधीन सहायक देवस्थान आयुक्त के कार्यालय में आज के दिन यथावत् रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

सार्वजनीन प्रन्यास का नाम महेश्वरी समाज, जयपुर

सार्वजनीन प्रन्यास के रजिस्टर में संख्या

प्रमाण-पत्र ———— को जारी किया गया।

मेरे हस्ताक्षरों से आज दिनांक ———— मास ———— सन् १९६ को दिया गया।

रा० मु० ज०

हस्ताक्षर
दिनांक

34 89 (12)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 60/JAIPUR/1960-61 दिनांक / DATE- 30-10-2022

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR जिला जयपुर राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR DISTRICT **Jaipur** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Ajay Kumar Sarda	MALE	भवन मंत्री (MPS, P.N.)		07/05/1977
2		Ajay Nowal	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		15/05/1977
3		Alok Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		30/12/1973
4		Amit Gattani	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, J.N.)		26/04/1971
5		Amit Kumar Laddha	MALE	सांस्कृतिक मंत्री		29/06/1976

Kedar Bhaly

अध्यक्ष

श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.10.30 2?:54:24 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Anil Ajmera	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		01/01/1973
7		Anil Kacholia	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		19/05/1969
8		Anil Kothari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		31/03/1967
9		Anil Kumar Sharda	MALE	कोषाध्यक्ष		28/12/1965
10		Arun Kumar Baheti	MALE	प्रचार मंत्री		21/03/1980
11		Arun Kumar Maloo	MALE	शिक्षा सचिव (MPS Sanskriti, Banipark)		22/02/1955
12		Arun Partani	MALE	स्वास्थ्य मंत्री		16/05/1980
13		Arvind Kumar Mandhaniya	MALE	भवन मंत्री		21/11/1974
14		Ashish Maheshwari	MALE	भवन मंत्री		08/09/1980
15		Ashish Mantri	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		07/03/1981
16		Ashok Ajmera	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		07/07/1974
17		Ashok Kumar Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		16/07/1965
18		Ashok Kumar Malu	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, Kalwar Road)		22/04/1964
19		Bajrang Lal Baheti	MALE	उपाध्यक्ष (शिक्षा)		25/10/1961
20		Bhawani Shanker Baheti	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		22/03/1965
21		Brij Mohan Baheti	MALE	संयुक्त मंत्री		07/12/1961
22		Chandra Mohan Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		12/08/1968
23		Chandra Prakash Dhoot	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		07/12/1977
24		Deepak Birla	MALE	कार्यकारिणी सदस्य		22/02/1981

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]abh Diwaker
Designation: [illegible]REGISTRAR
Date: 2022.[illegible]:54:24 IST
Reason: Appro[illegible]
Location: Jaipur

25	Deepak Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	04/08/1979
26	Deepak Sharda	MALE	शिक्षा सचिव (MPS,INT.)	01/01/1965
27	Dinesh Kumar Modani	MALE	शिक्षा सचिव (MGPGC, PN)	13/05/1958
28	Dinesh Kumar Soni	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	29/10/1953
29	Dwarka Das Maheshwari	MALE	भवन मंत्री (MHS)	30/01/1968
30	Dwarka Das Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	01/01/1958
31	Ganesh Maheshwari	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, P.N.)	08/12/1968
32	Ghanshyam Maheshwari	MALE	शिक्षा सचिव (MGPS)	20/01/1970
33	Girdhar Jhanwar	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	27/07/1967
34	Giriraj Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	23/10/1967
35	Gopal Lal Malpani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/07/1956
36	Govind Malpani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	24/06/1972
37	Harish Kumar Bhararia	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	21/10/1974
38	Harish Kumar Daga	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	25/09/1970
39	Kamal Kishore Saboo	MALE	शिक्षा सचिव (MHS)	03/08/1958
40	Kamal Kishore Somani	MALE	शिक्षा सचिव (MHS)	27/02/1969
41	Kamalesh Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	13/03/1972
42	Kedar Mal Bhala	MALE	अध्यक्ष	02/10/1957
43	Krishan Gopal	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	01/03/196

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.10.30 ...:54:24 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

		Maheshwari			8
44		Madhu Sudan Bihani	MALE	महासचिव शिक्षा	19/04/1970
45		Mahesh Chandak	MALE	भवन मंत्री (MPS, INT.)	03/10/1965
46		Mahesh Gupta	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	22/11/1971
47		Mal Chand Baheti	MALE	महेश सेवा कोष मंत्री	15/05/1950
48		Manish Gagarani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	30/11/1981
49		Manish Jajoo	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/06/1980
50		Manish Somani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	04/11/1972
51		Manoj Kumar Birla	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	21/05/1973
52		Manoj Kumar Moondhra	MALE	महामंत्री	13/06/1965
53		Natwar Kumar Sarda	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	15/08/1966
54		Nirmal Kumar Dargar	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	08/01/1975
55		Om Prakash Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/07/1977
56		Om Prakash Sodhani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	01/08/1970
57		Pawan Kumar Bajaj	MALE	उपाध्यक्ष (अर्थ)	18/09/1967
58		Pradeep Baheti	MALE	पदेन सदस्य	12/02/1958
59		Prakash Birla	MALE	शिक्षा सचिव (MBV)	01/07/1970
60		Prakash Maheshwari	MALE	भवन मंत्री (MBV)	22/08/1966
61		Pramod Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/06/1966
62		Praveen Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/06/197

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
[illegible] समाज जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.10.30 [illegible]:54:24 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

38 89 (86)

2

63		Punam Chand Bhala	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	09/02/1963
64		Radha Mohan Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	0/01/1973
65		Raj Kishore Bhala	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/11/1959
66		Rajeev Bagari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	30/06/1979
67		Rajesh Kumar Sodhani	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	26/09/1970
68		Rakesh Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	23/10/1975
69		Ramavatar Kabra	MALE	भवन मंत्री	30/03/1970
70		Ramesh Chand Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	07/11/1949
71		Ravi Periwal	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	21/11/1976
72		Ravindra Jhanwar	MALE	अर्थ मंत्री	24/11/1963
73		Rohit Maheshwari	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, Sanskriti, Jagatpura)	31/08/1974
74		Sandeep Kacholia	MALE	संयुक्त मंत्री	04/02/1981
75		Sandeep Maheshwari	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	05/07/1975
76		Sanjay Maheshwari	MALE	उपाध्यक्ष (समाज)	11/09/1960
77		Sanjay Maheshwari	MALE	उपाध्यक्ष (समाज)	26/03/1976
78		Sat Narain Karwa	MALE	विवाह प्रकोष्ठ मंत्री	05/09/1964
79		Shanti Lal Jagetia	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	12/12/1956
80		Sharad Kabra	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/10/1969
81		Shri Ballabh	MALE	वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण	19/12/194

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.10.30 2?:54:24 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

39 17

		Maheshwari		मंत्री	2
82		Shyam Das Mantri	MALE	भंडार मंत्री	07/11/1956
83		Shyam Lal Malpani	MALE	भवन मंत्री	23/07/1965
84		Shyam Sunder Jajoo	MALE	भवन मंत्री (MPS, Kalwar Road)	09/08/1974
85		Shyam Sunder Totla	MALE	शिक्षा सचिव (MPS, Ajmer Rd)	25/12/1969
86		Sumit Kabra	MALE	भवन मंत्री	05/02/1980
87		Suresh Kumar	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	06/09/1972
88		Sushil Jaju	MALE	कोषाध्यक्ष (समाज)	03/11/1966
89		Vaibhav Somani	MALE	भवन मंत्री (MPS Sanskriti, Banipark)	18/09/1979
90		Vijay Sarda	MALE	कार्यकारिणी सदस्य	20/02/1980
91		Vimal Kishore Sarda	MALE	संगठन मंत्री	08/02/1964
92		Vipin Saboo	MALE	भवन मंत्री (MPS, Sanskriti, Jagatpura)	21/02/1976

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Amitabh Diwaker
Designation: REGISTRAR
Date: 2022.10.30 ..:54:24 IST
Reason: Approved
Location: Jaipur

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का संविधान स्मरण – पत्र (मैमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन)		श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का संविधान स्मरण – पत्र (मैमोरेण्डम ऑफ एसोसियेशन)
1. संस्था का नाम :– इस संस्था का नाम "श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर" होगा।	कोई परिवर्तन नहीं।	1. संस्था का नाम :– इस संस्था का नाम "श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर" होगा।
2. संस्था का कार्यालय :– इसका रजिस्टर्ड कार्यालय श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर में रहेगा।	कोई परिवर्तन नहीं।	2. संस्था का कार्यालय :– इसका रजिस्टर्ड कार्यालय श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, सवाई मानसिंह हाइवे, जयपुर में रहेगा।
3. संस्था के उद्देश्य व पूर्ती के साधन :– इस संस्था का उद्देश्य जन–समुदाय की उन्नति के निमित्त सेवा, सहयोग संगठन एवं सुधार कार्य करना होगा जिससे उन्नत जन–समुदाय भारतीय राष्ट्र को सहयोग देता हुआ सार्वजनिक कल्याण कार्य में भाग लेता रहे। इस उद्देश्य पूर्ति के साधन निम्न प्रकार से होंगे :–	कोई परिवर्तन नहीं।	3. संस्था के उद्देश्य व पूर्ति के साधन :– इस संस्था का उद्देश्य जन– समुदाय की उन्नति के निमित्त सेवा, सहयोग संगठन एवं सुधार कार्य करना होगा जिससे उन्नत जन–समुदाय भारतीय राष्ट्र को सहयोग देता हुआ सार्वजनिक कल्याण कार्य में भाग लेता रहे। इस उद्देश्य पूर्ति के साधन निम्न प्रकार से होंगे :–
(क) सत्संग द्वारा सुनागरिक धर्म का प्रचार करना ।		(क) सत्संग द्वारा सुनागरिक धर्म का प्रचार करना ।
(ख) सम्मेलनों का आयोजन करके पारस्परिक प्रेम और एक्य की वृद्धि करना तथा देशकालानुसार हितकर सामाजिक नीति का निर्धारण करके उसे कार्यान्वित कराना।		(ख) सम्मेलनों का आयोजन करके पारस्परिक प्रेम और एकता में वृद्धि करना तथा देशकालानुसार हितकर सामाजिक नीति का निर्धारण करके उसे कार्यान्वित कराना।
(ग) विद्यालयों की स्थापना करके बालक व बालिकाओं के लिये मानसिक, व्यवसायिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षण, उपलब्ध कराना।		(ग) विद्यालयों की स्थापना करके बालक व बालिकाओं के लिये मानसिक, व्यवसायिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षण, उपलब्ध कराना।
(घ) आश्रमों की स्थापना करना जिसमें निराश्रित, असमर्थ और वृद्धि भाई–बहिनों, बालक–बालिकाओं एवं विधवा स्त्रियों को आश्रय प्राप्त हो, उनकी सेवा–सुश्रुषा हो और विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो।		(घ) आश्रमों, की स्थापना करना जिसमें निराश्रित, असमर्थ और वृद्ध भाई–बहिनों, बालक–बालिकाओं एवं विधवा स्त्रियों को आश्रय प्राप्त हो, उनकी सेवा–सुश्रुषा हो और विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो।
(ड.) सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों के आयोजनों हेतु एवं सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों में आने वाले भाई–बहिनों के ठहरने व अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनोपयोगी भवनों की समाज के तत्वावधान में स्थापना करना, उसके लिए दान प्राप्त करना जो अपने		(ड.) सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों के आयोजनों हेतु एवं सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों में आने वाले भाई–बहिनों के ठहरने व अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनोपयोगी भवनों की समाज के तत्वावधान में स्थापना करना, उसके लिए दान प्राप्त करना जो अपने

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
निज के विधान अथवा नियमावली के अन्तर्गत जनोपयोगी भवनों का निर्माण,प्रबन्ध व संचालन कर सकें।		निज के विधान अथवा नियमावली के अन्तर्गत जनोपयोगी भवनों का निर्माण,प्रबन्ध व संचालन कर सकें।
(च) समाज के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अलग–अलग व सम्मिलित कोषों की स्थापना करना, कोष (Corpus) के लिये दान स्वीकार करना, निराश्रित भाई–बहिनों को निर्वाह एवं विद्याध्ययन निमित्त सहायता देना।		(च) समाज के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अलग–अलग व सम्मिलित कोषों की स्थापना करना, कोष (Corpus) के लिये दान स्वीकार करना, निराश्रित भाई –बहिनों को निर्वाह एवं विद्याध्ययन निमित्त सहायता देना।
(छ) समाज की सुविधा के लिये वस्तु भंडार की स्थापना करना।		(छ) समाज की सुविधा के लिये वस्तु भंडार की स्थापना करना।
(ज) समाज के सदस्यों को सदाचार एवं सुरीति का स्वयं पालन करके उदाहरण उपस्थित करन तथा प्रेरणा से प्रचार करना।		(ज) समाज के सदस्यों को सदाचार एवं सुरीति का स्वयं पालन करके उदाहरण उपस्थित करना तथा प्रेरणा से प्रचार करना।
(झ) सार्वजनिक सेवायें करते हुए राष्ट्रीय भावना को जागृत करना।		(झ) सार्वजनिक सेवायें करते हुए राष्ट्रीय भावना को जागृत करना।
(ञ) नवयुवकों तथा नवयुवतियों के स्वयं सेवक दलों की स्थापना करके प्रयत्न करना।		(ञ) नवयुवकों तथा नवयुवतियों के स्वयं सेवक दलों की स्थापना करके उपरोक्त कार्यों को सफल बनाना।
(ट) सामाजिक नियम भंग करने वाले व्यक्ति के सुधार निमित्त यथासंभव प्रयत्न करना।		(ट) सामाजिक नियम भंग करने वाले व्यक्ति के सुधार निमित्त यथासंभव प्रयत्न करना।
(ठ) महिला परिषद् नवयुवक मण्डल एवं अन्य उपयोगी परिषदों की स्थापना करना जो इस संस्था के तत्वावधान में कार्य करें।		(ठ) महिला परिषद्, नवयुवक मण्डल एवं अन्य उपयोगी परिषदों की स्थापना करना जो इस संस्था के तत्वावधान में कार्य करें।
(ड) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।		(ड) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
(ढ) सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन में सहयोग करना।		(ढ) सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन में सहयोग करना।

अध्यक्ष महामंत्री- कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

राजस्थान संस्थाएं जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
की
नियमावली

1. समाज के सदस्य (पुरूष व महिला) :–

(क) समाज के सदस्य वे माहेश्वरी बंधु होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष से न्यून न होगी। समाज की सदस्यता हेतु निर्धारित सदस्यता पत्र मय फोटो भरकर देना होगा व अपने सदस्यता पत्र की पुष्टि चौकड़ी से चुने वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य से करवाएंगे। सदस्यता केवल उन्हीं को प्रदान की जावेगी जिसका समाज द्वारा निर्धारित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष से निवास हो।

जयपुर नगर निगम के निर्धारित क्षेत्र में स्थाई निवास एवं स्वयं की पहचान हेतु निम्न दस्तावेजों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बाद ही सदस्यता उप समिति स्थाई निवास की सत्यता की जांच करके सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान कर सकेगी :

Proof of Identity with photo	Address proof (recent/latest)
1. Passport	1. Passport
2. Voter I.D. Card	2. Voter I.D. Card
3. Pan Card	3. Driving Linence (Issue by jaipur, one year) before membership form)
4. Govt. /Defence I.Card	4. Electricity Bill
5. Driving Licence	5. Land line Telephone Bill
	6. Ration Card
	7. Registry of residential House

सदस्य बनने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना समाज द्वारा प्रेषित करना / विज्ञप्ति देना आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

संशोधन

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
की
नियमावली

1. समाज के सदस्य (पुरुष व महिला) :–

(क) समाज के सदस्य वे माहेश्वरी बन्धु होंगे, जिनकी आयु 18 वर्ष से न्यून न होगी। समाज की सदस्यता हेतु निर्धारित सदस्यता प्रपत्र मय फोटो भरकर देना अनिवार्य होगा व अपने सदस्यता प्रपत्र में स्वयं की पुष्टि चौकड़ी के कार्यकारिणी सदस्य से करवाना अनिवार्य होगा। सदस्यता केवल उन्हीं को प्रदान की जाएगी, जिनका निवास जयपुर नगर निगम की सीमा में होगा।

जयपुर नगर निगम के निर्धारित क्षेत्र में स्थाई निवास एवं स्वयं की पहचान हेतु निम्न दस्तावेजों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बाद ही सदस्यता उप समिति स्थाई निवास की सत्यता की जांच करके सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान कर सकेगी :

(i) स्थाई निवास (Address Proof) हेतु कोई एक दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति:–
- आधार कार्ड
- नवीन मतदाता पहचान पत्र

नोट : ऐसे माहेश्वरी बन्धु जिनके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड / नवीन मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे नवीनतम पासपोर्ट में अंकित जयपुर के पते के आधार पर सदस्य बन सकेंगे। उनकी चौकड़ी का निर्धारण नवीनतम पासपोर्ट में अंकित पते के आधार पर होगा।

(ii) स्वंय की पहचान (Proof of Identity) हेतु निम्न में से कोई एक दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति (संभवतया ऐसा दस्तावेज जो माहेश्वरी जाति का होना प्रमाणित करता हो) :–
- आधार कार्ड
- नवीन मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड

(3)

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

संशोधन के बाद नियम

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
की
नियमावली

1. समाज के सदस्य (पुरुष व महिला) :–

(क) समाज के सदस्य वे माहेश्वरी बन्धु होंगे, जिनकी आयु 18 वर्ष से न्यून न होगी। समाज की सदस्यता हेतु निर्धारित सदस्यता प्रपत्र मय फोटो भरकर देना अनिवार्य होगा व अपने सदस्यता प्रपत्र में स्वयं की पुष्टि चौकड़ी के कार्यकारिणी सदस्य से करवाना अनिवार्य होगा। सदस्यता केवल उन्हीं को प्रदान की जाएगी, जिनका निवास जयपुर नगर निगम की सीमा में होगा।

नोट : चुनावी वर्ष में सदस्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र 31 दिसम्बर तक ही स्वीकृत होंगे।

जयपुर नगर निगम के निर्धारित क्षेत्र में स्थाई निवास एवं स्वयं की पहचान हेतु निम्न दस्तावेजों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बाद ही सदस्यता उप समिति स्थाई निवास की सत्यता की जाँच करके सदस्यता हेतु स्वीकृति प्रदान कर सकेगी :

(i) स्थाई निवास (Address Proof) हेतु कोई एक दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रतिः–
- आधार कार्ड
- नवीन मतदाता पहचान पत्र

नोट : ऐसे माहेश्वरी बन्धु जिनके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड / नवीन मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे नवीनतम पासपोर्ट में अंकित जयपुर के पते के आधार पर सदस्य बन सकेंगे। उनकी चौकड़ी का निर्धारण नवीनतम पासपोर्ट में अंकित पते के आधार पर होगा।

(ii) स्वंय की पहचान (Proof of Identity) हेतु निम्न में से कोई एक दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति (संभवतया ऐसा दस्तावेज जो माहेश्वरी जाति का होना प्रमाणित करता हो) :–
- आधार कार्ड
- नवीन मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(iii) श्री माहेश्वरी समाज के सदस्य बनने हेतु जयपुर के निवास के पते का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है। चौकड़ी का निर्धारण आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र पर अंकित पते के अनुसार ही होगा। (iv) वर्तमान समाज सदस्य के निवास/पते के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस सदस्य को सूचित करने पर उसके द्वारा (क) (i) व (ii) के अनुसार दस्तावेज 30 दिवस में प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा नहीं करने पर कार्यकारिणी द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। (v) माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य बनने के लिए निर्धारित सदस्यता प्रपत्र में दी गई सूचना अगर गलत पायी गई तो उप समिति को सदस्यता निरस्त करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना उप समिति द्वारा महामंत्री को देनी होगी। नोट : सदस्य बनाने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना समाज द्वारा प्रेषित करना/विज्ञप्ति देना आवश्यक नहीं है।	(iii) श्री माहेश्वरी समाज के सदस्य बनने हेतु जयपुर के निवास के पते का आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/नवीनतम पासपोर्ट होना अनिवार्य है। चौकड़ी का निर्धारण आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/नवीनतम पासपोर्ट पर अंकित पते के अनुसार ही होगा। (iv) वर्तमान समाज सदस्य के निवास/पते के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस सदस्य को सूचित करने पर उसके द्वारा (क) (i) व (ii) के अनुसार दस्तावेज 30 दिवस में प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा नहीं करने पर कार्यकारिणी द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी। (v) माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य बनने के लिए निर्धारित सदस्यता प्रपत्र में दी गई सूचना अगर गलत पायी गई तो उप समिति को सदस्यता निरस्त करने का अधिकार होगा, जिसकी सूचना उप समिति द्वारा महामंत्री को देनी होगी। नोट : सदस्य बनाने हेतु किसी भी प्रकार की सूचना समाज द्वारा प्रेषित करना/विज्ञप्ति देना आवश्यक नहीं है।
(ख)(i) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यो की समिति द्वारा संतुष्टि करने के पश्चात् ही नये व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की जावेगी। जिन व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान नहीं की जाये उनकी नामावली समाज के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।	कोई परिवर्तन नहीं।	(ख) (i) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यो की उप समिति द्वारा संतुष्टि करने के पश्चात् ही नये व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की जावेगी। जिन व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान नहीं की जाये उनकी नामावली समाज के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
(ii) वर्तमान सदस्य की सदस्यता इसी समिति द्वारा संतुष्टि कर, कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् ही समाप्त की जा सकेगी, जिसकी लिखित सूचना संबंधित सदस्य को भेजी जायेगी तथा समाज के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जावेगी।	कोई परिवर्तन नहीं।	(ii) वर्तमान सदस्य की सदस्यता इसी समिति द्वारा संतुष्टि कर, कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् ही समाप्त की जा सकेगी, जिसकी लिखित सूचना संबंधित सदस्य को भेजी जायेगी तथा समाज के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जावेगी।
(ग) महिला को विवाह के पश्चात् नया सदस्यता फार्म भरकर अपनी सदस्यता लेनी होगी। सदस्यता फार्म प्राप्त होने के उपरान्त पुरानी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।	कोई परिवर्तन नहीं।	(ग) महिला को विवाह के पश्चात् नया सदस्यता फार्म भरकर अपनी सदस्यता लेनी होगी। सदस्यता फार्म प्राप्त होने के उपरान्त पुरानी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(घ) सदस्यता समाप्ति–निम्न परिस्थितियों में सदस्य की संस्था से सदस्यता समाप्ति समझी जायेगी:– 1. सदस्य की मृत्यु होन पर, 2. सदस्य द्वारा लिखित में सदस्यता समाप्त करने का	कोई परिवर्तन नहीं।	(घ) सदस्यता समाप्ति– निम्न परिस्थितियों में सदस्य की संस्था से सदस्यता समाप्ति समझी जायेगी:– 1. सदस्य की मृत्यु होने पर, 2. सदस्य द्वारा लिखित में सदस्यता समाप्त करने का

रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

सदस्य की वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
आवेदन करने पर, 3. समाज के नियमानुसार अथवा संस्था की नियमावली के अनुसार सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहने पर।		आवेदन करने पर, 3. समाज के नियमानुसार सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रहने पर।
(ड.) तीन सत्र के बाद नई जनगणना मय सदस्यता फार्म सहित अथवा पुरानी जनगणना सदस्यता मय फार्म सहित जाँच करना अनिवार्य होगा। नई जनगणना पूर्ण होने पर कार्यकारिणी द्वारा पुरानी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी जिसके तुरन्त बाद नई जनगणना प्रभावी हो जायेगी।	(ड.) तीन सत्र के बाद नई जनगणना करना एवं नये सदस्यता फार्म भरवाना अनिवार्य होगा। नई जनगणना पूर्ण होने पर कार्यकारिणी द्वारा पुरानी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी जिसके तुरन्त बाद नई जनगणना प्रभावी हो जायेगी।	(ड.) प्रत्येक 3 सत्र के पश्चात् जनगणना करवाना आवश्यक होगा। ऐसी जनगणना पूर्ण होने पर संगठन मंत्री द्वारा कार्यकारिणी को अवगत कराना होगा तथा तत्पश्चात् पुरानी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी एवं नई जनगणना प्रभावी हो जायेगी।
	(च) विशेष सदस्य : स्वजातिय बन्धु जो जयपुर के बाहर निवास करते हैं, जिनका समाज में आर्थिक सहयोग (न्यूनतम एक मुश्त 21 लाख रूपये) हो, उनको एवं उनकी पत्नी/पति, माता–पिता, पुत्र–पुत्रवधु एवं अविवाहित पुत्री को समाज की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। ऐसी सदस्यता समाज अध्यक्ष एवं महामंत्री तथा निवर्तमान अध्यक्ष व निवर्तमान महामंत्री सभी की लिखित स्वीकृति के पश्चात् संगठन मंत्री द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्हें सदस्य के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे तथा उनकी चौकड़ी का निर्धारण उनके अस्थाई निवास के आधार पर होगा।	(च) विशेष सदस्य : ऐसे स्वजातीय बन्धु जो जयपुर के हैं, लेकिन वर्तमान जयपुर के बाहर निवास करते हैं, जयपुर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में सामाजिक रुचि है, उन्हें कार्यकारिणी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृति के पश्चात् सदस्यता प्रदान की जा सकेगी। उनकी चौकड़ी का निर्धारण उनके पैतृक निवास के पते के आधार पर किया जायेगा।
2. संरक्षक :– ऐसे सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक की हो एवं जिनके द्वारा की गई असाधारण सामाजिक सेवाओं के सम्मान में यदि कार्यकारिणी उचित समझें तो उन्हें संरक्षक मनोनीत किया जा सकेगा।	2. संरक्षक :– (क) ऐसे सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक हो एवं जो 20 वर्ष या अधिक से असाधारण सामाजिक सेवाएं दे रहे हों, उन्हें संरक्षक मनोनीत किया जा सकेगा। (ख) संरक्षक के मनोनयन हेतु अध्यक्ष द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य संरक्षक/भूतपूर्व अध्यक्षों में से एवं वर्तमान अध्यक्ष व वर्तमान महामंत्री सहित कुल 5 सदस्य होंगे। समिति प्रस्तावित नामों का आधार व पूर्ण विवरण तैयार करेगी। अध्यक्ष महामंत्री की सलाह से अन्तिम निर्णय लेकर कार्यकारिणी सभा को सूचित करेंगे। (ग) संरक्षक का मनोनयन आगामी चुनावों से 8 माह पूर्व तक ही किया जा सकेगा। (घ) संरक्षक श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी/ईसीएमएस में किसी भी प्रकार का पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे। (ङ) यदि वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी को समाज द्वारा संरक्षक मनोनीत किया जाता है, तो उस तिथि से उसके	2. संरक्षक :– (क) ऐसे सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष या अधिक हो एवं जो 20 वर्ष या अधिक से असाधारण सामाजिक सेवाएं दे रहे हों, उन्हें संरक्षक मनोनीत किया जा सकेगा। (ख) संरक्षक के मनोनयन हेतु अध्यक्ष द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 सदस्य संरक्षक/भूतपूर्व अध्यक्षों में से एवं वर्तमान अध्यक्ष व वर्तमान महामंत्री सहित कुल 5 सदस्य होंगे। समिति प्रस्तावित नामों का आधार व पूर्ण विवरण तैयार करेगी। अध्यक्ष महामंत्री की सलाह से अन्तिम निर्णय लेकर कार्यकारिणी सभा को सूचित करेंगे। (ग) संरक्षक का मनोनयन आगामी चुनावों से 8 माह पूर्व तक ही किया जा सकेगा। (घ) संरक्षक श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी/ईसीएमएस में किसी भी प्रकार का पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे। (ङ) यदि वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी को समाज द्वारा संरक्षक मनोनीत किया जाता है, तो उस तिथि से उसके

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	समस्त पद स्वतः ही रिक्त माने जाएगें। (च) एक त्रैवार्षिक सत्र में अधिकतम 3 संरक्षकों को मनोनीत किया जा सकेगा।	समस्त पद स्वतः ही रिक्त माने जाएँगें। (च) एक त्रैवार्षिक सत्र में अधिकतम 3 संरक्षकों को मनोनीत किया जा सकेगा।
3. आर्थिक सहायता :— प्रत्येक माहेश्वरी बंधु द्वारा इच्छानुसार समाज को आर्थिक सहायता प्रदान कर सहयोग देना।	3. आर्थिक सहायता :— (क) माहेश्वरी बंधुओं द्वारा स्वेच्छा से प्रदत्त आर्थिक सहयोग को स्वीकार करना। (ख) श्री माहेश्वरी समाज सीएसआर के माध्यम से किसी कम्पनी से आर्थिक सहयोग ले सकेगा।	3. आर्थिक सहयोग :— (क) माहेश्वरी बंधुओं द्वारा स्वेच्छा से प्रदत्त आर्थिक सहयोग को स्वीकार करना। (ख) श्री माहेश्वरी समाज सीएसआर के माध्यम से किसी कम्पनी से आर्थिक सहयोग ले सकेगा। सीएसआर के माध्यम से प्राप्त सहयोग के बदले में कोई लाभ देय नही होगा।
4. सम्पति का स्वामित्वः— इस संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में निहित रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष अथवा समिति में नहीं। जनोपयोगी भवनों की चल अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को होगा।	4. सम्पति का स्वामित्वः— इस संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में निहित रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष अथवा समिति में नहीं। जनोपयोगी भवनों एवं अन्य अन्तर्गत संस्थाओं की क्रय (भूखण्ड क्रय सहित) अथवा दान स्वरूप आयी हुई चल–अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का होगा।	4. सम्पत्ति का स्वामित्वः— इस संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में निहित रहेगा। किसी व्यक्ति विशेष अथवा समिति में नहीं। जनोपयोगी भवनों एवं अन्य अन्तर्गत संस्थाओं की क्रय (भूखण्ड क्रय सहित) अथवा दान स्वरूप आयी हुई चल–अचल सम्पत्ति का मालिकाना हक श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का होगा।
5. अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय :— संस्था के लिये अचल सम्पत्ति के क्रय का अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को होगा। मगर असाधारण सभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करके ही कार्यकारिणी अचल सम्पत्ति का विक्रय कर सकेगी। ऐसी असाधारण सभा की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व देनी होगी व इसकी कार्योपयुक्त संख्या (कोरम) 201 सदस्यों का होगा।	5. अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय :— संस्था के लिये अचल सम्पत्ति के क्रय का अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को होगा। मगर असाधारण सभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करके ही कार्यकारिणी अचल सम्पत्ति का विक्रय कर सकेगी। ऐसी असाधारण सभा की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व देनी होगी व इसकी कार्योपयुक्त संख्या (कोरम) 501 सदस्यों की होगा। ऐसी स्थगित सभा का कोरम भी 501 का ही होगा।	5. अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय :— संस्था के लिये अचल सम्पत्ति के क्रय का अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को होगा। मगर असाधारण सभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 अथवा कोरम का 2/3, जो भी अधिक हो, मत प्राप्त करके ही कार्यकारिणी अचल सम्पत्ति का विक्रय कर सकेगी। ऐसी असाधारण सभा की सूचना कम से कम 10 दिन पूर्व देनी होगी व इसकी कार्योपयुक्त संख्या (कोरम) 501 सदस्यों की होगा। ऐसी स्थगित सभा का कोरम भी 501 का ही होगा।
6. हिसाबी वर्ष व लेखों की मान्यता :— संस्था का हिसाबी वर्ष प्रतिवर्ष की प्रथम अप्रेल से आरंभ होगा। हिसाबी वर्ष अप्रेल से मार्च तक के लेखों का यथाशीघ्र अंकेक्षण कराकर कार्यकारिणी में सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा।	6. हिसाबी वर्ष व लेखों की मान्यता :— संस्था का हिसाबी वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष होगा। हिसाबी वर्ष के लेखों का अंकेक्षण 3 माह में कराकर कार्यकारिणी में सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा।	6. हिसाबी वर्ष व लेखों की मान्यता :— संस्था का हिसाबी वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष होगा। हिसाबी वर्ष के लेखों का अंकेक्षण 3 माह में कराकर कार्यकारिणी में सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा।
7. श्री माहेश्वरी समाज के सम्मेलन/असाधारण सभा :— (i) सम्मेलन :— साधारण सम्मेलन प्रतिवर्ष सूर्य सप्तमी और महेश नवमी अर्थात् माघ सुदी 7 और ज्येष्ठ शुक्ल 9 को क्रमशः होगा।	7. श्री माहेश्वरी समाज के उत्सव, साधारण सभा एवं असाधारण सभा :— (i) उत्सव :— साधारणतया प्रतिवर्ष सूर्य सप्तमी (माघ सुदी 7), महेश नवमी (ज्येष्ठ शुक्ला 9), दीपावली पर स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव, होली पर फागोत्सव एवं अन्य	7. श्री माहेश्वरी समाज के उत्सव, साधारण सभा एवं असाधारण सभा :— (i) उत्सव :— साधारणतया प्रतिवर्ष सूर्य सप्तमी (माघ सुदी 7), महेश नवमी (ज्येष्ठ शुक्ल 9), दीपावली पर स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव, होली पर फागोत्सव एवं अन्य

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(ii) असाधारण सभा :– (क) असाधारण सभा आवश्यकता होने पर अध्यक्ष स्वयं/कार्यकारिणी सदस्यों की पूर्ण संख्या के 2/3 के लिखित अनुरोध पर अथवा कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित किय जाने पर 1 माह के अन्दर बुलाई जा सकेगी। निश्चित तिथि, स्थान, समय एवं विचारार्थ विषयों की सूचना 15 दिन पूर्व समाचार पत्र अथवा अनुरोध पत्र द्वारा दी जायेगी। विचारार्थ विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जा सकेगा। (ख) असाधारण सभा में सर्वसम्मति अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय सर्वमान्य होंगे। ऐसे निर्णय लेते समय सभा में सदस्यों की कार्योपयुक्त (कोरम) 301 होगी। (ग) पक्ष– विपक्ष के समान मत आने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। (ड.) असाधारण सभा में कार्योपयुक्त संख्या के अभाव में सभा स्थगित कर 7 दिन की अवधि में आम सूचना द्वारा पुनः सभा बुलाई जावेगी और उस आगामी सभा में कार्योपयुक्त संख्या का प्रश्न बाधक नहीं होगा। केवल स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार एवं निर्णय किया जा सकेगा।	कार्यक्रम जिन्हें कार्यकारिणी निश्चित करें, मनाए जाएगें। (ii) साधारण सभा :– प्रतिवर्ष जुलाई माह में साधारण सभा का आयोजन कर वर्ष पर्यन्त किए गए कार्यो की जानकारी एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सभा में रखना तथा सभा में उपस्थित सदस्यों से सामाजिक विचार विमर्श करना। इस सभा हेतु कोरम की बाध्यता नहीं होगी। ऐसी सभा में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। (iii) असाधारण सभा :– आवश्यकता होने पर अध्यक्ष स्वयं/कार्यकारिणी सदस्यों की पूर्ण संख्या के 2/3 के लिखित अनुरोध पर अथवा कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर एक माह के अन्दर बुलाई जा सकेगी। निश्चित तिथि, स्थान, समय विचारार्थ विषयों की सूचना 15 दिन पूर्व सोशल मीडिया/माहेश्वरी पत्रिका/पत्र द्वारा दी जा सकेगी। इस सभा में केवल कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित विचारार्थ विषयों पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। ऐसी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवायी जाएगी। असाधारण सभा में कार्योपयुक्त संख्या के अभाव में सभा स्थगित कर सातवें दिन पुनः उसी स्थान एवं उसी समय सभा आयोजित होगी और इस सभा में कार्योपयुक्त संख्या 201 सदस्यों की होगी। इस स्थगित सभा में केवल स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार कर निर्णय लिए जा सकेंगे। (नोट :– असाधारण सभा/स्थगित असाधारण सभा हेतु निर्धारित समय के एक घन्टे में कोरम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सभा स्वतः ही स्थगित मानी जाएगी।) *स्थगित सभा में भी कोरम पूर्ण न होने पर 7 दिन में पुनः उसी स्थान पर एवं उसी समय पर सभा आयोजित होगी जिसमें भी कोरम की संख्या 201 होगी। इस स्थगित सभा में उपस्थिति के 2/3 बहुमत से निर्णय लिये जा सकेंगे।* अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	कार्यक्रम जिन्हें कार्यकारिणी निश्चित करें, मनाए जाएगें। (ii) साधारण सभा :– प्रतिवर्ष <u>दिसम्बर</u> माह में साधारण सभा का आयोजन कर वर्ष पर्यन्त किए गए कार्यों की जानकारी एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सभा में रखना तथा सभा में उपस्थित सदस्यों से सामाजिक विचार विमर्श करना। इस सभा हेतु कोरम की बाध्यता नहीं होगी। ऐसी सभा में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। (iii) असाधारण सभा :– आवश्यकता होने पर अध्यक्ष स्वयं/कार्यकारिणी सदस्यों की पूर्ण संख्या के 2/3 के लिखित अनुरोध पर अथवा कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर एक माह के अन्दर बुलाई जा सकेगी। निश्चित तिथि, स्थान, समय विचारार्थ विषयों की सूचना 15 दिन पूर्व सोशल मीडिया/माहेश्वरी पत्रिका/पत्र द्वारा दी जा सकेगी। इस सभा में केवल कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तावित विचारार्थ विषयों पर ही निर्णय लिया जा सकेगा। ऐसी सूचना स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवायी जाएगी। <u>असाधारण सभा में सर्वसम्मति, अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय सर्वमान्य होंगे। ऐसे निर्णय लेते समय सभा में सदस्यों की कार्योपयुक्त (कोरम) 301 होगी।</u> असाधारण सभा में कार्योपयुक्त संख्या के अभाव में सभा स्थगित कर सातवें दिन पुनः उसी स्थान एवं उसी समय सभा आयोजित होगी और इस सभा में कार्योपयुक्त संख्या 201 सदस्यों की होगी। इस स्थगित सभा में केवल स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार कर निर्णय लिए जा सकेंगे। (नोट :– असाधारण सभा/स्थगित असाधारण सभा हेतु निर्धारित समय के एक घन्टे में कोरम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सभा स्वतः ही स्थगित मानी जाएगी।) *स्थगित सभा में भी कोरम पूर्ण न होने पर 7 दिन में पुनः उसी स्थान पर एवं उसी समय पर सभा आयोजित होगी जिसमें भी कोरम की संख्या 201 होगी। इस स्थगित सभा में उपस्थिति के 2/3 बहुमत से निर्णय लिये जा सकेंगे।*

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(घ) कार्यकारिणी अथवा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव समाज के 1001 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त (पते सहित), लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा असाधारण सभा बुलाई जायेगी । इसका कोरम 701 सदस्यों का होगा एवं उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होगा। यदि अध्यक्ष 45 दिन तक सभा ना बुलाए तो प्रस्ताव रखने वाले को अध्यक्ष को एक बार पुनः सूचित करने के पश्चात् स्वयं सभा करके निर्णय लेने का अधिकार होगा जो सर्वमान्य समझा जायेगा।	(iv) कार्यकारिणी अथवा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास (ऐसा अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक बार ही आ सकेगा।) का प्रस्ताव समाज के 2001 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त (पते सहित), लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा असाधारण सभा बुलाई जायेगी । इसका कोरम 1001 सदस्यों का होगा एवं उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होगा। यदि अध्यक्ष 45 दिन तक सभा ना बुलाए तो प्रस्ताव रखने वाले को अध्यक्ष को एक बार पुनः सूचित करने के पश्चात् स्वयं सभा करके निर्णय लेने का अधिकार होगा जो सर्वमान्य जायेगा। ऐसी सभा की कोई स्थगित सभा नहीं होगी।	(iv) कार्यकारिणी अथवा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास (ऐसा अविश्वास प्रस्ताव सत्र में एक बार ही आ सकेगा।) का प्रस्ताव समाज के 2001 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त (पते सहित), लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा असाधारण सभा बुलाई जायेगी । इसका कोरम 1001 सदस्यों का होगा एवं उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होगा। यदि अध्यक्ष 45 दिन तक सभा ना बुलाए तो प्रस्ताव रखने वाले को एक बार अध्यक्ष पुनः सूचित करने के पश्चात् स्वयं सभा करके निर्णय लेने का अधिकार होगा जो सर्वमान्य होगा। ऐसी सभा की कोई स्थगित सभा नहीं होगी।
(च) अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव समाज कार्यकारिणी के सदस्यों की पूरी संख्या के दो तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर कार्यकारिणी की सभा में रखना अनिवार्य होगा। इस कार्यकारिणी सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होगा।		(v) अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव समाज कार्यकारिणी के सदस्यों की पूरी संख्या के दो तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर एक माह के अन्दर कार्यकारिणी की सभा में रखना अनिवार्य होगा। इस कार्यकारिणी सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति अथवा गुप्त मतदान द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होगा।
8. मताधिकार :— प्रत्येक सदस्य को स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार मत देने का अधिकार होगा। चुनाव तिथि से 6 माह पूर्व तक बन चुके (समाज के रिकॉर्ड के अनुसार) सदस्य ही चुनाव में मतदान के अधिकारी होगें एवं चौकड़ी का निर्धारण चुनाव तिथि के 6 माह पूर्व का समाज के रिकॉर्ड में लिखे पते के आधार पर ही होगा।	8. मताधिकार :— प्रत्येक सदस्य को स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार मत देने का अधिकार होगा। कार्यकारिणी के आगामी चुनावों से पूर्व 31 जनवरी तक बने सदस्य (समाज के रिकार्ड के अनुसार) ही चुनाव में मतदान में भाग ले सकेंगे। चौकड़ी का निर्धारण आगामी चुनावों से पूर्व 31 जनवरी तक समाज में लिखे पते (आधार कार्ड/नवीन मतदाता पहचान पत्र/नवीनतम पासपोर्ट पर अंकित) के आधार पर ही होगा। आगामी चुनावों में पता परिवर्तन भी आगामी चुनावों से पूर्व 31 जनवरी तक आधार कार्ड/नवीन मतदाता पहचान पत्र/नवीनतम पासपोर्ट पर अंकित पते के अनुसार करवाना होगा।	8. मताधिकार :— प्रत्येक सदस्य को स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार मत देने का अधिकार होगा। कार्यकारिणी के आगामी चुनावों से पूर्व 31 जनवरी तक बने सदस्य (समाज के रिकार्ड के अनुसार) ही चुनाव में मतदान में भाग ले सकेंगे। चौकड़ी का निर्धारण आगामी चुनावों से पूर्व 31 जनवरी तक समाज में लिखे पते (आधार कार्ड/नवीन मतदाता पहचान पत्र/नवीनतम पासपोर्ट पर अंकित) के आधार पर ही होगा। आगामी चुनावों में पता परिवर्तन भी आगामी चुनावों से पूर्व 31 जनवरी तक आधार कार्ड/नवीन मतदाता पहचान पत्र/नवीनतम पासपोर्ट पर अंकित पते के अनुसार करवाना होगा।
9. कार्य संचालन :— इस संस्था का कार्य संचालन एक कार्यकारिणी द्वारा होगा जिसका गठन तथा निर्वाचन तीन वर्ष के नियम 10 और 11 के अनुसार होगा।	9. कार्य संचालन :— (क) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का कार्य संचालन एक कार्यकारिणी द्वारा होगा। इसका गठन तथा निर्वाचन तीन वर्ष हेतु नियम 10 व 11 के अनुसार होगा। (ख) श्री माहेश्वरी समाज एवं अर्न्तगत संस्थाओं (श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, श्री माहेश्वरी महिला परिषद) के त्रैवार्षिक	9. कार्य संचालन :— (क) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का कार्य संचालन एक कार्यकारिणी द्वारा होगा। इसका गठन तथा निर्वाचन तीन वर्ष हेतु नियम 10 व 11 के अनुसार होगा। (ख) श्री माहेश्वरी समाज एवं अर्न्तगत संस्थाओं (श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, श्री माहेश्वरी महिला परिषद) के त्रैवार्षिक

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	चुनाव एक साथ माह जुलाई में करवाना अनिवार्य है। आगामी सत्र हेतु चुनाव जुलाई 2022 में होंगे।	चुनाव एक साथ माह जुलाई में करवाना अनिवार्य है। आगामी सत्र हेतु चुनाव जुलाई 2022 में होंगे।
10. कार्यकारिणी का गठन :– (क) इसके सदस्यों की संख्या 83 (नवनिर्वाचित अध्यक्ष, 72 नवनिर्वाचित सदस्य नियमानुसार चौकड़ियों में से चुनाव द्वारा एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा मनोनित 8 सदस्य) एवं दो पदेन (निवर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं महामंत्री) सदस्य सहित होगी जिनकी आयु 37 वर्ष से ऊपर होगी जिसमें पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नानुसार होंगे।	10. कार्यकारिणी का गठन :– (क) इसके सदस्यों की संख्या 91 (अध्यक्ष + 90 सदस्य नियमानुसार चौकड़ी में से चुनाव द्वारा निर्वाचित) होगी, जिनकी आयु 40 व इससे ऊपर होगी, जिसमें पदाधिकारी एवं सदस्य नियम 10(ग) के अनुसार होगें। इसके अतिरिक्त पदेन (निवर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं निवर्तमान महामंत्री) सदस्य होंगे। वर्तमान अध्यक्ष/महामंत्री पुनः चुनाव में निर्वाचित होते हैं, तो उन्हें पदेन सदस्य न मानकर कार्यकारिणी सदस्य ही माना जाएगा।	10. कार्यकारिणी का गठन :– (क) इसके सदस्यों की संख्या 91 (अध्यक्ष + 90 सदस्य नियमानुसार चौकड़ी में से चुनाव द्वारा निर्वाचित) होगी, जिनकी आयु 40 व इससे ऊपर होगी, जिसमें पदाधिकारी एवं सदस्य नियम 10(ग) के अनुसार होगें। इसके अतिरिक्त पदेन (निवर्तमान कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं निवर्तमान महामंत्री) सदस्य होंगे। वर्तमान अध्यक्ष/महामंत्री पुनः चुनाव में निर्वाचित होते हैं, तो उन्हें पदेन सदस्य न मानकर कार्यकारिणी सदस्य ही माना जाएगा।
(ख) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। विशेष परिस्थिति में कार्यकाल कार्यकारिणी द्वारा 6 मास निम्नानुसार होंगे।	(ख) कार्यकारिणी का कार्यकाल नियमानुसार तीन वर्ष का होगा। केवल विशेष परिस्थिति में ही निम्न कारणों से अधिकतम एक माह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। इस स्थिति वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी तदर्थ समिति के रूप में कार्य करते रहेगें। तदर्थ समिति किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी। (i) अर्न्तराष्ट्रीय युद्ध (ii) राष्ट्रीय अथवा स्थानीय उपद्रव/आपदा के कारण (iii) राजकीय अवरोध की स्थिति नोट : उपरोक्त कारणों से कार्यकाल बढने पर भी आगामी चुनाव पूर्वानुसार माह जुलाई में ही होंगे।	(ख) कार्यकारिणी का कार्यकाल नियमानुसार तीन वर्ष का होगा। केवल विशेष परिस्थिति में ही निम्न कारणों से अधिकतम एक माह का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। इस स्थिति वर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारी तदर्थ समिति के रूप में कार्य करते रहेगें। तदर्थ समिति किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगी। (i) अर्न्तराष्ट्रीय युद्ध (ii) राष्ट्रीय अथवा स्थानीय उपद्रव/आपदा के कारण (iii) राजकीय अवरोध की स्थिति नोट : उपरोक्त कारणों से कार्यकाल बढने पर भी आगामी चुनाव पूर्वानुसार माह जुलाई में ही होंगे।
(ग) पदाधिकारी :–	(ग) पदाधिकारी :	(ग) पदाधिकारी :

वर्तमान विधान — (ग) पदाधिकारी

पद	संख्या
अध्यक्ष	1
उपाध्यक्ष	3
महामंत्री	1
संयुक्त मंत्री	2
महासचिव शिक्षा	1
शिक्षा सचिव	(प्रत्येक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के लिए एक पद)
अर्थ मंत्री	1
कोषाध्यक्ष	2 (समाज, शिक्षण संस्थाओं के लिये)
संगठन एवं प्रचार मंत्री	1
सहसंगठन एवं प्रचार मंत्री	1

संशोधन — (ग) पदाधिकारी

पद	संख्या
अध्यक्ष	1
उपाध्यक्ष	3 (समाज–1, अर्थ–1 एवं शिक्षा–1)
महामंत्री	1
संयुक्त मंत्री	2
महासचिव शिक्षा	1
शिक्षा सचिव	(प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए एक पद)
अर्थ मंत्री	1
कोषाध्यक्ष	2 (समाज, शिक्षण संस्थाओं के लिए एक पद)
संगठन मंत्री	1
प्रचार मंत्री	1

संशोधन के बाद नियम — (ग) पदाधिकारी

पद	संख्या
अध्यक्ष	1
उपाध्यक्ष	3 (समाज–1, अर्थ–1 एवं शिक्षा–1)
महामंत्री	1
संयुक्त मंत्री	2
महासचिव शिक्षा	1
शिक्षा सचिव	(प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए एक पद)
अर्थ मंत्री	1
कोषाध्यक्ष	2 (समाज, शिक्षण संस्थाओं के लिए एक पद)
संगठन मंत्री	1

अध्यक्ष | महामंत्री | कोषाध्यक्ष

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान

भंडार मंत्री 1

भवन मंत्री (समाज भवन व प्रत्येक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के भवन के लिए एक पद)

सांस्कृतिक मंत्री 1

विवाह प्रकोष्ठ मंत्री 1

नोट :–

(i) जिन पदों की एक से ज्यादा संख्या है उनकी वरिष्ठता उनकी आयु के अनुसार होगी।

(ii) कोई भी कार्यकारिणी सदस्य एक ही पद पर लागातार 2 सत्र से अधिक नहीं रह सकेगा।

(iii) समाज का कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद पर लगातार 2 सत्र से अधिक नहीं रह सकेगा।

(घ) निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महामंत्री कार्यकारिणी में पदेन सदस्य होगें, जिनको नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों के समान सभी अधिकार प्राप्त होगें लेकिन पदाधिकारी पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।

(ड़) समाज के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री को कार्यकारिणी की सभाओं में विशेष आमंत्रित किया जाता रहेगा।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

संशोधन

भंडार मंत्री 1

भवन मंत्री 1 (समाज भवनों के लिए एक, शिक्षण संस्थाओं के लिए – प्रत्येक भवन के लिए एक पद)

सांस्कृतिक मंत्री 1

विवाह प्रकोष्ठ 1

स्वास्थ्य मंत्री 1

वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण मंत्री 1

महेश सेवाकोष मंत्री 1

कोई परिवर्तन नहीं

कोई परिवर्तन नहीं

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

(ड़) समाज द्वारा संचालित/अर्न्तगत चलने वाली संस्थाओं के अध्यक्ष/चेयरमैन एवं मंत्री/सचिव को कार्यकारिणी की सभाओं में विशेष आमंत्रित किया जाएगा।

(च) उम्मीदवारी हेतु निर्धारित मापदण्ड

(i) महासचिव शिक्षा को स्नातक/सी.ए. अथवा उसके समकक्ष शिक्षित होना अनिवार्य है।

(ii) महामंत्री एवं महासचिव (शिक्षा) को कार्यकारिणी का एक पूर्ण सत्र का किसी पद का अनुभव होना अनिवार्य है।

(iii) कार्यकारिणी के पूर्ण सत्र में आयोजित सभाओं में कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं सदस्यों की 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति पूर्ण नहीं होने पर आगामी हाने वाले त्रैवार्षिक चुनाव में उम्मीदवार नहीं

संशोधन के बाद नियम

प्रचार मंत्री 1

भंडार मंत्री 1

भवन मंत्री 1 (समाज भवनों के लिए एक, शिक्षण संस्थाओं हेतु – प्रत्येक भवन के लिए एक पद)

सांस्कृतिक मंत्री 1

विवाह प्रकोष्ठ मंत्री 1

स्वास्थ्य मंत्री 1

वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण मंत्री 1

महेश सेवाकोष मंत्री 1

नोट :–

(i) जिन पदों की एक से ज्यादा संख्या है उनकी वरिष्ठता उनकी आयु के अनुसार होगी।

(ii) कोई भी कार्यकारिणी सदस्य एक ही पद पर लगातार 2 सत्र से अधिक नहीं रह सकेगा।

(iii) समाज का कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद पर लगातार 2 सत्र से अधिक नहीं रह सकेगा।

(घ) निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महामंत्री कार्यकारिणी में पदेन सदस्य होगें, जिनको नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों के समान सभी अधिकार प्राप्त होगें लेकिन पदाधिकारी पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।

(ड़) समाज द्वारा संचालित/अर्न्तगत चलने वाली संस्थाओं के अध्यक्ष/चेयरमैन एवं मंत्री/सचिव को कार्यकारिणी की सभाओं में विशेष आमंत्रित किया जाएगा।

(च) उम्मीदवारी हेतु निर्धारित मापदण्ड

(i) महासचिव शिक्षा को स्नातक/सी.ए. अथवा उसके समकक्ष शिक्षित होना अनिवार्य है।

(ii) महामंत्री एवं महासचिव (शिक्षा) को कार्यकारिणी का एक पूर्ण सत्र का किसी पद का अनुभव होना अनिवार्य है।

(iii) कार्यकारिणी के पूर्ण सत्र में आयोजित सभाओं में कार्यकारिणी पदाधिकारी एवं सदस्यों की 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति पूर्ण नहीं होने पर आगामी होने वाले त्रैवार्षिक चुनाव में उम्मीदवार नहीं

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	हो सकेंगे। (iv) कार्यकारिणी सदस्य जिनके परिवार के सदस्य (पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री) जिस शिक्षण संस्था में वैतनिक कार्यरत है उस शिक्षण संस्था में शिक्षा सचिव/भवन मंत्री नहीं बन सकेंगे। (v) श्री माहेश्वरी समाज जयपुर की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य समाज कार्यकारिणी द्वारा किसी भी अन्तर्गत/तत्वावधान संस्था में सहवरित/मनोनीत नहीं किये जा सकेगें।	हो सकेंगे। (iv) कार्यकारिणी सदस्य जिनके परिवार के सदस्य (पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री) जिस शिक्षण संस्था में वैतनिक कार्यरत है उस शिक्षण संस्था में शिक्षा सचिव/भवन मंत्री नहीं बन सकेंगे। (v) श्री माहेश्वरी समाज जयपुर की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य समाज कार्यकारिणी द्वारा किसी भी अन्तर्गत/तत्वावधान संस्था में सहवरित/मनोनीत नहीं किये जा सकेंगे।
11. (घ) अध्यक्ष के चुनाव के लिये नामांकन पत्र चुनाव से 15 दिन पूर्व प्रस्तावक, अनुमोदक व उम्मीदवार की स्वीकृति के हस्ताक्षरों सहित मुख्य चुनाव अधिकारी के पास आ जाने चाहिये। अध्यक्ष की आयु 50 वर्ष से न्यून नहीं होगी और वह जयपुर में कम से कम 8 वर्ष से रह रहा हो एवं जो कार्यकारिणी के दो पूरे सत्रों में सदस्य रहा हो एवं किसी एक सत्र में पदाधिकारी रहा हो। अगर अध्यक्ष का नामांकन पत्र नहीं आवे तो नवनिर्वाचित सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेंगे व फिर दो माह के भीतर दुबारा से अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त प्रकार से ही होगा। फिर भी नाम नहीं आवे तो कार्यवाहक अध्यक्ष ही अध्यक्ष माना जावेगा।	(छ) अध्यक्ष के चुनाव के लिये नामांकन पत्र चुनाव से 15 दिन पूर्व प्रस्तावक, अनुमोदक व उम्मीदवार की स्वीकृति के हस्ताक्षरों सहित मुख्य चुनाव अधिकारी के पास आ जाने चाहिये। अध्यक्ष की आयु 50 वर्ष से न्यून नहीं होगी और वह जयपुर में कम से कम 8 वर्ष से रह रहा हो एवं जो कार्यकारिणी के तीन पूरे सत्रों में सदस्य रहा हो एवं किसी एक सत्र में पदाधिकारी रहा हो। अगर अध्यक्ष का नामांकन पत्र नहीं आवे तो नवनिर्वाचित सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेंगे व फिर दो माह के भीतर दुबारा से अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त प्रकार से ही होगा। फिर भी नाम नहीं आवे तो कार्यवाहक अध्यक्ष ही अध्यक्ष माना जावेगा।	(छ) अध्यक्ष के चुनाव के लिये नामांकन पत्र चुनाव से 15 दिन पूर्व प्रस्तावक, अनुमोदक व उम्मीदवार की स्वीकृति के हस्ताक्षरों सहित मुख्य चुनाव अधिकारी के पास आ जाने चाहिये। अध्यक्ष की आयु 50 वर्ष से न्यून नहीं होगी और वह जयपुर में कम से कम 8 वर्ष से रह रहा हो एवं जो कार्यकारिणी के दो पूरे सत्रों में सदस्य रहा हो एवं किसी एक सत्र में पदाधिकारी रहा हो। अगर अध्यक्ष का नामांकन पत्र नहीं आवे तो नवनिर्वाचित सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लेंगे व फिर दो माह के भीतर दुबारा से अध्यक्ष का चुनाव उपरोक्त प्रकार से ही होगा। फिर भी नाम नहीं आवे तो कार्यवाहक अध्यक्ष ही अध्यक्ष माना जावेगा।
11. कार्यकारिणी का निर्वाचन क्रम :– (क) चुनाव कार्यक्रम कार्यकारिणी द्वारा निश्चित किये गये किसी भी ऐसे उपयुक्त दिन, जब अधिक से अधिक सदस्य इसमें भाग ले सकें, होगा। चुनाव तिथि की घोषणा वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से 60 दिन पूर्व करना अनिवार्य होगा।	11. कार्यकारिणी का निर्वाचन क्रम :– कोई परिवर्तन नहीं (ii) श्री माहेश्वरी समाज/श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल/श्री माहेश्वरी महिला परिषद के त्रैवार्षिक चुनाव में विधान के बिन्दु 48 पर दी गई आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने पर मुख्य चुनाव अधिकारी संबंधित संस्था के उप मुख्य चुनाव अधिकारी एवं चुनाव सलाहकार समिति से विचार विमर्श कर निर्णायक	11. कार्यकारिणी का निर्वाचन क्रम :– (क) (i) चुनाव तिथि कार्यकारिणी द्वारा निश्चित किये गये किसी भी ऐसे उपयुक्त दिन, जब अधिक से अधिक सदस्य इसमें भाग ले सकें, होगा। चुनाव तिथि की घोषणा वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति की तिथि से 60 दिन पूर्व करना अनिवार्य होगा। (ii) श्री माहेश्वरी समाज/श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल/श्री माहेश्वरी महिला परिषद के त्रैवार्षिक चुनाव में विधान के बिन्दु 42 पर दी गई आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने पर मुख्य चुनाव अधिकारी संबंधित संस्था के उप मुख्य चुनाव अधिकारी एवं चुनाव सलाहकार समिति से विचार विमर्श कर निर्णायक कार्यवाही करने का अधिकारी होगा। जिसमें प्रत्याशी

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	कार्यवाही करने का अधिकार होगा। जिसमें प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी रद्द करना भी शामिल है। मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।	की उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है। मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
(ख)(i) चुनाव के लिए निश्चित किये गये दिनांक से 45 दिन पूर्व एक मुख्य चुनाव अधिकारी को कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों के 3/4 की सहमति से नियुक्त करेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों के लिये चुनाव अधिकार नियुक्त करेगा। ऐसे मुख्य चुनाव अधिकारी एवं चुनाव अधिकरी चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। यह अधिकारी अन्य समाज के भी हो सकते है।	(ख) (i) चुनाव के लिए निश्चित किए गए दिनांक से 45 दिन पूर्व एक मुख्य चुनाव अधिकारी एवं तीन उप मुख्य चुनाव अधिकारियों (प्रत्येक संस्था के लिए एक–श्री माहेश्वरी समाज, श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल एवं श्री माहेश्वरी महिला परिषद हेतु) को समाज कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों के 3/4 की सहमति से नियुक्त करेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रो के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। ऐसे मुख्य चुनाव अधिकारी, उप मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव अधिकारी चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेगें।	(ख) (i) चुनाव के लिए निश्चित किए गए दिनांक से 45 दिन पूर्व एक मुख्य चुनाव अधिकारी एवं तीन उप मुख्य चुनाव अधिकारियों (प्रत्येक संस्था के लिए एक–श्री माहेश्वरी समाज, श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल एवं श्री माहेश्वरी महिला परिषद हेतु) को समाज कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों के 3/4 की सहमति से नियुक्त करेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। ऐसे मुख्य चुनाव अधिकारी, उप मुख्य चुनाव अधिकारी व चुनाव अधिकारी चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।
(ii) कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी के सदस्यों के 3/4 की सहमति से 5 सदस्यों की एक चुनाव सलाहकार समिति गठित करेगी। इनमें से एक संयोजक भी मनोनीत किया जायेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर उक्त समिति की राय लेकर निर्णय कर सकेगा। चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य चुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। चुनाव संबंधित सभी विषयों पर मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा। चुनाव सलाहकार समिति अध्यक्ष व चौकड़ियों के उम्मीदवारों द्वारा आचार संहिता का उल्लघंन करने व अन्य ऐसे प्रचार जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय/अशोभनीय है, उम्मीदवार को ऐसा नहीं करने के लिये लिखित में निर्देश दे सकती है।	(ii) कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों के 3/4 की सहमति से सात सदस्यों की (दो महिला सदस्य सहित) एक चुनाव सहलाकार समिति गठित करेगी। इस समिति के समस्त सदस्यों का श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें एक संयोजक भी नियुक्त किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर उक्त समिति की राय लेकर निर्णय कर सकेगा। चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेगे। चुनाव सबंधित सभी विषयों पर मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। विधान की धारा 41 में वर्णित समिति के निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्रभावी नहीं होगी।	(ii) कार्यकारिणी द्वारा कार्यकारिणी के उपस्थित सदस्यों के 3/4 की सहमति से सात सदस्यों की (दो महिला सदस्य सहित) एक चुनाव सहलाकार समिति गठित करेगी। इस समिति के समस्त सदस्यों का श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य है। इसमें एक संयोजक भी नियुक्त किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर उक्त समिति की राय लेकर निर्णय कर सकेगा। चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। चुनाव संबंधित सभी विषयों पर मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय ही अंतिम व सर्वमान्य होगा। विधान की धारा 50 में वर्णित समिति के निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी के निर्णय पर प्रभावी नहीं होंगे।
(iii) नियम 11 (क) के अनुसार चुनाव कार्यक्रम घोषित करते समय ही कार्यकारिणी द्वारा पंजीकृत मतदाता संख्या के अनुपात में चौकड़ीवार स्थानों (Seat) की संख्या निर्धारित की जायेगी।	(iii) नियम 11 (क) के अनुसार चुनाव कार्यक्रम घोषित करते समय ही कार्यकारिणी द्वारा पंजीकृत मतदाता संख्या के अनुपात में चौकड़ीवार स्थानों (Seat) की संख्या निर्धारित की जायेगी। प्रत्येक चौकड़ी में न्यूनतम दो कार्यकारिणी सदस्य का होना आवश्यक है।	(iii) नियम 11 (क) के अनुसार चुनाव कार्यक्रम घोषित करते समय ही कार्यकारिणी द्वारा पंजीकृत मतदाता संख्या के अनुपात में चौकड़ीवार स्थानों (Seat) की संख्या निर्धारित की जायेगी। प्रत्येक चौकड़ी में न्यूनतम दो कार्यकारिणी सदस्य का होना आवश्यक है।
(ग) कार्यकारिणी के सदस्य व अध्यक्ष के लिये जो सदस्य नामांकन पत्र भरेंगे उन्हें शुल्क के क्रमशः रू. 1000/– व	(ग) कार्यकारिणी के सदस्य व अध्यक्ष के लिये जो सदस्य नामांकन पत्र भरेंगे उन्हें शुल्क के क्रमशः रू. 2,500/– व	(ग) कार्यकारिणी के सदस्य व अध्यक्ष के लिये जो सदस्य नामांकन पत्र भरेंगे उन्हें शुल्क के क्रमशः रू. 2,500/– व 25,000/– की राशि समाज कार्यालय में जमा कराकर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
11000/— की राशि समाज कार्यालय में जमा कराकर मूल रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। एक ही उम्मीदवार को एक से ज्यादा नामांकन पत्र भरने पर जमा राशि की रसीद पहले नांमाकन पत्र के साथ लगाना जरूरी है व अन्य नामांकन पत्र की संख्या देना ही पर्याप्त होगा। उपरोक्त शुल्क नकद/पेऑर्डर द्वारा केवल नामांकन पत्र रदद होने व चुनाव स्थगित होने के अलावा किसी भी हालत में वापस नहीं लौटाया जावेगा।	25,000/— की राशि समाज कार्यालय में जमा कराकर मूल रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। एक ही उम्मीदवार को एक से ज्यादा नामांकन पत्र भरने पर जमा राशि की रसीद पहले नांमाकन पत्र के साथ लगाना जरूरी है व अन्य नामांकन पत्र की संख्या देना ही पर्याप्त होगा। उपरोक्त शुल्क नकद/पेऑर्डर/चैक द्वारा केवल नामांकन पत्र रदद होने व चुनाव स्थगित होने के अलावा किसी भी हालत में वापस नहीं लौटाया जावेगा।	मूल रसीद नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी। एक ही उम्मीदवार को एक से ज्यादा नामांकन पत्र भरने पर जमा राशि की रसीद पहले नांमाकन पत्र के साथ लगाना जरूरी है व अन्य नामांकन पत्र की संख्या देना ही पर्याप्त होगा। उपरोक्त शुल्क नकद/पेऑर्डर/चैक द्वारा केवल नामांकन पत्र रदद होने व चुनाव स्थगित होने के अलावा किसी भी हालत में वापस नहीं लौटाया जावेगा।
(ङ.) चुनावी वर्ष में चुनाव की घोषित तिथि के 6 माह पूर्व तक बने सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। चौकड़ीनुसार सदस्यों की सूची का प्रारूप समाज कार्यालय में चुनाव तिथि से 50 दिन पूर्व निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करा दी जायेगी। अगले 10 दिन की अवधि में इसके संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो प्रस्तुत की जा सकेगी। तत्पश्चात् चुनाव तिथि से 30 दिन पूर्व सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।	(घ) (i) चुनावी वर्ष में 31 जनवरी तक जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा के आधार पर बने सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। किसी सदस्य के चाहने पर चौकड़ी अनुसार सदस्यों की सम्भावित सूची का प्रारूप मय फोटो एवं टेलीफोन नं. सहित चुनावी वर्ष में 15 फरवरी तक निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करवाया जायेगा। किसी भी सदस्य को उक्त सूची में कोई आपत्ति होने पर वह 28/29 फरवरी तक लिखित में अपनी आपत्ति समाज कार्यालय में दे सकेंगे। तत्पश्चात् 15 अप्रेल तक चौकड़ी अनुसार मतदाता सदस्यों की अन्तिम सूची मय फोटो फोन नम्बर सहित प्रकाशित कर दी जायेगी एवं निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करा दी जायेगी। (ii) चुनावी वर्ष में 31 जनवरी तक बने विशेष सदस्य ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। विशेष सदस्यता नियम 1(च) के अनुसार आवदेन करने पर आवेदक के पति/पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्रवधु एवं अविवाहित पुत्री को दी जा सकेगी।	(घ) (i) चुनावी वर्ष में 31 दिसम्बर तक जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा के आधार पर बने सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। किसी सदस्य के चाहने पर चौकड़ी अनुसार सदस्यों की सम्भावित सूची का प्रारूप मय फोटो एवं टेलीफोन नं. / मोबाइल नं. सहित चुनावी वर्ष में 15 फरवरी तक निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करवाया जायेगा। किसी भी सदस्य को उक्त सूची में कोई आपत्ति होने पर वह 28/29 फरवरी तक लिखित में अपनी आपत्ति समाज कार्यालय में दे सकेंगे। तत्पश्चात् 15 अप्रेल तक चौकड़ी अनुसार मतदाता सदस्यों की अन्तिम सूची मय फोटो फोन नम्बर/मोबाइल नं. सहित प्रकाशित कर दी जायेगी एवं निर्धारित शुल्क लेकर उपलब्ध करा दी जायेगी। (ii) चुनावी वर्ष में 31 दिसम्बर तक बने विशेष सदस्य भी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। विशेष सदस्यता नियम 1(च) के अनुसार आवदेन करने पर आवेदक के पति/पत्नी, माता–पिता, पुत्र–पुत्रवधू एवं अविवाहित पुत्री को दी जा सकेगी।
(च) आगामी चुनाव में सत्र 2008 — 11 में की गई नई जनगणना के अनुसार चुनाव होंगे, जिसमें चुनाव तिथि से 60 दिन पूर्व बने सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकेंगे। इस चुनाव के बाद आगामी चुनावों में 6 माह का नियम ही लागू होगा। (आगामी जनगणना होने तक)	विलोपित किया गया।	
(छ) चुनाव के समय मतदाता की पहचान के लिये समाज के रिकार्ड में उपलब्ध फोटो की ही मान्यता होगी।	(ड़) चुनाव के समय मतदाता की पहचान के लिए समाज के रिकार्ड में उपलब्ध फोटो ही मान्य होगी। समाज रिकार्ड से फोटो का मिलान नहीं होने पर मूल आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र से फोटो सत्यापित की जा सकेगी।	(ड़) चुनाव के समय मतदाता की पहचान के लिए समाज के रिकार्ड में उपलब्ध फोटो ही मान्य होगी। समाज रिकॉर्ड से फोटो का मिलान नहीं होने पर मूल आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र से फोटो सत्यापित की जा सकेगी।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(ज)(i) प्रत्येक चौकड़ी से निम्न प्रकार निश्चित किये हुये नामों की संख्या के अनुसार चुनाव के 15 दिन पहले प्रस्तावक, अनुमोदक व उम्मीदवार की स्वीकृति के हस्ताक्षरों सहित नामांकन पत्र जोन अंकित करते हुये समाज कार्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी के पास पहुँच जावे। प्रस्तावक, अनुमोदक तथा उम्मीदवार का एक ही चौकड़ी का निवासी होना अनिवार्य होगा।	कोई परिवर्तन नहीं	(च) (i) प्रत्येक चौकड़ी से बिन्दु 11 (ख) (iii) के अनुरूप निश्चित किये हुये नामों की संख्या के अनुसार चुनाव के 15 दिन पहले प्रस्तावक, अनुमोदक व उम्मीदवार की स्वीकृति के हस्ताक्षरों सहित नामांकन पत्र जोन अंकित करते हुये समाज कार्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी के पास पहुँच जावे। प्रस्तावक, अनुमोदक तथा उम्मीदवार का एक ही चौकड़ी का निवासी होना अनिवार्य होगा।
(ii) चुनाव हेतु नामांकन पत्रों के नाम / खाँप / पिता का नाम / पता / सदस्यता संख्या / हस्ताक्षर एवं अन्य समाज के रिकॉर्ड अनुसार सही नहीं पाये जाने पर मुख्य चुनाव अधिकारी सम्बन्धित सदस्य की सूचना के लिये समाज के सूचना पट्ट पर लगाकर उसे सही करने का मौका देगा। (समय सीमा समाज के सूचना पट्ट पर लगाने से 24 घंटे होगी)	कोई परिवर्तन नहीं	(ii) चुनाव हेतु नामांकन पत्रों के नाम / खाँप / पिता का नाम / पता / सदस्यता संख्या / हस्ताक्षर एवं अन्य समाज के रिकार्ड अनुसार सही नहीं पाये जाने पर मुख्य चुनाव अधिकारी सम्बन्धित सदस्य की सूचना के लिये समाज के सूचना पट्ट पर लगाकर उसे सही करने का मौका देगा। (समय सीमा समाज के सूचना पट्ट पर लगाने से 24 घंटे होगी)
सम्पूर्ण जयपुर को निम्न चार जोन (क्षेत्र) में विभाजित किया गया है। जोन (क्षेत्र) वार चौकड़ियाँ निम्न प्रकार होगी। जोन (क्षेत्र) (1) की चौकड़ियाँ :– विश्वेश्वरजी, पुरानी बस्ती, तोपखाना देश, मोदीखाना, घाटा दरवाजा एवं रामचन्द्रजी। जोन (क्षेत्र) (2) की चौकड़ियाँ :– शास्त्री नगर, झोटवाड़ा। जोन (क्षेत्र) (3) की चौकड़ियाँ :– बनीपार्क, सी–स्कीम सोडाला। जोन (क्षेत्र) (4) की चौकड़ियाँ :– टोंक फाटक, बापू नगर, आदर्श नगर एवं सेठी कॉलोनी।	सम्पूर्ण जयपुर को निम्न समस्त जोन (क्षेत्र) में विभाजित किया गया है। जोन (क्षेत्र) वार चौकड़ियाँ निम्न प्रकार होगी। जोन (क्षेत्र) — चौकड़ियाँ 1 — चारदिवारी (दक्षिण), चारदिवारी (उत्तर), मोती डूँगरी 2 — विधाधर नगर, शास्त्री नगर 3 — मुरलीपुरा, झोटवाड़ा 4 — बनीपार्क, वैशाली नगर 5 — श्याम नगर, मानसरोवर 6 — बापू नगर, टोंक फाटक, सांगानेर नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक।	सम्पूर्ण जयपुर को निम्न समस्त जोन (क्षेत्र) में विभाजित किया गया है। जोन (क्षेत्र) वार चौकड़ियाँ निम्न प्रकार होगी। जोन (क्षेत्र) — चौकड़ियाँ 1 — चारदिवारी (दक्षिण), चारदिवारी (उत्तर), मोती डूँगरी 2 — विधाधर नगर, शास्त्री नगर 3 — मुरलीपुरा, झोटवाड़ा 4 — बनीपार्क, वैशाली नगर 5 — श्याम नगर, मानसरोवर 6 — बापू नगर, टोंक फाटक, सांगानेर नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक।
चौकडीवार क्षेत्रों का पूर्ण विवरण :– जोन / चौ. सं. / चौकड़ी का नाम / चौकड़ी में शामिल किये गये क्षेत्र का पूर्ण विवरण (1) 1. विश्वेश्वर जी — समस्त चौकड़ी विश्वेश्वर जी 2. पुरानी बस्ती — समस्त चौकडी पुरानी बस्ती, कवंर नगर, ब्रह्मपुरी 3. तोपखाना देश — समस्त चौकड़ी तोपखाना देश, न्यू कॉलोनी, संसार चन्द्र रोड़ का पूर्वी भाग, एम.आई. रोड़ का उत्तरी भाग शहीद स्मारक तक। 4. मोदीखाना — समस्त चौकड़ी मोदीखाना	चौकडीवार क्षेत्रों का पूर्ण विवरण जोन क्षेत्र – 1 की चौकड़ियाँ (i) चारदिवारी (दक्षिण) : समस्त चौकड़ी विश्वेश्वर जी, समस्त चौकड़ी तोपखाना देश, न्यू कॉलोनी, संसार चन्द्र रोड़ का पूर्वी भाग, एम.आई. रोड़ का उत्तरी भाग शहीद स्मारक तक, समस्त चौकड़ी मोदीखाना, समस्त घाट दरवाजा, तोपखाना हजूरी, बड़ी चौपड़ से गलता तक का दक्षिण	चौकड़ीवार क्षेत्रों का पूर्ण विवरण जोन क्षेत्र – 1 की चौकड़ियाँ (i) चारदिवारी (दक्षिण) : समस्त चौकड़ी विश्वेश्वर जी, समस्त चौकड़ी तोपखाना देश, न्यू कॉलोनी, संसार चन्द्र रोड़ का पूर्वी भाग, एम.आई. रोड़ का उत्तरी भाग शहीद स्मारक तक, समस्त चौकड़ी मोदीखाना, समस्त घाट दरवाजा, तोपखाना हजूरी, बड़ी चौपड़ से गलता तक का दक्षिण

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
5. घाट दरवाजा — समस्त घाट दरवाजा, तोपखाना हुजूरी, बड़ी चौपड़ से सूरजपोल दरवाजे तक का दक्षिणी भाग एवं आगरा रोड़ पर जैन नसियाँ तक। 6. रामचन्द्र जी — समस्त रामचन्द्र जी, लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल दरवाजे के बाहर चार दरवाजा, गंगापोल दरवाजे का बाहरी क्षेत्र एंव दिल्ली मार्ग पर आमेर तक पश्चिम का क्षेत्र, रामगढ़ मोड़ से जयसिंहपुरा खोर तक। (2) 7. शास्त्री नगर — समस्त शास्त्री नगर, हाउसिंग बोर्ड, सीकर हाउस, सुभाष नगर, रामनगर नेहरू नगर, मोचियों की छबील, मेजर शैतानसिंह कॉलोनी, खेतड़ी हाउस विसाउ हाउस, मुखर्जी कॉलोनी, चाँदपोल दरवाजे बाहर से अमानीशाह नाले तक का उत्तरी भाग। 8. झोटवाड़ा — समस्त झोटवाड़ा समस्त विद्याधर नगर, अम्बाबाड़ी विश्वकर्मा एरिया, सीकर रोड़ पर हरमाड़ा तक, कालवाड़ा रोड़ पर गोविन्दपुरा तक का क्षेत्र, अमानी शाह नाले से खातीपुरा चौराहे होते हुये सिरसी रोड़ का उत्तरी भाग, फैक्ट्री ऐरिया, जोशी नगर, बाईपास सी – जोन, करधनी योजना, निवारू रोड़ ढेहर का बालाजी, नया खेड़ा, समस्त मुरलीपुरा, विजय बाड़ी मुरलीपुरा गांव, भवानी नगर, विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम। (3) 9. बनीपार्क — समस्त बनीपार्क, संसारचन्द्र रोड़ के पश्चिमी भाग से पावर हाउस तक का दक्षिणी भाग, पानी पेच के पीछे से अमानी शाह नाले की पुलिया तक का पूर्वी भाग, कमल अपार्टमेंट, मान इण्डस्ट्रीज, माधोसिंह रोड़, बिहारी मार्ग, इन्द्रा कॉलोनी, गोपाल बाड़ी अजमेर	भाग एवं एम.आई. रोड़ का उत्तरी भाग घाट की घूणी तक। गलता से चाँदपोल गेट का दक्षिण भाग। (ii) चारदिवारी (उत्तर) : समस्त चौकड़ी पुरानी बस्ती, कँवर नगर, ब्रहमपुरी, समस्त रामचन्द्रजी चौकड़ी, लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल दरवाजे के बाहर गलता तक का उत्तरी भाग, गंगापोल दरवाजे का बाहरी क्षेत्र एवं जयपुर गोल्डन पेट्रोल पम्प तक, जयसिंहपुरा खोर, नाई की थडी, जाटों का बास, गुर्जरो की आबादी, कुण्डलाव कॉलोनी, पीली तलाई, बदरीनाथ कॉलोनी, गलता से चाँदपोल गेट का उत्तरी भाग। (iii) मोती डूँगरी : आदर्श नगर, जनता कॉलोनी, तिलक नगर, साकेत कॉलोनी, बरड़िया कॉलोनी, गंगवाल पार्क, एम. आई. रोड़ का दक्षिण भाग (अजमेरी गेट–रामबाग सर्किल–जे. डी.ए.सर्किल–शान्ति पथ–घाट की घूणी–अजमेरी गेट), राजापार्क, सेठी कॉलोनी, बर्मीज कॉलोनी, जवाहर नगर, घाट की घूणी के नीचे आगरा रोड़ का उत्तरी व दक्षिण भाग, घाट के बालाजी, जामडोली, केशव विद्यापीठ, बावडी स्कूल, बगराना, लुनियावास, हिरापुरा घाटी करोला, आगरा रोड का दक्षिण भाग–दिगम्बर नदी तक का उत्तरी भाग–आगरा रोड़ का दक्षिण भाग, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, खोड़ा की ढाणी, आसाराम बापू आश्रम, महावीर कॉलोनी, उदयपुर भिलादिया, खो नागोरियन पावर हाउस खनिया नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 2 की चौकड़ियाँ (i) चौकडी – विधाधर नगर : चौमू सर्किल से सीकर रोड़ का पूर्वी भाग (समस्त विद्याधर नगर), हरमाड़ा, VKI (औद्योगिक क्षेत्र), लक्ष्मी विहार, अमानीशाह नाला का पश्चिम भाग, हीरा माली की ढ़ाणी, ढेर के बालाजी। (ii) चौकड़ी – शास्त्री नगर समस्त शास्त्री नगर, हाउसिंग बोर्ड, सीकर हाउस, सुभाष नगर, रामनगर, मोचियों की छबील, मेजर शैतान सिंह कॉलानी, खेतड़ी हाउस, विसाउ हाउस, मुखर्जी कॉलोनी, राजीव नगर, भट्टा बस्ती, नया खेड़ा, नेहरू नगर, पानीपेच, अम्बाबाड़ी, चाँदपोल दरवाजे बाहर से अमानीशाह नाले का पूर्वी एवं झोटवाड़ा रोड़ का का उत्तरी भाग।	भाग एवं एम.आई. रोड़ का उत्तरी भाग घाट की घूणी तक। गलता से चाँदपोल गेट का दक्षिण भाग। (ii) चारदिवारी (उत्तर) : समस्त चौकड़ी पुरानी बस्ती, कँवर नगर, ब्रहमपुरी, समस्त रामचन्द्रजी चौकड़ी, लक्ष्मीनारायणपुरी, सूरजपोल दरवाजे के बाहर गलता तक का उत्तरी भाग, गंगापोल दरवाजे का बाहरी क्षेत्र एवं जयपुर गोल्डन पेट्रोल पम्प तक, जयसिंहपुरा खोर, नाई की थडी, जाटों का बास, गुर्जरों की आबादी, कुण्डलाव कॉलोनी, पीली तलाई, बद्रीनाथ कॉलोनी, गलता से चाँदपोल गेट का उत्तरी भाग। (iii) मोती डूँगरी : आदर्श नगर, जनता कॉलोनी, तिलक नगर, साकेत कॉलोनी, बरड़िया कॉलोनी, गंगवाल पार्क, एम. आई. रोड़ का दक्षिण भाग (अजमेरी गेट–रामबाग सर्किल–जे. डी.ए.सर्किल–शान्ति पथ–घाट की घूणी–अजमेरी गेट), राजापार्क, सेठी कॉलोनी, बर्मीज कॉलोनी, जवाहर नगर, घाट की घूणी के नीचे आगरा रोड़ का उत्तरी व दक्षिण भाग, घाट के बालाजी, जामडोली, केशव विद्यापीठ, बावडी स्कूल, बगराना, लुनियावास, हिरापुरा घाटी करोला, आगरा रोड का दक्षिण भाग–दिगम्बर नदी तक का उत्तरी भाग–आगरा रोड़ का दक्षिण भाग, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, खोड़ा की ढाणी, आसाराम बापू आश्रम, महावीर कॉलोनी, उदयपुर भिलादिया, खो नागोरियन, पावर हाउस खानियाँ नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 2 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – विद्याधर नगर : चौमू सर्किल से सीकर रोड़ का पूर्वी भाग (समस्त विद्याधर नगर), हरमाड़ा, VKI (औद्यौगिक क्षेत्र), लक्ष्मी विहार, अमानीशाह नाला का पश्चिम भाग, हीरा माली की ढ़ाणी, ढेर के बालाजी। (ii) चौकड़ी – शास्त्री नगर समस्त शास्त्री नगर, हाउसिंग बोर्ड, सीकर हाउस, सुभाष नगर, रामनगर, मोचियों की छबील, मेजर शैतान सिंह कॉलानी, खेतड़ी हाउस, विसाउ हाउस, मुखर्जी कॉलोनी, राजीव नगर, भट्टा बस्ती, नया खेड़ा, नेहरू नगर, पानीपेच, अम्बाबाड़ी, चाँदपोल दरवाजे बाहर से अमानीशाह नाले का पूर्वी एवं झोटवाड़ा रोड़ का का उत्तरी भाग।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

महामंत्री श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
रोड़ का उत्तरी भाग (रेलवे लाईन तक), हथरोई, कालवाड़ स्कीम। 10. सी– स्कीम — सी – स्कीम, सिविल लाईन्स, धुलेश्वर बाग, केशव नगर, शिवाजी नगर, भगत वाटिका, सूरज नगर (ईस्ट एवं वेस्ट), रामबाग सर्किल से बाईस गोदाम पुलिया से सोड़ाला (भवानी सिंह रोड़ व हवा सड़क तक का उत्तरी भाग, अजमेर रोड़ का दक्षिणी भाग सोड़ाला सर्किल तक, जे. डी. ए. सर्किल के रामबाग सर्किल होते हुये अजमेरी गेट, अजमेरी गेट से न्यू गेट तथा न्यू गेट से जे.डी. ए. सर्किल का अंदर का भाग। 11. सोडाला — हसनपुरा पी. डब्ल्यू.डी. जमना डेयरी, सोढाला, मानसरोवर, सुन्दर – नगर, एन.बी. सी., शान्ति नगर, हटवाड़ा रोड़, श्याम नगर, अमानी शाह नाले से खातीपुरा चौराहे होते हुये सिरसी रोड़ का दक्षिणी भाग, वैशाली नगर, अग्रवाल फार्म, रामनगर, विवेक विहार, निर्माण नगर, चित्रकूट, हनुमान नगर विद्युत नगर, हीरा, नगर, अजमेर रोड़ पर भांकरोटा (नगर निगम क्षेत्र) तक का उत्तरी दक्षिणी भाग। (4) 12. टोंक फाटक — लाल कोठी, महेश कॉलोनी, ज्योति नगर, बरकत नगर, वसुंधरा कॉलोनी, बाईस गोदाम, नंदपुरी, महेश नगर, बम्बाला, सांगानेर कस्बा, रामबाग सर्किल से सीतापुरा रेल्वे फाटक तक का पश्चिमी भाग, रामबाग सर्किल से बाईस गोदाम पुलिया होते हुये हवा सड़क से सोढाला सर्किल का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा। 13. बापू नगर — टोंक रोड पर रामबाग सर्किल से सीतापुरा रेलवे फाटक तक का पूर्वी भाग, जे. डी.ए. सर्किल से रामबाग सर्किल तक का दक्षिणी भाग, शान्ति	नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 3 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – मुरलीपुरा : चौमू सर्किल से सीकर रोड़ का पश्चिम भाग एवं रींगस रेलवे लाईन का उत्तरी भाग, मुरलीपुरा, विजयबाड़ी, मुरलीपुरा गाँव, भवानी नगर, विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम नींदड़, माचेड़ा, कृषि अनाज मंडी, परशुराम नगर, (ii) चौकडी – झोटवाड़ा : चौमू सर्किल से कालवाड़ रोड़, अजमेर रेलवे लाईन का उत्तरी भाग एवे रींगस रेलवे लाईन का पश्चिम भाग, निवारू रोड़, गोविन्दपुरा, हरनाथपुरा, सूर्य नगर, किशोरपुरा, विजयपुरा, गोकुलपुरा, नानूसर, सीवार, पीथावास, झोटवाड़ा औधोगिक क्षेत्र, सूर्य नगर, झोटवाडा सर्किल, लक्ष्मीनगर, प्रेम–नगर (सी) नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 4 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – बनीपार्क : समस्त बनीपार्क, संसार चन्द रोड के पश्चिम भाग से पावर हाउस तक का दक्षिण भाग, पानी पेच के पीछे से अमानीशाह नाले के शुरू से NBC रोड़ पर अमानीशाह नाले की पुलिया तक का पूर्वी भाग, कमल अपार्टमेन्ट, मान इण्डस्ट्रीज, माधो सिंह रोड़, बिहारी मार्ग, इन्द्रा कॉलोनी, गोपालबाड़ी, अजमेर रोड़ का उत्तरी भाग (रेल्वे लाईन तक) हथरोई, कालवाड़ स्कीम, सी–स्कीम, सिविल लाईन, धुलेश्वर बाग, केशव नगर, शिवाजी नगर,भगत वाटिका, सूरज नगर (ईस्ट एवं वेस्ट) रामबाग सर्किल से बाईस गोदाम से सोड़ाला (भवानी सिंह रोड़ व हवा सड़क) तक का उत्तरी भाग, अजमेर रोड़, का दक्षिण भाग सोड़ाला सर्किल तक। (ii) चौकड़ी– वैशाली नगर : अजमेर रोड़ पर भांकरोटा तक का उत्तरी भाग, अजमेर रेल्वे लाईन का दक्षिण भाग, हसनपुरा, PWD, जमनाडेयरी,NBC, शान्ती नगर, हटवाड़ा रोड़, चित्रकूट, हनुमान नगर, विद्युत नगर, हीरा नगर, वैशाली नगर, बिन्दायका, सिरसी, पाँच्यावाला, मीनावाला, बिसनवाला, कनकपुरा गाँव, महाराजपुरा, लालरपुरा, मुकन्दपुरा, धाबास, हनुमान नगर–डी, झोटवाड़ा–आंशिक क्षेत्र, अमर नगर JDA स्कीम, संजय नगर कच्ची बस्ती, हीरापुरा पावर हाउस, सीरसी रोड़, शिव विहार, महाराणा	नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 3 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – मुरलीपुरा : चौमू सर्किल से सीकर रोड़ का पश्चिम भाग एवं रींगस रेलवे लाईन का उत्तरी भाग, मुरलीपुरा, विजयबाड़ी, मुरलीपुरा गाँव, भवानी नगर, विकास नगर, मुरलीपुरा स्कीम नींदड़, माचेड़ा, कृषि अनाज मंडी, परशुराम नगर, (ii) चौकड़ी – झोटवाड़ा : चौमू सर्किल से कालवाड़ रोड़, अजमेर रेलवे लाईन का उत्तरी भाग एवं रींगस रेलवे लाईन का पश्चिम भाग, निवारू रोड़, गोविन्दपुरा, हरनाथपुरा, सूर्य नगर, किशोरपुरा, विजयपुरा, गोकुलपुरा, नानूसर, सीवार, पीथावास, झोटवाड़ा औधोगिक क्षेत्र, सूर्य नगर, झोटवाडा सर्किल, लक्ष्मीनगर, प्रेम–नगर (सी) नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 4 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – बनीपार्क : समस्त बनीपार्क, संसारचन्द्र रोड के पश्चिम भाग से पावर हाउस तक का दक्षिण भाग, पानी पेच के पीछे से अमानीशाह नाले के शुरू से NBC रोड़ पर अमानीशाह नाले की पुलिया तक का पूर्वी भाग, कमल अपार्टमेन्ट, मान इण्डस्ट्रीज, माधो सिंह रोड़, बिहारी मार्ग, इन्द्रा कॉलोनी, गोपालबाड़ी, अजमेर रोड़ का उत्तरी भाग (रेल्वे लाईन तक) हथरोई, कालवाड़ स्कीम, सी–स्कीम, सिविल लाईन, धुलेश्वर बाग, केशव नगर, शिवाजी नगर,भगत वाटिका, सूरज नगर (ईस्ट एवं वेस्ट) रामबाग सर्किल से बाईस गोदाम से सोड़ाला (भवानी सिंह रोड़ व हवा सड़क) तक का उत्तरी भाग, अजमेर रोड़, का दक्षिण भाग सोड़ाला सर्किल तक। (ii) चौकड़ी– वैशाली नगर : अजमेर रोड़ पर भांकरोटा तक का उत्तरी भाग, अजमेर रेल्वे लाईन का दक्षिण भाग, हसनपुरा, PWD, जमनाडेयरी,NBC, शान्ती नगर, हटवाड़ा रोड़, चित्रकूट, हनुमान नगर, विद्युत नगर, हीरा नगर, वैशाली नगर, बिन्दायका, सिरसी, पाँच्यावाला, मीनावाला, बिसनवाला, कनकपुरा गाँव, महाराजपुरा, लालरपुरा, मुकन्दपुरा, धाबास, हनुमान नगर–डी, झोटवाड़ा–आंशिक क्षेत्र, अमर नगर JDA स्कीम, संजय नगर कच्ची बस्ती, हीरापुरा पावर हाउस, सीरसी रोड़, शिव विहार, महाराणा

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
महामंत्री
कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
पथ का दक्षिणी भाग, बापू नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, हिम्मत नगर, न्यू लाईट कॉलोनी, समस्त मालवीय नगर, विश्व– विद्यालय, जगतपुरा, श्योपुर। 14. आदर्श नगर — आदर्श नगर, जनता कॉलोनी, तिलक नगर, साकेत कॉलोनी, बरड़िया कॉलोनी, गंगवाल पार्क, एम. आई. रोड़ का दक्षिण भाग (न्यू गेट से घाट दरवाजा), रामनिवास बाग से जे.डी. ए. सर्किल तक का पूर्वी भाग, राजा पार्क। 15. सेठी कॉलोनी — सेठी कॉलोनी, बर्मीज कॉलोनी, जवाहर नगर, इत्यादि।	प्रताप नगर, कनकपुरा माल गोदाम नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 5 की चौकड़ियाँ (i) चौकडी – श्याम नगर : बाईस गोदाम से अजमेर रोड़ हवा सड़क होते हुए भांकरोटा का दक्षिण भाग, हवा सड़क पर नन्दपुरी रोड़ भगवान मार्ग–ज्योतिबा फूले सर्किल, न्यू सांगानेर रोड़–गुर्जर की थड़ी अन्तिम मेट्रो स्टेशन का पश्चिम भाग रामनगर, श्याम नगर, विवेक–विहार, निर्माण नगर, गजसिंहपुरा, श्री रामपुरा, बाईस गोदाम,वर्धमान नगर, पद्मावती कॉलोनी, ज्ञान विहार, बदरवास, रानी सती नगर, महेश नगर, न्यू साँगानेर रोड़–गुर्जर की थड़ी–गोपालपुरा पुलिया तक का उत्तरी/पूर्वी भाग गोपालपुरा पुलिया के नीचे रेल्वे लाईन (पश्चिम की ओर)गीजगड़ बिहार, गोपाल नगर, स्वेज फर्म रूप विहार। (ii) चौकडी – मानसरोवर : गोपालपुरा पुलिया के नीचे रेलवे लाईन से सीतापुरा पुलिया तक का दक्षिण भाग, गोपालपुरा पुलिया से गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा बाईपास अजमेर रोड़ तक का पश्चिम भाग सम्पूर्ण मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, रिको औद्यौगिक क्षेत्र, जोड़ला की ढ़ाणी चिमनपुरा, श्रंगारपुरा, गोलयावास, शायपुरा, रामपुरा, बालमुकन्दपुरा, घोलाई, कल्याणपुरा, नर्सिंगपुरा, मुहाना कृषी मण्डी– जैतपुरा, सायपुरा, गोविन्दपुरा, श्री लंकापुरी, गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर, शांती नगर, मंगल विहार। नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 6 की चौकड़ियाँ (i) चौकडी – बापू नगर : टोंक रोड़ पर राम बाग सर्किल से सहकार भवन होते हुए लक्ष्मी मंदिर से होते हुए टोंक रोड़ का उत्तरी भाग एवं टोंक रोड़ पर हल्दी घाटी गेट से हल्दी घाटी मार्ग, का उत्तरी भाग,RBI कॉलोनी, राम नगरीया गांव, मैदला, CBI कॉलोनी, कुन्दनपुरा, नीमराणा का बाग, कुदाल्या की ढाणी, इन्द्रा नगर आवासीय योजना, बापू नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, हिम्मत नगर, न्यू लाईट कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी, जय जवान कालोनी, समस्त मालवीय नगर, विश्व–विद्यालय, जगतपुरा, आनन्द नर्सरी, गोकुल वाटिका, उषा कालोनी, मालवीय औघोगिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, अशोक विहार कालोनी, रामविहार,	प्रताप नगर, कनकपुरा माल गोदाम नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 5 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – श्याम नगर : बाईस गोदाम से अजमेर रोड़ हवा सड़क होते हुए भांकरोटा का दक्षिण भाग, हवा सड़क पर नन्दपुरी रोड़ भगवान मार्ग–ज्योतिबा फूले सर्किल, न्यू सांगानेर रोड़–गुर्जर की थड़ी अन्तिम मेट्रो स्टेशन का पश्चिम भाग रामनगर, श्याम नगर, विवेक–विहार, निर्माण नगर, गजसिंहपुरा, श्री रामपुरा, बाईस गोदाम,वर्धमान नगर, पद्मावती कॉलोनी, ज्ञान विहार, बदरवास, रानी सती नगर, महेश नगर, न्यू साँगानेर रोड़–गुर्जर की थड़ी–गोपालपुरा पुलिया तक का उत्तरी/पूर्वी भाग गोपालपुरा पुलिया के नीचे रेल्वे लाईन (पश्चिम की ओर)गीजगड़ बिहार, गोपाल नगर, स्वेज फर्म रूप विहार। (ii) चौकड़ी – मानसरोवर : गोपालपुरा पुलिया के नीचे रेलवे लाईन से सीतापुरा पुलिया तक का दक्षिण भाग, गोपालपुरा पुलिया से गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा बाईपास अजमेर रोड़ तक का पश्चिम भाग सम्पूर्ण मानसरोवर, अग्रवाल फार्म, रिको औद्यौगिक क्षेत्र, जोड़ला की ढ़ाणी चिमनपुरा, श्रंगारपुरा, गोलयावास, शायपुरा, रामपुरा, बालमुकन्दपुरा, घोलाई, कल्याणपुरा, नर्सिंगपुरा, मुहाना कृषी मण्डी– जैतपुरा, सायपुरा, गोविन्दपुरा, श्री लंकापुरी, गोपालपुरा, त्रिवेणी नगर, शांती नगर, मंगल विहार। नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक। जोन क्षेत्र – 6 की चौकड़ियाँ (i) चौकड़ी – बापू नगर : टोंक रोड़ पर राम बाग सर्किल से सहकार भवन होते हुए लक्ष्मी मंदिर से होते हुए टोंक रोड़ का उत्तरी भाग एवं टोंक रोड़ पर हल्दी घाटी गेट से हल्दी घाटी मार्ग, का उत्तरी भाग,RBI कॉलोनी, रामनगरिया गांव, मैदला, CBI कॉलोनी, कुन्दनपुरा, नीमराणा का बाग, कुदाल्या की ढाणी, इन्द्रा नगर आवासीय योजना, बापू नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, हिम्मत नगर, न्यू लाईट कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी, जय जवान कालोनी, समस्त मालवीय नगर, विश्व–विद्यालय, जगतपुरा, आनन्द नर्सरी, गोकुल वाटिका, उषा कालोनी, मालवीय औघोगिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, अशोक विहार कालोनी, रामविहार,

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

(17)

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	तिरूपति बालाजी नगर, जगतपुरा, मॉडल टाउन, टीलावाला, मारूती नगर, शिव नगर, गणेश नगर, बुद्धसिंहपुरा, पशुपतिनाथ नगर, खोडा की ढाणी। (ii) चौकडी – टोंक फाटक : सहकार भवन मार्ग–लक्ष्मी मंदिर–टोंक रोड़ पर B2 By Pass तक का दक्षिण / पश्चिम भाग, सहकार मार्ग– हवा सड़क पर नन्दपुरी मार्ग–भगवान मार्ग, टोंक रोड़ B2 By Pass तक का पूर्वी भाग। महेश कॉलोनी, बसंत–बहार कॉलोनी, बरकत नगर, करतारपुरा, ईमली वाला फाटक, सीताबाड़ी, महावीर नगर, देवनगर, दुर्गापुरा, बसुन्धरा नगर, दुर्गापुरा गाँव, रानी महल। (iii) चौकडी – सांगानेर : B2 By Pass का दक्षिण भाग से टोंक रोड़ का दक्षिण पश्चिम भाग सीतापुरा ओवर ब्रीज तक, गोपालपुरा पुलिया के नीचे रेल्वे लाईन से सीतापुरा टोंक रोड़ तक का उत्तरी भाग, सांगानेर टाउन, तरूछाया नगर, सुदामा नगर, सीताबाड़ी, चित्रकूट कॉलोनी, रामसिंहपुरा, जैतावाल सुखपुरिया, बम्बाला गाँव प्रताप नगर, अमरसिंहपुरा, कोकावास, किशन कॉलोनी, गौशाला एवं टोंक रोड़ पर हल्दी घाटी गेट–हल्दी घाटी मार्ग का दक्षिण भाग, सावित्री विहार, NRI कॉलोनी, महल स्कीम, द्वारकापुरी योजना, चैनपुरा, महल की ढाणी, देहलावास सुख देवपुरा, प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड। नोट : समस्त चौकडियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक।	तिरूपति बालाजी नगर, जगतपुरा, मॉडल टाउन, टीलावाला, मारूती नगर, शिव नगर, गणेश नगर, बुद्धसिंहपुरा, पशुपतिनाथ नगर, खोडा की ढाणी। (ii) चौकड़ी – टोंक फाटक : सहकार भवन मार्ग–लक्ष्मी मंदिर–टोंक रोड़ पर B2 By Pass तक का दक्षिण / पश्चिम भाग, सहकार मार्ग– हवा सड़क पर नन्दपुरी मार्ग–भगवान मार्ग, टोंक रोड़ B2 By Pass तक का पूर्वी भाग। महेश कॉलोनी, बसंत–बहार कॉलोनी, बरकत नगर, करतारपुरा, ईमली वाला फाटक, महावीर नगर, देवनगर, दुर्गापुरा, वसुन्धरा नगर, दुर्गापुरा गाँव, रानी महल। (iii) चौकड़ी – सांगानेर : B2 By Pass का दक्षिण भाग से टोंक रोड़ का दक्षिण पश्चिम भाग सीतापुरा ओवर ब्रिज तक, गोपालपुरा पुलिया के नीचे रेल्वे लाईन से सीतापुरा टोंक रोड़ तक का उत्तरी भाग, सांगानेर टाउन, तरूछाया नगर, सुदामा नगर, सीताबाड़ी, चित्रकूट कॉलोनी, रामसिंहपुरा, जैतावाल सुखपुरिया, बम्बाला गाँव प्रताप नगर, अमरसिंहपुरा, कोकावास, किशन कॉलोनी, गौशाला एवं टोंक रोड़ पर हल्दी घाटी गेट–हल्दी घाटी मार्ग का दक्षिण भाग, सावित्री विहार, NRI कॉलोनी, महल स्कीम, द्वारकापुरी योजना, चैनपुरा, महल की ढाणी, देहलावास सुख देवपुरा, प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड। नोट : समस्त चौकड़ियों की सीमा जयपुर नगर निगमों के 1 जनवरी 2020 को निर्धारित सीमा तक।
(झ) मुख्य चुनाव अधिकारी स्वीकृत नामांकन पत्रों की सूची तैयार करके व रद्द किय गये नामांकन पत्रों की सूची चुनाव के 10 दिन पहले समाज कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा देगा। नामांकन पत्रों की जाँच के समय कोई भी उम्मीदवार स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता हैं किसी भी तरह की जांच सम्बन्धी आपत्ति तत्काल लिखित में देनी होगी। जिस पर मुख्य चुनाव अधिकारी अपना निर्णय सूची लगाने के पहले देगा। एक बार सूची लगने के पश्चात् कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।	(झ) मुख्य चुनाव अधिकारी स्वीकृत नामांकन पत्रों की सूची तैयार करके व रद्द किये गये नामांकन पत्रों की सूची चुनाव के 12 दिन पहले समाज कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा देंगे। नामांकन पत्रों की जाँच के समय (जिसकी सूचना समाज कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी) कोई भी उम्मीदवार स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। किसी भी तरह की जांच सम्बन्धी आपत्ति तत्काल लिखित में देनी होगी। जिस पर मुख्य चुनाव अधिकारी अपना निर्णय सूची में लगाने के पूर्व देंगे। एक बार सूची लगने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगीं।	(छ) मुख्य चुनाव अधिकारी स्वीकृत नामांकन पत्रों की सूची तैयार करके व रद्द किये गये नामांकन पत्रों की सूची चुनाव तिथि के 12 दिन पहले समाज कार्यालय एवं चुनाव कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा देंगे। नामांकन पत्रों की जाँच के समय (जिसकी सूचना समाज कार्यालय एवं चुनाव कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी) कोई भी उम्मीदवार स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। किसी भी तरह की जाँच सम्बन्धी आपत्ति तत्काल लिखित में देनी होगी। जिस पर मुख्य चुनाव अधिकारी अपना निर्णय सूची लगाने के पूर्व देंगे। एक बार सूची लगने के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगीं।
(ञ) उम्मीदवार चुनाव की तारीख से 8 दिन पूर्व अपना नाम वापिस ले सकेंगे और उसके पश्चात् मुख्य चुनाव अधिकारी मत पत्र तैयार कर लेगा तथा वापस लेने वाले उम्मीदवारों	(ञ) उम्मीदवार चुनाव की तारीख से 10 दिन पूर्व अपना नाम वापिस ले सकेंगे और उसके पश्चात मुख्य चुनाव अधिकारी	(ज) उम्मीदवार चुनाव की तारीख से 10 दिन पूर्व अपना नाम वापिस ले सकेंगे और उसके पश्चात मुख्य चुनाव अधिकारी

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष   महामंत्री   कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
के नामों की सूची व मत पत्र चुनाव की तारीख से 5 दिन पूर्व सूचना पट्ट पर लगा देगा।	मत पत्र तैयार कर लेगें तथा वापस लेने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची व मत पत्र का नमूना चुनाव की तारीख से 7 दिन पूर्व सूचना पट्ट पर लगा देगें।	मत पत्र तैयार कर लेगें तथा वापस लेने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची व मत पत्र का नमूना चुनाव की तारीख से 7 दिन पूर्व चुनाव कार्यालय सूचना पट्ट पर लगा देंगे।
(ट) चुनाव के दिन चुनाव केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक मतदाता को समाज द्वारा निर्धारित प्रुफ ऑफ आइडेंटी फोटो के साथ में से कोई भी एक प्रस्तुत करने पर एवं जोनानुसार समाज रिकार्ड से मिलान कर मत पत्र दिया जायेगा। मतदाता केवल अपने क्षेत्र (जोन) के इस मतपत्र पर प्रत्येक चौकडी की निश्चित संख्या के अनुसार चिन्ह लगा कर मुख्य चुनाव अधिकारी / चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के देखरेख में मतपत्र पेटी में एक – एक कर डाल देंगे।	(ट) चुनाव के दिन चुनाव केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक मतदाता को समाज द्वारा 1 (क) में निर्धारित प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मय फोटो के साथ में से कोई एक प्रस्तुत करने पर एवं जोनानुसार समाज रिकार्ड से मिलान कर अध्यक्ष एवं जोन की चौकड़ी के सदस्यों के चुनाव हेतु मत पत्र दिया जाएगा। मतदाता केवल अपने क्षेत्र (जोन) के इस मतपत्र पर प्रत्येक चौकड़ी की निश्चित संख्या के अनुसार चिन्ह लगा कर मुख्य चुनाव अधिकारी/चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति की देखरेख में मतपत्र पेटी में एक–एक करके डाल देंगे। सभी क्षेत्रों (समस्त जोन) के मतदाताओं द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अध्यक्ष हेतु मतपत्र चौकडियों के मतपत्र से अलग होगा।	(झ) चुनाव के दिन चुनाव केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक मतदाता को समाज द्वारा 1 (क) में निर्धारित प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मय फोटो के साथ में से कोई एक प्रस्तुत करने पर एवं जोनानुसार समाज रिकार्ड से मिलान कर अध्यक्ष एवं जोन की चौकड़ी के सदस्यों के चुनाव हेतु मत पत्र दिया जाएगा। मतदाता केवल अपने क्षेत्र (जोन) के इस मतपत्र पर प्रत्येक चौकड़ी की निश्चित संख्या के अनुसार चिन्ह लगा कर मुख्य चुनाव अधिकारी/चुनाव अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति की देखरेख में मतपत्र पेटी में एक–एक करके डाल देंगे। सभी क्षेत्रों (समस्त जोन) के मतदाताओं द्वारा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अध्यक्ष हेतु मतपत्र चौकडियों के मतपत्र से अलग होगा।
(ठ) मुख्य चुनाव अधिकारी 2 दिन में मतगणना क पश्चात् बहुमत के आधार पर निर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देगा। अंतिम समान संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन पर्ची द्वारा लाटरी से होगा। घोषणा समाज कार्यालय के सूचना – पट्ट पर लगाई जावेगी।	(ठ) मुख्य चुनाव अधिकारी 2 दिन में मतगणना क पश्चात्, बहुमत के आधार पर निर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देगा। अंतिम समान संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन पर्ची द्वारा लाटरी से होगा। घोषणा समाज कार्यालय के सूचना – पट्ट पर लगाई जावेगी।	(ञ) मुख्य चुनाव अधिकारी मतगणना के पश्चात् बहुमत के आधार पर निर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देगा। अंतिम समान संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का चयन पर्ची द्वारा लाटरी से होगा। घोषणा समाज कार्यालय एवं चुनाव कार्यालय के सूचना–पट्ट पर लगाई जावेगी।
(ड) यदि किसी भी चौकड़ी से निश्चित किये हुये नामों की संख्या से कम उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित होंगे तो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये चयन नव –निर्वाचित कार्यकारिणी उसी चौकड़ी के सदस्यों में से करेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी इसके लिये नव–निर्वाचित कार्यकारिणी की सभा, नामों की घोषणा से 4 दिन के अंदर–अंदर बुलाएंगे। इसके बाद 4 दिन के अंदर मुख्य चुनाव अधिकारी को नव –निर्वाचित अध्यक्ष 8 के सदस्यों को मनोनयन करके नाम दे देंगे, तथा मनोनयन के अगले दिन मुख्य चुनाव अधिकारी उक्त पूर्ण सूची को समाज कार्यालय के सूचना –पट्ट पर लगा देंगे।	(ड) यदि किसी भी चौकड़ी से निश्चित किए हुए नामों की संख्या से कम उम्मीदवारों के नाम होंगे तो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा के चार दिवस में नव निर्वाचित सदस्य एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सभा बुलाएगें, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति उसी चौकड़ी के सदस्यों में से की जा सकेगी। अगले दिन मुख्य चुनाव अधिकारी उक्त पूर्ण सूची को समाज कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा देगें।	(ट) यदि किसी भी चौकड़ी से निश्चित किए हुए नामों की संख्या से कम उम्मीदवारों के नाम होंगे तो उन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा के चार दिवस में नव निर्वाचित सदस्य एवं नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सभा बुलाएगें, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति उसी चौकड़ी के सदस्यों में से की जा सकेगी। अगले दिन मुख्य चुनाव अधिकारी उक्त पूर्ण सूची को समाज कार्यालय एवं चुनाव कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगा देगें।
(ढ) सूची लगाने के 3 दिन के पश्चात् लेकिन 5 दिन में मुख्य चुनाव अधिकारी नव–निर्वाचित अध्यक्ष की अनुमति से पदाधिकारियों के चुनाव हेतु नव– निर्वाचित कार्यकारिणी की सभा बुलायेगा। और उस सभा की अध्यक्षता नव–निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे। उस सभा में अध्यक्ष के अलावा अन्य 10 ग	(ढ) सूची लगाने के 3 दिन के पश्चात् लेकिन 5 दिन में मुख्य चुनाव अधिकारी नव–निर्वाचित अध्यक्ष की अनुमति से पदाधिकारियों के चुनाव हेतु नव– निर्वाचित कार्यकारिणी की सभा बुलायेगा। और उस सभा की अध्यक्षता नव–निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे। उस सभा में अध्यक्ष के अलावा अन्य 10 ग	(ठ) सूची लगाने के 3 दिन के पश्चात् लेकिन 5 दिन में मुख्य चुनाव अधिकारी नव–निर्वाचित अध्यक्ष की अनुमति से पदाधिकारियों के चुनाव हेतु नव– निर्वाचित कार्यकारिणी की सभा बुलायेगा। और उस सभा की अध्यक्षता नव–निर्वाचित अध्यक्ष करेंगे। उस सभा में अध्यक्ष के अलावा अन्य 10 ग

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
में वर्णित पदाधिकारियों के चुनाव बैलट प्रणाली से होंगे। उक्त सभा का कोरम नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या का 2/3 होगा एवं कोरम पूर्ण न होने पर उसी दिन 1 घंटे बाद उसी स्थान पर बुलाई जा सकेगी। जिसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी। यदि किसी अनुपस्थित सदस्य का नाम किसी पद के लिये प्रस्तावित किया जावेगा तो प्रस्तावक को उक्त सदस्य की लिखित स्वीकृति मुख्य चुनाव अधिकारी को सदस्य के नाम का प्रस्ताव करते समय देनी होगी। पदाधिकारियों के नामों की घोषणा चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् अविलम्ब कर दी जायेगी।	में वर्णित पदाधिकारियों के चुनाव बैलट प्रणाली से होंगे। उक्त सभा का कोरम नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या का 2/3 होगा एवं कोरम पूर्ण न होने पर उसी दिन 1 घंटे बाद उसी स्थान पर बुलाई जा सकेगी। जिसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी। यदि किसी अनुपस्थित सदस्य का नाम किसी पद के लिये प्रस्तावित किया जावेगा तो प्रस्तावक को उक्त सदस्य की लिखित स्वीकृति मुख्य चुनाव अधिकारी को सदस्य के नाम का प्रस्ताव करते समय देनी होगी। पदाधिकारियों के नामों की घोषणा चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् अविलम्ब कर दी जायेगी।	में वर्णित पदाधिकारियों के चुनाव बैलट प्रणाली से होंगे। उक्त सभा का कोरम नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या का 2/3 होगा एवं कोरम पूर्ण न होने पर उसी दिन 1 घंटे बाद उसी स्थान पर बुलाई जा सकेगी। जिसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी। यदि किसी अनुपस्थित सदस्य का नाम किसी पद के लिये प्रस्तावित किया जावेगा तो प्रस्तावक को उक्त सदस्य की लिखित स्वीकृति मुख्य चुनाव अधिकारी को सदस्य के नाम का प्रस्ताव करते समय देनी होगी। पदाधिकारियों के नामों की घोषणा चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात् अविलम्ब कर दी जायेगी।
(ण) श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल कार्यकारिणी में से, श्री माहेश्वरी महिला परिषद् कार्यकारिणी में से संस्था का वैतनिक कर्मचारी समाज कार्यकारिणी के चुनाव में खड़े नहीं हो सकेंगे।	(ण) संस्था के वैतनीक कर्मचारी समाज कार्यकारिणी के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।	(ड) संस्था के वैतनिक कर्मचारी समाज कार्यकारिणी के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।
(त) एक ही व्यक्ति अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्य हेतु एक साथ उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकेगा।	कोई परिवर्तन नहीं।	(ढ) एक ही व्यक्ति अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्य हेतु एक साथ उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकेगा।
(थ) यदि वर्तमान कार्यकारिणी के समय की समाप्ति के 6 माह के अंदर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष समझे जावेंगे। रिक्त उपाध्यक्ष पद के लिये कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही चुनाव किया जावेगा। अगर समय 6 माह से ज्यादा है तो नये अध्यक्ष का चुनाव विधान के अनुसार होगा। जिसका कार्यकाल वर्तमान कार्यकारिणी तक ही रहेगा।	कोई परिवर्तन नहीं।	(ण) यदि वर्तमान कार्यकारिणी के समय की समाप्ति के 6 माह के अंदर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष समझे जावेंगे। रिक्त उपाध्यक्ष पद के लिये कार्यकारिणी के सदस्यों में से ही चुनाव किया जावेगा। अगर समय 6 माह से ज्यादा है तो नये अध्यक्ष का चुनाव विधान के अनुसार होगा। जिसका कार्यकाल वर्तमान कार्यकारिणी तक ही रहेगा।
(द) कार्यकारिणी के सदस्यों में से कारणवश किसी का स्थान रिक्त हो जाने मर उसी चौकड़ी के सदस्यों में से उनकी पूर्ति करने का अधिकार कार्यकारिणी को रहेगा। लेकिन अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों में से किसी कारणवश स्थान रिक्त हो जाने पर उसके स्थान की पूर्ति करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।	(द) कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी कारणवश किसी का स्थान रिक्त हो जाने पर उसी चौकड़ी के सदस्यों में से उनकी पूर्ति करने का अधिकार कार्यकारिणी को रहेगा।	(त) कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी कारणवश किसी का स्थान रिक्त हो जाने पर उसी चौकड़ी के सदस्यों में से उनकी पूर्ति करने का अधिकार कार्यकारिणी को रहेगा।
(ध) जो कार्यकारिणी के सदस्य व पदाधिकारी अकारण बिना लिखित सूचना के कार्यकारिणी की लगातार तीन सभाओं में उनुपस्थित रहेंगे अथवा लिखित सूचना देकर पांच कार्यकारिणी सभाओं में लगातार (स्वयं की असाध्य बीमारी की अवस्था को छोड़कर) अनुपस्थित रहेंगे उनसे सहयोग का लिखित में अनुरोध किया जायेगा । फिर भी उनके द्वारा सहयोग प्रदान न करने पर उनका स्थान रिक्त समझा जायेगा। इस प्रकार रिक्त हये स्थान की पूर्ति नियम 11 (त) के अनुसार कर ली जायेगी।	कोई परिवर्तन नहीं।	(थ) जो कार्यकारिमी के सदस्य व पदाधिकारी अकारण बिना लिखित सूचना के कार्यकारिणी की लगातार तीन सभाओं में अनुपस्थित रहेंगे अथवा लिखित सूचना देकर पाँच कार्यकारिणी सभाओं में लगातार (स्वयं की असाध्य) बीमारी की अवस्था को छोडकर अनुपस्थित रहेंगे उनसे सहयोग का लिखित में अनुरोध किया जाएगा। फिर भी उनके द्वारा सहयोग प्रदान न करने पर उनका स्थान रिक्त समझा जाएगा। इस प्रकार रिक्त हुए स्थान की पूर्ति नियम 11 (त) के अनुसार कर ली जाएगी।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(न) जो उम्मीदवार कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव में हार जाएँगे उन्हें मनोनयन द्वारा कार्यकारिणी में नहीं लिया जावेगा।	विलोपित किया गया।	
(i) चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। प्रत्याशी की मृत्यु के कारण यदि कार्यकारिणी सदस्य का कोई स्थान रिक्त रहता है तो पदाधिकारियों के चुनाव के पूर्व नियम 11 (ट) अनुसार इस रिक्त स्थान की पूर्ति नवनिर्वाचित कार्यकारिणी करेगी।	(न) (i) चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। प्रत्याशी की मृत्यु के कारण यदि कार्यकारिणी सदस्य का कोई स्थान रिक्त रहता है तो पदाधिकारियों के चुनाव के पूर्व नियम 11 (द) अनुसार इस रिक्त स्थान की पूर्ति नवनिर्वाचित कार्यकारिणी करेगी।	(द) चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी कार्यकारिणी सदस्य के लिए प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। प्रत्याशी की मृत्यु के कारण यदि कार्यकारिणी सदस्य का कोई स्थान रिक्त रहता है तो पदाधिकारियों के चुनाव के पूर्व नियम 11 (ट) अनुसार इस रिक्त स्थान की पूर्ति नवनिर्वाचित कार्यकारिणी करेगी।
(ii) चुनाव प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष के पद के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अध्यक्ष पद के लिये नामांकन पत्र नये सिरे से आमन्त्रित किया जाकर इस पद के चुनाव की प्रक्रिया दो माह के अंदर नियम 11 (ग), (घ) के अनुसार पूरी की जायेगी। इसके पश्चात् ही नियम 11 (ट) एवं 11 (ठ) के अनुसार आगे की प्रक्रिया क्रियान्वित हो सकेगी।	(ii) चुनाव प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में समस्त चुनाव प्रक्रिया रद्द होगी तथा नये सिरे से सभी नामांकन आमन्त्रित किये जायेंगे। नई चुनाव की तिथि पूर्व में तय तिथि से अधिकतम दो माह की होगी।	(ध) चुनाव प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में समस्त चुनाव प्रक्रिया रद्द होगी तथा नये सिरे से सभी नामांकन आमन्त्रित किये जायेंगे। नई चुनाव की तिथि पूर्व में तय तिथि से अधिकतम दो माह की होगी।
	48. चुनाव आचार संहिता (मतदाता/उम्मीदवार हेतु) समाज व उसके द्वारा संचालित संस्था, समितियाँ एवं कमेटी हेतु (क) मतदान केन्द्र पर प्रत्याशी/मतदाता द्वारा भ्रातृत्व एवं सौहार्दता का आचरण ही अपेक्षित है। (ख) चुनाव प्रचार एवं प्रसार समाज की गरिमा के अनुकूल एवं नियमानुसार ही होना चाहिए। (ग) दैनिक/पाक्षिक/मासिक व साप्ताहिक अखबार/अखिल भारतीय, क्षेत्रीय पत्रिकाओं में लेख, प्रायोजित पत्र–पत्रिकाओं, टी.वी. रेडियो में विज्ञापन वगैरह नहीं दे सकेंगे। (घ) चुनावी सभाओं में किसी भी प्रकार का भोज नहीं होगा। केवल चाय, कॉफी, शीतल पेय, बिस्किट ही रख सकेंगे। (ड़) मुख्य चुनाव कार्यालयों में 200 एवं जोन कार्यालय में 50 से अधिक बन्धुओं के भोज की व्यवस्था वर्जित होगी। (च) मतदान केन्द्र परिसर के अंदर किसी प्रकार की चुनाव सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकेगा। (छ) मतदाता बेज, टी–शर्ट, दुपट्टा, कैप, जॉकेट एवं ड्रेस कोड इत्यादि उपयोग नहीं कर सकेंगे। (ज) मतदाता चुनावी प्रचार में समाज के विधानानुसार निर्धारित	12. चुनाव आचार संहिता (मतदाता/उम्मीदवार हेतु) समाज व उसके द्वारा संचालित संस्था, समितियाँ एवं कमेटी हेतु (क) मतदान केन्द्र पर प्रत्याशी/मतदाता द्वारा भ्रातृत्व एवं सौहार्दता का आचरण ही अपेक्षित है। (ख) चुनाव प्रचार एवं प्रसार समाज की गरिमा के अनुकूल एवं नियमानुसार ही होना चाहिए। (ग) दैनिक/पाक्षिक/मासिक व साप्ताहिक अखबार/अखिल भारतीय, क्षेत्रीय पत्रिकाओं में लेख, प्रायोजित पत्र–पत्रिकाओं, टी.वी. रेडियो में विज्ञापन वगैरह नहीं दे सकेंगे। (घ) चुनावी सभाओं में किसी भी प्रकार का भोज नहीं होगा। केवल चाय, कॉफी, शीतल पेय, बिस्किट ही रख सकेंगे। (ड़) मुख्य चुनाव कार्यालयों में 200 एवं जोन कार्यालय में 50 से अधिक बन्धुओं के भोज की व्यवस्था वर्जित होगी। (च) मतदान केन्द्र परिसर के अंदर किसी प्रकार की चुनाव सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकेगा। (छ) मतदाता बेज, टी–शर्ट, दुपट्टा, कैप, जैकट एवं ड्रेस कोड इत्यादि उपयोग नहीं कर सकेंगे। (ज) मतदाता चुनावी प्रचार में समाज के विधानानुसार निर्धारित

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	क्षेत्र (समस्त जोन) में एवं सभी प्रकार के वाहनों पर Pamphlet, Poster, Sticker, Banner & Hording नहीं लगा सकेंगे। (झ) मतदाता एवं उम्मीदवार द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर चुनावी सामग्री, बैनर एवं होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। (ञ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का कोई भी सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव सलाहकार समिति, पोलिंग टीम एवं किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ किसी प्रकार की असंसदीय (अशोभनीय) भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। (ट) कोई भी उम्मीदवार कोई ऐसी घोषणा नहीं कर सकेगा जिससे सरकारी (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अन्य) नियम अधिनियम का समाज पर, समाज की शिक्षण संस्थाओं पर व समाज की अन्य संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। (ठ) कोई भी उम्मीदवार समाज हेतु या शिक्षा समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु आर्थिक प्रलोभन जैसी घोषणाएँ नहीं कर सकेगा। घोषणा करने पर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार होगा। (ड) कोई भी उम्मीदवार भ्रामक प्रचार सोशल मिडिया/पत्र द्वारा नहीं कर सकेगें। ऐसा करने पर मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव सलाहकार समिति से विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेते हुए कार्यवाही कर सकेंगे। (ढ) मतदान एवं मतगणना दिवस के दिन उम्मीदवार द्वारा अपने प्रतिनिधि हेतु मतदान एवं मतगणना स्थल पर नाश्ता/चाय/लंच इत्यादि व्यवस्था के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि चुनाव से 4 दिन पूर्व संबंधित व्यक्ति को जमा करवानी होगी। (ण) उम्मीदवार स्वयं का/प्रतिनिधि का फोटो चुनाव की तिथि से चार दिवस पूर्व मतदान एवं मतगणना दिवस हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। घोषणा मैं..घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त आचार संहिता का पूर्णतया पालना करूँगा। ऐसा न करने की स्थिति में चुनाव अधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।	क्षेत्र (समस्त जोन) में एवं सभी प्रकार के वाहनों पर Pamphlet, Poster, Sticker, Banner & Hording नहीं लगा सकेंगे। (झ) मतदाता एवं उम्मीदवार द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर चुनावी सामग्री, बैनर एवं होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। (ञ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का कोई भी सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव सलाहकार समिति, पोलिंग टीम एवं किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ किसी प्रकार की असंसदीय (अशोभनीय) भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। (ट) कोई भी उम्मीदवार कोई ऐसी घोषणा नहीं कर सकेगा जिससे सरकारी (राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अन्य) नियम अधिनियम का समाज पर, समाज की शिक्षण संस्थाओं पर व समाज की अन्य संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। विलोपित किया गया। (ठ) कोई भी उम्मीदवार भ्रामक प्रचार सोशल मिडिया/पत्र द्वारा नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने पर मुख्य चुनाव अधिकारी चुनाव सलाहकार समिति से विचार–विमर्श कर उचित निर्णय लेते हुए कार्यवाही कर सकेंगे। (ड) मतदान एवं मतगणना दिवस के दिन उम्मीदवार द्वारा अपने प्रतिनिधि हेतु मतदान एवं मतगणना स्थल पर नाश्ता/चाय/लंच इत्यादि व्यवस्था के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि चुनाव से 4 दिन पूर्व संबंधित व्यक्ति को जमा करवानी होगी। (ढ) उम्मीदवार स्वयं का/प्रतिनिधि का फोटो चुनाव की तिथि से चार दिवस पूर्व मतदान एवं मतगणना दिवस हेतु मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। घोषणा मैं..घोषणा करता हूँ कि मैं उक्त आचार संहिता का पूर्णतया पालना करूँगा। ऐसा न करने की स्थिति में चुनाव अधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	हस्ताक्षर उम्मीदवार चौकड़ी .... दिनांक : .... 49. मुख्य चुनाव अधिकारी के कर्त्तव्य व अधिकार (क) विधान की धारा 48 में वर्णित आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने हेतु यदि आवश्यक समझें तो चुनाव सलाहकार समिति की सलाह से एक अथवा अधिक पर्यवेक्षक (अधिकतम 6) मनोनीत कर सकेंगे, जो कि माहेश्वरी बन्धु होंगे। (ख) सुचारू चुनाव संचालन हेतु स्वेचछानुसार अपनी टीम का निर्धारण कर सकेगा। (ग) मत–पत्र के नमूने की प्रति चुनाव स्थल पर Flex द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। (घ) त्रै–वार्षिक चुनाव/चुनाव के दिन मतदान पूर्ण होने पर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा समस्त जोनों की मतपेटियाँ जिस प्रांगण में रखी जाएगी, उस परिसर में केवल चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य, मुख्य चुनाव अधिकारी, उप–मुख्य चुनाव अधिकारी व उनके द्वारा नियुक्त अधिकारीगण, वर्तमान अध्यक्ष एवं महामंत्री (चुनावों में उम्मीदवार नहीं होने पर) ही रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि एवं प्रत्येक जोन से एक सदस्य ही प्रांगण में उपस्थित रह सकेंगे, जिसकी सूचना मय फोटो मुख्य चुनाव अधिकारी को 3 दिवस पूर्व देना अनिवार्य होगा। (ड़) किसी भी प्रकार का लिखित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में चुनाव सलाहकार समिति से सलाह ले सकेगें किन्तु इस पर अंतिम निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी का ही होगा जो कि सर्वमान्य होगा। (च) मतदान केन्द्र के बाहर टैंट की व्यवस्था मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा की जाएगी व चुनाव की तिथि से 5 दिन पूर्व लॉटरी द्वारा स्थान निश्चित किया जाएगा एवं चुनाव तिथि से एक दिवस पूर्व व्यवस्था करवाना। (छ) टैंट के अन्दर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार एवं उस जोन के सहयोगी उम्मीदवारों का बैनर/फ्लेक्स मय फोटो लगवाया जाएगा। उम्मीदवार एवं उसके सहयोगी आने वाले मतदाता को केवल सदस्यता	हस्ताक्षर उम्मीदवार चौकड़ी .... दिनांक : .... 13. मुख्य चुनाव अधिकारी के कर्त्तव्य व अधिकार (क) विधान की धारा 48 में वर्णित आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने हेतु यदि आवश्यक समझें तो चुनाव सलाहकार समिति की सलाह से एक अथवा अधिक पर्यवेक्षक (अधिकतम 6) मनोनीत कर सकेंगे, जो कि माहेश्वरी बन्धु होंगे किन्तु वे प्रत्याशी नहीं होने चाहिए। (ख) सुचारू चुनाव संचालन हेतु स्वेचछानुसार अपनी टीम का निर्धारण कर सकेगा। (ग) मत–पत्र के नमूने की प्रति चुनाव स्थल पर Flex द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। (घ) त्रै–वार्षिक चुनाव/चुनाव के दिन मतदान पूर्ण होने पर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा समस्त जोनों की मतपेटियाँ जिस प्रांगण में रखी जाएगी, उस परिसर में केवल चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य, मुख्य चुनाव अधिकारी, उप–मुख्य चुनाव अधिकारी व उनके द्वारा नियुक्त अधिकारीगण, वर्तमान अध्यक्ष एवं महामंत्री (चुनावों में उम्मीदवार नहीं होने पर) ही रह सकेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष पद के उम्मीदवार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि एवं प्रत्येक जोन से एक सदस्य ही प्रांगण में उपस्थित रह सकेंगे, जिसकी सूचना मय फोटो मुख्य चुनाव अधिकारी को 3 दिवस पूर्व देना अनिवार्य होगा। (ड़) किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में चुनाव सलाहकार समिति से सलाह ले सकेंगे किन्तु इस पर अंतिम निर्णय मुख्य चुनाव अधिकारी का ही होगा जो कि सर्वमान्य होगा। (च) मतदान केन्द्र के बाहर टैंट की व्यवस्था मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा की जाएगी व चुनाव की तिथि से 5 दिन पूर्व लॉटरी द्वारा स्थान निश्चित किया जाएगा एवं चुनाव तिथि से एक दिवस पूर्व व्यवस्था करवाना। (छ) टैंट के अन्दर मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार एवं उस जोन के सहयोगी उम्मीदवारों का बैनर/फ्लेक्स मय फोटो लगवाया जाएगा। उम्मीदवार एवं उसके सहयोगी आने वाले मतदाता को केवल सदस्यता

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	क्रमांक एवं कमरा नं. की जानकारी ही दे सकेंगे। 50. चुनाव सलाहाकर समिति के अधिकार (क) सलाहकार समिति के सदस्य उम्मीदवारों के नार्माकन पत्रों का सत्यापन कर सकेंगे। (ख) मुख्य चुनाव अधिकारी/उप मुख्य चुनाव अधिकारी से किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर विचार–विमर्श कर सलाह देने का अधिकार होगा। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। (ग) समिति अध्यक्ष व चौकड़ी उम्मीदवारों के आचार–संहिता का उल्लघंन करने व अन्य ऐसे प्रचार जो समाजिक दृष्टि से अवांछनीय/अशोभनीय है, ऐसा न करने के लिए उम्मीदवारों को पत्र द्वारा लिखित में निर्देश दे सकती है।	क्रमांक एवं कमरा नं. की जानकारी ही दे सकेंगे। 14. चुनाव सलाहाकर समिति के अधिकार (क) सलाहकार समिति के सदस्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों का सत्यापन कर सकेंगे। (ख) मुख्य चुनाव अधिकारी/उप मुख्य चुनाव अधिकारी से किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर विचार–विमर्श कर सलाह देने का अधिकार होगा। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। (ग) समिति अध्यक्ष प्रत्याशी एवं कार्यकारिणी सदस्य हेतु उम्मीदवारों के आचार–संहिता का उल्लंघन करने व अन्य ऐसे प्रचार जो सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय/अशोभनीय है, ऐसा न करने के लिए उम्मीदवारों को पत्र द्वारा लिखित में निर्देश दे सकती है।
12. इस संस्था की प्रथम कार्यकारिणी समिति जो संस्था की रजिस्ट्री होने से पूर्व दिनांक 1.9.1960 को कार्य संचालन कर रही थी व जो कि संविधान में अंकित की गई । इस प्रथम समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं–	कोई परिवर्तन नहीं।	15. इस संस्था की प्रथम कार्यकारिणी समिति जो संस्था की रजिस्ट्री होने से पूर्व दिनांक 1.9.1960 को कार्य संचालन कर रही थी व जो कि संविधान में अंकित की गई। इस प्रथम समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार हैं–

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

नाम, पद, पता और व्यवसाय कार्यकारिणी के उन सदस्यों का जिनको संस्था के नियमानुसार प्रबंध का कार्य भार सौंपा गया है।

क्र.सं.नाम	पद	पता	व्यवसाय
1. श्री प्रभुदयाल लोईवाल बी.ए., एल.एल.बी., आर.एच.जे.एस. (रिटायर्ड)	प्रधान	स्टेशन रोड़, पुलिस लाईन के सामने, जयपुर	रिटायर्ड गवर्नमेन्ट पेशंनर
2. श्री श्रीनारायण फलोड	उप–प्रधान	जमनालाल रामचन्द्र, चांदपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
3. श्री गणेश नारायण अजमेरा	उप–प्रधान	चौड़ा रास्ता, पल्लीवालों की गली, जयपुर	जौहरी
4. श्री आनन्दीलाल परवाल, एम.ए.	मुख्यमंत्री	292, नाटानियान का रास्ता, जयपुर	सर्विस
5. श्री रामरतन माहेश्वरी बी.ए., एल.एल.बी.	उप–मंत्री	जड़ियों का रास्ता, जयपुर	वकालत
6. श्री रामस्वरूप सोनी, बी.कॉम.	उप–मंत्री	सोनी भवन, सौंथली वालों का रास्ता, जयपुर	अंडर सी.ए. ट्रेनिंग
7. श्री बंशीधर नोवाल	शिक्षामंत्री	जगन्नाथ शाह का रास्ता, माहेश्वरियों की गली, जयपुर	सर्विस
8. श्री सीताराम साबू बी.कॉम., एल.एल.बी.	सहा.शिक्षामंत्री	सीताराम रूपनारायण, चाँदपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
9. श्री कन्हैया लाल शारदा	अर्थमंत्री	जाट के कुँए का रास्ता, जयपुर	व्यवसाय
10. श्री रामकिशोर परवाल	कोषाध्यक्ष	चौड़ा रास्ता, पल्लीवालों की गली, जयपुर	जवाहरात
11. श्री सीताराम पटवारी	संगठन मंत्री	स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, चौड़ा रास्ता, जयपुर	सर्विस
12. श्री चाँदबिहारी लाल साबू	भंडार मंत्री	बारह गणगौर का रास्ता, जयपुर	जवाहरात
13. श्री गिरिराज प्रसाद हुरकट	भवन मंत्री	पटवों का रास्ता, जयपुर	जवाहरात
14. श्री द्वारकादास परवाल बी.कॉम., एल.एल.बी.	सदस्य	जड़ियों का रास्ता, जयपुर	एडवोकेट
15. श्री मदन गोपाल राठी चार्टर्ड एकाउंटेंट	सदस्य	बारह गणगौर का रास्ता, जयपुर	ऑडिटर
16. श्री छिगनलाल चितलांग्या	सदस्य	रामस्वरूप रामशंकर, चांदपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
17. श्री पुरूषोत्तम दास भैया	सदस्य	नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जयपुर	सर्विस
18. श्री श्रीनारायण मालपाणी	सदस्य	श्रीनारायण शिवदयाल, चांदपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
19. श्री दामोदरदास मालपाणी	सदस्य	पुरोहित जी का कटला, जयपुर	जवाहरात
20. श्री भगवानदास पटवारी	सदस्य	पटवारी मिष्ठान भंडार, घी वालों का रास्ता, जयपुर	मिष्ठान विक्रेता
21. श्री शिवदयाल फलोड़	सदस्य	जमनालाल रामचंद्र, रामगंज बाजार, जयपुर	व्यवसाय
22. श्री दुर्गाप्रसाद नागौरी	सदस्य	खेतान भवन, मिर्जा इस्माइल रोड़, जयपुर	शेयर्स
23. डॉ. राधाकृष्ण परवाल एल.एम.पी.	सदस्य	होमियोपैथिक सफाखाना, जौहरी बाजार, जयपुर	डॉक्टरी
24. श्री राधाकिशन बियाणी	सदस्य	लद्ढा बिल्डिंग, किशनपोल बाजार, जयपुर	सर्विस

महामंत्री श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

(25)

अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री

कोषाध्यक्ष

65 140 (83)

बी.कॉम., एल.एल.बी.

25.	श्री राधेश्याम काबरा, बी.कॉम.	सदस्य	रामप्रसाद राधेश्याम, चांदपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
26.	श्री जमनादास गट्टानी	सदस्य	नाटानियान का रास्ता, जयपुर	व्यवसाय
27.	श्री श्यामलाल काबरा	सदस्य	लक्ष्मी भंडार, जौहरी बाजार, जयपुर	व्यवसाय
28.	श्री राधेश्याम सोमाणी	सदस्य	रामगोपाल राधेश्याम सोमानी, जौहरी बाज़ार, जयपुर	व्यवसाय
29.	श्री मदन लाल मालपाणी	सदस्य	बंशीधर नंदकिशोर, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	व्यवसाय
30.	श्री बाबूलाल कोठ्यारी बी.कॉम., एस.ए.एस.	सदस्य	अकाउटेंट जनरल ऑफिस, जयपुर	सर्विस
31.	श्री भंवर लाल चितलांग्या	सदस्य	भंवरलाल हीरालाल, चांदपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
32.	श्री इन्द्रचंद चितलांग्या	सदस्य	जौहरी बाजार, जयपुर	सर्विस
33.	श्री जमनादास झंवर	सदस्य	जौहर ब्रदर्स, सांगानेरी गेट, जयपुर	व्यवसाय
34.	श्री राधाकिशन झंवर	सदस्य	खेजड़े वालों का रास्ता, जयपुर	रिटायर्ड
35.	श्री मथुरालाल बाहेती बी.ए., एल.एल.बी.	सदस्य	राजस्थान सचिवालय, जयपुर	सर्विस
36.	श्री रामेश्वर प्रसाद काबरा	सदस्य	कुचामन मेडिकल हाल, जौहरी बाजार, जयपुर	व्यवसाय
37.	श्री बद्रीनारायण मोहता बी.ए., एल.एल.बी.	सदस्य	438, रास्ता भट्टों का रास्ता, जयपुर	सर्विस
38.	श्री प्रयागदास फलोड़	सदस्य	राजस्थान स्वदेशी स्टोर, जौहरी बाजार, जयपुर	व्यवसाय
39.	श्री सीताराम तोषनीवाल	सदस्य	राजस्थान रोप वर्क्स, किशनपोल बाजार, जयपुर	व्यवसाय
40.	श्री हरिनारायण कचौलिया	सदस्य	मिर्जा इस्माईल रोड़, जयपुर	व्यवसाय

अतएव हम निम्नलिखित हस्ताक्षर कर्त्ता उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार इस संस्था की स्थापना करते हैं जिसकी रजिस्ट्री राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अनुसार कराना चाहते हैं।

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	श्री प्रभुदयाल लोईवाल	स्टेशन रोड़, पुलिस लाईन के सामने, जयपुर	प्रभुदयाल लोईवाल
2.	श्री गणेशनारायण अजमेरा	पल्लीवालों की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर	गणेशनारायण अजमेरा
3.	श्री बंशीधर नोवाल	जगन्नाथ शाह का रास्ता, जयपुर	बंशीधर नोवाल
4.	श्री कन्हैया लाल सारड़ा	जाट के कुँए का रास्ता, जयपुर	कन्हैया लाल सारड़ा
5.	श्री सीताराम पटवारी	गोविन्द राजियों का रास्ता, जयपुर	सीताराम पटवारी
6.	श्री रामरतन माहेश्वरी	ज़ड़ियों का रास्ता, जयपुर	रामरतन माहेश्वरी
7.	श्री रामकिशोर परवाल	पल्लीवालों की गली, चौड़ा रास्ता, जयपुर	रामकिशोर परवाल
8.	श्री छिगनलाल चितलांग्या	रामस्वरूप रामशंकर, चांदपोल बाजार, जयपुर	छिगनलाल चितलांग्या
9.	श्री जमनादास झंवर	जड़ियों का रास्ता, जयपुर	जमनादास झंवर
10.	श्री रामस्वरूप सोनी	सौंथली वालों का रास्ता, जयपुर	रामस्वरूप सोनी
11.	श्री मदनलाल मालपाणी	बंशीधर नंदकिशोर, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	मदनलाल मालपाणी
12.	श्री आनन्दीलाल परवाल	नाटानियान का रास्ता, जयपुर	आनन्दीलाल परवाल
13.	डॉ. राधाकृष्ण परवाल	जड़ियों का रास्ता, जयपुर	डॉ. राधाकृष्ण परवाल

(26)

अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
13. चुनाव की तिथि की घोषणा के पश्चात् कार्यकारिणी द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिये जा सकेंगे।	कोई परिवर्तन नहीं	16. मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् कार्यकारिणी द्वारा नीतिगत निर्णय नहीं लिये जा सकेंगे।
14. निर्गम कार्यकारिणी की अंतिम सभा– कार्यकारिणी की यह सभा नव –निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिन की अवधि में होगी जिसमें वर्ष पर्यन्त के आंकड़े, वस्तु भंडार का जांचा हुआ परिसंस्था पत्र, वार्षिक प्रगति विवरण आदि परिपूर्ण सामग्री प्रेषित की जायेगी। जो कार्य पूरे नहीं किये जा सके हैं उनका पूर्ण विवरण दिया जावे जिससे नूतन कार्यकारिणी को कार्यभार भली – भाँती सौंपा जा सकें।	14. निर्गम कार्यकारिणी की अंतिम सभा– कार्यकारिणी की यह सभा नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिन की अवधि में होगी जिसमें वर्ष पर्यन्त के आंकडे, वस्तु भण्डार का जॉचा हुआ परिसंस्था पत्र, वार्षिक प्रगति विवरण, समस्त Website मय पासवर्ड आदि परिपूर्ण साम्रगी प्रेषित की जाएगी। जो कार्य पूरे नहीं किए जा सके है उनका पूर्ण विवरण दिया जाएगा, जिससे नूतन कार्यकारिणी को कार्यभार भलि भॉति सौंपा जा सके। यह प्रक्रिया अधिकतम सात दिवस में पूर्ण की जाएगी।	17. निर्गम कार्यकारिणी की अंतिम सभा– कार्यकारिणी की यह सभा नव निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिन की अवधि में होगी जिसमें वर्ष पर्यन्त के आंकडे, वस्तु भण्डार का जाँचा हुआ परिसंस्था पत्र, वार्षिक प्रगति विवरण, समस्त Website/App मय पासवर्ड आदि परिपूर्ण साम्रगी प्रेषित की जाएगी। जो कार्य पूरे नहीं किए जा सके है उनका पूर्ण विवरण दिया जाएगा, जिससे नूतन कार्यकारिणी को कार्यभार भलीभांति सौंपा जा सके। यह प्रक्रिया अधिकतम सात दिवस में पूर्ण की जाएगी।
15. नूतन कार्यकारिणी का कार्य – प्रवेश – पुरानी कार्यकारिणी से कार्यभार संभालने से 15 दिन की अवधि में ही कार्यकारिणी की प्रारम्भिक सभा होगी जिसमें नये पदाधिकारियों का कार्यभार सम्भालना एवं भावी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण होगा।	15. नूतन कार्यकारिणी का कार्यभार – पुरानी कार्यकारिणी से कार्यभार संभालने के 15 दिन की अवधि में ही कार्यकारिणी की प्रथम सभा होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों का कार्यभार संभालना एवं भावी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण होगा।	18. नूतन कार्यकारिणी का कार्यभार – पुरानी कार्यकारिणी से कार्यभार संभालने के 15 दिन की अवधि में ही कार्यकारिणी की प्रथम सभा होगी, जिसमें नए पदाधिकारियों का कार्यभार संभालना एवं भावी कार्यक्रमों तथा योजनाओं का निर्धारण होगा।
16. (क) कार्यकारिणी की सभा प्रतिमाह हुआ करेगी जिनकी सूचना विचारार्थ विषयों सहित तीन दिवस पूर्व सदस्यों के पास भेजी जावेगी। (ख) विशेष सभा की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष की आज्ञा लेकर अथवा कार्यकारिणी के 2/3 सदस्यों के लिखित निवेदन प्राप्त होने पर आयोजित की जा सकेगी, जिसकी सूचना सदस्यों के पास 24 घंटे पूर्व भेज देनी होगी। (ग) जो सदस्य सभा में प्रस्ताव रखना चाहेंगे उन्हें न्यूनतम दो अन्य सदस्यों की लिखित अनुमति प्राप्त करके महामंत्री के पास भेजने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी विषय अध्यक्ष की आज्ञा के बिना नहीं रखा जावेगा। (घ) कार्योपयुक्त संख्या (कोरम) :– कार्यकारिणी सभा में कोरम के लिये न्यूनतम 29 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य संख्या पूर्ण न हो तो सभा स्थगित कर 7 दिन में पुनः सभा बुलायी जावेगी और उस आगामी सभा में कार्योपयुक्त संख्या का प्रश्न बाधक नहीं होगा व केवल स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार व निर्णय किया जा	16. (क) कार्यकारिणी की सभा प्रतिमाह हुआ करेगी जिनकी सूचना विचारार्थ विषयों सहित दो दिवस पूर्व सदस्यों के पास इलेक्ट्रोनिक/सोशल मीडिया से भेजी जावेगी। (ख) अतिआवश्यक सभा की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अथवा कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों के लिखित निवेदन प्राप्त होने पर आयोजित की जा सकेगी, जिसकी सूचना सदस्यों को 24 घन्टे पूर्व भेजना अनिवार्य होगा। (ग) जो कार्यकारिणी के सदस्य सभा में प्रस्ताव रखना चाहेगें, उन्हें न्यूनतम 5 सदस्यों (स्वयं एवं कार्यकारिणी के 4 सदस्यों) की लिखित अनुमति प्राप्त करके महामंत्री के समक्ष भेजना होगां। महामंत्री द्वारा ऐसे प्रस्ताव आगामी सभा की कार्यसूची में शामिल किए जाएगें। इसके अतिरिक्त कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। (घ) कार्योपयुक्त संख्या (कोरम) कार्यकारिणी सभा में कोरम के लिए न्यूनतम 33 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य संख्या निश्चित समय से एक घन्टे में पूर्ण न हो तो	19. (क) कार्यकारिणी की सभा प्रतिमाह हुआ करेगी जिनकी सूचना विचारार्थ विषयों सहित दो दिवस पूर्व सदस्यों के पास इलेक्ट्रोनिक/सोशल मीडिया से भेजी जावेगी। (ख) अतिआवश्यक सभा की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अथवा कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों के लिखित निवेदन प्राप्त होने पर आयोजित की जा सकेगी, जिसकी सूचना सदस्यों को 24 घन्टे पूर्व भेजना अनिवार्य होगा। (ग) जो कार्यकारिणी के सदस्य सभा में प्रस्ताव रखना चाहेगें, उन्हें न्यूनतम 5 सदस्यों (स्वयं एवं कार्यकारिणी के 4 सदस्यों) की लिखित अनुमति प्राप्त करके महामंत्री के समक्ष भेजना होगा। महामंत्री द्वारा ऐसे प्रस्ताव आगामी सभा की कार्यसूची में शामिल किए जाएगें। इसके अतिरिक्त कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। (घ) कार्योपयुक्त संख्या (कोरम) कार्यकारिणी सभा में कोरम के लिए न्यूनतम 33 सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। यदि सदस्य संख्या निश्चित समय से एक घन्टे में पूर्ण न हो तो

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
सकेगा।	सभा स्थगित कर 4 दिन में पुनः सभा बुलाई जाएगी और उस आगामी सभा में कार्योपुक्त संख्या का प्रश्न बाधक नहीं होगा व केवल स्थगित सभा के बिन्दुओं पर विचार कर उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहमति के अनुसार ही निर्णय किया जा सकेगा। (ड) कार्यकारिणी सभा में जनोपयोगी भवन के चेयरमैन/सचिव, समाज द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यक्ष/सचिव, विभिन्न कमेटी समितियों के संयोजकों के अतिरिक्त ऐजेन्डानुसार अधिकतम 10 सदस्यों को ही विशेष आंमत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकेगा। (च) भवनों पर शिलालेख : (i) समाज : समाज के लिए (जनोपयोगी भवनों के अतिरिक्त) नव निर्मित भवनों के भूमि पूजन/शिलान्यास/ लोकार्पण के आयोजन पर केवल समाज अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष अर्थ, उस भवन हेतु मनोनीत चेयरमैन एवं सचिव के साथ–साथ निर्मित भवन के दानदाता, मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के ही नाम शिलालेख पर अंकित होगें। समाज भवनों के जीर्णोद्धार के अवसर पर किसी प्रकार का शिलालेख नहीं लगाया जा सकेगा। शिलालेख का अधिकतम आकार 5 × 4 फुट का ही होगा। अतिरिक्त नवनिर्माण होने पर केवल दानदाता का नाम लिखा जा सकेगा। (ii) सोसायटी/शिक्षण संस्थाए : सोसायटी के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं हेतु नवनिर्मित भवनों पर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष/चेयरमैन, महामंत्री, महासचिव शिक्षा संबंधित भवन सचिव, शिक्षा सचिव एवं दानदाता, मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के नाम ही शिलालेख पर अंकित होंगे। शिलालेख का अधिकतम आकार 5 × 4 फुट का ही होगा। सोसायटी के भवनों के जीर्णोद्धार के अवसर पर किसी भी प्रकार का शिलालेख नहीं लगाया जा सकेगा। अतिरिक्त नवनिर्माण होने पर केवल दानदाता का नाम लिखा जा सकेगा। (छ) भवनों का उपयोग : समाज एवं विद्यालय भवनों को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एवं अन्तर्गत संस्थाओं के उपयोग	सभा स्थगित कर 4 दिन में पुनः सभा बुलाई जाएगी और उस आगामी सभा में कार्योपयुक्त संख्या का प्रश्न बाधक नहीं होगा व केवल स्थगित सभा के बिन्दुओं पर विचार कर उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों की सहमति के अनुसार ही निर्णय किया जा सकेगा। (ड़) कार्यकारिणी सभा में जनोपयोगी भवन के चेयरमैन/सचिव, समाज द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यक्ष/सचिव, विभिन्न कमेटी समितियों के संयोजकों के अतिरिक्त एजेन्डानुसार अधिकतम 10 सदस्यों को ही विशेष आंमत्रित सदस्यों के रूप में बुलाया जा सकेगा। (च) भवनों पर शिलालेख : (i) समाज : समाज के लिए (जनोपयोगी भवनों के अतिरिक्त) नव निर्मित भवनों के भूमि पूजन/शिलान्यास/ लोकार्पण के आयोजन पर केवल समाज अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष अर्थ, उस भवन हेतु मनोनीत चेयरमैन एवं सचिव के साथ–साथ निर्मित भवन के दानदाता, मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों के ही नाम शिलालेख पर अंकित होंगे। समाज भवनों के जीर्णोद्धार/साज–सज्जा के अवसर पर किसी प्रकार का शिलालेख नहीं लगाया जा सकेगा। शिलालेख का अधिकतम आकार 5 × 4 फुट का ही होगा। अतिरिक्त नवनिर्माण होने पर केवल दानदाता का नाम लिखा जा सकेगा। (ii) सोसायटी/शिक्षण संस्थाएँ : सोसायटी के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं हेतु नवनिर्मित भवनों पर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष/चेयरमैन, महामंत्री, महासचिव शिक्षा संबंधित भवन सचिव, शिक्षा सचिव एवं दानदाता, मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों के नाम ही शिलालेख पर अंकित होंगे। शिलालेख का अधिकतम आकार 5 × 4 फुट का ही होगा। सोसायटी के भवनों के जीर्णोद्धार के अवसर पर किसी भी प्रकार का शिलालेख नहीं लगाया जा सकेगा। अतिरिक्त नवनिर्माण होने पर केवल दानदाता का नाम लिखा जा सकेगा। (छ) भवनों का उपयोग : विद्यालय भवनों को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एवं अन्तर्गत संस्थाओं के उपयोग हेतु ही

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	हेतु ही स्वीकृति दी जा सकेगी। यदि समाज अथवा अन्तर्गत संस्थाओं के कार्यक्रम में किसी अन्य संस्था का सहयोग हो तब भी उपयोग की स्वीकृति दी जा सकेगी।	स्वीकृति दी जा सकेगी। यदि समाज अथवा अन्तर्गत संस्थाओं के कार्यक्रम में किसी अन्य संस्था का सहयोग हो तब भी उपयोग की स्वीकृति दी जा सकेगी। नोट : स्वजातीय बन्धुओं को तीये की बैठक हेतु विद्यालय में स्थान दिया जायेगा। स्थानीय स्वजातीय संगठनों को सभाओं के लिए प्रशासनिक कार्यालय के सभा भवन के उपयोग की स्वीकृति दी जा सकेगी।
17. श्री माहेश्वरी समाज की एज्यूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति):— (क) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिये समाज की एक एज्यूकेशन कमेटी (The Education Committee of the Maheshwari Samaj (Society) Jaipur) होगी। (ख) यह एज्यूकेशन कमेटी एक पृथक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में कार्य कर रही है। (ग) इस कमेटी का जो निज का विधान है वही इस पर लागू होगा और उसी के अनुसार इस कमेटी का गठन, कर्त्तव्य और अधिकार निर्धारित होंगे। महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय समाज कार्यकारिणी की राय से लिया जावेगा। (घ) समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं की अचल सम्पत्ति का स्वामित्व समाज द्वारा गठित शिक्षा समिति का होगा, परन्तु किसी भी ऐसी अचल सम्पत्तियों के विक्रय, बंधक रखने अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार समाज की असाधारण सभा की सहमति से होगा जो उपस्थित सदस्यों का 2/3 मत प्राप्त करने पर होगी।	17. (क) श्री माहेश्वरी समाज की एज्यूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति):— (i) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिये समाज की एक एज्यूकेशन कमेटी (The Education Committee of the Maheshwari Samaj (Society) Jaipur) गया। (ii) यह एज्यूकेशन कमेटी एक पृथक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में कार्य कर रही है। (iii) इस कमेटी का जो निज का विधान है वही इस पर लागू होगा और उसी के अनुसार इस कमेटी का गठन, कर्त्तव्य और अधिकार निर्धारित होंगे। महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय समाज कार्यकारिणी की राय से लिया जावेगा। (iv) समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं की अचल सम्पत्ति का स्वामित्व समाज द्वारा गठित शिक्षा समिति का होगा, परन्तु किसी भी ऐसी अचल सम्पत्तियों के विक्रय, बंधक रखने अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार समाज की असाधारण सभा की सहमति से उपस्थित सदस्यों के 2/3 मत प्राप्त करने पर होगी। (ख) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर पृथक्–पृथक् संस्थाओं की समय–समय पर स्थापना करना– (i) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तत्वावधान में चलने वाली विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अलग संस्था का गठन किया जा सकता है। (ii) इस संस्था का निज का विधान होगा व उसी के अनुसार समिति का गठन कर कर्त्तव्य व अधिकार	20. (क) श्री माहेश्वरी समाज की एज्यूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति):— (i) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं के संचालन के लिये समाज की एक एज्यूकेशन कमेटी (The Education Committee of the Maheshwari Samaj (Society) Jaipur) होगी। (ii) यह एज्यूकेशन कमेटी एक पृथक रजिस्टर्ड सोसायटी के रूप में कार्य कर रही है। (iii) इस कमेटी का जो निज का विधान है वही इस पर लागू होगा और उसी के अनुसार इस कमेटी का गठन, कर्त्तव्य और अधिकार निर्धारित होंगे। महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय समाज कार्यकारिणी की राय से लिया जावेगा। (iv) समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं की अचल सम्पत्ति का स्वामित्व समाज द्वारा गठित शिक्षा समिति का होगा, परन्तु किसी भी ऐसी अचल सम्पत्तियों के विक्रय, बंधक रखने अथवा अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार समाज की असाधारण सभा की सहमति से होगा। (ख) सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकता पड़ने पर पृथक्–पृथक् संस्थाओं की समय–समय पर स्थापना करना– (i) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तत्वावधान में चलने वाली विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार अलग संस्था का गठन किया जा सकता है। (ii) इस संस्था का निज का विधान होगा व उसी के अनुसार समिति का गठन कर कर्त्तव्य व अधिकार निर्धारित होंगे।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	निर्धारित होंगे। (iii) इस संस्था के महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत निर्णय समाज कार्यकारिणी के अनुमोदन व सहमति से लिये जायेंगे। (iv) इस संस्था में किसी भी तरह की चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का ही होगा। उपरोक्त कार्यवाही के लिए श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष, महामंत्री आपसी विचार विमर्श से संस्थान के गठन व संचालन के नियम निर्धारित कर सकेंगे।	(iii) इस संस्था के महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत निर्णय समाज कार्यकारिणी के अनुमोदन व सहमति से लिये जायेंगे। (iv) इस संस्था में किसी भी तरह की चल व अचल सम्पत्ति का स्वामित्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का ही होगा। उपरोक्त कार्यवाही के लिए श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष, महामंत्री आपसी विचार विमर्श से संस्थान के गठन व संचालन के नियम निर्धारित कर सकेंगे।
	(ग) किसी प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार का आर्थिक प्रलोभन या सहायता की घोषणा नहीं की जा सकेगी व विधान संशोधन के प्रभावी होने के उपरान्त ऐसी किसी भी घोषणा के क्रियान्वयन से यदि किसी भी प्रकार का आर्थिक भार समाज/ECMS पर सरकारी नियमों के विपरीत पाया जाता है तो उसको तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी माना जायेगा।	विलोपित किया गया।
	(घ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाएँ निज विधान नहीं बना सकेगी।	(ग) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाएँ निज विधान नहीं बना सकेगी।
18. श्री माहेश्वरी समाज के जनोपयोगी भवनों के दानदाता सदस्य व प्रबन्ध समिति :– (क) प्रत्येक जनोपयोगी भवन की पृथक प्रबन्ध समिति होगी। प्रबन्ध समिति का गठन उस भवन के दानदाताओं में से आगे वर्णित नियमानुसार किया जावेगा।	18. श्री माहेश्वरी समाज के जनोपयोगी भवनों हेतु तदर्थ समिति का गठन, दानदाता सदस्यों की श्रेणी एवं विवरण व नियम, प्रबन्ध समिति का निर्वाचन एवं गठन, जनोपयोगी भवनों के संचालन हेतु नियमः (क) तदर्थ प्रबंध समिति का गठन : (1) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा नए जनोपयोगी भवन बनाए जाने के निर्णय के पश्चात् अध्यक्ष, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा कार्यकारिणी की सलाह से एक 15 सदस्यीय तदर्थ प्रबन्ध समिति का गठन निम्न पदाधिकारियों सहित किया जाएगा। इस समिति का कार्यकाल जनोपयोगी भवन के निर्माण पूर्ण होने/उपयोग प्रारम्भ होने के चार माह तक होगा। (a) चेयरमैन (b) चेयरमैन (अर्थ) (c) सचिव (d) भवन सचिव	21. श्री माहेश्वरी समाज के जनोपयोगी भवनों हेतु तदर्थ समिति का गठन, दानदाता सदस्यों की श्रेणी एवं विवरण व नियम, प्रबन्ध समिति का निर्वाचन एवं गठन, जनोपयोगी भवनों के संचालन हेतु नियमः (क) तदर्थ प्रबंध समिति का गठन : (1) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा नए जनोपयोगी भवन बनाए जाने के निर्णय के पश्चात् अध्यक्ष, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा कार्यकारिणी की सलाह से एक 15 सदस्यीय तदर्थ प्रबन्ध समिति का गठन निम्न पदाधिकारियों सहित किया जाएगा। इस समिति का कार्यकाल जनोपयोगी भवन के निर्माण पूर्ण होने/उपयोग प्रारम्भ होने के चार माह तक होगा। (a) चेयरमैन (b) चेयरमैन (अर्थ) (c) सचिव (d) भवन सचिव

अध्यक्ष · महामंत्री · कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष (समाज) तदर्थ प्रबन्ध समिति में पद नाम से सदस्य रहेंगे।	(ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष (समाज) तदर्थ प्रबन्ध समिति में पद नाम से सदस्य रहेंगे।
	(iii) तदर्थ प्रबंध समिति के चेयरमैन एवं श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन (अर्थ) एवं भवन सचिव की सलाह से क्रमशः अर्थ संग्रह एवं भवन निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए पृथक–पृथक कुल पाँच–पाँच सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जिसके संयोजक क्रमशः तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन (अर्थ) एवं भवन सचिव होंगे।	(iii) तदर्थ प्रबंध समिति के चेयरमैन एवं श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन (अर्थ) एवं भवन सचिव की सलाह से क्रमशः अर्थ संग्रह एवं भवन निर्माण हेतु प्रत्येक के लिए पृथक–पृथक कुल पाँच–पाँच सदस्यीय समिति का गठन करेंगे, जिसके संयोजक क्रमशः तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन (अर्थ) एवं भवन सचिव होंगे।
	(iv) तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन व सचिव, भवन निर्माण समिति एवं अर्थ समिति में अपने पद नाम से सदस्य होंगे।	(iv) तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन व सचिव, भवन निर्माण समिति एवं अर्थ समिति में अपने पद नाम से सदस्य होंगे।
	(v) अर्थ समिति को अर्थ संग्रह करते हुये श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान की धारा 18 ख के अनुसार दानदाता सदस्य बनाए जाने के प्रावधानों/नियमों का पालन करना होगा।	(v) अर्थ समिति को अर्थ संग्रह करते हुये श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान की धारा 21 (ख) के अनुसार दानदाता सदस्य बनाए जाने के प्रावधानों/नियमों का पालन करना होगा।
	(vi) दानदाता सदस्य से सदस्यता श्रेणी की सम्पूर्ण दान राशि प्राप्त होने एवं नियमानुसार पूर्ण सदस्यता फार्म प्राप्त करने के पश्चात् तदर्थ प्रबन्ध समिति के द्वारा धारा 18 (ख) के अनुरूप श्रेणी की सदस्यता स्वीकृत कर उसकी जानकारी श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को प्रेषित की जाएगी।	(vi) दानदाता सदस्य से सदस्यता श्रेणी की सम्पूर्ण दान राशि प्राप्त होने एवं नियमानुसार पूर्ण सदस्यता फार्म प्राप्त करने के पश्चात् तदर्थ प्रबन्ध समिति के द्वारा धारा 21 (ख) के अनुरूप श्रेणी की सदस्यता स्वीकृत कर उसकी जानकारी श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को प्रेषित की जाएगी।
	(vii) तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता की स्वीकृति के पश्चात् सदस्यता फार्म पर तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन एवं सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।	(vii) तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता की स्वीकृति के पश्चात् सदस्यता फार्म पर तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन एवं सचिव के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
	(viii) तदर्थ प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के उपरान्त दानदाताओं का श्रेणीवार रजिस्टर सचिव द्वारा संधारित किया जाएगा। जिसमें सदस्यता फार्म की प्रविष्टी के पश्चात् तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन एवं सचिव के हस्ताक्षर होंगे।	(viii) तदर्थ प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के उपरान्त दानदाताओं का श्रेणीवार रजिस्टर सचिव द्वारा संधारित किया जाएगा। जिसमें सदस्यता फार्म की प्रविष्टि के पश्चात् तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन एवं सचिव के हस्ताक्षर होंगे।
	(ix) तदर्थ प्रबन्ध समिति की सभा प्रति माह होगी अथवा आवश्यकतानुसार पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी। सभा का कोरम न्यूनतम 7 सदस्यों का होगा।	(ix) तदर्थ प्रबन्ध समिति की सभा प्रति माह होगी अथवा आवश्यकतानुसार पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी। सभा का कोरम न्यूनतम 7 सदस्यों का होगा।
	(x) तदर्थ प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा त्रैमासिक प्रगति	(x) तदर्थ प्रबन्ध समिति के सचिव द्वारा त्रैमासिक प्रगति

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(ख) दानदाता सदस्य : (1) श्री माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में जनोपयोगी भवन की भूमि एवं निर्माण में दान प्राप्त करने हेतु दानदाताओं में निम्न श्रेणियों के सदस्य बनाये जा सकेंगे व श्रेणीवार सदस्य सूची रजिस्टर में संग्रहित की जायेगी।	एवं अनुमानित आय व्यय का विवरण समिति की सभा के पटल पर रखा जाएगा व इसकी एक प्रति श्री माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष / महामंत्री को प्रेषित करना होगा। (xi) वैधानिक अंकेक्षक एवं आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा की जाएगी। (xii) तदर्थ प्रबन्ध समिति के कार्यकाल में किसी भी कारण से पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होता है तो श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष के द्वारा तदर्थ प्रबंध समिति के चेयरमैन की सलाह से रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगी। (xiii) तदर्थ प्रबन्ध समिति को बैंक खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाणित शिड्यूल बैंक की सूची नं. 1 एवं 2 में वर्णित बैंक में रखना होगा। बैंक से रुपया निकालना, एक मद से दूसरी मद में स्थान्तरण करना व लेन–देन वगैरह तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन, सचिव एवं चेयरमैन (अर्थ) तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। (xiv) तदर्थ प्रबन्ध समिति का कार्यकाल नियमों के तहत प्रथम प्रबन्ध समिति के गठन होने की तारीख तक होगा। प्रथम प्रबन्ध समिति का चुनाव जनोपयोगी भवन के निर्माण पूर्ण होने / उपयोग प्रारम्भ होने की तारीख से चार माह के अन्दर (जो भी पहले हो) होना अनिवार्य होगा। प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी / उप–निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव सलाहकार समिति की नियुक्ति माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा की जाएगी। (xv) तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा प्रथम प्रबन्ध समिति के गठन के लिए विधान की धारा 18 (क) (14) की अनुपालना नहीं किए जाने पर तदर्थ प्रबन्ध समिति का कार्यकाल जनोपयोगी भवन के निर्माण पूर्ण होने / उपयोग प्रारम्भ होने के चार माह के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी विशेष परिस्थिति में श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा जनोपयोगी भवन की	एवं अनुमानित आय व्यय का विवरण समिति की सभा के पटल पर रखा जाएगा व इसकी एक प्रति श्री माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष / महामंत्री को प्रेषित करना होगा। (xi) वैधानिक अंकेक्षक एवं आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा की जाएगी। (xii) तदर्थ प्रबन्ध समिति के कार्यकाल में किसी भी कारण से पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होता है तो श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष के द्वारा तदर्थ प्रबंध समिति के चेयरमैन की सलाह से रिक्त स्थान की पूर्ति की जाएगी। (xiii) तदर्थ प्रबन्ध समिति को बैंक खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाणित शिड्यूल बैंक की सूची नं. 1 एवं 2 में वर्णित बैंक में रखना होगा। बैंक से रुपया निकालना, एक मद से दूसरी मद में स्थान्तरण करना व लेन–देन वगैरह तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन, सचिव एवं चेयरमैन (अर्थ) तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। (xiv) तदर्थ प्रबन्ध समिति का कार्यकाल नियमों के तहत प्रथम प्रबन्ध समिति के गठन होने की तारीख तक होगा। प्रथम प्रबन्ध समिति का चुनाव जनोपयोगी भवन के निर्माण पूर्ण होने / उपयोग प्रारम्भ होने की तारीख से चार माह के अन्दर (जो भी पहले हो) होना अनिवार्य होगा। प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी / उप–निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव सलाहकार समिति की नियुक्ति माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा की जाएगी। (xv) तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा प्रथम प्रबन्ध समिति के गठन के लिए विधान की धारा 21 (क) (xiv) की अनुपालना नहीं किए जाने पर तदर्थ प्रबन्ध समिति का कार्यकाल जनोपयोगी भवन के निर्माण पूर्ण होने / उपयोग प्रारम्भ होने के चार माह के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसी विशेष परिस्थिति में श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा जनोपयोगी भवन की

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

महामंत्री श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(2) श्री माहेश्वरी समाज जयपुर के सदस्य ही दानदाता सदस्य बन सकेंगे।	प्रथम प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही संपादित की जाएगी। (xvi) तदर्थ प्रबन्ध समिति को चयनित प्रबन्ध समिति के कर्त्तव्य एवं अधिकार प्राप्त होंगे। (xvii) शिलालेख एवं उपयोग : (a) जनोपयोगी भवन में भूमि पूजनकर्त्ता/लोकार्पणकर्त्ता, यदि और कोई अन्य अतिथि, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री तथा तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन, सचिव, अर्थ समिति के चेयरमैन एवं भवन सचिव के ही नाम उल्लेखित होगें। शिलालेख का अधिकतम आकार 5×4 फीट होगा। (b) भवन विंग/भवन का भाग निर्माण हेतु दानदाता का नाम प्रंबध समिति द्वारा निर्णय लेकर लिखा जा सकेगा। शिलालेख का आकार अधिकतम 5×4 फीट का होगा। (c) 1 लाख रुपये या उससे अधिक की सहयोग राशि देने वाले दानदाताओं का नाम शिलालेख पर अन्य दानदाताओं की सूची हेतु प्रबन्ध समिति अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगी। दानदाताओं के श्रेणी उनयन के पश्चात् नवीन शिलालेख नहीं लगाया जायेगा। (d) भवनों का उपयोग : जनोपयोगी भवनों के निशुल्क उपयोग की अनुमति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एवं अन्तर्गत संस्थाओं को ही दी जा सकती है। (xviii) तदर्थ प्रबंध समिति के सचिव निर्माणाधीन जनोपयोगी भवन का लेखा–जोखा एवं आय– व्यय का विवरण संधारित करगें, जिसे वे छमाही रूप से महामंत्री समाज को प्रेषित करेगें।	प्रथम प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही संपादित की जाएगी। (xvi) तदर्थ प्रबन्ध समिति को चयनित प्रबन्ध समिति के कर्त्तव्य एवं अधिकार प्राप्त होंगे। (xvii) शिलालेख एवं उपयोग : (a) जनोपयोगी भवन में भूमि पूजनकर्त्ता/लोकार्पणकर्त्ता, यदि और कोई अन्य अतिथि, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री तथा तदर्थ प्रबन्ध समिति के चेयरमैन, सचिव, अर्थ समिति के चेयरमैन एवं भवन सचिव के ही नाम उल्लेखित होगें। शिलालेख का अधिकतम आकार 5×4 फीट होगा। (b) भवन विंग/भवन का भाग निर्माण हेतु दानदाता का नाम प्रंबध समिति द्वारा निर्णय लेकर लिखा जा सकेगा। शिलालेख का आकार अधिकतम 5×4 फीट का होगा। (c) 1 लाख रुपये या उससे अधिक की सहयोग राशि देने वाले दानदाताओं का नाम शिलालेख पर अन्य दानदाताओं की सूची हेतु प्रबन्ध समिति अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगी। दानदाताओं के श्रेणी उन्नयन के पश्चात् नवीन शिलालेख नहीं लगाया जायेगा। (d) भवनों का उपयोग : जनोपयोगी भवनों के निशुल्क उपयोग की अनुमति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एवं अन्तर्गत संस्थाओं को ही दी जा सकती है। (xviii) तदर्थ प्रबंध समिति के सचिव निर्माणाधीन जनोपयोगी भवन का लेखा–जोखा एवं आय– व्यय का विवरण संधारित करगें, जिसे वे छमाही रूप से महामंत्री समाज को प्रेषित करेगें।
(3)(अ) दानदाता सदस्यों की निम्न श्रेणियाँ होगी :– (i) आजीवन सदस्य - 11 लाख व उससे अधिक : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 लाख या उससे अधिक की राशि दान देंगे, वे आजीवन	(ख) दानदाता सदस्यों की श्रेणियाँ एवं नियम : (i) श्री माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में प्रत्येक जनोपयोगी भवन की भूमि एवं भवन निर्माण के लिए दान प्राप्त करने हेतु अग्रलिखित श्रेणियों में उल्लेखित राशि का दान प्राप्त होने पर दानदाता सदस्य बनाए जा सकेंगे (जनोपयोगी भवन 'उत्सव' का भवन–निर्माण पूर्ण हो	(ख) दानदाता सदस्यों की श्रेणियाँ एवं नियम : (i) श्री माहेश्वरी समाज के तत्वावधान में प्रत्येक जनोपयोगी भवन की भूमि एवं भवन निर्माण के लिए दान प्राप्त करने हेतु अग्रलिखित श्रेणियों में उल्लेखित राशि का दान प्राप्त होने पर दानदाता सदस्य बनाए जा सकेंगे (जनोपयोगी भवन 'उत्सव' का भवन–निर्माण पूर्ण हो

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान

सदस्य होंगे।

(ii) अतिविशिष्ट सदस्य - 5 लाख राशि से अधिक व 11 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 5 लाख की राशि से अधिक परन्तु 11 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे अतिविशिष्ट सदस्य होंगे।

(iii) विशिष्ट सदस्य - 3 लाख राशि से अधिक व 5 लाख तक : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 3 लाख की राशि से अधिक परन्तु 5 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे प्रमुख विशिष्ट सदस्य होंगे।

(iv) प्रमुख सदस्य - 1 लाख राशि से अधिक व 3 लाख तक : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 1 लाख की राशि से अधिक परन्तु 3 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे प्रमुख सदस्य कहलायेंगे।

(v) साधारण सदस्य - 11 हजार से अधिक व 1 लाख तक : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 हजार की राशि से अधिक परन्तु 1 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे साधारण सदस्य कहलायेंगे।

नोट — माहेश्वरी जनोपयोगी भवन 'उत्सव', विद्याधर नगर हेतु दानदाता सदस्यों की निम्न श्रेणियाँ होगी —

(3)(ब)(i) आजीवन दानदाता सदस्य : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 लाख या उससे अधिक की राशि दान देंगे, वे आजीवन दानदाता सदस्य होंगे।

परन्तु आजीवन दानदाता सदस्यों की

संशोधन

जाने के कारण उसके लिए नए दानदाता सदस्य नहीं बनाए जा सकेंगे परन्तु वर्तमान दानदाता श्रेणी में उन्नयन (Upgrade) कर सकेंगे। अग्रलिखित श्रेणियों में सदस्यता हेतु उल्लेखित राशि में समय–समय पर वृद्धि का अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को होगा।

(ii) माहेश्वरी बन्धु ही दानदाता सदस्य बन सकेंगे।

(iii) सदस्यता हेतु दानदाताओं द्वारा प्रदत्त समस्त राशि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के प्रत्येक जनोपयोगी भवन के अलग अलग बैंक खाते में जमा होगी। दान में प्राप्त राशि को तदर्थ प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध समिति को निर्माण कार्य पूर्ण करवाने हेतु आवश्यकतानुसार समाज द्वारा उपलब्ध करवाना होगा।

(iv) दानदाता सदस्यों की श्रेणी एवं विवरण :

(a) आजीवन सदस्य — 11 लाख की राशि या उससे अधिक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 लाख या उससे अधिक की राशि दान देंगे, वे आजीवन सदस्य कहलाएँगे।

(b) अतिविशिष्ट सदस्य — 5 लाख की राशि या उससे अधिक व 11 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एव निर्माण हेतु 5 लाख या उससे अधिक राशि परन्तु 11 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे अतिविशिष्ट सदस्य कहलाएँगे।

(c) विशिष्ट सदस्य — 3 लाख की राशि या उससे अधिक व 5 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 3 लाख या उससे अधिक परन्तु 5 लाख से कम की राशि दान देंगे, वे विशिष्ट सदस्य कहलाएँगे।

(d) प्रमुख सदस्य — 1 लाख की राशि या उससे अधिक व 3 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों

संशोधन के बाद नियम

जाने के कारण उसके लिए नए दानदाता सदस्य नहीं बनाए जा सकेंगे परन्तु वर्तमान दानदाता श्रेणी में उन्नयन (Upgrade) कर सकेंगे। अग्रलिखित श्रेणियों में सदस्यता हेतु उल्लेखित राशि में समय–समय पर वृद्धि का अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को होगा।

(ii) माहेश्वरी बन्धु ही दानदाता सदस्य बन सकेंगे।

(iii) सदस्यता हेतु दानदाताओं द्वारा प्रदत्त समस्त राशि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के प्रत्येक जनोपयोगी भवन के अलग अलग बैंक खाते में जमा होगी। दान में प्राप्त राशि को तदर्थ प्रबन्ध समिति/प्रबन्ध समिति को निर्माण कार्य पूर्ण करवाने हेतु आवश्यकतानुसार समाज द्वारा उपलब्ध करवाना होगा।

(iv) दानदाता सदस्यों की श्रेणी एवं विवरण :

(a) आजीवन सदस्य — 11 लाख की राशि या उससे अधिक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 लाख या उससे अधिक की राशि दान देंगे, वे आजीवन सदस्य कहलाएँगे।

(b) अतिविशिष्ट सदस्य — 5 लाख की राशि या उससे अधिक व 11 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एव निर्माण हेतु 5 लाख या उससे अधिक राशि परन्तु 11 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे अतिविशिष्ट सदस्य कहलाएँगे।

(c) विशिष्ट सदस्य — 3 लाख की राशि या उससे अधिक व 5 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 3 लाख या उससे अधिक परन्तु 5 लाख से कम की राशि दान देंगे, वे विशिष्ट सदस्य कहलाएँगे।

(d) प्रमुख सदस्य — 1 लाख की राशि या उससे अधिक व 3 लाख से कम : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
संख्या 21 (इक्कीस) तक ही होगी। समाज की कार्यकारिणी सभा में प्रस्ताव पार कर उक्त संख्या बढ़ाई जा सकेगी। (ii) विशिष्ट दानदाता सदस्य : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 5 लाख की राशि से अधिक परन्तु 11 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे विशिष्ट दानदाता सदस्य होंगे। (iii) प्रमुख दानदाता सदस्य : जो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 1 लाख की राशि से अधिक परन्तु 5 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे प्रमुख दानदाता सदस्य होंगे। (iv) दानदाता सदस्य : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 हजार की राशि से अधिक परन्तु 1 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे दानदाता सदस्य कहलायेंगे। (4) कोई फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट या संस्था दानदाता सदस्य हों तो वह सदस्यता फार्म में अपना एक प्रतिनिधि मनोनीत कर सकेगी जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा और उसे ही सदस्य के सब अधिकार प्राप्त होंगे। उक्त फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट या संस्था नियमानुसार लिखित सूचना देकर प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन कर सकती है। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य ही प्रतिनिधि बन सकता है। (5) दानदाता सदस्य द्वारा एक श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर लेने के बाद उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जा सकेगा। दानदाता सदस्य यदि अपनी सदस्यता की श्रेणी बदलना चाहे तो जिस श्रेणी में सदस्यता चाहता है उसमें निर्धारित राशि में से पूर्व दी गई राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि	की भूमि एवं निर्माण हेतु 1 लाख या उससे अधिक राशि परन्तु 3 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे प्रमुख सदस्य कहलाएँगे। (e) साधारण सदस्य – 11 हजार या उससे अधिक व 1 लाख से कम : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 हजार या उससे अधिक राशि परन्तु 1 लाख से कम राशि दान में देंगे, वे साधारण सदस्य कहलाएँगे। नोट :– माहेश्वरी जनोपयोगी भवन "उत्सव" विद्याधर नगर हेतु दानदाता सदस्यों की निम्न श्रेणियाँ होंगी। (a) आजीवन सदस्य – 11 लाख की राशि या उससे अधिक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 लाख या उससे अधिक की राशि दान देंगे, वे आजीवन सदस्य कहलाएँगे। (b) विशिष्ट सदस्य – 5 लाख की राशि या उससे अधिक व 11 लाख तक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 5 लाख या उससे अधिक राशि परन्तु 11 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे विशिष्ट सदस्य कहलाएँगे। (c) प्रमुख सदस्य – 1 लाख की राशि या उससे अधिक व 5 लाख तक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 1 लाख राशि से अधिक परन्तु 5 लाख से कम की राशि दान देंगे, वे प्रमुख सदस्य कहलाएँगे। (d) साधारण सदस्य – 11 हजार या उससे अधिक व 1 लाख तक : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 हजार या उससे अधिक राशि परन्तु 1 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे साधारण सदस्य कहलाएँगे। (v) दानदाता सदस्यों से संबंधित नियम : (a) आजीवन सदस्य अपने सदस्य बनने की तिथि	की भूमि एवं निर्माण हेतु 1 लाख या उससे अधिक राशि परन्तु 3 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे प्रमुख सदस्य कहलाएँगे। (e) साधारण सदस्य – 11 हजार या उससे अधिक व 1 लाख से कम : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 हजार या उससे अधिक राशि परन्तु 1 लाख से कम राशि दान में देंगे, वे साधारण सदस्य कहलाएँगे। नोट :– माहेश्वरी जनोपयोगी भवन "उत्सव" विद्याधर नगर हेतु दानदाता सदस्यों की निम्न श्रेणियाँ होंगी। (a) आजीवन सदस्य – 11 लाख की राशि या उससे अधिक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 लाख या उससे अधिक की राशि दान देंगे, वे आजीवन सदस्य कहलाएँगे। (b) विशिष्ट सदस्य – 5 लाख की राशि या उससे अधिक व 11 लाख तक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 5 लाख या उससे अधिक राशि परन्तु 11 लाख से कम की राशि दान में देंगे, वे विशिष्ट सदस्य कहलाएँगे। (c) प्रमुख सदस्य – 1 लाख की राशि या उससे अधिक व 5 लाख तक : जो व्यक्ति, फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था, जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 1 लाख राशि से अधिक परन्तु 5 लाख से कम की राशि दान देंगे, वे प्रमुख सदस्य कहलाएँगे। (d) साधारण सदस्य – 11 हजार या उससे अधिक व 1 लाख तक : जो व्यक्ति जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु 11 हजार या उससे अधिक राशि परन्तु 1 लाख तक की राशि दान में देंगे, वे साधारण सदस्य कहलाएँगे। (v) दानदाता सदस्यों से संबंधित नियम : (a) आजीवन सदस्य अपने सदस्य बनने की तिथि

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
दान में देकर उस श्रेणी की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। (6) आजीवन सदस्यों के अलावा अन्य श्रेणियों के प्रत्येक सदस्य को अपनी श्रेणी के सदस्यों में से नियमानुसार प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव का मताधिकार होगा। (7) जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट एवं संस्था से दान प्राप्त किया जा सकेगा, जिन्हें केवल दानदाता ही कहा जायेगा। ऐसे दानदाता उपरोक्त वर्णित किसी भी श्रेणी के सदस्य नहीं होंगे व न ही उन्हें मताधिकार प्राप्त होगा। (8) दानदाता सदस्यों एवं दानदाताओं के सम्मान प्रदर्शन हेतु भवनों में दानपट्ट/शिलालेख आदि नियमानुसार लगाये जा सकेंगे। (9) जनोपयोगी भवन जिनका निर्माण प्रारम्भिक रूपरेखा के अनुसार पूर्ण हो गया हो व उपयोग होना जारी है, उनमें किसी भी श्रेणी में नये सदस्य बनाने के पूर्व समाज कार्यकारिणी की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी। (10) प्रत्येक 6 माह (मार्च एवं सितम्बर) के पश्चात् सरप्लस राशि (गत वर्ष के खर्च के अनुपात में 3 माह के खर्च की जितनी राशि रखकर) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को स्थानान्तित करना होगा जिसको श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में Developement Fund में रखा जायेगा। अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	से अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का स्थाई सदस्य होगा और उसके बाद नामित उत्तराधिकारी अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का स्थाई सदस्य होगा। इस नामित उत्तराधिकारी को नवीनीकरण सदस्यता फार्म भरकर जमा कराना होगा। नामित उत्तराधिकारी भी अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकेगा, जो अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का आजीवन सदस्य रहेगा। इस नामित उत्तराधिकारी को नवीनीकरण फार्म भरकर रूपये 21000/- की सहयोग राशि जमा करानी होगी। आजीवन सदस्य अपने जीवनकाल में भी अपने स्थान पर उत्तराधिकारी नामित कर सकेगा। नामित उत्तराधिकारी को भी श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य होगा। (b) दानदाता सदस्य स्वयं की सदस्यता हेतु स्वयं दान की राशि दे सकता है या किसी अन्य माहेश्वरी बन्धु से भी स्वयं की सदस्यता हेतु राशि दिलवा सकता है। ऐसे दानदाता सदस्य की सदस्यता हेतु राशि प्रदान करने वाले माहेश्वरी बन्धु को किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा प्रदान की गई राशि की एवज में भविष्य में अपनी अथवा किसी अन्य की सदस्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत नहीं करने के वास्ते निर्धारित प्रारूप में Undertaking देनी होगी। इसी प्रकार सदस्यता लेने वाले दानदाता सदस्य को जनोपयोगी भवन के निर्धारित प्रारूप में Undertaking देना अनिवार्य होगा। (c) जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों के अलावा किसी भी माहेश्वरी बन्धु से अथवा उसकी फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट एवं संस्था से दान प्राप्त किया जा सकेगा, ऐसे दानदाता उपरोक्त वर्णित किसी भी श्रेणी के दानदाता सदस्य बन सकते हैं। उन्हें स्वयं को ही मत देने का अधिकार होगा	से अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का स्थाई सदस्य होगा और उसके बाद नामित उत्तराधिकारी अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का स्थाई सदस्य होगा। इस नामित उत्तराधिकारी को नवीनीकरण सदस्यता फार्म भरकर जमा कराना होगा। नामित उत्तराधिकारी भी अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकेगा, जो अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का आजीवन सदस्य रहेगा। इस नामित उत्तराधिकारी को नवीनीकरण फार्म भरकर रूपये 21000/- की सहयोग राशि जमा करानी होगी। आजीवन सदस्य अपने जीवनकाल में भी अपने स्थान पर उत्तराधिकारी नामित कर सकेगा। नामित उत्तराधिकारी को भी श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य होगा। (b) दानदाता सदस्य स्वयं की सदस्यता हेतु स्वयं दान की राशि दे सकता है या किसी अन्य माहेश्वरी बन्धु से भी स्वयं की सदस्यता हेतु राशि दिलवा सकता है। ऐसे दानदाता सदस्य की सदस्यता हेतु राशि प्रदान करने वाले माहेश्वरी बन्धु को किसी भी परिस्थिति में उनके द्वारा प्रदान की गई राशि की एवज में भविष्य में अपनी अथवा किसी अन्य की सदस्यता हेतु दावेदारी प्रस्तुत नहीं करने के वास्ते निर्धारित प्रारूप में Undertaking देनी होगी। इसी प्रकार सदस्यता लेने वाले दानदाता सदस्य को जनोपयोगी भवन के निर्धारित प्रारूप में Undertaking देना अनिवार्य होगा। (c) जनोपयोगी भवनों की भूमि एवं निर्माण हेतु श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों के अलावा किसी माहेश्वरी बन्धु से भी अथवा उसकी फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट एवं संस्था से दान प्राप्त किया जा सकेगा, ऐसे दानदाता उपरोक्त वर्णित किसी भी श्रेणी के दानदाता सदस्य बन सकते हैं। उन्हें स्वयं को ही मत देने का अधिकार होगा

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	अर्थात Proxy मत मान्य नहीं होगा। (d) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य, जिन्होंने अपनी फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था को दानदाता सदस्य बनाया है, उन्हें सदस्यता फार्म में फर्म के भागीदारों, ट्रस्ट के ट्रस्टियों, कम्पनी के निदेशक या संस्था के पदाधिकारियों की जानकारी देते हुए उनमें से किसी एक को अपना प्रतिनिधि मय फोटो (प्रतिनिधि का श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य होगा) मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा मनोनीत प्रतिनिधि अपनी ही दानदाता श्रेणी से प्रबन्ध समिति के चुनाव में सदस्य हेतु उम्मीदवार बन सकेगा, अपनी दानदाता श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकेगा व उसी श्रेणी में मतदान भी कर सकेगा। (e) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य (जिन्होने अपनी फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट या संस्था को दानदाता सदस्य बनाया है) चुनाव की तारीख से 50 दिन पूर्व तक मतदान हेतु अपना प्रतिनिधि (श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों में से) मनोनीत कर सकते हैं। (अभिनन्दन की प्रथम प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु मनोनीत प्रतिनिधि की नियुक्ति करने की सीमा 20 दिन पूर्व रहेगी) ऐसा मनोनीत प्रतिनिधि प्रबन्ध समिति के चुनाव में सदस्य या पदाधिकारी हेतु उम्मीदवार, प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकेगा। वह जिस श्रेणी के दानदाता का मनोनीत प्रतिनिधि है, उसी श्रेणी में मतदान कर सकेगा। ऐसे मनोनीत प्रतिनिधि को केवल मतदान का अधिकार होगा। (f) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य का मनोनीत प्रतिनिधि अन्य दानदाता सदस्य का मनोनीत प्रतिनिधि नहीं बन सकेगा एवं किसी भी श्रेणी का दानदाता	अर्थात Proxy मत मान्य नहीं होगा। (d) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य, जिन्होंने अपनी फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट व संस्था को दानदाता सदस्य बनाया है, उन्हें सदस्यता फार्म में फर्म के भागीदारों, ट्रस्ट के ट्रस्टियों, कम्पनी के निदेशक या संस्था के पदाधिकारियों की जानकारी देते हुए उनमें से किसी एक को अपना प्रतिनिधि मय फोटो (प्रतिनिधि का श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य होगा) मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा मनोनीत प्रतिनिधि अपनी ही दानदाता श्रेणी से प्रबन्ध समिति के चुनाव में सदस्य हेतु उम्मीदवार बन सकेगा, अपनी दानदाता श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकेगा व उसी श्रेणी में मतदान भी कर सकेगा। (e) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य (जिन्होने अपनी फर्म, HUF, कम्पनी, ट्रस्ट या संस्था को दानदाता सदस्य बनाया है) चुनाव की तारीख से 50 दिन पूर्व तक मतदान हेतु अपना प्रतिनिधि (श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों में से) मनोनीत कर सकते हैं। (अभिनन्दन की प्रथम प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु मनोनीत प्रतिनिधि की नियुक्ति करने की सीमा 20 दिन पूर्व रहेगी) ऐसा मनोनीत प्रतिनिधि प्रबन्ध समिति के चुनाव में सदस्य या पदाधिकारी हेतु उम्मीदवार, प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकेगा। वह जिस श्रेणी के दानदाता का मनोनीत प्रतिनिधि है, उसी श्रेणी में मतदान कर सकेगा। ऐसे मनोनीत प्रतिनिधि को केवल मतदान का अधिकार होगा। (f). जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य का मनोनीत प्रतिनिधि अन्य दानदाता सदस्य का मनोनीत प्रतिनिधि नहीं बन सकेगा एवं किसी भी श्रेणी का दानदाता

जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	सदस्य, जो स्वयं मतदाता है, किसी अन्य दानदाता सदस्य का मनोनीत प्रतिनिधि नहीं बन सकेगा। (g) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य चुनाव की घोषित तारीख से 50 दिन पूर्व तक मनोनीत प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन इत्यादि की कोई सूचना नहीं देते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व में दिए गए मनोनीत प्रतिनिधि का नाम प्रबन्ध समिति के आगामी सत्र के लिए मान्य होगा। (h) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य अपने मनोनीत प्रतिनिधि के नाम मे प्रबन्ध समिति के सत्र के मध्य में केवल निम्न परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं : (अ) स्वर्गवास होने पर (ब) शारीरिक अक्षमता होने पर (स) न्यायालय द्वारा कारावास की सजा होने पर (द) त्याग पत्र देने पर (i) साधारण सदस्य स्वयं ही मतदान कर सकेगा। (j) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु समस्त दानदाताओं को निम्न प्रकार से मत देने का अधिकार होगा (अ) अतिविशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (ब) विशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (स) प्रमुख सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (द) साधारण सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को नोट : उत्सव हेतु प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु समस्त दानदाताओं को निम्न प्रकार मत देने का अधिकार होगा। (अ) विशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के	सदस्य, जो स्वयं मतदाता है, किसी अन्य दानदाता सदस्य का मनोनीत प्रतिनिधि नहीं बन सकेगा। (g) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य चुनाव की घोषित तारीख से 50 दिन पूर्व तक मनोनीत प्रतिनिधि के नाम में परिवर्तन इत्यादि की कोई सूचना नहीं देते हैं, तो उनके द्वारा पूर्व में दिए गए मनोनीत प्रतिनिधि का नाम प्रबन्ध समिति के आगामी सत्र के लिए मान्य होगा। (h) जनोपयोगी भवन के आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट एवं प्रमुख सदस्य अपने मनोनीत प्रतिनिधि के नाम मे प्रबन्ध समिति के सत्र के मध्य में केवल निम्न परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं : (अ) स्वर्गवास होने पर (ब) शारीरिक अक्षमता होने पर (स) न्यायालय द्वारा कारावास की सजा होने पर (द) त्याग पत्र देने पर (i) साधारण सदस्य स्वयं ही मतदान कर सकेगा। (j) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु समस्त दानदाताओं को निम्न प्रकार से मत देने का अधिकार होगा (अ) अतिविशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (ब) विशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (स) प्रमुख सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (द) साधारण सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को नोट : उत्सव हेतु प्रबन्ध समिति के निर्वाचन हेतु समस्त दानदाताओं को निम्न प्रकार मत देने का अधिकार होगा। (अ) विशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(ग) प्रबन्ध समिति : (क) जनोपयोगी भवनों के निर्माण, संचालन व रखरखाव आदि के लिए एक अलग प्रबन्ध समिति गठित होगी। 21 (21 से ज्यादा आजीवन सदस्य होने पर उनमें से चुनाव द्वारा 21 आजीवन सदस्य ही प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे।) आजीवन सदस्य प्रबन्ध समिति के स्थायी सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात् अन्य जनोपयोगी भवनों के चेयरमैन व सचिव भी प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे लेकिन कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे एवं उसके चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे तथा अन्य विषयों पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त होगें। स्थायी सदस्यों के अलावा प्रबन्ध समिति में 34 सदस्य निम्न प्रकार से लिए जायेंगे– (i) इस प्रबन्ध समिति के चेयरमैन का निर्वाचन प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध समिति में से दानदाता श्रेणी के सदस्यों में से किया जायेगा। (ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री पदेन सदस्य होंगे और प्रबन्ध समिति में अपने पदनाम से सदस्य रहेंगे जिन्हें समिति के सदस्यों के समान सभी अधिकार प्राप्त होगें लेकिन पदाधिकारी पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (iii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा श्री माहेश्वरी समाज की कार्यकारिणी के सदस्यों में से छः सदस्यों को प्रबन्ध समिति में मनोनीत (nominate) किया जायेगा।	सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (ब) प्रमुख सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (स) साधारण सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों का (ग) प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन एवं गठन की प्रक्रिया : जनोपयोगी भवन की कार्यरत प्रबन्ध समिति को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की विधान की धारा 18 (ग) के अनुसार नई प्रबंध समिति के गठन के लिए उचित कार्यवाही करना आवश्यक होगा। प्रबन्ध समिति के चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार शुरू नहीं होने पर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को नई प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही धारा 18 (ग) के अनुसार करने का अधिकार होगा। (i) प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन (a) (अ) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख से 120 दिन में करवाना अनिवार्य होगा। (ब) तदर्थ समिति द्वारा अभिनन्दन की प्रथम प्रबन्ध समिति के चुनाव की घोषणा चुनाव की तारीख से 25 दिन पूर्व होगी उसी के अनुसार अन्य चुनावी प्रक्रिया तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं चुनाव हेतु संभावित मतदाता सूची एवं अन्तिम मतदाता सूची मय फोटो अनिवार्य नहीं होगी। (b) प्रबन्ध समिति यदि नए आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख व साधारण सदस्य बनाए जाने अथवा उनकी श्रेणी में उन्नयन (upgrade) करना चाहती है, तो तद्नुसार अनुशंषा करते हुए श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख से 45 दिन पूर्व श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। (c) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख	सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (ब) प्रमुख सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों को (स) साधारण सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से अधिकतम 7 सदस्यों का (ग) प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन एवं गठन की प्रक्रिया : जनोपयोगी भवन की कार्यरत प्रबन्ध समिति को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की विधान की धारा 21 (ग) के अनुसार नई प्रबंध समिति के गठन के लिए उचित कार्यवाही करना आवश्यक होगा। प्रबन्ध समिति के चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार शुरू नहीं होने पर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को नई प्रबन्ध समिति के गठन की कार्यवाही धारा 21 (ग) के अनुसार करने का अधिकार होगा। (i) प्रबन्ध समिति के सदस्यों का निर्वाचन (a) (अ) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख से 120 दिन में करवाना अनिवार्य होगा। (ब) तदर्थ समिति द्वारा अभिनन्दन की प्रथम प्रबन्ध समिति के चुनाव की घोषणा चुनाव की तारीख से 25 दिन पूर्व होगी उसी के अनुसार अन्य चुनावी प्रक्रिया तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं चुनाव हेतु संभावित मतदाता सूची एवं अन्तिम मतदाता सूची मय फोटो अनिवार्य नहीं होगी। (b) प्रबन्ध समिति यदि नए आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख व साधारण सदस्य बनाए जाने अथवा उनकी श्रेणी में उन्नयन (upgrade) करना चाहती है, तो तद्नुसार अनुशंषा करते हुए श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी के चुनाव की तारीख से 45 दिन में ही श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी से अनुमति लेना आवश्यक होगा। (c) प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष | महामंत्री | कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(iv) श्री माहेश्वरी महिला परिषद् जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपनी कार्यकारिणी में से एक सदस्य को प्रबन्ध समिति में मनोनीत (nominate) किया जायेगा। (v) श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपनी कार्यकारिणी में से एक सदस्य को प्रबन्ध समिति में मनोनीत (nominate) किया जायेगा। (vi) शेष 24 सदस्यों का निर्वाचन मतदान द्वारा निम्न प्रकार से होगा - (अ) अतिविशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा। (ब) विशिष्ट सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा। (स) प्रमुख सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा। (द) साधारण सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 6 सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा। नोट – माहेश्वरी जनोपयोगी भवन 'उत्सव', विद्याधर नगर हेतु प्रबन्ध समिति निम्न प्रकार गठित होगी – (ख) माहेश्वरी जनोपयोगी भवन 'उत्सव', विद्याधर नगर के निर्माण, संचालन व रखरखाव आदि के लिए एक अलग प्रबन्ध समिति गठित होगी। सभी आजीवन दानदाता सदस्य प्रबन्ध समिति के स्थायी सदस्य होंगे। स्थायी सदस्यों के अलावा प्रबन्ध समिति में 31 सदस्य निम्न प्रकार से लिए जायेंगे– (i) इस प्रबन्ध समिति के चेयरमैन का निर्वाचन प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा प्रबन्ध समिति में से दानदाता श्रेणी के सदस्यों में से किया जायेगा।	की घोषणा मतदान की तारीख से 70 दिन पूर्व करना अनिवार्य होगा। चुनाव प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित किए गए किसी भी ऐसे उपयुक्त दिवस पर होंगे, जिस दिन अधिक से अधिक दानदाता सदस्य मतदान कर सकें। प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा से तीन दिन के अन्दर पत्र के माध्यम से सभी श्रेणी के दानदाताओं को चुनाव की तारीख की जानकारी, नए सदस्य बनाए जाने एवं उन्नयन (upgrade) किए जाने की सूचना श्री माहेश्वरी समाज कार्यकारिणी की पूर्वानुमति के पश्चात् (धारा 18 (ग) (i) (b) के अनुसार) देना आवश्यक होगा। इन सभी दानदाता सदस्यों को नियम की धारा 18 (ख) (iv) (a) से (j) की लिखित जानकारी भी इसी पत्र के माध्यम से भेजी जाएगी। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव की तारीख से 50 दिन पूर्व तक, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी की पूर्वानुमति (धारा 18 (ग) (i) (b) के अनुसार) के पश्चात् नए आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख व साधारण सदस्य बनाए जा सकेंगे अथवा उनकी श्रेणी में उन्नयन (upgrade) किया जा सकेगा। नए दानदाता सदस्य, वर्तमान दानदाता सदस्यों के उन्नयन (upgrade) हेतु सदस्यता फार्म मय आवश्यक राशि (नकद / चैक / ड्राफ्ट / Electronic Banking) चुनाव की तारीख से 50 दिन पूर्व सांय 5:00 बजे तक स्वीकार किए जा सकेंगे। (d) प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख सदस्य या उनके मनोनीत प्रतिनिधि एवं साधारण सदस्यों की संभावित मतदाता सूची (फोटो सहित) का प्रारूप चुनाव तारीख से 40 दिन पूर्व जनोपयोगी भवन के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। संभावित	की घोषणा मतदान की तारीख से 70 दिन पूर्व करना अनिवार्य होगा। चुनाव प्रबन्ध समिति द्वारा निश्चित किए गए किसी भी ऐसे उपयुक्त दिवस पर होंगे, जिस दिन अधिक से अधिक दानदाता सदस्य मतदान कर सकें। प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा से तीन दिन के अन्दर पत्र के माध्यम से सभी श्रेणी के दानदाताओं को चुनाव की तारीख की जानकारी, नए सदस्य बनाए जाने एवं उन्नयन (upgrade) किए जाने की सूचना श्री माहेश्वरी समाज कार्यकारिणी की पूर्वानुमति के पश्चात् (धारा 21 (ग) (i) (b) के अनुसार) देना आवश्यक होगा। इन सभी दानदाता सदस्यों को नियम की धारा 21 (ख) (iv) (a) से (j) की लिखित जानकारी भी इसी पत्र के माध्यम से भेजी जाएगी। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही चुनाव की तारीख से 50 दिन पूर्व तक, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी की पूर्वानुमति (धारा 21 (ग) (i) (b) के अनुसार) के पश्चात्, नए आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख व साधारण सदस्य बनाए जा सकेंगे अथवा उनकी श्रेणी में उन्नयन (upgrade) किया जा सकेगा। नए दानदाता सदस्य, वर्तमान दानदाता सदस्यों के उन्नयन (upgrade) हेतु सदस्यता फार्म मय आवश्यक राशि (नकद / चैक / ड्राफ्ट / Electronic Banking) चुनाव की तारीख से 50 दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक स्वीकार किए जा सकेंगे। (d) प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् आजीवन, अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख सदस्य या उनके मनोनीत प्रतिनिधि एवं साधारण सदस्यों की संभावित मतदाता सूची (फोटो सहित) का प्रारूप चुनाव तारीख से 40 दिन पूर्व जनोपयोगी भवन के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। संभावित

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री पदेन सदस्य होंगे और प्रबन्ध समिति में अपने पदनाम से सदस्य रहेंगे जिन्हें समिति के सदस्यों के समान सभी अधिकार प्राप्त होगें लेकिन पदाधिकारी पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (iii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा श्री माहेश्वरी समाज की कार्यकारिणी के सदस्यों में से छः सदस्यों को प्रबन्ध समिति में मनोनीत (nominate) किया जायेगा। (iv) श्री माहेश्वरी महिला परिषद् जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपनी कार्यकारिणी में से एक सदस्य को प्रबन्ध समिति में मनोनीत (nominate) किया जायेगा। (v) श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपनी कार्यकारिणी में से एक सदस्य को प्रबन्ध समिति में मनोनीत (nominate) किया जायेगा। (vi) शेष 21 सदस्यों का चयन मतदान द्वारा निम्न प्रकार से होगा : (अ) विशिष्ट दानदाता सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 7 सदस्यों का चयन किया जायेगा। (ब) प्रमुख दानदाता सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 7 सदस्यों का चयन किया जायेगा। (स) दानदाता सदस्यों के द्वारा अपनी श्रेणी के सदस्यों में से 7 सदस्यों का चयन किया जायेगा। (ग) (i) आजीवन सदस्य अपने सदस्य बनने की तिथि से अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का स्थाई सदस्य होगा और उसके बाद नामित	मतदाताओं की सूची के संबंध में अगर कोई आपत्ति हो, तो दानदाता सदस्य अगले 5 दिन में लिखित में जनोपयोगी भवन के कार्यालय में सूचित कर सकता है। इस संभावित मतदाता सूची में उन्ही दानदाताओं के नाम सम्मलित होंगे जिनकी सदस्यता राशि कार्यालय अथवा बैंक खाते में जमा हो चुकी होगी। (e) चुनाव की तारीख से 30 दिन पूर्व प्रबन्ध समिति की सभा निम्न विषयों पर निर्णय लेने हेतु आयोजित की जाएगी : (अ) दानदाताओं की अधिकृत अंतिम सूची (फोटो सहित) को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात् अधिकृत सूची श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष व महामंत्री को प्रेषित की जाएगी तथा जनोपयोगी भवन के कार्यालय से जनोपयोगी भवन के दानदाता सदस्यों को निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। (ब) प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन एवं गठन हेतु एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्य निष्पादित करने व उनके सहयोग हेतु एक उप–निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप–निर्वाचन अधिकारी श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के ही सदस्य होंगे। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य उपलब्ध न होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप–निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सलाह से की जाएगी। नियुक्ति पत्र के साथ ही उन्हें मतदाताओं की अधिकृत सूची (फोटो सहित) एवं प्रबंध समिति के निर्वाचन एवं गठन	मतदाताओं की सूची के संबंध में अगर कोई आपत्ति हो, तो दानदाता सदस्य अगले 5 दिन में लिखित में जनोपयोगी भवन के कार्यालय में सूचित कर सकता है। इस संभावित मतदाता सूची में उन्ही दानदाताओं के नाम सम्मलित होंगे जिनकी सदस्यता राशि कार्यालय अथवा बैंक खाते में जमा हो चुकी होगी। (e) चुनाव की तारीख से 30 दिन पूर्व प्रबन्ध समिति की सभा निम्न विषयों पर निर्णय लेने हेतु आयोजित की जाएगी : (अ) दानदाताओं की अधिकृत अंतिम सूची (फोटो सहित) को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात् अधिकृत सूची श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष व महामंत्री को प्रेषित की जाएगी तथा जनोपयोगी भवन के कार्यालय से जनोपयोगी भवन के दानदाता सदस्यों को निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। (ब) प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन एवं गठन हेतु एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में कार्य निष्पादित करने व उनके सहयोग हेतु एक उप–निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप–निर्वाचन अधिकारी श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के ही सदस्य होंगे। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य उपलब्ध न होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप–निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सलाह से की जाएगी। नियुक्ति पत्र के साथ ही उन्हें मतदाताओं की अधिकृत सूची (फोटो सहित) एवं प्रबन्ध समिति के निर्वाचन एवं गठन

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
उत्तराधिकारी अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का स्थाई सदस्य होगा। इस नामित उत्तराधिकारी को नवीनीकरण सदस्यता फार्म भरकर जमा कराना होगा। नामित उत्तराधिकारी भी अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकेगा जो अपने जीवनकाल तक प्रबन्ध समिति का आजीवन सदस्य रहेगा। इस नामित उत्तराधिकारी को नवीनीकरण फार्म भरकर रूपये 21000/– की सहयोग राशि जमा करानी होगी। आजीवन सदस्य अपने जीवनकाल में भी अपने स्थान पर अपना उत्तराधिकारी नामित कर सकेगा। नामित उत्तराधिकारी का श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य होना अनिवार्य होगा। (ii) दानदाता सदस्य दान की राशि स्वयं के अलावा अन्य माहेश्वरी बंधुओं से भी दिलवा सकता है। (iii) प्रायोजित कार्यक्रमों हेतु प्रबन्ध समिति अपनी सभा में निर्णय लेकर दान प्राप्त कर सकती हैं। अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	की प्रक्रिया संबंधी नियमों की प्रति भी उपलब्ध करवाई जाएगी। (स) तीन सदस्यों की चुनाव सलाहकार समिति (जिसके सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों में से होंगे) का गठन किया जाएगा। मुख्य/ उप–निर्वाचन अधिकारी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर चुनाव सलाहकार समिति के सदस्यों से विचार–विमर्श करने के पश्चात् अपना निर्णय देगा। चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर मुख्य/उप–निर्वाचन अधिकारी का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। (द) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निर्वाचन अधिकारी बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन संबंधित समस्त कार्य निष्पादित कर सकेगा। (य) मुख्य एवं उपनिर्वाचन अधिकारी व चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (र) अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख सदस्य या उनके मनोनीत प्रतिनिधि (धारा 18 (ख) (iv) (d) एवं (e) में वर्णित अनुसार) एवं साधारण सदस्य अपनी ही श्रेणी से प्रबन्ध समिति के सदस्य के उम्मीदवार बनने हेतु चुनाव की तारीख से 10 दिन पूर्व तक प्रस्तावक, अनुमोदक व स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना नामांकन पत्र व नामांकन शुल्क रूपये 2000 (अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) की मूल रसीद नामांकन पत्र के साथ सलंग्न कर चुनाव कार्यालय में जमा कराना होगा। उसका प्रस्तावक व अनुमोदक भी उसी दानदाता श्रेणी से होना आवश्यक होगा। एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से ज़्यादा नामांकन भरने पर जमा राशि की मूल रसीद को किसी एक नामांकन पत्र के साथ	की प्रक्रिया संबंधी नियमों की प्रति भी उपलब्ध करवाई जाएगी। (स) तीन सदस्यों की चुनाव सलाहकार समिति (जिसके सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों में से होंगे) का गठन किया जाएगा। मुख्य/ उप–निर्वाचन अधिकारी चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर चुनाव सलाहकार समिति के सदस्यों से विचार–विमर्श करने के पश्चात् अपना निर्णय देगा। चुनाव से संबंधित सभी विषयों पर मुख्य/उप–निर्वाचन अधिकारी का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। (द) मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अनुपस्थिति में उप निर्वाचन अधिकारी बतौर मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन संबंधित समस्त कार्य निष्पादित कर सकेगा। (य) मुख्य एवं उपनिर्वाचन अधिकारी व चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (र) अतिविशिष्ट, विशिष्ट, प्रमुख सदस्य या उनके मनोनीत प्रतिनिधि (धारा 21 (ख) (iv) (d) एवं (e) में वर्णित अनुसार) एवं साधारण सदस्य अपनी ही श्रेणी से प्रबन्ध समिति के सदस्य के उम्मीदवार बनने हेतु चुनाव की तारीख से 10 दिन पूर्व तक प्रस्तावक, अनुमोदक व स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना नामांकन पत्र व नामांकन शुल्क रूपये 2000 (अक्षरे रूपये दो हजार मात्र) की मूल रसीद नामांकन पत्र के साथ सलंग्न कर चुनाव कार्यालय में जमा कराना होगा। उसका प्रस्तावक व अनुमोदक भी उसी दानदाता श्रेणी से होना आवश्यक होगा। एक ही उम्मीदवार द्वारा एक से ज्यादा नामांकन भरने पर जमा राशि की मूल रसीद को किसी एक नामांकन पत्र के साथ संलग्न अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्य नामांकन पत्रों के साथ रसीद की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि लगाना और पहले वाले नामांकन पत्र की क्रम संख्या उल्लेखित करना ही पर्याप्त होगा। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की किसी भी संस्था में कार्यरत वेतनभोगी माहेश्वरी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, न ही चुनाव की किसी भी गतिविधि में भाग ले सकते हैं। यदि वह किसी भी श्रेणी में दानदाता सदस्य हैं, तो केवल उसी श्रेणी में मतदान कर सकता है। (f) निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव की तारीख से 9 दिन पूर्व सूचित समय के पश्चात् नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। (अ) नामांकन पत्रों की जाँच के समय स्वयं उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। (ब) चुनाव हेतु नामांकन पत्रों में नाम/खाँप/पिता का नाम/पता/सदस्यता संख्या/हस्ताक्षर एवं अन्य प्रविष्टियाँ समाज के रिकार्ड के अनुसार सही नही पाई जाने पर मुख्य चुनाव अधिकारी संबंधित सदस्य की सूचना हेतु उसके नामांकन पत्रों में कमी/खामियों का उल्लेख करते हुए जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर उसी दिन उपलब्ध करवा देंगे, जिसे उम्मीदवार को अगले दिन दोपहर 02.00 बजे तक सही करना होगा। (स) नामांकन पत्रों की जाँच समाप्त होने से दो घण्टे के अन्दर जाँच से संबंधित आपत्ति चुनाव कार्यालय में लिखित में देनी होगी। (द) प्राप्त आपत्तियों पर विचार एवं निर्णय करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी स्वीकृत व अस्वीकृत नामांकन पत्रों की सूचि चुनाव	करना अनिवार्य होगा, अन्य नामांकन पत्रों के साथ रसीद की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि लगाना और पहले वाले नामांकन पत्र की क्रम संख्या उल्लेखित करना ही पर्याप्त होगा। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की किसी भी संस्था में कार्यरत वेतनभोगी माहेश्वरी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, न ही चुनाव प्रचार की किसी भी गतिविधि में भाग ले सकते हैं। यदि वह किसी भी श्रेणी में दानदाता सदस्य हैं, तो केवल उसी श्रेणी में मतदान कर सकता है। (f) निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव की तारीख से 9 दिन पूर्व सूचित समय के पश्चात् नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। (अ) नामांकन पत्रों की जाँच के समय स्वयं उम्मीदवार या उसके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। (ब) चुनाव हेतु नामांकन पत्रों में नाम/खाँप/पिता का नाम/पता/सदस्यता संख्या/हस्ताक्षर एवं अन्य प्रविष्टियाँ समाज के रिकार्ड के अनुसार सही नहीं पाई जाने पर मुख्य चुनाव अधिकारी संबंधित सदस्य की सूचना हेतु उसके नामांकन पत्रों में कमी/खामियों का उल्लेख करते हुए जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर उसी दिन उपलब्ध करवा देंगे, जिसे उम्मीदवार को अगले दिन दोपहर 02.00 बजे तक सही करना होगा। (स) नामांकन पत्रों की जाँच समाप्त होने से दो घण्टे के अन्दर जाँच से संबंधित आपत्ति चुनाव कार्यालय में लिखित में देनी होगी। (द) प्राप्त आपत्तियों पर विचार एवं निर्णय करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी स्वीकृत व अस्वीकृत नामांकन पत्रों की सूचि चुनाव

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(घ) प्रबन्ध समिति के निम्न पदाधिकारी होंगे – चेयरमैन 1 वाइस चेयरमैन 2 सचिव 1 सह सचिव 1 भवन मंत्री 1 अर्थ मंत्री 1	की तारीख से 8 दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर लगा देगा। (य) उम्मीदवार चुनाव की तारीख से 7 दिन पूर्व सांय 3.00 बजे तक अपना नाम वापिस ले सकेंगे। (र) उम्मीदवारों की अन्तिम सूची चुनाव की तारीख से 7 दिन पूर्व सांय 5.00 बजे के पश्चात् जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। (ल) मतदाता को मूल परिचय पत्र (मय फोटो) (भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पैन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / पासपोर्ट) दिखाने पर ही मतपत्र (मय फोटो) दिया जाएगा। (व) जनोपयोगी भवन के समस्त आजीवन सदस्यों एवं नवनिर्वाचित सदस्यों, जो कि प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे इनकी सूची चुनाव की तारीख के अगले दिन जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। (श) चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रबन्ध समिति के सदस्य के प्रत्याशी की मृत्यु होने पर केवल उसकी दानदाता श्रेणी के सदस्यों के चुनाव ही स्थगित होंगे तथा अन्य श्रेणी के चुनाव यथावत सम्पन्न होंगे। स्थगित चुनाव, चुनाव की तारीख से 7 दिन के अन्दर पदाधिकारियों के चुनाव से पूर्व सम्पन्न करवाने आवश्यक होंगे। (ii) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन एवं गठन : (a) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी में से 6 सदस्य तथा निम्न अन्तर्गत संस्थाओं के द्वारा सहवरित किये हुए सदस्य प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे। (अ) श्री माहेश्वरी महिला परिषद्, जयपुर की	की तारीख से 8 दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर लगा देगा। (य) उम्मीदवार चुनाव की तारीख से 7 दिन पूर्व सांय 3.00 बजे तक अपना नाम वापिस ले सकेंगे। (र) उम्मीदवारों की अन्तिम सूची चुनाव की तारीख से 7 दिन पूर्व सांय 5.00 बजे के पश्चात् जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। (ल) मतदाता को मूल परिचय पत्र (मय फोटो) (भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड / मतदाता परिचय पत्र / पैन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस / पासपोर्ट) दिखाने पर ही मतपत्र (मय फोटो) दिया जाएगा। (व) जनोपयोगी भवन के समस्त आजीवन सदस्यों एवं नवनिर्वाचित सदस्यों, जो कि प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे इनकी सूची चुनाव की तारीख के अगले दिन जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। (श) चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रबन्ध समिति के सदस्य के प्रत्याशी की मृत्यु होने पर केवल उसकी दानदाता श्रेणी के सदस्यों के चुनाव ही स्थगित होंगे तथा अन्य श्रेणी के चुनाव यथावत सम्पन्न होंगे। स्थगित चुनाव, चुनाव की तारीख से 7 दिन के अन्दर पदाधिकारियों के चुनाव से पूर्व सम्पन्न करवाने आवश्यक होंगे। (ii) प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन एवं गठन : (a) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी में से 6 सदस्य तथा निम्न अन्तर्गत संस्थाओं के द्वारा सहवरित किये हुए सदस्य प्रबन्ध समिति के सदस्य होंगे। (अ) श्री माहेश्वरी महिला परिषद्, जयपुर की

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
उक्त पदाधिकारियों का चुनाव नवगठित प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। (ड़) प्रत्येक नये जनोपयोगी भवन के निर्माण, उपकरणों, साज-सजाबट व उपभोग प्रारम्भ होने तक तदर्थ प्रबन्ध समिति का गठन श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष करेंगे जिसमें समाज के अध्यक्ष व समाज के महामंत्री के अलावा श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों में से 15 सदस्य होंगे। तदर्थ प्रबन्ध समिति का कार्यकाल नियमों के तहत प्रबन्ध समिति के गठन होने की तिथि तक होगा। गठित तदर्थ प्रबन्ध समिति को नियमानुसार प्रबन्ध समिति के समान अधिकार होंगें। (च) निर्माण पूर्ण होने के /लोकार्पण होने के पश्चात् 6 माह के अन्दर प्रबन्ध समिति का नियमानुसार चुनाव किया जायेगा। प्रत्येक प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रत्येक प्रबन्ध समिति के कार्यकाल की समाप्ति से पहले इन नियमों के तहत नई प्रबन्ध समिति गठित की जायेगी जो पिछली प्रबन्ध समिति से उसके कार्यकाल की समाप्ति पर उनसे पद भार सम्भालेगी। परन्तु किसी भी कारणवश उक्त नियमों के अन्तर्गत समय पर नई प्रबन्ध समिति का गठन न हो सकें तो श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी सभा प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 6 माह तक के लिए बढ़ा सकेगी। (छ) प्रत्येक दानदाता को सदस्य बनने हेतु श्रेणीनुसार निर्धारित फार्म भरना होगा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात् ही सदस्यता प्रदान की जायेगी। (ज) सदस्यता श्रेणियों में पूर्ण राशि प्राप्त होने पर दान राशि के अनुसार निर्धारित श्रेणी में सदस्यता प्रदान की जायेगी।	कार्यकारिणी के सदस्यों में से 1 सदस्य। (ब) श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर की कार्यकारिणी के सदस्यों में से 1 सदस्य। निर्वाचन अधिकारी, चुनाव परिणाम की घोषणा के अगले दिन तक उपरोक्त पैरा संख्या {(ii). (a) (अ), (ब).} में वर्णित सदस्यों के सहवरण हेतु श्री माहेश्वरी समाज, श्री माहेश्वरी महिला परिषद व श्री नवयुवक मण्डल, जयपुर के अध्यक्ष / अध्यक्षा को लिखित में चुनाव की तारीख से 7 दिन के अन्दर सहवरित सदस्यों के नामों को चुनाव कार्यालय में भेजने का अनुरोध करेगा। वर्णित समय सीमा में सहवरित सदस्यों के नाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सहवरित सदस्य पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान नही कर सकेंगे। प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव में पराजित हुए उम्मीदवारों का नाम सहवरित नहीं किया जा सकेगा। (b) निर्वाचन अधिकारी चुनाव की तारीख से 10 दिन के अन्दर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष, महामंत्री, समस्त आजीवन सदस्य, चयनित दानदाता सदस्य एवं सहवरित सदस्यों को पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना भेज देगा व जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर भी इसकी एक प्रति लगा दी जाएगी, जिसे सूचना हेतु अंतिम माना जाएगा। (c) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री प्रबन्ध समिति में अपने पद नाम से सदस्य रहेंगे, जिन्हे समिति के अन्य सदस्यों के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (d) निवर्तमान प्रबन्ध समिति के चेयरमैन एवं सचिव प्रबन्ध समिति में पदेन सदस्य रहेंगे। (e) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर, श्री महिला परिषद तथा श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल की	कार्यकारिणी के सदस्यों में से 1 सदस्य। (ब) श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर की कार्यकारिणी के सदस्यों में से 1 सदस्य। निर्वाचन अधिकारी, चुनाव परिणाम की घोषणा के अगले दिन तक उपरोक्त पैरा संख्या {(ii). (a) (अ). (ब).} में वर्णित सदस्यों के सहवरण हेतु श्री माहेश्वरी समाज, श्री माहेश्वरी महिला परिषद व श्री नवयुवक मण्डल, जयपुर के अध्यक्ष / अध्यक्षा को लिखित में चुनाव की तारीख से 7 दिन के अन्दर सहवरित सदस्यों के नामों को चुनाव कार्यालय में भेजने का अनुरोध करेगा। वर्णित समय सीमा में सहवरित सदस्यों के नाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सहवरित सदस्य पदाधिकारियों के चुनाव में मतदान नही कर सकेंगे। प्रबन्ध समिति के सदस्यों के चुनाव में पराजित हुए उम्मीदवारों का नाम सहवरित नहीं किया जा सकेगा। (b) निर्वाचन अधिकारी चुनाव की तारीख से 10 दिन के अन्दर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष, महामंत्री, समस्त आजीवन सदस्य, चयनित दानदाता सदस्य एवं सहवरित सदस्यों को पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु अधिसूचना भेज देगा व जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर भी इसकी एक प्रति लगा दी जाएगी, जिसे सूचना हेतु अंतिम माना जाएगा। (c) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अध्यक्ष एवं महामंत्री प्रबन्ध समिति में अपने पद नाम से सदस्य रहेंगे, जिन्हे समिति के अन्य सदस्यों के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन पदाधिकारी के पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (d) निवर्तमान प्रबन्ध समिति के चेयरमैन एवं सचिव प्रबन्ध समिति में पदेन सदस्य रहेंगे। (e) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर, श्री महिला परिषद तथा श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल की

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(घ) नियम–उपनियम आदि : (1) जनोपयोगी भवनों से संबंधित सभी विषयों पर यथा प्रबन्ध समिति के गठन व पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया, पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य, प्रबन्ध समितियों की सभाओं, जनोपयोगी भवनों के संचालन, रखरखाव संबंधित नियम व उसके लिए, लिए जाने वाले शुल्क, लेखा पुस्तकों के संधारण व उनके अंकेक्षण आदि सभी विषयों पर एक विस्तृत नियमावली अलग से बनाई जावेगी जिसके अन्तर्गत जनोपयोगी भवनों का संचालन होगा। तदर्थ समिति/प्रबन्ध समिति उन नियमों को अंगीकार कर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी को अनुमोदन हेतु भेजेगी। (2) प्रबन्ध समिति समय-समय पर आवश्यकतानुसार इन नियमों की पालना के लिए परिपत्र व आदेश जारी कर सकेगी जो जनोपयोगी भवनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए लागू होगें। परिपत्र व आदेश की प्रतियाँ श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को	कार्यकारिणी द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्य हेतु सहवरित किए गए सदस्य पदाधिकारियों के पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (f) कोई भी पदाधिकारी प्रबन्ध समिति में लगातार एक पद पर दो सत्र से अधिक नहीं रह सकेगा। (g) जनोपयोगी भवन की प्रबन्ध समिति में निम्न पदाधिकारी होंगे, जिनका निर्वाचन प्रबन्ध समिति के चुनाव की तारीख से 15 दिन के अन्दर, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगाः चेयरमैन : 1 वाईस चेयरमैन : 2 (वित्त –1, संचालन–1) सचिव : 1 सह सचिव : 1 भवन मंत्री : 1 कोषाध्यक्ष : 1 उपरोक्त पदाधिकारियों के पद पर उम्मीदवार के लिए दानदाता होना आवश्यक होगा। वाईस चेयरमैन की वरिष्ठता उनकी आयु के अनुसार होगी। (h) निर्वाचन अधिकारी नवगठित प्रबन्ध समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा सहवरित एवं पदेन सदस्यों की सूची पदाधिकारियों के निर्वाचन के 24 घन्टे में अध्यक्ष व महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर, नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति के चेयरमैन व सचिव, निर्गम प्रबन्ध समिति के चेयरमैन व सचिव को प्रेषित कर देगा व उसकी एक प्रति जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर भी लगा देगा। (iii) निर्गम प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन की अंतिम सभा : प्रबन्ध समिति की यह सभा नवगठित प्रबन्ध समिति के गठन की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित करने की तारीख से 7 दिन की अवधि में होगी, जिसमें वर्ष पर्यन्त के आंकडे, वस्तु भण्डार का सत्यापित किया हुआ प्रपत्र एवं अधूरे कार्यों का विवरण (जिन	कार्यकारिणी द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्य हेतु सहवरित किए गए सदस्य पदाधिकारियों के पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे। (f) कोई भी पदाधिकारी प्रबन्ध समिति में लगातार एक पद पर दो सत्र से अधिक नहीं रह सकेगा। (g) जनोपयोगी भवन की प्रबन्ध समिति में निम्न पदाधिकारी होंगे, जिनका निर्वाचन प्रबन्ध समिति के चुनाव की तारीख से 15 दिन के अन्दर, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगाः चेयरमैन : 1 वाईस चेयरमैन : 2 (वित्त –1, संचालन–1) सचिव : 1 सह सचिव : 1 भवन मंत्री : 1 कोषाध्यक्ष : 1 उपरोक्त पदाधिकारियों के पद पर उम्मीदवार के लिए दानदाता होना आवश्यक होगा। वाईस चेयरमैन की वरिष्ठता उनकी आयु के अनुसार होगी। (h) निर्वाचन अधिकारी नवगठित प्रबन्ध समिति के नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों तथा सहवरित एवं पदेन सदस्यों की सूची पदाधिकारियों के निर्वाचन के 24 घन्टे में अध्यक्ष व महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर, नवनिर्वाचित प्रबन्ध समिति के चेयरमैन व सचिव, निर्गम प्रबन्ध समिति के चेयरमैन व सचिव को प्रेषित कर देगा व उसकी एक प्रति जनोपयोगी भवन के सूचना पट्ट पर भी लगा देगा। (iii) निर्गम प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन की अंतिम सभा : प्रबन्ध समिति की यह सभा नवगठित प्रबन्ध समिति के गठन की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित करने की तारीख से 7 दिन की अवधि में होगी, जिसमें वर्ष पर्यन्त के आंकडे, वस्तु भण्डार का सत्यापित किया हुआ प्रपत्र एवं अधूरे कार्यों का विवरण (जिन

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान

सूचनार्थ भेजी जायेगी।

(3) नियमों में प्रस्तावित सभी संशोधन, परिवर्द्धन तथा परिवर्तन के लिए समाज कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। परन्तु कोई भी नियम, उपनियम या आदेश इस नियमावली के प्रावधानों के अथवा उसमें निहित अर्थ के विपरीत नहीं हो सकेंगे।

(4) प्रबन्ध कमेटी द्वारा शुल्क आदि के निर्धारण एवं परिवर्तन स्वीकृत करके अनुमोदन हेतु श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को भेजेगी। समाज कार्यकारिणी अगर उसमें संशोधन/परिवर्तन चाहती है तो वह अपने सुझाव सहित प्रबन्ध समिति को भेज देगी। प्रबन्ध समिति उस पर पुनः विचार करके समाज कार्यकारिणी को अनुमोदन हेतु पुनः प्रेषित कर देगी जिसको कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करना होगा।

(ङ) जनोपयोगी भवनों व उसकी सभी सम्पत्तियाँ श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में निहित होगी व उनका किसी भी प्रकार का हस्तांतरण या पट्टे पर देना श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान व नियमावली के अनुसार होगा।

(च) जनोपयोगी भवनों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर समाज नियमावली का नियम (36) लागू होगा व उसी नियम के तहत निर्णय लिया जा सकेगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

संशोधन

पर कार्य चल रहा है), नवगठित प्रबन्ध समिति को कार्यभार सौंपते समय दिया जाएगा।

(घ) प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन की सभा, कर्तव्य एवं अधिकार, पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार :

(i) नवगठित प्रबन्ध समिति की प्रथम सभा, निर्गम प्रबन्ध समिति की अन्तिम सभा के एक घन्टे के पश्चात् होगी जिसमें नए पदाधिकारियों द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा। इस प्रथम सभा में निर्गम प्रबन्ध समिति द्वारा दिए गए वर्ष पर्यन्त के आंकड़े, वस्तु भण्डार का सत्यापित किया हुआ प्रपत्र एवं अधूरे कार्यों का विवरण (जिन पर कार्य चल रहा है) प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन की सभाएँ :

(a) सभा प्रत्येक दो माह में होगी, जिसकी सूचना विचारार्थ विषयों सहित तीन दिवस पूर्व सदस्यों के पास भेजी जाएगी।

(b) अतिआवश्यक सभा चेयरमैन की आज्ञा लेकर 24 घन्टे में आयोजित की जा सकेगी अथवा प्रबन्ध समिति के न्यूनतम आधे से अधिक सदस्यों से लिखित निवेदन प्राप्त होने पर चेयरमैन को 15 दिवस में सभा आयोजित करना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना सदस्यों को तीन दिवस पूर्व भेजनी होगी।

(c) जो सदस्य सभा में प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उन्हें न्यूनतम दो अन्य सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त करके सचिव के पास प्रस्ताव भेजना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी विषय चेयरमैन की आज्ञा के बिना नहीं रखा जा सकेगा।

(d) प्रबन्ध समिति की सभा के लिए कार्योपयुक्त कोरम प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का होगा। यदि कार्योपयुक्त कोरम पूर्ण न हो तो सभा स्थगित कर 30 मिनिट पश्चात पुनः उसी स्थान पर सभा आहूत की जा सकेगी और उस सभा में कार्योपयुक्त कोरम का प्रश्न

संशोधन के बाद नियम

पर कार्य चल रहा है), नवगठित प्रबन्ध समिति को कार्यभार सौंपते समय दिया जाएगा।

(घ) प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन की सभा, कर्तव्य एवं अधिकार, पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार :

(i) नवगठित प्रबन्ध समिति की प्रथम सभा, निर्गम प्रबन्ध समिति की अन्तिम सभा के एक घन्टे के पश्चात् होगी जिसमें नए पदाधिकारियों द्वारा कार्यभार संभाला जाएगा। इस प्रथम सभा में निर्गम प्रबन्ध समिति द्वारा दिए गए वर्ष पर्यन्त के आंकड़े, वस्तु भण्डार का सत्यापित किया हुआ प्रपत्र एवं अधूरे कार्यों का विवरण (जिन पर कार्य चल रहा है) प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन की सभाएँ :

(a) सभा प्रत्येक दो माह में होगी, जिसकी सूचना विचारार्थ विषयों सहित तीन दिवस पूर्व सदस्यों के पास भेजी जाएगी।

(b) अतिआवश्यक सभा चेयरमैन की आज्ञा लेकर 24 घन्टे में आयोजित की जा सकेगी अथवा प्रबन्ध समिति के न्यूनतम आधे से अधिक सदस्यों से लिखित निवेदन प्राप्त होने पर चेयरमैन को 15 दिवस में सभा आयोजित करना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना सदस्यों को तीन दिवस पूर्व भेजनी होगी।

(c) जो सदस्य सभा में प्रस्ताव रखना चाहते हैं, उन्हें न्यूनतम दो अन्य सदस्यों की लिखित सहमति प्राप्त करके सचिव के पास प्रस्ताव भेजना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी विषय चेयरमैन की आज्ञा के बिना नहीं रखा जा सकेगा।

(d) प्रबन्ध समिति की सभा के लिए कार्योपयुक्त कोरम प्रबन्ध समिति के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्यों का होगा। यदि कार्योपयुक्त कोरम पूर्ण न हो तो सभा स्थगित कर 30 मिनिट पश्चात पुनः उसी स्थान पर सभा आहूत की जा सकेगी और उस सभा में कार्योपयुक्त कोरम का प्रश्न

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	बाधक नहीं होगा एवं केवल स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार व निर्णय किया जा सकेगा। (iii) प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनपोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : (a) (अ) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के कार्यकाल के समकक्ष होगा, जो कि सामान्यतः तीन वर्ष का होगा। (ब) जनोपयोगी भवन 'उत्सव' की वर्तमान में कार्यरत प्रबन्ध समिति (2018–2021) का कार्यकाल विधान की धारा 18 'ग' के अनुसार नव चयनित प्रबन्ध समिति के गठन तक होगा। (स) जनोपयोगी भवन की तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा विधान की धारा 18 (क) (xiv) के अनुसार एवं विधान की धारा 18 (ग) (i) एवं (ii) (धारा 18 (ग)(i)(a) के अलावा) के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल विधान की धारा 18 (ग) के अनुसार नये चयनित प्रबन्ध समिति के गठन तक होगा। (b) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर – श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर व श्री माहेश्वरी महिला परिषद, जयपुर से नवगठित प्रबन्ध समिति हेतु सहवरित किए गए सदस्यों की सदस्यता, उन संस्थाओं की कार्यकारिणी के भविष्य में नए चुनाव होने की तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रबन्ध समिति के सचिव के द्वारा अध्यक्ष–श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर, अध्यक्षा–श्री माहेश्वरी महिला परिषद व अध्यक्ष–श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल को प्रबन्ध समिति हेतु नवगठित कार्यकारिणी में से सहवरित सदस्यों के नाम 30 दिन में भेजने के लिये पत्र प्रेषित किया जाएगा। (c) वार्षिक आय–व्यय का विवरण, अर्थ–संग्रह, आगामी वर्ष के अनुमानित आय–व्यय का बजट इत्यादि स्वीकृत करने होंगे।	बाधक नहीं होगा एवं केवल स्थगित सभा के विषयों पर ही विचार व निर्णय किया जा सकेगा। (iii) प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनपोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : (a) (अ) प्रबन्ध समिति का कार्यकाल श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के कार्यकाल के समकक्ष होगा, जो कि सामान्यतः तीन वर्ष का होगा। (ब) जनोपयोगी भवन 'उत्सव' की वर्तमान में कार्यरत प्रबन्ध समिति (2018–2021) का कार्यकाल विधान की धारा 21 'ग' के अनुसार नव चयनित प्रबन्ध समिति के गठन तक होगा। (स) जनोपयोगी भवन की तदर्थ प्रबन्ध समिति द्वारा विधान की धारा 21 (क) (xiv) के अनुसार एवं विधान की धारा 21 (ग) (i) एवं (ii) (धारा 21 (ग)(i)(a) के अलावा) के अनुसार गठित प्रबन्ध समिति का कार्यकाल विधान की धारा 21 (ग) के अनुसार नव चयनित प्रबन्ध समिति के गठन तक होगा। (b) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर – श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर व श्री माहेश्वरी महिला परिषद, जयपुर से नवगठित प्रबन्ध समिति हेतु सहवरित किए गए सदस्यों की सदस्यता, उन संस्थाओं की कार्यकारिणी के भविष्य में नए चुनाव होने की तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रबन्ध समिति के सचिव के द्वारा अध्यक्ष–श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर, अध्यक्षा–श्री माहेश्वरी महिला परिषद व अध्यक्ष–श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल को प्रबन्ध समिति हेतु नवगठित कार्यकारिणी में से सहवरित सदस्यों के नाम 30 दिन में भेजने के लिये पत्र प्रेषित किया जाएगा। (c) वार्षिक आय–व्यय का विवरण, अर्थ–संग्रह, आगामी वर्ष के अनुमानित आय–व्यय का बजट इत्यादि स्वीकृत करने होंगे।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(d) आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना।	(d) आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
	(e) वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षण की कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके स्वीकृति प्रदान करते हुए 31 मई से पूर्व गत वित्तिय वर्ष की अंकेक्षित बैलेन्स शीट महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को भेजना आवश्यक होगा।	(e) वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षण की कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके स्वीकृति प्रदान करते हुए 31 मई से पूर्व गत वित्तिय वर्ष की अंकेक्षित बैलेन्स शीट महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को भेजना आवश्यक होगा।
	(f) दुर्व्यवहार करने पर किसी भी सदस्य को प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से शेष सत्र के लिए पृथक करने का अधिकार होगा।	(f) दुर्व्यवहार करने पर किसी भी सदस्य को प्रबंध समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से शेष सत्र के लिए पृथक करने का अधिकार होगा।
	(g) आवश्यकता पडने पर कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु पदाधिकारियों के साथ दानदाता सदस्यों में से अधिकतम 5 सदस्यीय उप–समिति बनाने का अधिकार होगा।	(g) आवश्यकता पडने पर कार्य को सुचारू रूप से संचालन हेतु पदाधिकारियों के साथ दानदाता सदस्यों में से अधिकतम 5 सदस्यीय उप–समिति बनाने का अधिकार होगा।
	(h) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान में वर्णित एवं राज्य/केंन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों के अनुरूप जनोपयोगी भवन के संचालन व उपयोग करने का अधिकार होगा। उपयोगकर्ता को राजस्थान, केन्द्रीय सरकार एवं न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।	(h) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान में वर्णित एवं राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों के अनुरूप जनोपयोगी भवन के संचालन व उपयोग करने का अधिकार होगा। उपयोगकर्ता को राजस्थान, केन्द्रीय सरकार एवं न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
	(i) संस्था की अर्थ–सम्पत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाणित शिड्यूल बैंक की सूची नं. 1 एवं 2 में वर्णित बैंक में संग्रहित रखना या किसी भी सरकारी प्रतिभूतियों, डाकघर की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। बैंक से रूपया निकालना, एक मद से दूसरी मद में स्थानान्तरण करना व लेन–देन वगैरह चेयरमैन, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा।	(i) संस्था की अर्थ–सम्पत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाणित शिड्यूल बैंक की सूची नं. 1 एवं 2 में वर्णित बैंक में संग्रहित रखना या किसी भी सरकारी प्रतिभूतियों, डाकघर की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। बैंक से रूपया निकालना, एक मद से दूसरी मद में स्थानान्तरण करना व लेन–देन वगैरह चेयरमैन, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	(j) सरकारी, अर्द्धसरकारी, न्यायालय व अन्य विभागों में जनोपयोगी भवन से संबंधित समस्त कार्यों के निमित्त सचिव को फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रबन्ध समिति कार्य करने के अधिकार निहित होगा।	(j) सरकारी, अर्द्धसरकारी, न्यायालय व अन्य विभागों में जनोपयोगी भवन से संबंधित समस्त कार्यों के निमित्त सचिव को फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रबन्ध समिति कार्य करने के अधिकार निहित होगा।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(k) किसी भी राशि को बट्टा खाते लिखने से पूर्व प्रबन्ध समिति की सभा (स्थगित सभा के अतिरिक्त) उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। इसकी सूचना श्री माहेश्वरी समाज जयपुर, को प्रेषित करनी होगी।	(k) किसी भी राशि को बट्टा खाते लिखने से पूर्व प्रबन्ध समिति की सभा में (स्थगित सभा के अतिरिक्त) उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। इसकी सूचना श्री माहेश्वरी समाज जयपुर, को प्रेषित करनी होगी।
	(l) प्रबन्ध समिति को जनोपयोगी भवन के किसी भी भाग या पूर्ण भवन परिसर को मांगलिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि हेतु शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार तय किए गए शुल्कों को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क लागू होंगे। विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शुल्क में प्रबन्ध समिति के चेयरमैन माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष की सलाह से छूट दे सकेंगे।	(l) प्रबन्ध समिति को जनोपयोगी भवन के किसी भी भाग या पूर्ण भवन परिसर को मांगलिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि हेतु शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार तय किए गए शुल्कों को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा स्वीकृत करवाना अनिवार्य होगा। स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क लागू होंगे। विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शुल्क में प्रबन्ध समिति के चेयरमैन माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष की सलाह से छूट दे सकेंगे।
	(m) दानदाता सदस्यों एवं दानदाताओं के सम्मान प्रदर्शन हेतु भवनों में दानपट्ट/ शिलालेख/चित्र आदि नियमानुसार प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् लगाए जा सकेंगे। जनोपयोगी भवनों का नवीनीकरण/जीर्णोधार/पुनः निर्माण एवं साज–सज्जा होने पर दानपट्ट/शिलालेख/चित्र आदि नही लगाए जा सकेंगे।	(m) दानदाता सदस्यों एवं दानदाताओं के सम्मान प्रदर्शन हेतु भवनों में दानपट्ट/ शिलालेख/चित्र आदि नियमानुसार प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् लगाए जा सकेंगे। जनोपयोगी भवनों का नवीनीकरण/जीर्णोद्धार/पुनः निर्माण एवं साज–सज्जा होने पर दानपट्ट/शिलालेख/चित्र आदि नहीं लगाए जा सकेंगे।
	(iv) चेयरमैन, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार:	(iv) चेयरमैन, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार:
	(a) प्रबन्ध समिति व संचालन समिति की सभा की अध्यक्षता करना।	(a) प्रबन्ध समिति व संचालन समिति की सभा की अध्यक्षता करना।
	(b) गत सभा की कार्यवाही एवं त्रैमासिक आय–व्यय लेखों पर प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् हस्ताक्षर करना।	(b) गत सभा की कार्यवाही एवं त्रैमासिक आय–व्यय लेखों पर प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् हस्ताक्षर करना।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	(c) अपने मत के अतिरिक्त सदस्यों के दो समूह के समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।	(c) अपने मत के अतिरिक्त सदस्यों के दो समूह के समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
	(d) प्रबन्ध समिति की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो तो उसे अपने शब्द वापिस	(d) प्रबन्ध समिति की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो तो उसे अपने शब्द वापिस

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	लेने का अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो क्षमा याचना करने का आदेश देना। चेयरमैन का आदेश अस्वीकार करने पर उस सदस्य को सभा छोड़ने का आदेश देना। (e) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से नीति का निर्धारण करवाना, संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु पदाधिकारियों को निर्देश देना एवं उनके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना। (f) संस्था के आय–व्यय के संतुलन का ध्यान रखना। (g) संस्था के प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने के लिए संचालन समिति की सलाह से कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना, उनके वेतनमान, भत्ते इत्यादि तय करना, उन्हें कार्य आंवटित करवाना, अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करवाना। (h) प्रबन्ध समिति की सलाह से सभी दानदाता सदस्यों का वर्ष में एक बार मिलन–समारोह किया जा सकेगा। (i) संस्था के संबंधित कार्यों के लिए रू 25000/– तक की राशि वार्षिक बजट के अन्तर्गत, बिना स्वीकृति के खर्च करने का अधिकार होगा। (v) वाईस चेयरमैन, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : (a) चेयरमैन की अनुपस्थिति में वरिष्ठ वाईस चेयरमैन द्वारा चैयरमेन के कार्यों को संपादित करना। (b) वाईस चेयरमैन (वित्त), प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : वित्त सम्बन्धित सभी लेखा–जोखों को सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ समय–समय पर अवलोकन कर उसकी जानकारी चेयरमैन को देना। (c) वाईस चेयरमैन (संचालन), प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : संचालन एवं भवन के रखरखाव सम्बन्धित सभी	लेनें का अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो क्षमा याचना करने का आदेश देना। चैयरमैन का आदेश अस्वीकार करने पर उस सदस्य को सभा छोड़ने का आदेश देना। (e) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबन्ध समिति की स्वीकृति से नीति का निर्धारण करवाना, संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु पदाधिकारियों को निर्देश देना एवं उनके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना। (f) संस्था के आय–व्यय के संतुलन का ध्यान रखना। (g) संस्था के प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने के लिए संचालन समिति की सलाह से कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना, उनके वेतनमान, भत्ते इत्यादि तय करना, उन्हें कार्य आंवटित करवाना, अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करवाना। (h) प्रबन्ध समिति की सलाह से सभी दानदाता सदस्यों का वर्ष में एक बार मिलन–समारोह किया जा सकेगा। (i) संस्था के संबंधित कार्यों के लिए रु. 25000/– तक की राशि वार्षिक बजट के अन्तर्गत, बिना स्वीकृति के खर्च करने का अधिकार होगा। (v) वाईस चेयरमैन, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : (a) चेयरमैन की अनुपस्थिति में वरिष्ठ वाईस चेयरमैन द्वारा चैयरमेन के कार्यों को संपादित करना। (b) वाईस चेयरमैन (वित्त), प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : वित्त सम्बन्धित सभी लेखा–जोखों को सचिव एवं कोषाध्यक्ष के साथ समय–समय पर अवलोकन कर उसकी जानकारी चेयरमैन को देना। (c) वाईस चेयरमैन (संचालन), प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : संचालन एवं भवन के रखरखाव सम्बन्धित सभी

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	व्यवस्थाएँ सचिव एवं भवन मंत्रियों के साथ समय–समय पर जानकारी प्राप्त कर चेयरमैन को देना।	व्यवस्थाओं की सचिव एवं भवन मंत्री के साथ समय–समय पर जानकारी प्राप्त कर चेयरमैन को देना।
	(vi) सचिव, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार :	**(vi) सचिव, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार :**
	(a) प्रबन्ध समिति की सभाओं का नियमानुसार आयोजन करना, चेयरमैन की अनुमति एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभाओं का एजेन्डा तैयार करना, सभा की सूचना सदस्यों को भेजना, सभा में गत सभा की कार्यवाही स्वीकृत करवाना व आयोजित सभा की कार्यवाही लेखबद्ध करना।	(a) प्रबन्ध समिति की सभाओं का नियमानुसार आयोजन करना, चेयरमैन की अनुमति एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभाओं का एजेन्डा तैयार करना, सभा की सूचना सदस्यों को भेजना, सभा में गत सभा की कार्यवाही स्वीकृत करवाना व आयोजित सभा की कार्यवाही लेखबद्ध करना।
	(b) संचालन समिति की सभाओं का नियमानुसार आयोजन करना, चेयरमैन की अनुमति एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभाओं का एजेन्डा तैयार करना, सभा की सूचना सदस्यों को भेजना, सभा में गत सभा की कार्यवाही स्वीकृत करवाना व आयोजित सभा की कार्यवाही लेखबद्ध करना।	(b) संचालन समिति की सभाओं का नियमानुसार आयोजन करना, चेयरमैन की अनुमति एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभाओं का एजेन्डा तैयार करना, सभा की सूचना सदस्यों को भेजना, सभा में गत सभा की कार्यवाही स्वीकृत करवाना व आयोजित सभा की कार्यवाही लेखबद्ध करना।
	(c) संस्था के प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने के लिए चेयरमैन एवं संचालन समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करना।	(c) संस्था के प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने के लिए चेयरमैन एवं संचालन समिति द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करना।
	(d) संस्था का कुशल प्रबन्ध करते हुए संस्था के समस्त कार्यों की देखरेख करना, उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करना एवं कर्मचारियों को तत्संबंधित निर्देश देना।	(d) संस्था का कुशल प्रबन्ध करते हुए संस्था के समस्त कार्यों की देखरेख करना, उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करना एवं कर्मचारियों को तत्संबंधित निर्देश देना।
	(e) संस्था से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पत्र व्यवहार करना, संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड, कागजात, दस्तावेज तैयार करना या करवाना एवं कार्यालय में सुरक्षित रखना।	(e) संस्था से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पत्र व्यवहार करना, संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड, कागजात, दस्तावेज तैयार करना या करवाना एवं कार्यालय में सुरक्षित रखना।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	(f) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति का भवन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के सहयोग से समय–समय पर आवश्यकतानुसार (मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक) भौतिक सत्यापन करवाना तथा उनका पूरा रिकार्ड तैयार करवाना (Stock & Assets Register) एवं सम्पत्ति का समुचित एवं सही उपयोग सुनिश्चित करना।	(f) संस्था की चल व अचल सम्पत्ति का भवन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के सहयोग से समय–समय पर आवश्यकतानुसार (मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक) भौतिक सत्यापन करवाना तथा उनका पूरा रिकार्ड तैयार करवाना (Stock & Assets Register) एवं सम्पत्ति का समुचित एवं सही उपयोग सुनिश्चित करना।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(g) न्यायालय, ट्रिब्यूनल व अन्य न्यायायिक विभागों में जनोपयोगी भवन से संबंधित समस्त विधिक कार्यों को करवाना तथा चेयरमैन की सहमति से आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करना।	(g) न्यायालय, ट्रिब्यूनल व अन्य न्यायायिक विभागों में जनोपयोगी भवन से संबंधित समस्त विधिक कार्यों को करवाना तथा चेयरमैन की सहमति से आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करना।
	(h) संस्था हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से संबंधित सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।	(h) संस्था हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से संबंधित सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभागों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
	(i) संस्था के निमित्त कार्यों के लिए 15,000 रूपये तक की राशि वार्षिक बजट के अन्तर्गत, बिना स्वीकृति के खर्च करने का अधिकार होगा।	(i) संस्था के निमित्त कार्यों के लिए 15,000 रूपये तक की राशि वार्षिक बजट के अन्तर्गत, बिना स्वीकृति के खर्च करने का अधिकार होगा।
	(j) समय–समय पर भवन में अनुपयोगी सामान की जानकारी संबंधित मंत्री से लेकर उचित निर्णय हेतु संचालन समिति की सभा में रखना।	(j) समय–समय पर भवन में अनुपयोगी सामान की जानकारी संबंधित मंत्री से लेकर उचित निर्णय हेतु संचालन समिति की सभा में रखना।
	(vii) सह सचिव, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार :	(vii) सह सचिव, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार :
	(a) सचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्य संपादित करना।	(a) सचिव की अनुपस्थिति में उनका कार्य संपादित करना।
	(b) सचिव द्वारा निर्देशित कार्यों का निष्पादन करना अथवा उसमें सहयोग करना।	(b) सचिव द्वारा निर्देशित कार्यों का निष्पादन करना अथवा उसमें सहयोग करना।
	(viii) कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकारः	(viii) कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकारः
	(a) प्रबन्ध समिति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भवन का किराया व अन्य शुल्क की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।	(a) प्रबन्ध समिति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भवन का किराया व अन्य शुल्क की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
	(b) संस्था के मासिक आय–व्यय के लेखों को प्रतिमाह जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना व त्रैमासिक आय–व्यय के लेखों को सचिव एवं चेयरमैन के मार्फत आगामी प्रबन्ध समिति की सभा में स्वीकृत करवाना।	(b) संस्था के मासिक आय–व्यय के लेखों को प्रतिमाह जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना व त्रैमासिक आय–व्यय के लेखों को सचिव एवं चेयरमैन के मार्फत आगामी प्रबन्ध समिति की सभा में स्वीकृत करवाना।
	(c) वार्षिक आय–व्यय का विवरण बनाना, प्रबन्ध समिति में स्वीकृत करवाते हुए वैधानिक अंकेक्षण की कार्यवाही करवाना, अंकेक्षित रिर्पोट को 31 मई तक प्रबन्ध समिति में प्रस्तुत करना व स्वीकृति के पश्चात् श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के महामंत्री	(c) वार्षिक आय–व्यय का विवरण बनाना, प्रबन्ध समिति में स्वीकृत करवाते हुए वैधानिक अंकेक्षण की कार्यवाही करवाना, अंकेक्षित रिर्पोट को 31 मई तक प्रबन्ध समिति में प्रस्तुत करना व स्वीकृति के पश्चात् श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के महामंत्री

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	को प्रेषित करना। (d) प्रति तीन माह में लेखों का आंतरिक अंकेक्षण करवाना, प्रीलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट को पदाधिकारियों के विचारार्थ प्रस्तुत करना व प्रबन्ध समिति की सलाह से विसंगतियों के संबंध में एक महीने में उचित कार्यवाही करके रिपोर्ट ऑडिटर को प्रेषित करना। (e) संस्था की आर्थिक स्थिति से चेयरमैन, वाईस चेयरमैन (वित्त) एवं सचिव को समय–समय पर अवगत करवाना। (f) चेयरमैन व सचिव की सलाह से आगामी वर्ष के आय–व्यय का बजट बनाना व प्रबन्ध समिति से स्वीकृत करवाना एवं बजट के अनुसार व्यय को नियंत्रित करना। (g) जनोपयोगी भवन के खातों में विभिन्न मदों में जमा राशि (जो कि refund की जानी है) के अतिरिक्त सरप्लस राशि को क्रमशः माह मई एवं नवम्बर में श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को भेजना अनिवार्य होगा। (h) संस्था की सभी आवश्यक सेवाओं एवं नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् खरीद किए गए सामान का भुगतान करवाना, चेयरमैन, सचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षरों से बैंक से समस्त लेनदेन की समस्त कार्यवाही को संपादित करवाना। (ix) भवन मंत्री, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार.: (a) भवन को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकतानुसार निर्माण एवं मरम्मत संबंधी सुझाव चेयरमैन व सचिव की सलाह से प्रबन्ध/संचालन समिति की सभा में रखवाना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित करवाना। (b) जनोपयोगी भवन में बिजली, पानी, सेनेट्री, सफाई इत्यादि आवश्यक सेवाओं की सुचारू व्यवस्था एवं एयर कंडीशनिंग, लिट, डी.जी. सैट, सी.सी.	को प्रेषित करना। (d) प्रति तीन माह में लेखों का आंतरिक अंकेक्षण करवाना, प्रीलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट को पदाधिकारियों के विचारार्थ प्रस्तुत करना व प्रबन्ध समिति की सलाह से विसंगतियों के संबंध में एक महीने में उचित कार्यवाही करके रिपोर्ट ऑडिटर को प्रेषित करना। (e) संस्था की आर्थिक स्थिति से चेयरमैन, वाईस चेयरमैन (वित्त) एवं सचिव को समय–समय पर अवगत करवाना। (f) चेयरमैन व सचिव की सलाह से आगामी वर्ष के आय–व्यय का बजट बनाना व प्रबन्ध समिति से स्वीकृत करवाना एवं बजट के अनुसार व्यय को नियंत्रित करना। (g) जनोपयोगी भवन के खातों में विभिन्न मदों में जमा राशि (जो कि refund की जानी है) के v fr fj Dr अनुमानित सरप्लस राशि को क्रमशः माह मई एवं नवम्बर में श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को भेजना अनिवार्य होगा। (h) संस्था की सभी आवश्यक सेवाओं एवं नियमानुसार स्वीकृति के पश्चात् खरीद किए गए सामान का भुगतान करवाना, चेयरमैन, सचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से बैंक से समस्त लेनदेन की समस्त कार्यवाही को संपादित करवाना। (ix) भवन मंत्री, प्रबन्ध समिति, श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन के कर्त्तव्य व अधिकार : (a) भवन को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकतानुसार निर्माण एवं मरम्मत संबंधी सुझाव चेयरमैन व सचिव की सलाह से प्रबन्ध/संचालन समिति की सभा में रखवाना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित करवाना। (b) जनोपयोगी भवन में बिजली, पानी, सेनेट्री, सफाई इत्यादि आवश्यक सेवाओं की सुचारू व्यवस्था एवं एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट, डी.जी. सैट, सी.

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	टी.वी., कम्प्यूटर आदि अन्य उपकरणों के रखरखाव को सुनिश्चित करना, इन आवश्यक सेवाओं एवं रखरखाव हेतु कार्यरत कर्मचारियों / ठेकेदारों के कार्यों की देखरेख करना। अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों की सूचना चेयरमैन एवं सचिव को देकर उचित कार्यवाही करवाना	सी.टी.वी., कम्प्यूटर आदि अन्य उपकरणों के रखरखाव को सुनिश्चित करना, इन आवश्यक सेवाओं एवं रखरखाव हेतु कार्यरत कर्मचारियों / ठेकेदारों के कार्यों की देखरेख करना। अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों की सूचना चेयरमैन एवं सचिव को देकर उचित कार्यवाही करवाना
	(c) प्रबन्ध समिति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भवन के उपयोग को सुनिश्चित करना।	(c) प्रबन्ध समिति के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार भवन के उपयोग को सुनिश्चित करना।
	(d) जनोपयोगी भवन पर किसी पड़ौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रोकना एवं इसकी सूचना चेयरमैन एवं सचिव को अवगत करवाते हुए उनकी सलाह से उचित कार्यवाही करना।	(d) जनोपयोगी भवन पर किसी पड़ौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रोकना एवं इसकी सूचना चेयरमैन एवं सचिव को अवगत करवाते हुए उनकी सलाह से उचित कार्यवाही करना।
	(e) संस्था के भवन से संबंधित करवाए गए समस्त कार्यों का नियमानुसार सत्यापन कर भुगतान की व्यवस्था करवाना।	(e) संस्था के भवन से संबंधित करवाए गए समस्त कार्यों का नियमानुसार सत्यापन कर भुगतान की व्यवस्था करवाना।
	(f) संस्था की सम्पत्तियों का रजिस्टर (Stock Register & Assests) संधारित करवाना एवं धारा 18 (घ)(vi)(f) की पालना सुनिश्चित करना।	(f) संस्था की सम्पत्तियों का रजिस्टर (Stock Register & Assests) संधारित करवाना एवं धारा 21(घ)(vi)(f) की पालना सुनिश्चित करना।
	(g) संस्था के भवन से संबंधित कार्यों के लिये रू. 10000 / – तक की राशि वार्षिक बजट के अन्तर्गत, बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च करने का अधिकार होगा।	(g) संस्था के भवन से संबंधित कार्यों के लिये रू. 10000 / – तक की राशि वार्षिक बजट के अन्तर्गत, बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च करने का अधिकार होगा।
	(ड) जनोपयोगी भवन के संचालन हेतु नियम	(ड) जनोपयोगी भवन के संचालन हेतु नियम
	(i) प्रत्येक जनोपयोगी भवन के संचालन एवं रखरखाव आदि के लिए पृथक–पृथक प्रबन्ध समिति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान की धारा 18 (ग) के अनुसार गठित की जाएगी।	(i) प्रत्येक जनोपयोगी भवन के संचालन एवं रखरखाव आदि के लिए पृथक–पृथक प्रबन्ध समिति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान की धारा 21 (ग) के अनुसार गठित की जाएगी।
	(ii) संचालन समिति : प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात् प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख के लिये एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन सहित 7 पदाधिकारी व 4 सदस्य होंगे। साधारण सदस्यों का सहवरण चेयरमैन के द्वारा पदाधिकारियों की सलाह से दानदाता	(ii) संचालन समिति : प्रबन्ध समिति के गठन के पश्चात् प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख के लिये एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन सहित 7 पदाधिकारी व 4 सदस्य होंगे। सदस्यों का सहवरण चेयरमैन के द्वारा पदाधिकारियों की सलाह से दानदाता सदस्यों

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	सदस्यों में से किया जाएगा। तत्कालीन प्रबन्ध समिति के चुनाव में पराजित हुए सदस्यों में से सहवरण नहीं किया जाएगा। संचालन समिति की सभा प्रति माह होगी अथवा आवश्यकतानुसार पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी। संचालन समिति की सभा का कोरम न्यूनतम 4 सदस्यों का होगा। संचालन समिति को जनोपयोगी भवन के विभिन्न आवश्यक सेवाओं, कार्यों एवं क्रय हेतु अधिकतम एक लाख रूपये प्रतिमाह तक की बजट के अन्तर्गत स्वीकृति देने का अधिकार होगा जिसका अनुमोदन प्रबन्ध समिति की आगामी सभा में करवाना होगा। कोरम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्थगित सभा के विषयों पर निर्णय करने हेतु अधिकतम 48 घण्टे में पुनः सभा आहूत की जा सकेगी, जिसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी। (iii) जनोपयोगी भवन एवं उसकी सम्पत्तियों से संबंधित अधिकार : जनोपयोगी भवन एवं उसकी सम्पत्तियों के स्वामित्व संबंधी समस्त अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में निहित होगा व उसकी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति एवं राशि का हस्तान्तरण या पट्टे पर देना, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान व नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही मान्य होगा। (iv) बैंक में खाता खुलवाना व बैंक खातों का संचालनः संस्था की अर्थ सम्पत्ति को प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रमाणित शिड्यूल की सूची नं. 1 एवं 2 में वर्णित बैंक (अधिकतम 2 बैंको) में संग्रहित रखना। बैंक से रूषया निकालना, एक मद से दूसरी में स्थानान्तर करना व लेने देन वगैरह प्रबन्ध समिति के चेयरमैन, सचिव व कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा। (v) वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति : वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा की जाएगी।	में से किया जाएगा। तत्कालीन प्रबन्ध समिति के चुनाव में पराजित हुए सदस्यों में से सहवरण नहीं किया जाएगा। संचालन समिति की सभा प्रति माह होगी अथवा आवश्यकतानुसार पूर्व में भी आयोजित की जा सकेगी। संचालन समिति की सभा का कोरम न्यूनतम 4 सदस्यों का होगा। संचालन समिति को जनोपयोगी भवन के विभिन्न आवश्यक सेवाओं, कार्यों एवं क्रय हेतु अधिकतम एक लाख रूपये प्रतिमाह तक की बजट के अन्तर्गत स्वीकृति देने का अधिकार होगा जिसका अनुमोदन प्रबन्ध समिति की आगामी सभा में करवाना होगा। कोरम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्थगित सभा के विषयों पर निर्णय करने हेतु अधिकतम 48 घण्टे में पुनः सभा आहूत की जा सकेगी, जिसमें कोरम की बाध्यता नहीं होगी। (iii) जनोपयोगी भवन एवं उसकी सम्पत्तियों से संबंधित अधिकार : जनोपयोगी भवन एवं उसकी सम्पत्तियों के स्वामित्व संबंधी समस्त अधिकार श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर में निहित होगा व उसकी किसी भी प्रकार की सम्पत्ति एवं राशि का हस्तान्तरण या पट्टे पर देना श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान व नियमावली में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही मान्य होगा। (iv) बैंक में खाता खुलवाना व बैंक खातों का संचालनः संस्था की अर्थ सम्पत्ति को प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के पश्चात् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के प्रमाणित शिड्यूल की सूची नं. 1 एवं 2 में वर्णित बैंक (अधिकतम 2 बैंको) में संग्रहित रखना। बैंक से रूपया निकालना, एक मद से दूसरी में स्थानान्तर करना व लेने देन वगैरह प्रबन्ध समिति के चेयरमैन, सचिव व कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा। (v) वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति : वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के द्वारा की जाएगी।

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(vi) नियमों में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन : जनोपयोगी भवन की प्रबन्ध समिति उपरोक्त वर्णित नियमों में उचित एवं आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु अपने कुल सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति होने पर ही अनुशंषा कर सकेगी। इस प्रकार किए गए संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी की अनुशंसा के पश्चात् असाधारण सभा की स्वीकृति के पश्चात् ही मान्य होंगे। (vii) मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति : जनोपयोगी भवन के प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विवाद के अलावा दानदाता सदस्य की सदस्यता, मनोनीत प्रतिनिधि के नाम पर विवाद, जनोपयोगी भवन से सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर चेयरमैन/सचिव, जनोपयोगी भवन, के द्वारा श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान की धारा 39 के अन्तर्गत गठित मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति को निर्णय हेतु भेज दिया जाएगा। इस समिति के द्वारा लिया गया निर्णय/फैसला अंतिम एवं समस्त पक्षों को मान्य होगा तथा इस समिति के निर्णय/फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।	(vi) नियमों में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन : जनोपयोगी भवन की प्रबन्ध समिति उपरोक्त वर्णित नियमों में उचित एवं आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन हेतु अपने कुल सदस्यों के आधे से अधिक की सहमति होने पर ही अनुशंषा कर सकेगी। इस प्रकार किए गए संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी की अनुशंसा के पश्चात् असाधारण सभा की स्वीकृति के पश्चात् ही मान्य होंगे। (vii) मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति : जनोपयोगी भवन के प्रबन्ध समिति के चुनाव हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विवाद के अलावा दानदाता सदस्य की सदस्यता, मनोनीत प्रतिनिधि के नाम पर विवाद, जनोपयोगी भवन से सम्बन्धित अन्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर चेयरमैन/सचिव, जनोपयोगी भवन, के द्वारा श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के विधान की धारा 50 के अन्तर्गत गठित मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति को निर्णय हेतु भेज दिया जाएगा। इस समिति के द्वारा लिया गया निर्णय/फैसला अंतिम एवं समस्त पक्षों को मान्य होगा तथा इस समिति के निर्णय/फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
19. कार्यकारिणी के कर्त्तव्य व अधिकार :- (क) सत्र के प्रांरभ में नूतन कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महामंत्री चल-अचल सम्पत्ति का उत्तरदायित्व निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष व महामंत्री से लिखित रूप में ग्रहण करेंगे। यह पत्र कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। (ख) सम्पत्ति के प्रमाण-पत्रों को सुरक्षित रखेगी तथा सम्पत्ति की रक्षा करेगी। (ग) चल सम्पत्ति का नाम, परिसंख्या पत्र, आय-व्यय लेखा, दिनांकानुसार रखना होगा तथा समय-समय पर नियमानुसार अंकेक्षण (ऑडिट) करांना होगा।	19. कार्यकारिणी के कर्त्तव्य व अधिकार :- (क) सत्र के प्रारम्भ में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में अध्यक्ष एवं महामंत्री, निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महामंत्री से चल एवं अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों को ग्रहण करेंगे। यह रिकार्ड महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। (ख) वार्षिक आय-व्यय का विवरण, अर्थ-संग्रह विवरण आगामी वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का बजट इत्यादि स्वीकृत करना। (ग) वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना, कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके स्वीकृति प्रदान करना। 15 जून तक गत वित्तिय	22. कार्यकारिणी के कर्त्तव्य व अधिकार :- (क) सत्र के प्रारम्भ में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में अध्यक्ष एवं महामंत्री, निवर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महामंत्री से चल एवं अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों को ग्रहण करेंगे। यह रिकार्ड महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा। (ख) वार्षिक आय-व्यय का विवरण, अर्थ-संग्रह विवरण आगामी वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का बजट इत्यादि स्वीकृत करना। (ग) वैधानिक एवं आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना, कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके स्वीकृति प्रदान करना। 90 दिन में गत वित्तीय वर्ष

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(घ) वार्षिक आय–व्यय की रचना, अर्थ–संग्रह, अचल सम्पत्ति का सभा के समर्थन से उपार्जन, धनराशि का आय–व्यय में परस्पर स्थानांतर करना आदि कार्य करने होंगे। (ङ) वैतनिक कर्मचारियों का व्यवस्थापन व वेतन वितरण करना होगा। (च) अन्तर्गत संस्थाओं का नियंत्रण करना होगा। (छ) अधिवेशनों व सम्मेलनों का आयोजन व अन्य आवश्यक कार्य विधान के अनुसार सम्पादन करना होगा तथा प्रति मास कार्यकारिणी की सभा करनी होगी। (ज) दोषी कर्मचारियों को दंड देने व पदच्युत करने का पूर्ण अधिकार होगा। (झ) दुर्व्यवहार करने पर किसी भी सदस्य को सदस्यों के 2/3 मत प्राप्त होने पर कार्यकारिणी से पृथक करने का अधिकार होगा और यह निर्णय अंतिम होगा। (ञ) आवश्यकता पड़ने पर उप–समितियाँ बनाने का अधिकार होगा। (ट) कार्यकारिणी के उपनियम बनाने का अधिकार होगा किन्तु यह विधान के विरूद्ध नहीं हो सकेंगे। (ठ) संस्था की अर्थ–सम्पत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के प्रमाणित शिड्यूल (Scheduled) बैंक में संग्रहित रखना या किसी भी सरकारी प्रतिभूतियों, डाकघर की विभिन्न योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। बैंक से रूपया निकालना, एक मद से दूसरी में स्थानान्तर करना व लेन–देन वगैरह अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा। (ड) न्यायालय में समाज सम्बन्धित कार्य के निमित्त महामंत्री को फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ (For & on behalf of) माहेश्वरी समाज कार्य करने का अधिकार होगा। (ढ) किसी भी राशि को बट्टा खाते लिखने से पूर्व कार्यकारिणी	वर्ष की अंकेक्षिक बैलेन्स शीट महामंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकृति प्रदान करना। (घ) समाज के जनोपयोगी भवनों, अंतर्गत एवं तत्वावधान में संचालित संस्थाओं/समितियों के लिए वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना। (ङ) दुर्व्यवहार करने पर किसी भी सदस्य को कार्यकारिणी के कुल सदस्यों का दो तिहाई अथवा उससे अधिक मत प्राप्त होने पर कार्यकारिणी की सदस्यता से शेष सत्र के लिए पृथक करने का अधिकार होगा। यह निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। (च) आवश्यकतानुसार उप–समितियाँ बनाने का अधिकार होगा। (छ) कार्यकारिणी द्वारा उप–नियम बनाने का अधिकार होगा, किन्तु वे श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर विधान के विरूद्ध नहीं हो सकेंगे। (ज) संस्था की अर्थ–सम्पत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाणित शिड्यूल सूची 1 व 2 में वर्णित बैंक में संग्रहित रखना या किसी भी सरकारी प्रतिभूतियों, डाकघर की विभिन्न योजनाओं में निवेश करना, बैंक से रूपए निकालना, एक मद से दूसरी मद में स्थानान्तरण करना व लेन–देन वगैरह अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा। (झ) सरकारी, अर्द्धसरकारी, न्यायालय व अन्य विभागों में समाज से संबंधित समस्त कार्यों के निमित्त महामंत्री को, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ कार्यकारिणी श्री माहेश्वरी समाज, करने का अधिकार होगा। (ञ) किसी भी राशि को बट्टा खाते लिखने से पूर्व कार्यकारिणी की सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। (ट) कार्यकारिणी को निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य को करने का अधिकार नहीं होगा। (ठ) दानदाता सदस्यों एवं दानदाताओं के सम्मान प्रदर्शन हेतु भवनों में दानपट्ट/शिलालेख आदि नियमानुसार कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् लगाए जा सकेंगे। (ड) कार्यकारिणी को संस्था के लिए किसी प्रकार का ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा।	की अंकेक्षिक् बैलेन्स शीट महामंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकृति प्रदान करना। (घ) समाज के जनोपयोगी भवनों, अंतर्गत एवं तत्वावधान में संचालित संस्थाओं/समितियों के लिए वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति करना। (ङ) दुर्व्यवहार करने पर किसी भी सदस्य को कार्यकारिणी के कुल सदस्यों का दो तिहाई अथवा उससे अधिक मत प्राप्त होने पर कार्यकारिणी की सदस्यता से शेष सत्र के लिए पृथक करने का अधिकार होगा। यह निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। (च) आवश्यकतानुसार उप–समितियाँ बनाने का अधिकार होगा। (छ) कार्यकारिणी द्वारा उप–नियम बनाने का अधिकार होगा, किन्तु वे श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर विधान के विरुद्ध नहीं हो सकेंगे। (ज) संस्था की अर्थ–सम्पत्ति को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमाणित शिड्यूल सूची 1 व 2 में वर्णित बैंक में संग्रहित रखना या किसी भी सरकारी प्रतिभूतियों, डाकघर की विभिन्न योजनाओं में निवेश करना, बैंक से रुपए निकालना, एक मद से दूसरी मद में स्थानान्तरण करना व लेन–देन वगैरह अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से करना होगा। (झ) सरकारी, अर्द्धसरकारी, न्यायालय व अन्य विभागों में समाज से संबंधित समस्त कार्यों के निमित्त महामंत्री को, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ कार्यकारिणी श्री माहेश्वरी समाज, करने का अधिकार होगा। (ञ) किसी भी राशि को बट्टा खाते लिखने से पूर्व कार्यकारिणी की सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। (ट) कार्यकारिणी को निर्धारित उद्देश्यों के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य को करने का अधिकार नहीं होगा। (ठ) दानदाता सदस्यों एवं दानदाताओं के सम्मान प्रदर्शन हेतु भवनों में दानपट्ट/शिलालेख आदि नियमानुसार कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् लगाए जा सकेंगे। (ड) कार्यकारिणी को संस्था के लिए किसी प्रकार का ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

महामंत्री श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
सभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। (ण) कोई व्यय लिखित स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगा तथा अन्य मंत्रीगण अपने स्वाधिकार से नियमानुसार व्यय करके महामंत्री को उसका मासिक लेख हस्ताक्षर सहित भेजते रहेंगे। (त) कार्यकारिणी को संस्था के लिये किसी प्रकार का ऋण लेने का अधिकार नहीं होगा। (थ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं के विधान बनाना एवं उनमें संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन करना।	(ढ) समाज के अन्तर्गत संस्था हेतु (i) समाज के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं श्री माहेश्वरी महिला परिषद व श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल) को प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित बजट स्वयं की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज के अध्यक्ष अथवा महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा, जिसको समाज की आगामी होने वाली सभा में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। (ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को समाज के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल के विधान में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा। श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल परिषद की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन को समाज कार्यकारिणी द्वारा उपस्थित सदस्यों का 2/3 से स्वीकृत किया जा सकेगा। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपने स्तर पर संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन सदन में उपस्थिति की 2/3 सहमति पर ही किया जा सकेगा। (iii) श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष के लेखों का अंकेक्षण करवाकर 30 जून तक कार्यकारिणी से स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना आवश्यक होगा।	(ढ) समाज के अन्तर्गत संस्था हेतु (i) समाज के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाओं श्री माहेश्वरी महिला परिषद व श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल) को प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित बजट स्वयं की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज के अध्यक्ष अथवा महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा, जिसको समाज कार्यकारिणी की आगामी होने वाली सभा में प्रेषित करना अनिवार्य होगा। (ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को समाज के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल के विधान में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन करने का अधिकार होगा। श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल परिषद की कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन को समाज कार्यकारिणी द्वारा उपस्थित सदस्यों का 2/3 से स्वीकृत किया जा सकेगा। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा अपने स्तर पर संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन सदन में उपस्थिति की 2/3 सहमति पर ही किया जा सकेगा। (iii) श्री माहेश्वरी महिला परिषद एवं श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष के लेखों का अंकेक्षण करवाकर 30 जून तक कार्यकारिणी से स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना आवश्यक होगा।
20. अध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार :- (क) समाज के तत्वावधान में जो भी संस्थाएं होंगी उनका नियंत्रण करना होगा। कार्यकारिणी व अन्य सभाओं/अधिवेशनों का संचालन करना होगा। (ख) कार्यकारिणी सभा में प्रस्ताव पर निर्णय हेतु सदस्य व अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होगा एवं समान मत आने पर अध्यक्ष को अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा। (ग) गत सभा की कार्यवाही एवं मासिक आय-व्यय लेखे पर कार्यकारिणी के समर्थन के पश्चात् हस्ताक्षर करना होगा।	20. अध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार:- (क) कार्यकारिणी की सभा, सम्मेलन, असाधारण सभा की अध्यक्षता एवं संचालन करना/अधिवेशनों की अध्यक्षता करना एवं संचालन करना। (ख) गत सभा की कार्यवाही एवं त्रैमासिक आय-व्यय लेखे पर कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् हस्ताक्षर करना। (ग) अपने मत के अतिरिक्त सदस्यों के दो समूह के समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। (घ) कार्यकारिणी की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो तो उसे अपने शब्द वापस लेने का अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो क्षमा याचना करने का	23. अध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार:- (क) कार्यकारिणी की सभा, सम्मेलन, असाधारण सभा की अध्यक्षता एवं संचालन करना/अधिवेशनों की अध्यक्षता करना एवं संचालन करना। (ख) गत सभा की कार्यवाही एवं त्रैमासिक आय-व्यय लेखे पर कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् हस्ताक्षर करना। (ग) अपने मत के अतिरिक्त सदस्यों के दो समूह के समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। (घ) कार्यकारिणी की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो तो उसे अपने शब्द वापस लेने का अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो क्षमा याचना करने का

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
(घ) अपने मत के अतिरिक्त सदस्यों के दो समूह के समान मत होने पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। (ङ) संस्था के तत्वावधान में जो भी कार्य हो उन समस्त कार्यों की समीक्षा करना होगा और संस्था की निर्धारित नीति का अनुकरण करना होगा। (च) संस्था के वैतनिक कर्मचारियों को नियमबद्ध व अनुशासित करना होगा। (छ) दोषी कर्मचारी को महामंत्री के उपस्थित करने पर उसके दोष के पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् आर्थिक दंड देने तथा अस्थायी पृथक्करण करने का अधिकार होगा। स्थायी पृथक्करण के लिये कार्यकारिणी की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। (ज) कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों के स्थान पूर्ति करके कार्यकारिणी को अवगत कराना होगा तथा नूतन स्थान की स्वीकृति स्थान पूर्ति से पूर्व लेनी होगी। (झ) कार्यकारिणी की सभा में यदि किसी सदस्य का भाषण अनुचित हो अथवा उसका व्यवहार दोषपूर्ण हो तो उसको, उसके प्रति क्षमा–याचना करने, अपने शब्द वापिस करने अथवा आज्ञा अस्वीकार करने पर सभा स्थान छोड़ने का आदेश अध्यक्ष दे सकेगा। उस सदस्य को अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना होगा। (ञ) संस्था के आय–व्यय संतुलन का ध्यान रखना होगा। (ट) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से 25000/– तक के व्यय की स्वीकृति दे सकेगा।	आदेश देना, अध्यक्ष का आदेश अस्वीकार करने पर उस सदस्य को सभा छोड़ने का आदेश देना। (ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी की स्वीकृति से नीति का निर्धारण करवाना, उसका अनुकरण करना एवं संस्था के तत्वावधान में जो भी कार्य हो उन समस्त कार्यों की समीक्षा करना। (च) संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु पदाधिकारियों को निर्देश देना एवं उनके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना। (छ) समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं, अन्तर्गत संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना, आवश्यक निर्देश देना एवं नियंत्रण रखना। (ज) संस्था के आय–व्यय के संतुलन का ध्यान रखना। (झ) संस्था के कार्यों को संचालित करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना, उनके वेतनमान्, भत्ते इत्यादि तय करना, उन्हें कार्य आवंटित करवाना, अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करना। (ञ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करवाना। (ट) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से रूपये 25000/– तक की स्वीकृति दे सकेगा। समाज अध्यक्ष महामंत्री से विचार विमर्श कर समितियों/कमेटियों के चेयरमैन/संयोजक/सचिव/समन्वयक की नियुक्तियाँ एवं कर्त्तव्य सुनिश्चित कर सकेंगे।	आदेश देना, अध्यक्ष का आदेश अस्वीकार करने पर उस सदस्य को सभा छोड़ने का आदेश देना। (ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यकारिणी की स्वीकृति से नीति का निर्धारण करवाना, उसका अनुकरण करना एवं संस्था के तत्वावधान में जो भी कार्य हो उन समस्त कार्यों की समीक्षा करना। (च) संस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु पदाधिकारियों को निर्देश देना एवं उनके द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों की समय समय पर समीक्षा करना। (छ) समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं, अन्तर्गत संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समय–समय पर समीक्षा करना, आवश्यक निर्देश देना एवं नियंत्रण रखना। (ज) संस्था के आय–व्यय के संतुलन का ध्यान रखना। (झ) संस्था के कार्यों को संचालित करने के लिए कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कर्मचारियों की नियुक्ति करवाना, उनके वेतनमान्, भत्ते इत्यादि तय करना, उन्हें कार्य आंवटित करवाना, अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करना। (ञ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करवाना। (ट) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से रूपये 25000/– तक की स्वीकृति दे सकेगा। (ठ) समाज अध्यक्ष महामंत्री से विचार विमर्श कर समितियों/कमेटियों के चेयरमैन/संयोजक/सचिव/समन्वयक की नियुक्तियाँ एवं कर्त्तव्य सुनिश्चित कर सकेंगे।
21. उपाध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार :– अध्यक्ष को आवश्यकतानुसार सहयोग देना होगा तथा अध्यक्ष को अनुपस्थिति में उसका कार्य करना होगा।	कोई परिवर्तन नहीं	24. उपाध्यक्ष के कर्तव्य व अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसका कार्य सम्पादित करना व आवश्कतानुसार सहयोग देना।
22. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति :– ऐसे अवसरों पर उपस्थित सदस्य अपने में से एक को	कोई परिवर्तन नहीं	25. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति :– ऐसे अवसरों पर उपस्थित सदस्य अपने में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकेंगे किन्तु उस सभा में केवल साधारण विषयों

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
कार्यवाहक अध्यक्ष चुन सकेंगे किन्तु उस सभा में केवल साधारण विषयों पर ही निर्णय हो सकेगा।		पर ही निर्णय हो सकेगा।
23. महामंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–	23. महामंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–	26. महामंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–
(क) संस्था के प्रमाण–पत्रों व अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को बैंक में तथा अन्य लिखित पत्रों को कार्यालय में सुरक्षित रखना होगा।	(क) कार्यकारिणी की सभाओं का प्रतिमाह आयोजन करना, अध्यक्ष की अनुमति एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभाओं का एजेन्डा तैयार करना, सभा की सूचना सदस्यों को भेजना, सभा में गत सभा की कार्यवाही स्वीकृत करवाना व आयोजित सभा की कार्यवाही लेखबद्ध करना।	(क) कार्यकारिणी की सभाओं का प्रतिमाह आयोजन करना, अध्यक्ष की अनुमति एवं प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सभाओं का एजेन्डा तैयार करना, सभा की सूचना सदस्यों को भेजना, सभा में गत सभा की कार्यवाही स्वीकृत करवाना व आयोजित सभा की कार्यवाही लेखबद्ध करना।
(ख) अध्यक्ष की अनुमति/नियमानुसार कार्यकारिणी की प्रतिमाह सभा बुलाकर आवश्यकतानुसार एजेण्डा बनाकर सभाओं का नियमपूर्वक आयोजन करना होगा।	(ख) समाज के प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करना।	(ख) समाज के प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने के लिए अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना करना।
(ग) सभा की कार्यवाही को पत्रारूढ करके आगामी सभा में सुनाना एवं उसको स्वीकृत करवाना होगा।	(ग) समाज का कुशल प्रबन्ध करते हुए संस्था के समस्त कार्यों की देखरेख करना, उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करना एवं कर्मचारियों को तत्संबंधित निर्देश देना।	(ग) समाज का कुशल प्रबन्ध करते हुए संस्था के समस्त कार्यों की देखरेख करना, उसे सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही करना एवं कर्मचारियों को तत्संबंधित निर्देश देना।
(घ) संस्था संबंधी पत्र–व्यवहार करना होगा।	(घ) समाज से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पत्र व्यवहार करना, संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड, कागजात, दस्तावेज तैयार करना या करवाना एवं कार्यालय में सुरक्षित रखना।	(घ) समाज से संबंधित समस्त कार्यों के लिए पत्र व्यवहार करना, संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड, कागजात, दस्तावेज तैयार करना या करवाना एवं कार्यालय में सुरक्षित रखना।
(ङ) संस्था की सम्पत्ति का नाम, परिसंख्या पत्र दिनांकानुसार रखना होगा।	(ङ) समाज की चल व अचल सम्पत्ति का भवन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के सहयोग से समय–समय पर आवश्यकतानुसार (मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक) भौतिक सत्यापन करवाना तथा उनका पूरा रिकार्ड तैयार करवाना (Stock Register) एवं सम्पत्ति का समुचित एवं सही उपयोग हो, इसको सुनिश्चित करना।	(ङ) समाज की चल व अचल सम्पत्ति का भवन मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के सहयोग से समय–समय पर आवश्यकतानुसार (मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक) भौतिक सत्यापन करवाना तथा उनका पूरा रिकार्ड तैयार करवाना (Stock Register) एवं सम्पत्ति का समुचित एवं सही उपयोग हो, इसको सुनिश्चित करना।
(च) अन्य मंत्रियों के परामर्श सहित संस्था के वार्षिक आय–व्यय के काल्पनिक संख्या पत्र की रचना करके उसको प्रथम सभा में सदस्यों के विचारार्थ उपस्थित करना एवं समर्थन प्राप्त करना होगा।	(च) समाज हेतु न्यायालय, ट्रिब्यूनल व अन्य न्यायायिक विभागों में श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर से संबंधित समस्त कार्यों को करवाना तथा अध्यक्ष की सहमति से उनके लिए आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करना।	(च) समाज हेतु न्यायालय, ट्रिब्यूनल व अन्य न्यायायिक विभागों में श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर से संबंधित समस्त कार्यों को करवाना तथा अध्यक्ष की सहमति से उनके लिए आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करना।
(छ) अन्य मंत्रियों के स्तुत्य लिखित विचारों एवं आवेदन–पत्रों तथा आंगतुक प्रस्ताव आदि को कार्यकारिणी में प्रस्तुत करना होगा।	(छ) समाज हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से संबंधित सभी विभागों सरकारी / अर्द्ध सरकारी विभागों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।	(छ) समाज हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार से संबंधित सभी विभागों सरकारी / अर्द्ध सरकारी विभागों से संबंधित सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना एवं आवश्यक कार्यवाही करना।
(ज) अन्य मंत्रियों आदि के सहयोग से संस्था के वार्षिक विवरण की रचना करके सभा में प्रकाशन की आज्ञा प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् मुद्रित कर वितरित करना होगा।	(ज) समाज के अन्तर्गत संस्थाओं की प्रगति का पूर्णतया ध्यान रखते हुये कार्यकारिणी को अवगत करवाना तथा त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करना।	(ज) समाज के अन्तर्गत संस्थाओं की प्रगति का पूर्णतया ध्यान रखते हुये कार्यकारिणी को अवगत करवाना तथा त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करना।
(झ) संस्था संबंधी बिलों को अध्यक्ष अथवा कार्यकारिणी की स्वीकृति अनुसार चुकाना होगा।		
(ञ) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से 10000/– रू. तक व्यय की स्वीकृति दे सकेगा।		
(ट) वैतनिक कर्मचारियों को नियमबद्ध रखना होगा तथा दोषी को चेतावनी दे सकेगा।		
(ठ) नियम उल्लंघन करने पर सदस्यों का उनकी		

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala

अध्यक्ष

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित कराना होगा। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष को अवगत करके निर्णय कराना होगा। (ड) गंभीर समस्याओं को अध्यक्ष के समक्ष रखना होगा। (ढ) बैंक से कार्यकारिणी तथा अध्यक्ष के आदेशानुसार व्यवहार करना होगा। (ण) मंत्रालय के कार्य का सामंजस्य करना तथा मंत्रीगण जो कार्यवाही की बाधाएँ, त्रुटियाँ, नियम भंग होने की सूचना आदि प्रस्तुत करें उनका उचित व्यवस्थापन स्वयं अथवा कार्यकारिणी द्वारा कराना होगा। (त) यदि उचित समझे कि अमुक कर्मचारी को रखना संस्था के हित तथा उद्देश्य के विरूद्ध होगा तो अध यक्ष की स्वीकृति से उसका अस्थाई पृथक्करण किया जा सकेगा। (थ) समाज के अन्तर्गत संस्थाओं की प्रगति का पूर्णतया ध यान रखते हुये कार्यकारिणी को अवगत रखना तथा त्रुटियों के सुधार का प्रयत्न करना होगा। (द) जनता की ओर से समाज की संस्थाओं के प्रति आपत्ति हो तो उस पर अध्यक्ष का तत्काल ध्यान आकर्षित कराना होगा। (ध) गत सभा की कार्यवाही अध्यक्ष से विचार–विमर्श कर लिपिबद्ध करना होगा। (न) हिसाबी वर्ष अप्रैल से मार्च तक के लेखों का यथाशीघ्र अंकेक्षण (ऑडिट) करा कर कार्यकारिणी सभा को सूचनार्थ प्रस्तुत करना होगा। (प) पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के चेयरमैन / संयोजक एवं संबंधित संस्था के अध्यक्ष एवं मंत्री की सभा प्रति 6 माह में बुलाकर उनके कार्यकलापों की समीक्षा कर, आगामी होने वाली कार्यकारिणी सभा में जानकारी देनी होगी। (ड्ढ) अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के अतिरिक्त समंस्त पदाधिकारी महामंत्री की देखरेख में/आदेशानुसर अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे।	(झ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों की ओर से समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं, जनोपयोगी भवन, अन्तर्गत संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं/समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति आपत्ति हो तो उस पर अध्यक्ष का तत्काल ध्यान आकर्षित करना। (ञ) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से रूपए 10000/– तक की स्वीकृति दे सकेगा। (ट) संयुक्त मंत्रियों के कार्य का विभाजन करना। (ठ) कार्यकारिणी में कोई पद रिक्त रहने पर उस पद का दायित्व कार्यकारिणी सदस्यों में से किसी सदस्य को दे सकेगा।	(झ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्यों की ओर से समाज के तत्वावधान में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं, जनोपयोगी भवन, अन्तर्गत संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं/समितियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति आपत्ति हो तो उस पर अध्यक्ष का तत्काल ध्यान आकर्षित करना। (ञ) संस्था के निमित्त स्वाधिकार से रूपए 10000/– तक की स्वीकृति दे सकेगा। (ट) संयुक्त मंत्रियों के कार्य का विभाजन करना। (ठ) कार्यकारिणी में कोई पद रिक्त रहने पर उस पद का दायित्व कार्यकारिणी सदस्यों में से किसी सदस्य को दे सकेगा।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
24. संयुक्त मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :– (क) महामंत्री एवं अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में उनका कार्य अधिकारपूर्वक करना होगा। (ख) संस्था के लेखे को प्रतिमास जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना होगा। (ग) संस्था के नाम परिसंख्या पत्रों को जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना होगा। (घ) अध्यक्ष के आदेशानुसार मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के संग कार्य करके दक्षता प्राप्त करना होगा।	24. संयुक्त मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकारः – (क) महामंत्री एवं अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में उनका कार्य अधिकारपूर्वक करना होगा। (ख) संस्था के लेखे को प्रतिमास जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना होगा। (ग) संस्था के नाम परिसंख्या पत्रों को जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना होगा। (घ) अध्यक्ष के आदेशानुसार मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के संग कार्य करके दक्षता प्राप्त करना होगा।	27. संयुक्त मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकारः – (क) महामंत्री एवं अन्य मंत्रियों की अनुपस्थिति में उनका कार्य अधिकारपूर्वक करना होगा तथा महामंत्री द्वारा निर्देशित कार्यों को सम्पादित करना। (ख) संस्था के लेखे को प्रतिमास जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना होगा। (ग) संस्था के नाम परिसंख्या पत्रों को जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना होगा। (घ) अध्यक्ष के आदेशानुसार मंत्रालय के प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के संग कार्य करके दक्षता प्राप्त करना होगा।
25. महासचिव शिक्षा के कर्त्तव्य व अधिकर :– श्री माहेश्वरी समाज के अन्तर्गत चलने वाली शिक्षण संस्थाओं पर समाज की एज्यूकेशन कमेटी (The Education Committee of The Maheshwari Samaj (Society) Jaipur) का विधान लागू होगा और उसके अनुसार ही महासचिव शिक्षा के कर्त्तव्य व अधिकार होंगे।	25. महासचिव शिक्षा के कर्त्तव्य व अधिकारः– श्री माहेश्वरी समाज के अन्तर्गत चलने वाली शिक्षण संस्थाओं पर समाज के एज्यूकेशन कमेटी (The Education Committee of The Maheshwari Samaj (Society), Jaipur) का विधान लागू होगा और उसके अनुसार ही महासचिव शिक्षा के कर्त्तव्य व अधिकार होंगे। महासचिव शिक्षा सोसायटी एवं श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के प्रति उत्तरदायी होंगे। ECMS के विधान की पालना करते हुए शिक्षण संस्थाओं में रहे रिक्त पदों का दायित्व कार्यकारिणी सदस्य को दे सकेगा।	28. महासचिव शिक्षा के कर्त्तव्य व अधिकारः– श्री माहेश्वरी समाज के अन्तर्गत चलने वाली शिक्षण संस्थाओं पर समाज के एज्यूकेशन कमेटी (The Education Committee of The Maheshwari Samaj (Society), Jaipur) का विधान लागू होगा और उसके अनुसार ही महासचिव शिक्षा के कर्त्तव्य व अधिकार होंगे। महासचिव शिक्षा सोसायटी एवं श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के प्रति उत्तरदायी होंगे। ECMS के विधान की पालना करते हुए शिक्षण संस्थाओं में रहे रिक्त पदों का दायित्व कार्यकारिणी सदस्य को दे सकेगा।
26. शिक्षा सचिव के कर्त्तव्य व अधिकार :– दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव दी माहेश्वरी समाज (सोसाईटी), जयपुर के विधान में वर्णित कर्त्तव्य एवं अधिकारों के अलावा महासचिव शिक्षा द्वारा सौंपे गये संबंधित शिक्षा संस्थाओं के कार्यभार को संभालना, महासचिव शिक्षा को सहयोग देना एवं उसकी अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालना होगा।	26. शिक्षा सचिव के कर्त्तव्य व अधिकार :– दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव् दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर के द्वारा प्रबन्ध समितियों के गठन हेतु नियमावली (Rules for The Constitution & Functioning of The Managing Committee for the Educational Institutions Established, Maintained & Run by The Education Committee of The Maheshwari Samaj (Society), Jaipur) में वर्णित कर्त्तव्य एवं अधिकारों के अनुसार कार्य संपादित करना तथा महासचिव शिक्षा द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना तथा उन्हें सहयोग देना। महासचिव सोसायटी एवं श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के प्रति उत्तरदायी होंगे।।	29. शिक्षा सचिव के कर्त्तव्य व अधिकार :– दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव् दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर के द्वारा प्रबन्ध समितियों के गठन हेतु नियमावली (Rules for The Constitution & Functioning of The Managing Committee for the Educational Institutions Established, Maintained & Run by The Education Committee of The Maheshwari Samaj (Society), Jaipur) में वर्णित कर्त्तव्य एवं अधिकारों के अनुसार कार्य संपादित करना तथा महासचिव शिक्षा द्वारा समय–समय पर दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाना तथा उन्हें सहयोग देना। शिक्षा सचिव सोसायटी एवं श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के प्रति उत्तरदायी होंगे।
27. अर्थ मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :– (क) संस्था के निमित्त अर्थ संग्रह करना। (ख) अर्थ वृद्धि का सतत् प्रयत्न करना होगा। (ग) आर्थिक सहायता देने वालों का सूची–पत्र विगतवार	27. अर्थ मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार (क) संस्था के निमित्त अर्थ संग्रह करना। (ख) अर्थ संग्रह का मासिक एवं वार्षिक विवरण बनाकर महामंत्री को प्रेषित करना।	30. अर्थ मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार (क) संस्था के निमित्त अर्थ संग्रह करना। (ख) अर्थ संग्रह का मासिक एवं वार्षिक विवरण बनाकर महामंत्री को प्रेषित करना।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
रखना होगा। (घ) संग्रहित धन को कोषाध्यक्ष के पास पहुँचाना होगा। (ङ) आर्थिक स्थिति से अध्यक्ष एवं महामंत्री को अवगत रखना होगा। (च) मासिक एवं वार्षिक विवरण बनाना होगा। (छ) मंत्रालय की आर्थिक माँगों पर अपना मत संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार देना होगा। (ज) वचन भंग करने वाले तथा विलम्ब करने वाले दाताओं को प्रेरणा से सुमार्ग पर लाने का प्रयत्न करना तथा महामंत्री को अवगत कराना होगा। (झ) आगामी वर्ष की अनुमानित आय–व्यय की रचना करके महामंत्री द्वारा कार्यकारिणी से स्वीकृत कराना होगा। (ञ) लेन–देन, स्वीकृति के पत्र कार्यकारिणी के निश्चयानुसार मुद्रित कराकर कार्यान्वित करना होगा।	(ग) आर्थिक सहायता देने वालों की सूची–पत्र विवरणवार रखना। (घ) संग्रहित धन को कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाना। (ङ) महेश सेवा कोष में आर्थिक सहयोग करने वाले सदस्यों की सूचि मय राशि समाज की मासिक पत्रिका में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। (च) मंत्रालय की आर्थिक माँगों पर अपना मत संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार देना होगा। (छ) आर्थिक सहायता हेतु दानदाताओं द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसार अर्थ संग्रह करना व संग्रह में विलम्ब होने पर अध्यक्ष अथवा महामंत्री को अवगत करवाना।	(ग) आर्थिक सहायता देने वालों की सूची–पत्र विवरणवार रखना। (घ) संग्रहित धन को कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाना। (ङ) महेश सेवा कोष में आर्थिक सहयोग करने वाले सदस्यों की सूचि मय राशि समाज की मासिक पत्रिका में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। (च) मंत्रालय की आर्थिक माँगों पर अपना मत संस्था की आर्थिक स्थिति के अनुसार देना होगा। (छ) आर्थिक सहायता हेतु दानदाताओं द्वारा दिये गए आश्वासन के अनुसार अर्थ संग्रह करना व संग्रह में विलम्ब होने पर अध्यक्ष अथवा महामंत्री को अवगत करवाना।
28. कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य :– (क) संस्था की आय–व्यय का लेखा पूर्णतया रखना होगा और संयुक्त मंत्री से प्रतिमास जाँच करा कर उसके हस्ताक्षर कराना होगा। वर्षान्त पर वार्षिक लेखा बनाकर उसकी जाँच प्रमाणित लेखा अंकेक्षक द्वारा कराकर उसका प्रमाण–पत्र लेखे सहित महामंत्री के पास उपस्थित करना होगा। मासिक लेखे पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होंगे। (ख) सभा के निश्चयानुसार स्थायी कोष तथा मंत्रालय की आय को बैंक में रखना होगा। व्यय के निमित्त रूपया निकालना स्वीकृति के आधार पर होगा। (ग) मासिक आय–व्यय लेखा सभा में सुनाना होगा। (घ) लेन–देन, आदान–पत्र, आगमपत्र स्वीकृति आदि लिखित पत्रों द्वारा कार्यान्वित करना होगा। अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	28. कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार : (क) कार्यकारिणी के द्वारा स्वीकृत किये गए नियमों के अनुसार समाज के विभिन्न भवनों का किराया व अन्य शुल्क की प्राप्ति को सुनिश्चित करना व प्रतिमाह महामंत्री एवं अध्यक्ष को किराया प्राप्ती की जानकारी देना। (ख) संस्था के मासिक आय–व्यय के लेखों को प्रतिमाह जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना, त्रैमासिक आय व्यय के लेखों को अध्यक्ष / महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी की सभा में स्वीकृत करवाना। (ग) वार्षिक आय–व्यय का विवरण बनाना, कार्यकारिणी में स्वीकृत करवाते हुए वैधानिक अंकेक्षण की कार्यवाही करवाना, अंकेक्षित रिर्पोट को 15 जून तक महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी में प्रस्तुत करना। (घ) प्रति तीन माह में लेखों का आंतरिक अंकेक्षण करवाना, प्रीलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट को पदाधिकारियों के विचारार्थ प्रस्तुत करना व कार्यकारिणी की सलाह से विसंगतियों के संबंध में एक महीने में उचित कार्यवाही करके रिपोर्ट ऑडिटर को प्रेषित करना। (ङ) संस्था की आर्थिक स्थिति से अध्यक्ष व महामंत्री को समय–समय पर अवगत करवाना।	31. कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य व अधिकार : (क) कार्यकारिणी के द्वारा स्वीकृत किये गए नियमों के अनुसार समाज के विभिन्न भवनों का किराया व अन्य शुल्क की प्राप्ति को सुनिश्चित करना व प्रतिमाह महामंत्री एवं अध्यक्ष को किराया प्राप्ती की जानकारी देना। (ख) संस्था के मासिक आय–व्यय के लेखों को प्रतिमाह जाँच करके उन पर हस्ताक्षर करना, त्रैमासिक आय व्यय के लेखों को अध्यक्ष / महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी की सभा में स्वीकृत करवाना। (ग) वार्षिक आय–व्यय का विवरण बनाना, कार्यकारिणी में स्वीकृत करवाते हुए वैधानिक अंकेक्षण की कार्यवाही करवाना, अंकेक्षित रिर्पोट को 15 जून तक महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी में प्रस्तुत करना। (घ) प्रति तीन माह में लेखों का आंतरिक अंकेक्षण करवाना, प्रीलिमिनरी ऑडिट रिपोर्ट को पदाधिकारियों के विचारार्थ प्रस्तुत करना व कार्यकारिणी की सलाह से विसंगतियों के संबंध में एक महीने में उचित कार्यवाही करके रिपोर्ट ऑडिटर को प्रेषित करना। (ङ) संस्था की आर्थिक स्थिति से अध्यक्ष व महामंत्री को समय–समय पर अवगत करवाना।

महामंत्री श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(च) अध्यक्ष व महामंत्री की सलाह से आगामी वर्ष के आय–व्यय का बजट बनाना व कार्यकारिणी से स्वीकृत करवाना।	(च) अध्यक्ष व महामंत्री की सलाह से आगामी वर्ष के आय–व्यय का बजट बनाना व कार्यकारिणी से स्वीकृत करवाना।
	(छ) संस्था की सभी आवश्यक सेवाओं एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात् खरीद किए गए सामान का निर्धारित समय पर भुगतान करवाना, अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षरों से बैंक से समस्त लेन–देन की समस्त कार्यवाही को संपादित करवाना।	(छ) संस्था की सभी आवश्यक सेवाओं एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात् खरीद किए गए सामान का निर्धारित समय पर भुगतान करवाना, अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से बैंक से समस्त लेन–देन की समस्त कार्यवाही को संपादित करवाना।
	(ज) स्थाई कोषों में प्राप्त राशि को बैंक में स्थाई जमाओं (Fixed Deposit) के रूप में जमा करवाना होगा एवं दानदाताओं द्वारा निर्धारित की गई मद में ही इसका उपयोग सुनिश्चित करना होगा।	(ज) स्थाई कोषों में प्राप्त राशि को बैंक में स्थाई जमाओं (Fixed Deposit) के रूप में जमा करवाना होगा एवं दानदाताओं द्वारा निर्धारित की गई मद में ही इसका उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
29. संगठन एवं प्रचार मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–	(29) संगठन मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–	32. संगठन मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–
(क) समाज की प्रचलित रीति के समयानुसार हितकारी परिवर्तन का प्रयत्न करना होगा।	(क) समाज की प्रचलित रीति के समयानुसार हितकारी परिवर्तन करना।	(क) समाज की प्रचलित रीति के समयानुसार हितकारी परिवर्तन करना।
(ख) समाज के नवयुवकों का संगठन करके उनका कार्य क्षेत्र निर्धारित करना होगा। समाज के कार्यार्थ उनका उपयोग करना होगा।	(ख) समाज के नवयुवकों / महिलाओं का संगठन करके उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित करना व समाज के कार्यार्थ उनका सहयोग करना व प्राप्त करना।	(ख) समाज के नवयुवकों / महिलाओं का संगठन करके उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित करना व समाज के कार्यार्थ उनका सहयोग करना व प्राप्त करना।
(ग) युवकों के चरित्र की ओर ध्यान रखना होगा।	(ग) समाज के बन्धुओं के चरित्र की ओर ध्यान रखना।	(ग) समाज के बन्धुओं के चरित्र की ओर ध्यान रखना।
(घ) जयपुर के माहेश्वरी समाज का गणनापत्र नियमानुसार रखना होगा।	(घ) जयपुर माहेश्वरी समाज की गणनापत्र एवं सदस्यता फार्म को नियमानुसार रखना।	(घ) जयपुर माहेश्वरी समाज की गणनापत्र एवं सदस्यता फार्म को नियमानुसार रखना।
(ङ) समाज को उन्नत करने के उपाय सोचकर कार्यकारिणी में प्रस्तुत करना होगा।	(ङ) समाज को उन्नत करने हेतु सुझाव महामंत्री के मार्फत कार्यकारिणी में रखना।	(ङ) समाज को उन्नत करने हेतु सुझाव महामंत्री के मार्फत कार्यकारिणी में रखना।
(च) संस्था के प्रति जनमत का ज्ञान प्राप्त करके अध्यक्ष/ महामंत्री को अवगत रखना होगा।	(च) संस्था के प्रति जनमत का ज्ञान प्राप्त करके अध्यक्ष / महामंत्री को अवगत करवाना।	(च) संस्था के प्रति जनमत का ज्ञान प्राप्त करके अध्यक्ष / महामंत्री को अवगत करवाना।
(छ) समाज सुधार संबंधी कार्य के व्यवस्थापन में कार्यकारिणी के आदेशानुसार सहयोग देना होगा।	(छ) समाज सुधार संबंधी कार्य के व्यवस्थापन में कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कार्य में सहयोग देना।	(छ) समाज सुधार संबंधी कार्य के व्यवस्थापन में कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कार्य में सहयोग देना।
(ज) सुधार कार्य में सहायक होने वाले जाति बंधुओं से सम्पर्क रखना होगा।	(ज) विधान के नियमानुसार (धारा 1 क, ख) सदस्यता स्वीकृत कर प्रदान करना।	(ज) विधान के नियमानुसार (धारा 1 क, ख) सदस्यता स्वीकृत कर प्रदान करना।
(झ) 'जयपुर माहेश्वरी पत्रिका' का प्रकाशन करवाना होगा।	(झ) नवयुवक मण्डल की प्रति माह होने वाली कार्यकारिणी सभा में उपस्थित होकर वहाँ होने वाले निर्णय की अध्यक्ष / महामंत्री को लिखित में अवगत करवाना।	(झ) नवयुवक मण्डल की प्रति माह होने वाली कार्यकारिणी सभा में उपस्थित होकर वहाँ होने वाले निर्णय की अध्यक्ष / महामंत्री को लिखित में अवगत करवाना।
	(ञ) विधानानुसार (धारा 1 ड) समाज की जनगणना करना या जनगणना एवं सदस्यता प्रपत्र की जॉच करना।	(ञ) विधानानुसार (धारा 1 ड) समाज की जनगणना करना या जनगणना एवं सदस्यता प्रपत्र की जाँच करना।
	(ट) चौकड़ीनुसार एवं जोननुसार समितियों का गठन करना।	(ट) चौकड़ीनुसार एवं जोननुसार समितियों का गठन करना।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
30. सहसंगठन व प्रचार मंत्री के कर्तव्य एवं अधिकार - (क) संगठन व प्रचार मंत्री की अनुपस्थिति में उनका कार्य अधिकार पूर्वक करना होगा। (ख)संगठन व प्रचार मंत्री को आवश्यकतानुसार सहयोग देना होगा।	पद समाप्त।	
	(30) प्रचार मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :– (क) 'जयपुर माहेश्वरी पत्रिका' का प्रतिमाह प्रकाशन करना। (ख) 'पत्रिका के प्रकाशन हेतु कमेटी का गठन करना। (ग) पत्रिका हेतु विज्ञापनों के लिए विज्ञापन समिति का गठन करना। (घ) समाज द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी समाज के बन्धुओं को पत्रिका के माध्यम से अवगत करवाना। (ङ) समाज कार्यकारिणी, शिक्षा समिति, जनोपयोगी भवन, विभिन्न कमेटिया/समितिया एवं समाज द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णय की अधिक से अधिक समाज बन्धुओं को सोशल मीडिया/मासिक पत्रिका के माध्यम से जानकारी देना। (च) समाज बन्धुओं द्वारा किए गए जन सेवा कार्यो व विशिष्ट उपलब्धियों की जानकारी पत्रिका के माध्यम से अवगत करना।	33. प्रचार मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :– (क) 'जयपुर माहेश्वरी पत्रिका' का प्रतिमाह प्रकाशन करना। (ख) 'पत्रिका के प्रकाशन हेतु कमेटी का गठन करना। (ग) पत्रिका हेतु विज्ञापनों के लिए विज्ञापन समिति का गठन करना। (घ) समाज द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी समाज के बन्धुओं को पत्रिका के माध्यम से अवगत करवाना। (ङ) समाज कार्यकारिणी, शिक्षा समिति, जनोपयोगी भवन, विभिन्न कमेटियाँ/समितियाँ एवं समाज द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णय की अधिक से अधिक समाज बन्धुओं को सोशल मीडिया/मासिक पत्रिका के माध्यम से जानकारी देना। (च) समाज बन्धुओं द्वारा किए गए जन सेवा कार्यों व विशिष्ट उपलब्धियों की जानकारी पत्रिका के माध्यम से अवगत करना।
31. भंडार मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :– (क) भंडार की समस्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना तथा उनका नाम, परिसंख्या पत्र नियमानुसार रखना होगा। (ख) भंडार की नियमावली बनाकर उसको कार्यकारिणी से स्वीकृति कराना होगा। समय पर आवश्यक संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन कराना होगा। तदनुसार कार्य करना होगा। (ग) वस्तुओं की क्षतिपूर्ति, जीर्णोद्धार, वृद्धिकरण आदि की स्वीकृति कार्यकारिणी से कराना होगा। (घ) नियमावली के अनुसार भंडार की वस्तुओं का प्रयोग होता रहे ऐसी व्यवस्था करना होगा। (ङ) नियम भंग तथा विलम्ब करने वाले उपभोक्ताओं की सूचना महामंत्री को देना होगा। (च) वस्तु भंडार के सामान के रख–रखाव आदि व आवश्यक	31. भंडार मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार : (क) भंडार की समस्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना तथा उनका नाम, परिसंख्या पत्र नियमानुसार रखना होगा। (ख) भंडार की नियमावली बनाकर उसको कार्यकारिणी से स्वीकृति कराना होगा। (ग) नियमावली के अनुसार भंडार की वस्तुओं का प्रयोग होता रहे ऐसी व्यवस्था करना होगा। (घ) नियम भंग तथा विलम्ब करने वाले उपभोक्ताओं की सूचना महामंत्री को देना होगा। (ङ) वस्तु भंडार के सामान का रख–रखाव करना एवं आवश्यक मरम्मत हेतु एवं खोए हुए बर्तनों के लिए शुल्क कार्यकारिणी से निर्धारित करना व उनकी वसूली करना होगा। (च) भण्डार के सामान को सुव्यवस्थित रखवाना होगा। (छ) भण्डार के कर्मचारियों को अनुशासित रखना एवं पालना नहीं करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी देना, आवश्यक होने पर महामंत्री को सूचित करना।	34. भंडार मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार : (क) भंडार की समस्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना तथा उनका नाम, परिसंख्या पत्र नियमानुसार रखना होगा। (ख) भंडार की नियमावली बनाकर उसको कार्यकारिणी से स्वीकृति कराना होगा। (ग) नियमावली के अनुसार भंडार की वस्तुओं का प्रयोग होता रहे ऐसी व्यवस्था करना होगा। (घ) नियम भंग तथा विलम्ब करने वाले उपभोक्ताओं की सूचना महामंत्री को देना होगा। (ङ) वस्तु भंडार के सामान का रख–रखाव करना एवं आवश्यक मरम्मत हेतु एवं खोए हुए बर्तनों के लिए शुल्क कार्यकारिणी से निर्धारित करवाना व उनकी वसूली करना होगा। (च) भण्डार के सामान को सुव्यवस्थित रखवाना होगा। (छ) भण्डार के कर्मचारियों को अनुशासित रखना एवं पालना नहीं करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी देना, आवश्यक होने पर महामंत्री को सूचित करना।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान

मरम्मत हेतु एवं खोये हुये बर्तनों के लिये शुल्क निध ारिण करना व उनकी वसूली करना होगा।

(छ) भण्डार के कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रखना होगा। दोषी कर्मचारियों को चेतावनी देना होगा, आवश्यकतानुसार दण्ड हेतु महामंत्री को सूचना देनी होगी।

(ज) भण्डार का वार्षिक कार्य–विवरण बनाकर महामंत्री को देना होगा।

(झ) शुल्क तथा मूल्य का रूपया भंडार के लेखे में कोषाध यक्ष के पास जमा कराना होगा।

(ञ) आवश्यकता होने पर व्यय की स्वीकृति सभा से लेनी होगी।

32. भवन मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :–

(क) भवन को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकता होने पर परिवर्तन, परिवर्धन, संबंधी सुझाव महामंत्री द्वारा कार्यकारिणी में रखना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्पादन कराना होगा।

(ख) अधिवेशनों के अवसरों पर स्थानादि की सुव्यवस्था करनी होगी।

(ग) भवन संबंधी कर्मचारियों को सुव्यवस्थित रखना होगा। दोषी की सूचना महामंत्री को देकर उचित कार्यवाही करानी होगी।

(घ) भावी निर्माण–कार्य का निरीक्षण एवं लेखा रखना होगा। व्यय आदि कार्यकारिणी की आज्ञानुसार करना होगा।

(ङ) नवीन सुझाव कार्यकारिणी के समक्ष महामंत्री द्वारा रखने होंगें।

(च) भवन का किराया आदि वसूल करके कोषाध्यक्ष के पास जमा कराना होगा।

(छ) कार्यकारिणी के आदेशानुसार भवन का उपयोग होता रहे इसका ध्यान रखना होगा। अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को अवगत रखना होगा।

(ज) संस्था के निमित्त आवश्यक्ता पड़ने पर 10000/- रु

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

संशोधन

(ज) भण्डार का वार्षिक कार्य–विवरण बनाकर महामंत्री को देना होगा।

(झ) शुल्क आदि कोषाध्यक्ष के पास जमा कराना।

(ञ) आवश्यकता होने पर व्यय हेतु कार्यकारिणी से स्वीकृति लेना।

32. भवन मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :

(क) समाज के सभी भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकतानुसार निर्माण एवं मरम्मत संबंधी सुझाव अध्यक्ष व महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी की सभा में रखवाना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित करवाना।

(ख) समाज कार्यालय में बिजली, पानी, सेनेट्री, सफाई इत्यादि आवश्यक सेवाओं की सुचारू व्यवस्था एवं एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट, डी.जी. सैट, सी.सी.टी.वी., कम्प्यूटर इत्यादि अन्य उपकरणों के रखरखाव को सुनिश्चित करना व इन सेवाओं, रखरखाव हेतु कार्यरत कर्मचारियों/ठेकेदारों के कार्यों की देखरेख करना। अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों की सूचना अध्यक्ष एवं महामंत्री को देकर उचित कार्यवाही करवाना।

(ग) समाज के भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) पर किसी पड़ौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रूकवाना एवं इसकी सूचना अध्यक्ष एवं महामंत्री को अवगत करवाते हुए उनकी सलाह से उचित कार्यवाही करना।

(घ) समाज के सभी भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) हेतु करवाए गए समस्त कार्यो का नियमानुसार भुगतान करने की व्यवस्था करवाना।

(ङ) समाज के सभी भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) के

संशोधन के बाद नियम

(ज) भण्डार का वार्षिक कार्य–विवरण बनाकर महामंत्री को देना होगा।

(झ) शुल्क आदि कोषाध्यक्ष के पास जमा कराना।

(ञ) आवश्यकता होने पर व्यय हेतु कार्यकारिणी से स्वीकृति लेना।

35. भवन मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :

(क) समाज के सभी भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) को सुव्यवस्थित रखना तथा आवश्यकतानुसार निर्माण एवं मरम्मत संबंधी सुझाव अध्यक्ष व महामंत्री के माध्यम से कार्यकारिणी की सभा में रखवाना एवं स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य सम्पादित करवाना।

(ख) समाज कार्यालय में बिजली, पानी, सेनेट्री, सफाई इत्यादि आवश्यक सेवाओं की सुचारू व्यवस्था एवं एयर कंडीशनिंग, लिफ्ट, डी.जी. सैट, सी.सी.टी.वी., कम्प्यूटर इत्यादि अन्य उपकरणों के रखरखाव को सुनिश्चित करना व इन सेवाओं, रखरखाव हेतु कार्यरत कर्मचारियों/ठेकेदारों के कार्यों की देखरेख करना। अकुशल एवं दोषी कर्मचारियों की सूचना अध्यक्ष एवं महामंत्री को देकर उचित कार्यवाही करवाना।

(ग) समाज के भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) पर किसी पड़ौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रूकवाना एवं इसकी सूचना अध्यक्ष एवं महामंत्री को अवगत करवाते हुए उनकी सलाह से उचित कार्यवाही करना।

(घ) समाज के सभी भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) हेतु करवाए गए समस्त कार्यों का नियमानुसार भुगतान करने की व्यवस्था करवाना।

(ङ) समाज के सभी भवनों (जनोपयोगी भवनों के अलावा) के

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhuty
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
तक का व्यय कर सकेगा। (झ) समाज भवनों पर किसी पड़ौसी या अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा, तामीरात आदि को रोकना होगा। अगर आवश्यक हो तो कानूनी कार्यवाही समाज के अध्यक्ष की अनुमति से तत्काल करना जिसके लिये कानूनी सलाहकार की सेवाएं समाज के खर्चे से प्राप्त करने का अधिकार होगा।	कार्यों के लिए बजट अनुसार त्रैमासिक रू. 10000/– तक का राशि बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च कर सकेगा। (च) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत भवनों आदि का किराया आदि वसूल करके कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाना आवश्यक होगा। (छ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के आदेशानुसार भवनों का उपयोग सुनिश्चित करना एवं अध्यक्ष एवं महामंत्री को इससे अवगत करवाना होगा।	कार्यों के लिए बजट अनुसार त्रैमासिक रु. 10,000/– तक की राशि बिना पूर्व स्वीकृति के खर्च कर सकेगा। (च) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत भवनों आदि का किराया आदि वसूल करके कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाना आवश्यक होगा। (छ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी के आदेशानुसार भवनों का उपयोग सुनिश्चित करना एवं अध्यक्ष एवं महामंत्री को इससे अवगत करवाना होगा।
33. सांस्कृतिक मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार :– (क) समाज के सभी उत्सवों जैसे महेश नवमी, सूर्य सप्तमी, दीपावली व होली स्नेह–सम्मेलन इत्यादि एवं कार्यकारिणी द्वारा निश्चित विभिन्न समयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। (ख) समाज में सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का प्रचार व प्रसार करना होगा।	33. सांस्कृतिक मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार : (क) समाज के सभी उत्सवों जैसे महेश नवमी, सूर्य सप्तमी, दीपावली व होली स्नेह–सम्मेलन इत्यादि एवं कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करना। (ख) समाज में सांस्कृतिक व सामाजिक गतिवधियों का प्रचार व प्रसार करना। (ग) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु उचित मंच प्रदान करना।	36. सांस्कृतिक मंत्री के कर्त्तव्य व अधिकार : (क) समाज के सभी उत्सवों जैसे महेश नवमी, सूर्य सप्तमी, दीपावली व होली स्नेह–सम्मेलन इत्यादि एवं कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक समारोह का आयोजन करना। (ख) समाज में सांस्कृतिक व सामाजिक गतिवधियों का प्रचार व प्रसार करना। (ग) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने हेतु उचित मंच प्रदान करना।
34. विवाह प्रकोष्ठ मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार :– (क) समाज कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन करना। (ख) उपरोक्त कार्यक्रम के निमित्त आवश्यकता पड़ने पर 10,000/– तक का व्यय कर सकेगा। (ग) उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मैरिज ब्यूरो का गठन करना। (घ) मैरिज ब्यूरो में विवाह योग्य युवक–युवतियों की सूची कम्प्यूटर में रखना एवं समय–समय पर विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त कर उसको अपडेट करते रहना।	34. विवाह प्रकोष्ठ मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार : (क) समाज कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन करना। (ख) उपरोक्त कार्यक्रम के निमित्त आवश्यकता पड़ने पर 10,000/– तक का व्यय कर सकेगा। (ग) उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मैरिज ब्यूरो का गठन करना। (घ) मैरिज ब्यूरो में विवाह योग्य युवक–युवतियों का Data संग्रहीत करना एवं समय–समय पर विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त कर उसको वेवसाईट तथा कम्प्यूटर रिकार्ड में अपडेट करते रहना।	37. विवाह प्रकोष्ठ मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार : (क) समाज कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति के पश्चात् सामूहिक विवाह एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन करना। (ख) उपरोक्त कार्यक्रम के निमित्त आवश्यकता पड़ने पर 10,000/– तक का व्यय कर सकेगा। (ग) उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मैरिज ब्यूरो का गठन करना। (घ) मैरिज ब्यूरो में विवाह योग्य युवक–युवतियों का Data संग्रहीत करना एवं समय–समय पर विभिन्न स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त कर उसको वेवसाईट तथा कम्प्यूटर रिकार्ड में अपडेट करते रहना।
	35. आरोग्य मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार :– (क) समाज द्वारा संचालित श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक/डायलेसिस सेन्टरों का नियमानुसार संचालन करना। (ख) डायग्नोस्टिक/ डायलेसिस सेन्टरों के त्रैमासिक फण्ड फ्लो का स्टेटमेन्ट, समयानुसार श्री माहेश्वरी समाज के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा। महामंत्री के चाहने पर इससे पूर्व भी फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट मंगाया जा सकेगा।	38. स्वास्थ्य मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार :– (क) समाज द्वारा संचालित श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक/ डायलेसिस सेन्टरों का नियमानुसार संचालन करना। (ख) डायग्नोस्टिक/डायलेसिस सेन्टरों के त्रैमासिक फण्ड फ्लो का स्टेटमेन्ट समयानुसार श्री माहेश्वरी समाज के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा। महामंत्री के चाहने पर इससे पूर्व भी फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट मंगाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(ग) डायग्नोस्टिक सेन्टर में हुई गतिविधियों का ब्यौरा त्रैमासिक रूप से श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।	(ग) डायग्नोस्टिक सेन्टर में हुई गतिविधियों का ब्यौरा त्रैमासिक रूप से श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।
	(घ) प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित वित्तीय बजट समिति द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।	(घ) प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित वित्तीय बजट समिति द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।
	(ङ) डायग्नोस्टिम सेन्टर की सरप्लस राशि का 75 प्रतिशत प्रतिवर्ष मई माह में समाज को स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।	(ङ) डायग्नोस्टिम सेन्टर की <u>अनुमानित</u> सरप्लस राशि का 75 प्रतिशत प्रतिवर्ष मई माह में समाज को स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।
	36. वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकारः–	39. वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकारः–
	(क) समाज द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों का नियमानुसार संचालन करना।	(क) समाज द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों का नियमानुसार संचालन करना।
	(ख) वृद्धाश्रम के त्रैमासिक फण्ड फ्लो का स्टेटमेन्ट समयानुसार श्री माहेश्वरी समाज के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा। महामंत्री के चाहने पर इससे पूर्व भी फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट मंगाया जा सकेगा।	(ख) वृद्धाश्रम के त्रैमासिक फण्ड फ्लो का स्टेटमेन्ट समयानुसार श्री माहेश्वरी समाज के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा। महामंत्री के चाहने पर इससे पूर्व भी फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट मंगाया जा सकेगा।
	(ग) वृद्धाश्रम में हुई गतिविधियों का ब्यौरा त्रैमासिक रूप से श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।	(ग) वृद्धाश्रम में हुई गतिविधियों का ब्यौरा त्रैमासिक रूप से श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।
	(घ) प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित वित्तीय बजट समिति द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।	(घ) प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित वित्तीय बजट समिति द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।
	(ङ) वृद्धाश्रम की सरप्लस राशि का 75 प्रतिशत प्रतिवर्ष मई माह में समाज को स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।	(ङ) वृद्धाश्रम की <u>अनुमानित</u> सरप्लस राशि का 75 प्रतिशत प्रतिवर्ष मई माह में समाज को स्थानान्तरित करना अनिवार्य होगा।
	43. महेश सेवा कोष मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार :–	40. महेश सेवा कोष मंत्री के कर्त्तव्य एवं अधिकार :–
	(क) महेश सेवा कोष की नियमावली के अनुरूप कार्य करना।	(क) महेश सेवा कोष की नियमावली के अनुरूप कार्य करना।
	(ख) इस कोष हेतु गठित समिति की त्रैमासिक सभा आयोजित कर गतिविधियों की जानकारी देना।	(ख) इस कोष हेतु गठित समिति की त्रैमासिक सभा आयोजित कर गतिविधियों की जानकारी देना।
	(ग) कोष से नई सहायता स्वीकृत करना।	(ग) कोष से नई सहायता स्वीकृत करना।
	(घ) कोष से पूर्व में दी जा रही सहायता का माह अप्रेल मे नवीनीकरण करना।	(घ) कोष से पूर्व में दी जा रही सहायता का माह अप्रैल मे नवीनीकरण करना।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	(ङ) सहायता हेतु आए आवेदनों की जाँच करना तथा आवश्यकता होने पर स्वतन्त्र एजेन्सी से जाँच करवाना।	(ङ) सहायता हेतु आए आवेदनों की जाँच करना तथा आवश्यकता होने पर स्वतन्त्र एजेन्सी से जाँच करवाना।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
               अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	42. महेश सेवा कोष : (क) इस हेतु पांच सदस्य 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा जो श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्य होंगे। (i) दो सदस्य भूतपूर्व अध्यक्षों में से (ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तीन सदस्य (श्री माहेश्वरी समाज, जयुपर की कार्यकारिणी के सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं हो सकेगें)। नोट : इनके अतिरिक्त वर्तमान समाज अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष (अर्थ), अर्थमंत्री व संयोजक महेश सेवा कोष (कार्यकारिणी सदस्यों में से) अर्थात समिति में कुल 10 सदस्य होगें। (ख) समिति द्वारा नियमावली में प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन नियम/निर्णयों का कार्यकारिणी द्वारा कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से स्वीकृत करने के पश्चात ही क्रियान्वित किया जा सकेगा। (ग) चुनावी वर्ष में आमतौर पर 31 जनवरी के उपरान्त किसी भी प्रकार नए परिवार/सदस्य को महेश सेवा कोष द्वारा सहायता प्रदान करना प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा। (घ) समाज कार्यकारिणी द्वारा चुनावी वर्ष में 31 जनवरी के उपरान्त किसी भी प्रकार की नई सहायता की घोषणा व वृद्धि नहीं की जा सकेगी एवं समिति द्वारा नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं किया जा सकेगा। (ड़) भविष्य में समय समय पर महेश सेवा कोष के उद्धेश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होने वाले कोषों की सम्पूर्ण राशि केवल महेश सेवा कोष में ही जमा कर उपयोग की जा सकेगी। (च) महेश सेवा कोष से सहायता लेने वाले सदस्य/परिवार को निर्धारित प्रपत्र पर वर्तमान चौकड़ी कार्यकारिणी का सदस्यद्वारा हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा। (छ) समिति को सदस्य द्वारा सहायता चाहने पर स्वतत्रं ऐजेन्सी से सत्यापन करवाने का अधिकार होगा। महेश सेवा कोष (नियमावली) :- महेश सेवा कोष से उन माहेश्वरी सदस्यों को जिनके परिवार की समिति द्वारा वर्तमान में निर्धारित मासिक आय	41. महेश सेवा कोष : (क) इस हेतु पाँच सदस्यीय कमेटी का गठन कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा जो श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के सदस्य होंगे। (i) दो सदस्य भूतपूर्व अध्यक्षों में से (ii) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के तीन सदस्य (श्री माहेश्वरी समाज, जयुपर की कार्यकारिणी के सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे)। नोट : इनके अतिरिक्त वर्तमान समाज अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष (अर्थ), अर्थमंत्री व संयोजक महेश सेवा कोष (कार्यकारिणी सदस्यों में से) अर्थात् समिति में कुल 10 सदस्य होंगे। (ख) समिति द्वारा नियमावली में प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/नियम/निर्णयों का कार्यकारिणी द्वारा कुल सदस्यों की 2/3 बहुमत से स्वीकृत करने के पश्चात् ही क्रियान्वित किया जा सकेगा। (ग) चुनावी वर्ष में आमतौर पर 31 जनवरी के उपरान्त किसी भी प्रकार नए परिवार/सदस्य को महेश सेवा कोष द्वारा सहायता प्रदान करना प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा। (घ) समाज कार्यकारिणी द्वारा चुनावी वर्ष में 31 जनवरी के उपरान्त किसी भी प्रकार की नई सहायता की घोषणा व वृद्धि नहीं की जा सकेगी एवं समिति द्वारा नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन/परिवर्द्धन नहीं किया जा सकेगा। (ड़) भविष्य में समय समय पर महेश सेवा कोष के उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होने वाले कोषों की सम्पूर्ण राशि केवल महेश सेवा कोष में ही जमा कर उपयोग की जा सकेगी। (च) महेश सेवा कोष से सहायता लेने वाले सदस्य/परिवार को निर्धारित प्रपत्र पर वर्तमान चौकड़ी कार्यकारिणी का सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा। (छ) समिति को सदस्य द्वारा सहायता चाहने पर स्वतंत्र एजेन्सी से सत्यापन करवाने का अधिकार होगा। महेश सेवा कोष (नियमावली) :- महेश सेवा कोष से उन माहेश्वरी सदस्यों को जिनके परिवार की समिति द्वारा तत्समय में निर्धारित मासिक आय

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	अथवा उससे कम है, सहायता की जा सकती है। महेश सेवा कोष द्वारा निम्नानुसार सहायता दी जा सकती है :—	अथवा उससे कम है, सहायता की जा सकती है। महेश सेवा कोष द्वारा निम्नानुसार सहायता दी जा सकती है :—
	मासिक सहायता विधवा बहनों एवं वृद्ध सदस्यों को, जिनकी आय का कोई भी साधन नहीं है, सेवा कोष से समिति द्वारा वर्तमान में निर्धारित राशि प्रतिमाह भरण पोषण हेतु सहयोग राशि दी जा सकती है।	मासिक सहायता विधवा बहनों एवं वृद्ध सदस्यों को, जिनकी आय का कोई भी साधन नहीं है, सेवा कोष से समिति द्वारा तत्समय में निर्धारित सहयोग राशि प्रतिमाह भरण पोषण हेतु दी जा सकती है।
	चिकित्सा सहायता महेश अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में चिकित्सा पर (निजि चिकित्सालयों में नही) औषधियों, शल्य–चिकित्सा एवं अन्य जाँचों (समाज द्वारा संचालित डायग्नोस्टिक सेन्टर में अधिकृत अस्पताल के परामर्श करायी गई जांचें सम्मिलित) हेतु समिति द्वारा वर्तमान में निर्धारित राशि वार्षिक तक के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जा सकता है। उन बिलों का भुगतान जो दो माह पूर्व के होंगे भुगतान योग्य नहीं है।	चिकित्सा सहायता महेश अस्पताल एवं सरकारी अस्पताल में चिकित्सा पर (निजि चिकित्सालयों में नहीं) औषधियों, शल्य–चिकित्सा एवं अन्य जाँचों (समाज द्वारा संचालित डायग्नोस्टिक सेन्टर में अधिकृत अस्पताल के परामर्श करायी गई जाँचें सम्मिलित) हेतु समिति द्वारा तत्समय में निर्धारित राशि वार्षिक तक के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जा सकता है। उन बिलों का भुगतान जो दो माह पूर्व के होंगे भुगतान योग्य नहीं है।
	शिक्षा सहायता उन परिवारों को जिनकी आय का कोई साधन नहीं है, विद्यालय फीस हेतु समिति द्वारा वर्तमान में निर्धारित राशि की वार्षिक सहायता दी जा सकती है (प्रति बालक / बालिका अधिकतम दो बच्चों हेतु)।	शिक्षा सहायता उन परिवारों को जिनकी निर्धारित मासिक आय नहीं है, विद्यालय फीस हेतु समिति द्वारा तत्समय में निर्धारित राशि की वार्षिक सहायता दी जा सकती है (प्रति बालक / बालिका अधिकतम दो बच्चों हेतु)।
	शिक्षा प्रोत्साहन जिन परिवारों की आय का कोई साधन नहीं है, के बच्चों को उच्च शिक्षा में व्यवधान न हो इस हेतु समिति द्वारा वर्तमान में निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा सकेगी। इस प्रोत्साहन राशि की समय सीमा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग कॉलेज हेतु 4 वर्ष, मेडीकल कॉलेज हेतु 5 वर्ष एवं सी.ए. इस्टीट्यूट हेतु 3 वर्ष तक दी जा सकेगी।	शिक्षा प्रोत्साहन जिन परिवारों की आय का कोई साधन नहीं है, के बच्चों को उच्च शिक्षा में व्यवधान न हो इस हेतु समिति द्वारा तत्समय में निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा सकेगी। इस प्रोत्साहन राशि की समय सीमा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त इंजिनियरिंग कॉलेज हेतु 4 वर्ष, मेडीकल कॉलेज हेतु 5 वर्ष एवं सी.ए. इस्टीट्यूट हेतु 3 वर्ष तक दी जा सकेगी।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	44. वृद्धाश्रम (क) वृद्धाश्रम हेतु समिति का गठन श्री माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की सलाह से (पूर्व में दानदाता द्वारा प्रस्तावित शर्त के अनुसार) किया जाएगा। इस समिति के सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के ही होगें।	42. वृद्धाश्रम (क) वृद्धाश्रम हेतु समिति का गठन श्री माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की सलाह से (पूर्व में दानदाता द्वारा प्रस्तावित शर्त के अनुसार) किया जाएगा। इस समिति के सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के ही होंगे।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(ख) वृद्धाश्रम के त्रैमासिक फण्ड फ्लो का स्टेटमेन्ट समयानुसार श्री माहेश्वरी समाज के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा। महामंत्री के चाहने पर इससे पूर्व भी फण्ड फ्लो स्टेटमेन्ट मंगाया जा सकेगा।	विलोपित किया गया।
	(ग) वृद्धाश्रम में हुई गतिविधियों का ब्यौरा त्रैमासिक रूप से श्री माहेश्वरी समाज के महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।	विलोपित किया गया।
	(घ) वित्तीय लेखों का रखरखाव श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अधीन होगा तथा राशि का उपमोग श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सहमति से ही किया जा सकेगा।	(ख) वित्तीय लेखों का रखरखाव श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अधीन होगा तथा राशि का उपमोग श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सहमति से ही किया जा सकेगा।
	(ङ) प्रतिवर्ष फरवरी माह में आगामी वित्तीय वर्ष का संभावित वित्तीय बजट समिति द्वारा स्वीकृत करवाकर समाज महामंत्री को भेजना अनिवार्य होगा।	विलोपित किया गया।
	(च) समिति द्वारा वृद्धाश्रम हेतु शुल्क एवं नियम आपस में विचार विमर्श कर समाज महामंत्री को प्रेषित कर देंगे जिसको महामंत्री द्वारा आगामी कार्यकारिणी सभा में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क एव नियमावली लागू कर सकेंगे।	(ग) समिति द्वारा वृद्धाश्रम हेतु शुल्क एवं नियम आपस में विचार विमर्श कर समाज महामंत्री को प्रेषित कर देंगे जिसको महामंत्री द्वारा आगामी कार्यकारिणी सभा में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क एव नियमावली लागू कर सकेंगे।
	(छ) वृद्धाश्रम हेतु बैंक खाता अलग खोला जाएगा जिसका संचालन समाज अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।	(घ) वृद्धाश्रम हेतु बैंक खाता अलग खोला जाएगा जिसका संचालन समाज अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।
	45. चिकित्सा क्षेत्र	43. चिकित्सा क्षेत्र
	(क) इस हेतु समिति का गठन श्री माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की सलाह से (पूर्व में दानदाता द्वारा प्रस्तावित शर्त के अनुसार) किया जाएगा। इस समिति में एक डाक्टर एवं एक सदस्य कार्यकारिणी का होना अनिवार्य है। इस समिति के सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के ही होगें।	(क) इस हेतु समिति का गठन श्री माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की सलाह से (पूर्व में दानदाता द्वारा प्रस्तावित शर्त के अनुसार) किया जाएगा। इस समिति में एक डॉक्टर एवं एक सदस्य कार्यकारिणी का होना अनिवार्य है। इस समिति के सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के ही होंगे।
	(ख) वित्तीय लेखों का रखरखाव श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अधीन होगा तथा राशि का उपमोग श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सहमति से ही किया जा सकेगा।	(ख) वित्तीय लेखों का रखरखाव श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अधीन होगा तथा राशि का उपभोग श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की सहमति से ही किया जा सकेगा।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	(ग) समिति द्वारा डायग्नोस्टिक सेन्टर हेतु शुल्क एवं नियम आपस में विचार विमर्श कर समाज महामंत्री को प्रेषित कर देंगे जिसको महामंत्री द्वारा आगामी कार्यकारिणी सभा में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत	(ग) समिति द्वारा डायग्नोस्टिक सेन्टर हेतु शुल्क एवं नियम आपस में विचार विमर्श कर समाज महामंत्री को प्रेषित कर देंगे जिसको महामंत्री द्वारा आगामी कार्यकारिणी सभा में स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	होने के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क एव नियमावली लागू कर सकेंगें।	होने के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क एवं नियमावली लागू कर सकेंगे।
	¼?k½bl I fefr gsrq cSad [kkrk vyx [kksyk tk,xk ftldk I apkyu I ekt v/;{k] egkea=h ,oa dks"kk/;{k esa ls fdUgha nks inkf/kdkfj;ksa ds la;qDr gLrk{kjksa ls fd;k tk I dsxkA	(घ) इस समिति हेतु बैंक खाता अलग खोला जाएगा जिसका संचालन समाज अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।
	46. अस्थाई आवास (हॉस्टल) के नियम (विद्यालय / महाविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास के अतिरिक्त)	44. अस्थाई आवास (हॉस्टल) के नियम (विद्यालय / महाविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास के अतिरिक्त)
	(क) केवल बाहर से आने वाले स्वजातिय बन्धुओं के लिए अस्थाई आवास (हॉस्टल) की व्यवस्था की जाएगी।	(क) केवल बाहर से आने वाले स्वजातीय बन्धुओं के लिए अस्थाई आवास (हॉस्टल) की व्यवस्था की जाएगी।
	(ख) इसका उपयोग निम्न रूप से हो सकेगा	(ख) इसका उपयोग निम्न रूप से हो सकेगा
	(i) शिक्षा / उच्च शिक्षा हेतु बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए (25% अस्थाई आवास में) पूर्ण शैक्षणिक वर्ष हेतु उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अधिकतम एक माह रहे सकेगें।	(i) शिक्षा / उच्च शिक्षा हेतु बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए (25% अस्थाई आवास में) पूर्ण शैक्षणिक वर्ष हेतु उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अधिकतम एक माह रहे सकेंगे।
	(ii) स्वास्थ्य कारणों (चिकित्सा हेतु) के कारण बाहर से आने वाले स्वजातिय बन्धुओं हेतु अधिकतम एक माह के लिए। इससे अधिक अपरिहार्य कारणों से एक माह से अधिक रूकने वाले स्वजातिय बन्धु को समिति से पुनः स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। हॉस्टल में मरीज के अटेन्डेन्ट को अतिरिक्त कमरा नहीं दिया जाएगा, उसकों रोगी के साथ ही उसी कमरे में रहने की व्यवस्था करनी होगी।	(ii) स्वास्थ्य कारणों (चिकित्सा हेतु) के कारण बाहर से आने वाले स्वजातीय बन्धुओं हेतु अधिकतम एक माह के लिए। इससे अधिक अपरिहार्य कारणों से एक माह से अधिक रूकने वाले स्वजातीय बन्धु को समिति से पुनः स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। हॉस्टल में मरीज के अटेन्डेन्ट को अतिरिक्त कमरा नहीं दिया जाएगा, उसको रोगी के साथ ही उसी कमरे में रहने की व्यवस्था करनी होगी।
	(iii) व्यवसाय / सर्विस हेतु बाहर से आने वाले स्वजातिय बन्धु को स्वयं की स्थाई व्यवस्था करने तक अथवा अधिकतम 15 दिन तक रहने की अनुमति दी जा सकेगी।	(iii) व्यवसाय / सर्विस हेतु बाहर से आने वाले स्वजातीय बन्धु को स्वयं की स्थाई व्यवस्था करने तक अथवा अधिकतम 15 दिन तक रहने की अनुमति दी जा सकेगी।
	(ग) इस हेतु समिति का गठन किया जाएगा जिसके संयोजक की नियुक्ति समाज अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं संयोजक की सलाह से अन्य सदस्य मनोनीत किए जा सकेंगे। इस समिति में एक सदस्य समाज कार्यकारिणी से होना अनिवार्य है। समिति पूर्णतया माहेश्वरी समाज जयपुर के सदस्यों में से ही बनाई जा सकेगी। समाज के अध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव शिक्षा एवं समाज कोषाध्यक्ष इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।	(ग) इस हेतु समिति का गठन किया जाएगा जिसके संयोजक की नियुक्ति समाज अध्यक्ष द्वारा की जाएगी एवं संयोजक की सलाह से अन्य सदस्य मनोनीत किए जा सकेंगे। इस समिति में एक सदस्य समाज कार्यकारिणी से होना अनिवार्य है। समिति पूर्णतया माहेश्वरी समाज जयपुर के सदस्यों में से ही बनाई जा सकेगी। समाज के अध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव शिक्षा एवं समाज कोषाध्यक्ष इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

112

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	(घ) इस समिति हेतु बैंक खाता अलग से खोला जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष, महामंत्री एवं समाज कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।	(घ) इस समिति हेतु बैंक खाता अलग से खोला जाएगा जिसका संचालन अध्यक्ष, महामंत्री एवं समाज कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।
	(ङ) अस्थाई आवास व्यवस्था हॉस्टल के किराए व अन्य सुविधाओं हेतु समिति विचार विमर्श कर निर्धारित शुल्क एवं नियम में संशोधन हेतु महामंत्री को भेज देंगें जिसको महामंत्री द्वारा आगामी कार्यकारिणी सभा में स्वीकृति हेतु रखना अनिवार्य होगा एवं कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क एवं नियम इत्यादि लागू कर सकेगें।	(ङ) अस्थाई आवास व्यवस्था हॉस्टल के किराए व अन्य सुविधाओं हेतु समिति विचार विमर्श कर निर्धारित शुल्क एवं नियम में संशोधन हेतु महामंत्री को भेज देंगें जिसको महामंत्री द्वारा आगामी कार्यकारिणी सभा में स्वीकृति हेतु रखना अनिवार्य होगा एवं कार्यकारिणी की स्वीकृति के पश्चात् ही निर्धारित शुल्क एवं नियम इत्यादि लागू कर सकेंगे।
35. पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का उत्तरदायित्वः—	37. पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का उत्तदायित्वः—	45. पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का उत्तदायित्वः—
(क) कार्यकारिणी में प्रत्येक उपस्थित विषय का पूर्णतया विचार—विमर्श एवं अनुसंधान करने के पश्चात् पक्षपात—रहित शान्त और स्वस्थ चित्त से संस्था का हित सर्वदा समक्ष रखते हुये न्याय—संगत निर्णय देना होगा। जिससे संस्था एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का किसी प्रकार अनहित न हो सके और कार्य—संचालन में बाधा न हो।	(क) कार्यकारिणी में प्रत्येक उपस्थित विषय का पूर्णतया विचार—विमर्श एवं अनुसंधान करने के पश्चात् पक्षपात—रहित शान्त और स्वस्थ चित्त से संस्था का हित सर्वदा समक्ष रखते हुए न्याय—संगत निर्णय देना होगा। जिससे संस्था एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का किसी प्रकार अनहित न हो सके और कार्य—संचालन में बाधा न हो।	(क) कार्यकारिणी में प्रत्येक उपस्थित विषय का पूर्णतया विचार—विमर्श एवं अनुसंधान करने के पश्चात् पक्षपात—रहित शान्त और स्वस्थ चित्त से संस्था का हित सर्वदा समक्ष रखते हुए न्याय—संगत निर्णय देना होगा। जिससे संस्था एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का किसी प्रकार अनहित न हो सके और कार्य—संचालन में बाधा न हो।
(ख) कार्यकारिणी में सबको परस्पर सम्मान, सद्व्यवहार एवं प्रेम के साथ कार्य करना होगा और अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना होगा।	(ख) कार्यकारिणी में सबको परस्पर सम्मान, सद्व्यवहार एवं प्रेम के साथ कार्य करना होगा और अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना होगा।	(ख) कार्यकारिणी में सबको परस्पर सम्मान, सद्व्यवहार एवं प्रेम के साथ कार्य करना होगा और अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना होगा।
(ग) संस्था के निर्धारित नियमों का सर्वथा पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले को अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के सामूहिक निर्णय का पालन करना होगा।	(ग) संस्था के निर्धारित नियमों का सर्वथा पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले को अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के सामूहिक निर्णय का पालन करना होगा।	(ग) संस्था के निर्धारित नियमों का सर्वथा पालन करना होगा। उल्लंघन करने वाले को अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों के सामूहिक निर्णय का पालन करना होगा।
(घ) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत मत दे सकेगा और नियमानुसार प्रस्ताव कर सकेगा।	(घ) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत मत दे सकेगा और नियमानुसार प्रस्ताव कर सकेगा।	(घ) प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत मत दे सकेगा और नियमानुसार प्रस्ताव कर सकेगा।
(ङ) कोई सदस्य न रहना चाहे तो उसको लिखित त्यागपत्र कार्यकारिणी में देना होगा और उसका निर्णय प्राप्त करके पृथक् हो सकेगा।	(ङ) यदि कोई सदस्य कार्यकारिणी/पद पर नहीं रहना चाहे तो उसको लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष/महामंत्री को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्यकारिणी की स्वीकृती के पश्चात् ही पृथक हो सकेगा।	(ङ) यदि कोई सदस्य कार्यकारिणी/पद पर नहीं रहना चाहे तो उसको लिखित त्यागपत्र अध्यक्ष/महामंत्री को प्रस्तुत करना होगा तथा कार्यकारिणी की स्वीकृती के पश्चात् ही पृथक हो सकेगा।
(च) परस्पर सहयोग की भावना हृदय में रखकर कार्य करना होगा।	(च) परस्पर सहयोग की भावना रखकर कार्य करना होगा।	(च) परस्पर सहयोग की भावना रखकर कार्य करना होगा।
(छ) कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य कार्यकारिणी की कार्यवाही को बिना कार्यकारिणी की स्वीकृति के किसी	(छ) कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य कार्यकारिणी की कार्यवाही को बिना महामंत्री की स्वीकृति के किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकेगा।	(छ) कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य कार्यकारिणी की कार्यवाही को बिना महामंत्री की स्वीकृति के किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकेगा।
	(ज) कार्यकारिणी द्वारा समय—समय पर आयोजित कार्यक्रम/प्रकाशित पत्रिका/कूपन वितरण को स्वयं की	(ज) कार्यकारिणी द्वारा समय—समय पर आयोजित कार्यक्रम/प्रकाशित पत्रिका/कूपन वितरण को स्वयं की

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
भी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकेगा।	चौकड़ी में घर–घर पहुँचाने में सहयोग करना होगा।	चौकड़ी में घर–घर पहुँचाने में सहयोग करना होगा।
(ज) 'कार्यकारिणी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम/प्रकाशित पत्रिका/कूपन वितरण को स्वयं की चौकड़ी में घर-घर पहुंचाने में सहयोग करना होगा।	(झ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एवं इसके अन्तर्गत/तत्वावधान में संचालित संस्थाओं/समितियों के पदाधिकारी/संयोजक/सदस्य पदनाम से शिकायत/अवांछनिय पत्र व्यवहार नहीं कर सकेंगे।	(झ) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एवं इसके अन्तर्गत/तत्वावधान में संचालित संस्थाओं/समितियों के पदाधिकारी/संयोजक/सदस्य पदनाम से शिकायत/अवांछनिय पत्र व्यवहार नहीं कर सकेंगे।
36. समाज के साधारण सदस्य के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–	**38. समाज के साधारण सदस्य के अधिकार व कर्त्तव्य :**	**46. समाज के साधारण सदस्य के अधिकार व कर्त्तव्य :**
(क) समाज के समस्त सदस्य मतदान के दिन स्वयं उपस्थित होकर मतदान में भाग ले सकेंगे।	(क) समाज के समस्त सदस्य मतदान के दिन स्वयं उपस्थित होकर मतदान में भाग ले सकेंगे।	(क) समाज के समस्त सदस्य मतदान के दिन स्वयं उपस्थित होकर मतदान में भाग ले सकेंगे।
(ख) समाज के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य हेतु निश्चित आयु के पश्चात् उम्मीदवार के रूप में नियमानुसार भाग ले सकेंगे।	(ख) समाज के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य हेतु निश्चित आयु के पश्चात् उम्मीदवार के रूप में नियमानुसार भाग ले सकेंगे।	(ख) समाज के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य हेतु निश्चित आयु के पश्चात् उम्मीदवार के रूप में नियमानुसार भाग ले सकेंगे।
(ग) समाज के 201 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मय पता एवं चौकड़ी सहित लिखित में प्रस्ताव आने पर महामंत्री को आगामी कार्यकारिणी की समा या अधिकतम अगले 30 दिनों में होने वाली कार्यकारिणी की सभा के एजेण्डा के रूप में रखना अनिवार्य होगा।	(ग) समाज के 501 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मय पता एवं चौकड़ी सहित लिखित में प्रस्ताव आने पर महामंत्री को आगामी कार्यकारिणी की सभा या अधिकतम अगले 30 दिनों में होने वाली कार्यकारिणी की सभा के एजेण्डा के रूप में रखना अनिवार्य होगा।	(ग) समाज के 501 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मय पता एवं चौकड़ी सहित लिखित में प्रस्ताव आने पर महामंत्री को आगामी कार्यकारिणी की सभा या अधिकतम अगले 30 दिनों में होने वाली कार्यकारिणी की सभा के एजेण्डा के रूप में रखना अनिवार्य होगा।
(घ) समाज की साधारण सभाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपने विचार प्रकट कर सकेगा एवं आवश्यकता होने पर मतदान में भाग ले सकेगा।	(घ) समाज की साधारण सभाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपने विचार प्रकट कर सकेगा एवं आवश्यकता होने पर मतदान में भाग ले सकेगा।	(घ) समाज की साधारण सभाओं में प्रस्तुत प्रस्तावों पर अपने विचार प्रकट कर सकेगा।
(ङ) माहेश्वरी समाज के सेवा कार्यों में सहयोग करना एवं समय–समय पर यथोचित तन–मन–धन से सहयोग करना।	(ङ) माहेश्वरी समाज के सेवा कार्यों में सहयोग करना एवं समय–समय पर यथोचित तन–मन–धन से सहयोग करना।	(ङ) माहेश्वरी समाज के सेवा कार्यों में सहयोग करना एवं समय–समय पर यथोचित तन–मन–धन से सहयोग करना।
	(च) कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य कार्यकारिणी की कार्यवाही को बिना महामंत्री की स्वीकृति के किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकेगा।	(च) समाज का कोई भी सदस्य कार्यकारिणी की कार्यवाही को बिना महामंत्री की स्वीकृति के किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं कर सकेगा।
	(छ) समाज के साधारण सदस्य किसी भी कमेटी/समिति के संयोजक व अन्य पद पर लगातार दो सत्र से अधिक नहीं बन सकेगें।	(छ) समाज के साधारण सदस्य किसी भी कमेटी/समिति के संयोजक व अन्य पद पर लगातार दो सत्र से अधिक नहीं बन सकेंगे।
	(ज) समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान में चलने वाली संस्थाए, कमेटी, समितियां पूर्णतया एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करेगी। दानदाता सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने पर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू नहीं होगा।	(ज) समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान में चलने वाली संस्थाए, कमेटी, समितियाँ पूर्णतया एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करेगी। दानदाता सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने पर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू नहीं होगा।
37. संस्था के लेखों का अंकेक्षण :–	**39. समाज एवं संस्था के लेखों का अंकेक्षण**	**47. समाज एवं संस्था के लेखों का अंकेक्षण**
अंकेक्षक (Auditor) की नियुक्ति अप्रेल माह अथवा उसके बाद होने वाली कार्यकारिणी की प्रथम सभा में की जावेगी।	(क) समाज हेतु वैद्यानिक अंकेक्षक (Statutory Auditor) की नियुक्ति अप्रेल माह अथवा उसके बाद होने वाली	(क) समाज हेतु वैद्यानिक अंकेक्षक (Statutory Auditor) की नियुक्ति अप्रेल माह अथवा उसके बाद होने वाली

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
नये चुनाव होने की दशा में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में अंकेक्षक की नियुक्ति की जावेगी।	कार्यकारिणी की प्रथम सभा में की जाएगी। नए चुनाव होने की दशा में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। (ख) समाज हेतु आंतरिक अंकेक्षक (Internal Auditor) की नियुक्ति अप्रेल माह अथवा उसके बाद होने वाली कार्यकारिणी की प्रथम सभा में की जाएगी। नए चुनाव होने की दशा में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। आंतरिक अंकेक्षक प्रत्येक तीन माह में अपनी आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट समाज अध्यक्ष/महामंत्री को प्रस्तुत करेगा। (ग) समाज के अन्तर्गत संस्था/समिति/कमेटी/तत्वावधान में संचालित संस्थाओं एवं जनोपयोगी भवनों हेतु वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति समाज कार्यकारिणी द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल/मई में की जाएगी। नोट : वैधानिक आडिट रिपोर्ट समाज महामंत्री को 30 जून तक प्रेषित करना अनिवार्य होगा जिसको महामंत्री आगामी होने वाली कार्यकारिणी सभा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगें। प्रत्येक संस्था आदि के लिए पृथक–पृथक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी।	कार्यकारिणी की प्रथम सभा में की जाएगी। नए चुनाव होने की दशा में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। (ख) समाज हेतु आंतरिक अंकेक्षक (Internal Auditor) की नियुक्ति अप्रैल माह अथवा उसके बाद होने वाली कार्यकारिणी की प्रथम सभा में की जाएगी। नए चुनाव होने की दशा में नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम सभा में आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। आंतरिक अंकेक्षक प्रत्येक तीन माह में अपनी आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट समाज अध्यक्ष/महामंत्री को प्रस्तुत करेगा। (ग) समाज के अन्तर्गत संस्था/समिति/कमेटी/तत्वावधान में संचालित संस्थाओं एवं जनोपयोगी भवनों हेतु वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति समाज कार्यकारिणी द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रैल/मई में की जाएगी। नोट : वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट समाज महामंत्री को 90 दिन में प्रेषित करना अनिवार्य होगा जिसको महामंत्री आगामी होने वाली कार्यकारिणी सभा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक संस्था आदि के लिए पृथक–पृथक अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी।
	47. समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान में संचालित सभी संस्थाएं/कमेटियां/समितिया आपस में किसी भी प्रकार की राशि का स्थानान्तरण नहीं कर सकेगें। केवल समाज के माध्यम से ही लेनदेन हो सकेगा। समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान/कमेटी/समिति एवं जनोपयोगी भवनों की प्रबन्ध/तदर्थ समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का आय व्यय का हिसाब कार्यक्रम की समाप्ति के 30 दिन में महामंत्री/सचिव को देना अनिवार्य होगा जिसको महामंत्री/सचिव आगामी होने वाली सभा में स्वीकृति हेतु रखना अनिवार्य होगा। (बिन्दु 46 का अन्तिम पैरा)	48. (क) समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान में संचालित सभी संस्थाएँ/कमेटियाँ/समितियाँ आपस में किसी भी प्रकार की राशि का स्थानान्तरण नहीं कर सकेंगे। केवल समाज के माध्यम से ही लेनदेन हो सकेगा। (ख) समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान/कमेटी/समिति एवं जनोपयोगी भवनों की प्रबन्ध/तदर्थ समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का आय–व्यय का हिसाब कार्यक्रम की समाप्ति के 30 दिन में महामंत्री/सचिव को देना अनिवार्य होगा जिसको महामंत्री/सचिव आगामी होने वाली सभा में स्वीकृति हेतु रखना अनिवार्य होगा।
38. विधान में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन :– यह अधिकार समाज की असाधारण सदस्य सभा को होगा और वह उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतों से प्राप्त होगा। ऐसी असाधारण सभा का कोरम 301 सदस्यों का होगा।	40. विधान में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन : यह अधिकार समाज की असाधारण सभा को होगा और वह कोरम के 2/3 मतों से पारित होगा। ऐसी असाधारण सभा का कोरम 301 सदस्यों का होगा। समाज कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत	49. विधान में संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन : यह अधिकार समाज की असाधारण सभा को होगा और वह कोरम <u>अथवा उपस्थिति, जो भी अधिक हो,</u> के 2/3 मतों से पारित होगा। ऐसी असाधारण सभा का कोरम 301 सदस्यों का

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

125

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
समाज कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत संशोधनों पर ही असाधारण सदस्य सभा में विचार किया जा सकेगा।	संशोधनों, परिवर्तन तथा परिवर्धन पर ही असाधारण सभा में विचार करते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय से एक घन्टे में कोरम पूर्ण नही होने की स्थिति में सभा स्थगित की जा सकेगी। स्थगित असाधारण सभा 7 दिवस में बुलाना अनिवार्य होगा एवं स्थगित असाधारण सभा 7 दिवस में उसी स्थान एवं उसी समय आयोजित होगी एवं इस सभा का कोरम 201 सदस्यों का होगा व विधान में संशोधन, परिवर्धन एवं परिवर्तन कोरम के 2/3 सदस्यों के मतों से पारित होगा। इस स्थगित सभा का विषय पूर्व में बुलाई गई असाधारण सभा के लिये निर्धारित एजेन्डा (विषय) यथावत रहेगा।	होगा। समाज कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत संशोधनों, परिवर्तन तथा परिवर्धन पर ही असाधारण सभा में विचार करते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत ही किया जा सकेगा। निर्धारित समय से एक घन्टे में कोरम पूर्ण नहीं होने की स्थिति में सभा स्थगित की जा सकेगी। स्थगित असाधारण सभा 7 दिवस में बुलाना अनिवार्य होगा एवं स्थगित असाधारण सभा 7 दिवस में उसी स्थान एवं उसी समय आयोजित होगी एवं इस सभा का कोरम 201 सदस्यों का होगा व विधान में संशोधन, परिवर्धन एवं परिवर्तन कोरम <u>अथवा उपस्थिति जो भी अधिक हो,</u> के 2/3 सदस्यों के मतों से पारित होगा। इस स्थगित सभा का विषय पूर्व में बुलाई गई असाधारण सभा के लिये निर्धारित एजेन्डा (विषय) यथावत रहेगा।
39. विधान संबंधित एवं समाज के संबंधित किसी भी अन्य विवाद विषय पर :— विधान सम्बन्धित अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उसकी मध्यस्थता कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त पाँच मध्यस्थों की एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा फैसला / निर्णय किया जावेगा। इसका गठन नवगठित कार्यकारिणी द्वारा कार्यभार संभालने के तीन माह में पूर्ण सत्र हेतु किया जायेगा। उक्त समिति में पाँचों मध्यस्थ कार्यकारिणी के बाहर से लिये जावेंगे एवं एक संयोजक भी मनोनीत किया जायेगा। इस समिति का निर्णय/फैसला अंतिम एवं समस्त पक्षों को मान्य होगा तथा इस समिति के निर्णय/फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।	41. मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति : (क) नवगठित कार्यकारिणी द्वारा कार्यभार संभालने के एक माह में पूर्ण सत्र हेतु एक उच्च स्तरीय मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति का श्री माहेश्वरी समाज के सदस्यों में से गठन किया जाएगा जिसमें संयोजक सहित पाँच सदस्य होंगे। इस समिति में सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी एवं श्री माहेश्वरी समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान में संचालित संस्थाओं/समितियों के पदाधिकारी/सयोजक नही हो सकेंगे। समिति के गठन के समय संयोजक/सदस्यों की आयु 55 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी आवश्यक होगी। उपरोक्त समिति को चुनाव प्रक्रिया (मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात्) के अतिरिक्त श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का विवाद पर मध्यस्थता एवं निराकरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। इस समिति का निर्णय/फैसला अन्तिम एवं समस्त पक्षों को मान्य होगा तथा इस समिति के निर्णय/फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी। (ख) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का सदस्य विधान संबंधित एवं अन्य किसी प्रकार का विवाद लिखित में समाज के अध्यक्ष/महामंत्री को दे सकेंगे। इसके उपरान्त महामंत्री	50. मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति : (क) नवगठित कार्यकारिणी द्वारा कार्यभार संभालने के एक माह में पूर्ण सत्र हेतु एक उच्च स्तरीय मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति का श्री माहेश्वरी समाज के सदस्यों में से गठन किया जाएगा जिसमें संयोजक सहित पाँच सदस्य होंगे। इस समिति में सदस्य श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी एवं श्री माहेश्वरी समाज के अन्तर्गत/तत्वावधान में संचालित संस्थाओं/समितियों के पदाधिकारी/संयोजक नहीं हो सकेंगे। समिति के गठन के समय संयोजक/सदस्यों की आयु 55 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी आवश्यक होगी। उपरोक्त समिति को चुनाव प्रक्रियां (मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात्) के अतिरिक्त श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी/समाज के सदस्य द्वारा प्रेषित किसी भी प्रकार का विवाद पर मध्यस्थता एवं निराकरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। इस समिति का निर्णय/फैसला अन्तिम एवं समस्त पक्षों को मान्य होगा तथा इस समिति के निर्णय/फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। विलोपित किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
	आगामी कार्यकारिणी सभा में विचार–विमर्श कर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय लेकर इस समिति को प्रेषित कर सकेंगे। कार्यकारिणी द्वारा 2 माह में निर्णय नहीं लेने पर सदस्य स्वयं इस समिति के समक्ष विवाद लिखित में दे सकेगा।	
	51. उच्च स्तरीय वरिष्ठजन सलाहकार समिति एक उच्च स्तरीय वरिष्ठजन सलाहकार समिति का गठन नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की प्रथम सभा से अधिकतम 3 माह में अध्यक्ष द्वारा महामंत्री की सलाह से निम्नानुसार किया जाएगा एवं समिति के सभी सदस्यों की आयु न्यूनतम 60 वर्ष होगी। सदस्य : (क) सभी संरक्षक। (ख) सभी पूर्व अध्यक्ष। (ग) श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के वरिष्ठजन (तीन)। इस समिति में कोई पदेन सदस्य नहीं होंगे। समाज कार्यकारिणी/ECMS/अन्तर्गत संस्थाओं के सदस्य इस समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे। समाज कार्यकारिणी द्वारा किसी नई पूँजीगत परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व उक्त समिति की सलाह ली जायेगी। यदि कार्यकारिणी के निर्णय एवं उक्त समिति के कुल सदस्यों की बहुमत की राय में कोई भिन्नता हो तो उक्त समिति की राय पुनर्विचार हेतु कार्यकारिणी में रखी जायेगी। तत्पश्चात् कार्यकारिणी द्वारा उक्त सलाह के परिप्रेक्ष्य में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त समिति इस बात का ध्यान रखेगी कि उनकी राय तत्परता से हो ताकि परियोजना में अनावश्यक विलम्ब न हो।	अस्वीकृत।
	52. प्रत्येक 3 सत्र के पश्चात् जनगणना करवाना आवश्यक होगा। ऐसी जनगणना पूर्ण होने पर संगठन मंत्री द्वारा कार्यकारिणी को अवगत कराना होगा तथा तत्पश्चात् पुरानी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।	बिन्दु (1)(ड) में समायोजित किया गया।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर	53. वैधानिक शुद्धि, भाषा शुद्धि, तकनीकी शुद्धि एवं क्रमांक में परिवर्तन किया जा सकेगा। उक्त शुद्धियों एवं क्रमांक में परिवर्तन के पश्चात् यह बिन्दु स्वतः ही विलोपित माना जायेगा।	विलोपित किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थायें जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

वर्तमान विधान	संशोधन	संशोधन के बाद नियम
हम प्रमाणित करते हैं कि यह श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर संस्था की नियमावली की वास्तविक प्रति है। क्र.सं. नाम पद हस्ताक्षर 1. श्री बजरंग जाखोटिया अध्यक्ष (बजरंग जाखोटिया) 2. श्री मनोहरलाल सारड़ा महामंत्री (मनोहरलाल सारड़ा) 3. श्री बृजमोहन शारदा कोषाध्यक्ष (बृजमोहन शारदा) 4. श्री जुगल कोठ्यारी संयोजक (जुगल कोठ्यारी) दिनांक : 9 अक्टूबर, 2011	रजिस्ट्रार संस्थाएं	हम प्रमाणित करते हैं कि यह श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर संस्था की नियमावली की वास्तविक प्रति है। क्र.सं. नाम पद हस्ताक्षर 1. श्री प्रदीप बाहेती अध्यक्ष 2. श्री गोपाल लाल मालपानी महामंत्री 3. श्री राधा बल्लभ अजमेरा कोषाध्यक्ष 4. श्री जुगल कोठ्यारी संयोजक दिनांक : 23 फरवरी, 2020

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

दाखिल करावे ... की
... सं. .... से पृष्ठ सं. ....
... की सत्यप्रति है।
नकल देने की दिनांक 24-2-2020
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

केदार मल भाला
अध्यक्ष

मनोज मूंदड़ा
महामंत्री

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

वार्षिक प्रतिवेदन

(फरवरी 2022 से जनवरी 2023)

सम्माननीय बन्धुओं, मातृशक्ति एवं युवा साथियों,
जय महेश!

अत्यन्त गौरव की बात है कि हमारे समाज संस्थापकों की दूरदर्शी सोच के कारण सूर्य सप्तमी के शुभ दिन सन् 1925 ई. में स्थापित "श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर" अपनी स्थापना के गौरवशाली 98 वर्ष पूर्ण कर चुका है। श्री महेश भगवान की असीम अनुकम्पा, समाज बंधुओं के अथक सहयोग व स्नेह के फलस्वरूप श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर विशाल जनसमुदाय की सेवा करता हुआ 99वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है एवं नित नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। समाज के इस वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को कोटि–कोटि मंगलकामनाएँ।

प्रबन्धन :- समाज का संचालन श्री माहेश्वरी समाज के सदस्यों द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी के निर्वाचित अध्यक्ष, 90 निर्वाचित सदस्य एवं 2 पदेन सदस्य सहित कुल 93 सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 42 पदाधिकारी एवं 49 सदस्य व 1 पदेन सदस्य हैं। कार्यकारिणी का कार्यकाल विधान के अनुसार तीन वर्ष का है। समाज का पंजीकृत कार्यालय माहेश्वरी भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर में स्थित है। समाज का प्रशासनिक कार्यालय एम.पी.एस. इन्टरनेशनल, तिलक नगर स्थित परिसर में संचालित किया जा रहा है।

सत्र 2022–25 के लिए अध्यक्ष **श्री केदार मल भाला** तथा महामंत्री **श्री मनोज मूंदड़ा** हैं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने दिनांक 06 अगस्त, 2022 को कार्यभार संभाल लिया है।

1. महेश सेवा कोष :- "धन के अभाव मे कोई भी स्वजातीय बालक–बालिका, वृद्धजन एवं असहाय परिवार के सदस्य शिक्षा, चिकित्सा एवं भरण–पोषण से वंचित न रहें" इस पुनीत कार्य हेतु महेश सेवा कोष की स्थापना की गई है। जिसका संचालन एक समिति द्वारा किया जा रहा है। **श्री मालचन्द बाहेती**–महेश सेवा कोष मंत्री, **श्री बृजमोहन बाहेती** एवं **श्री संदीप कचौलिया**–समन्वयक है। **श्री महेश मूंदड़ा**, जोन–1 संयोजक, **श्री गोपाल हुरकट** (चौकड़ी संयोजक, मोती डूंगरी), **श्री रवि तामड़ी** (चौकड़ी संयोजक, चादिवारी दक्षिण), **श्री मनीष बाहेती** (चौकड़ी संयोजक, चादिवारी उत्तर), **श्री राजीव बागडी** जोन–2 संयोजक, **श्री महेश कुमार मालपानी** (चौकड़ी संयोजक, विद्याधर नगर), **श्री रामसहाय मांधना** (चौकड़ी संयोजक, शास्त्री नगर), **श्री कृष्ण गोपाल होलानी** जोन–3 संयोजक, **श्री विष्णु तोषनीवाल** (चौकड़ी संयोजक, झोटवाड़ा), **श्री अरूण मंत्री** (चौकड़ी संयोजक, मुरलीपुरा) **श्री हरीश मुराड़िया** जोन–4 संयोजक, **श्री रमेश कुमार भैया** (चौकड़ी संयोजक, वैशाली नगर), **श्री सुनील साबू** (चौकड़ी संयोजक, बनीपार्क), **श्री हरीश डागा** जोन–5 संयोजक, **श्री अनिल साबू** (चौकड़ी संयोजक, मानसरोवर), **श्री सुष्मित बागला** (चौकड़ी संयोजक, श्याम नगर), **श्री ओम प्रकाश जैथलिया** जोन–6 संयोजक, **श्री वासुदेव बंग** (चौकड़ी संयोजक, टोंक फाटक), **श्री आशीष गाँधी** (चौकड़ी संयोजक, बापू नगर) एवं **श्री मोहित मैनाना** (चौकड़ी संयोजक, सांगानेर) के संयोजक हैं। महेश सेवा कोष के नियमों के सरलीकरण एवं समस्या निवारण हेतु 5 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है जिसके **श्री बालकिशन सोमानी, श्री बजरंग जाखोटिया, श्री रामकिशन जाजू, श्री पुरुषोत्तम बिहानी एवं श्री बनवारी लाल मारू** सदस्य हैं।

फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक महेश सेवा कोष एवं स्थायी कोषों से समाज द्वारा विभिन्न मदों में करीब रु. **98,00,000/–** की सहायता समाज बन्धुओं को प्रदान की गई। महेश नवमी पर्व के शुभ अवसर पर दानदाताओं से प्राप्त भेंट राशि ही इस कोष की आय का मुख्य स्त्रोत है। इस वर्ष महेश नवमी पर्व पर समाज के कर्मठ कार्यकर्त्ताओं द्वारा दानदाताओं से 1 अप्रेल, 2022 से अब तक एकत्रित की गई राशि लगभग रु. **50,35,171/–** व स्थायी कोषों हस्ते रु. **24,22,232/–**, तथा कोषों पर प्राप्त ब्याज लगभग रु. **29,00,000/–** सहित कुल राशि रु. **1,03,57,403/–** है। सत्र 2019–22 के लिए राशि संकलन का दायित्व सी.ए. अनिल सारड़ा–उपाध्यक्ष (वित्त) एवं श्री प्रमोद हुरकट–अर्थमंत्री द्वारा निर्वहन किया जा रहा था। श्री ज्योति कुमार माहेश्वरी (समाज संरक्षक) द्वारा महेश नवमी पर लगातार सर्वाधिक राशि **3,00,000/–** भेंट की गई। नवीन सत्र 2022–25 के लिए राशि संकलन का दायित्व **श्री पवन बजाज**–उपाध्यक्ष (वित्त) एवं **श्री रविन्द्र झंवर**–अर्थमंत्री द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। श्री माहेश्वरी समाज सभी दानदाता बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता है।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

165

महेश सेवा कोष के माध्यम से दी जा रही सहायता :

(अ) **शिक्षा सहायता**- जिन परिवारों की कुल मासिक आय **रु.10,000 /–** तक है उन माहेश्वरी परिवारों के शिक्षार्थियों को श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने पर विद्यालय शुल्क का सहयोग दिया जाता है। ऐसे परिवारों के शिक्षार्थियों का जो अन्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रति शिक्षार्थी अधिकतम **रु.7500 /–** वार्षिक का सहयोग दिया जाता है जो प्रति परिवार अधिकतम **रु.15000 /–** वार्षिक है। उच्च–शिक्षा प्रोत्साहन राशि पात्र परिवारों के बच्चों को उच्च–शिक्षा में व्यवधान न हो इस हेतु **रु.1,500 /–** मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सी.ए. हेतु अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष है।

(ब) **मासिक सहायता**- विधवा बहनों एवं वृद्धजनों बन्धुओं जिनकी आय का कोई भी साधन नहीं है उनके भरण–पोषण हेतु समाज बन्धुओं को **4,000 रुपये** मासिक भरण–पोषण हेतु सहायता राशि NEFT द्वारा बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।

(स) **चिकित्सा सहायता** - जिन माहेश्वरी परिवारों की कुल मासिक आय **रु.10000 /–** से कम है उन परिवारों को महेश अस्पताल एवं राजकीय चिकित्सालयों मे चिकित्सा (दवाईयाँ, ऑपरेशन, एक्स–रे, सोनोग्राफी, तथा पैथोलोजिकल जाँच, डिलीवरी आदि) के लिए प्रति परिवार अधिकतम **रु.11000 /–** वार्षिक सहायता दी जाती है।

(द) इस कोष से आर्थिक रूप से कमजोर माहेश्वरी परिवारों को पुत्री विवाह के शुभ अवसर पर **'कन्यादान'** के रूप में भी सहायता राशि प्रदान की जाती है।

2. **महेश सेवा कोष में स्थायी कोष**- स्थायी कोष स्थापित करने वाले समाज बंधु एवं उनके प्रेरक बधाई के पात्र हैं। अब तक **293 स्थायी कोष** स्थापित किये जा चुके हैं, **जिनकी वर्तमान में कुल जमा राशि 6.33 करोड़ रुपये है।**

3. **समाज कोष**- विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर समाज बन्धुओं द्वारा दिये गये आर्थिक सहयोग हेतु एक पृथक् कोष की स्थापना की गई है। इसमें फरवरी, 2022 से अब तक लगभग **5,50,000 /–** रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

4. **माहेश्वरी इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो (MIMB):**– मैरिज ब्यूरो द्वारा 26–27 मार्च 2022 को उत्सव भवन में दो दिवसीय परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिचय स्मारिका भी प्रकाशित की गई जिसमें 423 युवक व 148 युवतियों के बायोडाटा सम्मिलित हुए। नवीन सत्र 2022–25 हेतु समाज कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न होने के बाद नवगठित मैरिज ब्यूरो चेयरमैन **श्री संजय माहेश्वरी** एवं विवाह प्रकोष्ठ मंत्री **श्री सत्यनारायण करवा**, की देखरेख में मैरिज ब्यूरो की गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। नवीन सत्र में मैरिज ब्यूरो की वेबसाइट में से जिन युवक– युवतियों के संबंध तय हो चुके थे उनके लगभग 2500 बायोडाटा डिलीट किए गए। वेबसाइट का व्यापक प्रचार–प्रसार कर 2,000 से अधिक नए बायोडाटा पंजीकृत किये गये। अभी तक वेबसाइट में 4534 एक्टिव बायोडाटा पंजीकृत हैं।

नवीन सत्र में मैरिज ब्यूरो पदाधिकारियों ने प्रतिमाह परिचय सम्मेलन आयोजित करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया जिस के अनुसरण में चार मासिक परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। जिनमें देश भर से कुल 271 अभिभावकों / युवक– युवतियों की सहभागिता रही। वर्ष 2022 में मैरिज ब्यूरो के माध्यम से 23 संबंध तय हुए हैं।

5. **श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'उत्सव'**– "उत्सव" भवन गत लगभग 15 वर्षों से समाज के वैवाहिक, धार्मिक व अन्य मांगलिक कार्यों में लगातार उपयोग में आ रहा है। यह भवन गत वर्षों के इतिहास में माहेश्वरी समाज, जयपुर की सर्वाधिक लोकप्रिय व महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समाज बन्धु "उत्सव" की उपलब्धता के अनुसार मांगलिक मूहुर्त निकलवाने में प्राथमिकता देतें हैं। सामाजिक आयोजनों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर के आयोजनों में भी "उत्सव" भवन पहली पसंद है।

"उत्सव" की लोकप्रियता व उपयोगिता श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर व "उत्सव" की समिति के सतत् प्रयासों से निरन्तर बढ़ रही है। "उत्सव" की प्रबन्ध समिति सत्र 2022–25 का गठन नवम्बर 2022 में हुआ है। प्रबन्ध समिति के 49 सदस्यों व संचालन समिति के 11 सदस्यों द्वारा भवन का संचालन किया जा रहा है। प्रबन्ध समिति के चेयरमैन **श्री विनोद कुमार तोतला** व सचिव **श्री सुरेश कालानी** हैं।

भवन में उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि एवं बेहतरी के प्रयास निरन्तर जारी हैं। रिसेप्शन पर आगंतुकों की सुविधा के लिये आकर्षक डिजिटल डिस्प्ले लगवाया गया है। पूरे भवन में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पोर्च एरिया के ऊपर प्रथम तल की बालकनी का कायाकल्प भवन के एलीवेशन की सुन्दरता बढ़ाते हुये उपयोगकर्ताओं के लिये अधिक उपयोगी एवं सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से करवाया जा रहा है। प्रथम तल की बालकनी के ऊपर द्वितीय तल पर भी इसी प्रकार की बालकनी का निर्माण करवाया जाना भी प्रस्तावित है। भवन के ब्लॉक ए के प्रथम एवं द्वितीय तल की रसोईयों का नवीनीकरण रसोईयों की उपलब्धता होने पर करवाने का निर्णय लिया गया है। मेजेनाईन तल में एक कमरे को संचालन समिति के सदस्यों एवं उपसमितियों के संयोजक व सदस्यों के उपयोग हेतु ऑफिस में बदलने का कार्य एवं मेजेनाईन तल की गैलरी व रिसेप्शन गैलरी को भी और अधिक सुन्दर, सुसज्जित एवं उपयोगी बनाने का कार्य भी किया जा रहा है।

विगत काफी समय से भवन के उपयोगकर्ताओं एवं सम्मानीय समाज बन्धुओं द्वारा भवन में कमरों की संख्या में वृद्धि का सुझाव प्राप्त होता रहा है। इस विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया जा रहा है एवं ब्लॉक ए की छत पर 20 से 25 कमरों के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित है। इस हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनाने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ये कमरे अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाये जायेंगें।

भवन में पधारने वाले सम्मानीय उपयोगकर्ताओं का आगमन अविस्मरणीय बनाने के लिये "उत्सव" प्रबन्धन एवं स्टाफ सदैव प्रयासरत रहेगा। भवन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सुझाव के लिये भवन के सभी दानदाताओं को पत्र लिखा गया है। सुझाव E-mail : feedback.utsavjaipur@yahoo.com पर सहर्ष आमंत्रित हैं। "उत्सव" में उपलब्ध सुविधाओं व अन्य सभी विषयों की जानकारी "उत्सव" की वेबसाईट www.utsavjaipur.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आगामी एक वर्ष के आरक्षण की जानकारी फोन न. 9251033700 व 9251033701 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

6. **श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'अभिनन्दन'**- श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन ''अभिनन्दन'' सर्व समाज बन्धुओं के लिए सामाजिक, धार्मिक एवं पारिवारिक अनुष्ठान व विवाह समारोह आदि के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध है। जयपुर जिले के माहेश्वरी परिवार को किराया राशि में 50 प्रतिशत छूट भी उपलब्ध है। भवन 152 बैड क्षमता के साथ पूर्णतः सुसज्जित एवं वातानुकूलित है। भवन में सुसज्जित एवं वातानुकूलित 1 बड़ा बैंक्वेट हॉल, फूड कोर्ट व मण्डप एरिया, 2 मिनि बैंक्वेट हॉल, 2 डायनिंग हॉल, 4 छोटे किचन, 2 बडे किचन, 2 पैसेंजर लिफ्ट, 1 लोडिंग लिफ्ट व डबल बेसमेन्ट वैले पार्किंग की सुविधा के साथ उपलब्ध है ।

प्रथम प्रबन्ध समिति (2021–22) ने श्री मनोज मूंदड़ा और श्री शांतिलाल जागेटिया के नेतृत्व में सुविधाओं का विस्तार करते हुये निम्न कार्य करवाये गये:

1. ग्राउन्ड फ्लोर पर फूड कोर्ट एवं मण्डप एरिया की वातानुकूलित साज–सज्जा के साथ–साथ बाउन्ड्री वॉल पर सजावट का कार्य किया गया।
2. ग्राउन्ड फ्लोर पर दोनों मुख्य रसोइयों के पीछे वाले भाग में कोटा स्टोन एवं तन्दूर वाले स्थान को टीन शेड से कवर करवाया गया ।
3. बैंक्वेट हॉल के लिए 18 सोफे (3-Seater) एवं रिशेप्सन एरिया पर 10 - Seater सोफा, 2nd Floor पर 4 एवं 5th Floor पर 2 सोफे 6 प्लाईवुड टेबिल सहित लगवाये गये।
4. सम्पूर्ण भवन Wi-Fi युक्त एवं CCTV Camera को ऑनलाइन किया गया ।
5. सभी कमरों में इलेक्ट्रिक टी–कैटल, मिनी फ्रीज, ट्रे–सेट, कप, चम्मच, Comforter & Puffy की व्यवस्था की गयी है ।
6. भवन में Power Backup के लिए उपलब्ध 400 KVA जनरेटर सेट को Auto Backup मोड़ पर करवाया गया।
7. स्वागत कक्ष पर आगन्तुक मेहमानों के लिए स्व–संचालित शू–पॉलिस मशीन एवं वर–वधू के फ्लोर की जानकारी हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगवाया ।
8. पक्षियों से होने वाली गंदगी को रोकने हेतु भवन के चारों ओर Pigeon Net लगवाया गया।

   भवन सुन्दरता एवं भव्यता के कारण ही माहेश्वरी बन्धुओं एवं अन्य समाज वर्गों में अलग ही पहचान बना चुका है इसी के परिणामस्वरूप मांगलिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए भवन की बुकिंग में लगातार वृद्धि हो रही हैं। भवन में बुकिंग सत्र 2021–22 में 265 तथा 1 अप्रैल 2022 से 20 नवम्बर 2022 तक 157 रही।

द्वितीय निर्वाचित प्रबन्ध समिति (सत्र 2022–25) के चेयरमैन **श्री शांति लाल जागेटिया**, सचिव **श्री महेश कुमार साबू** व अन्य पदाधिकारियों ने दिनांक 20 नवम्बर 2022 से भवन का कार्यभार संभाल लिया है। भवन की अन्य जानकारी हेतु फोन नं. 0141–2980659 abhinandanmansarover@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

7. **'कृष्णधाम' वृद्धाश्रम**- आज के भौतिक युग में बुजुर्गों को जो सम्मान वे चाहते है नहीं मिल पा रहा है। उन्हें श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर अपनी अलौकिक कृति ''कृष्णधाम'' में पूर्ण सम्मान के साथ एवं सुख–शांति से जीवन जीने की व्यवस्था करता है। आश्रम में रहने वालों को यह आभास करवाया जाता है कि यह उनका अपना घर है और घर में वे मालिक की तरह रहें। उनके दिमाग में यह विचार नहीं आने दिया जाता है कि वे आश्रम में रहते है। आश्रम में सेवा करने हेतु पूर्णकालीन महाराज (रसोईया), हेल्पर, व्यवस्थापक एवं सफाई हेतु कर्मचारी समर्पण भाव से सेवारत है। इन सब सुविधाओं के लिये आश्रमवासियों से न्यूनतम राशि ली जाती है ताकि उनमें किसी प्रकार की हीन भावना न हो कि वे किसी पर निर्भर नहीं है। **श्री श्रीबल्लभ मारू**–वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण मंत्री वृद्धाश्रम संभालने का निर्वहन कर रहे हैं।

8. **माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर, विद्याधर नगर :**- डायग्नोस्टिक सेन्टर में आधुनिक मशीनों द्वारा जाँच की जा रही है। अन्य डायग्नोस्टिक सेन्टरों की अपेक्षा में इस डायग्नोस्टिक सेन्टर की दरें बहुत कम रखी गई है। डायग्नोस्टिक सेन्टर का विस्तार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सेन्टर की व्यवस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप रोगियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री **डॉ. अरूण परतानी** की देखरेख में संचालन किया जा रहा है।

डायग्नोस्टिक सेन्टर में जनवरी 2022 से जनवरी 2023 की अवधि में 104673 मरीजों का जांच हेतु पंजीकरण हुआ, जिनके द्वारा सेन्टर में करवायी गई जाँचों का विवरण निम्न प्रकार है :

Service	X-Ray	USG	Package	MRI	CT Scan	Echo	Pathology	Total No. of Patient
Total No. of Patient	4077	7406	3909	450	438	736	87657	104673

9. **माहेश्वरी डायलिसिस डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर, निर्माण नगर**- श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर, विद्याधर नगर, जयपुर की तर्ज पर आमजन को रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्री माहेश्वरी डायलिसिस, डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च सेन्टर को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।

आगन्तुकों तथा समाज के द्वारा प्राप्त सुझावों एवं पेशेन्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुये निर्माण नगर, सेन्टर में डेन्टल यूनिट का भी शुभारम्भ किया गया है।

निर्माण नगर सेन्टर के द्वारा समय–समय एवं आवश्यकतानुसार जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये निम्नलिखित निःशुल्क शिविर आयोजित किये गये।

1. दिनांक 24 अगस्त, 2022 को डेन्टल कैम्प एन.जी.ओ नया सवेरा के सान्धिय में निर्माण नगर सेन्टर पर आयोजित किया गया जिसमें लगभग 70 विद्यार्थियों का भी फ्री चैकअप किया गया था।
2. दिनांक 24 अगस्त, 2022 को डॉ. सुनिल दन्ड के सानिध्य में डायबिटीज कैम्प का आयोजन निर्माण नगर पार्क में किया गया जिसमें लगभग 100 पेशेंट का चैकअप एवं परामर्श दिया गया।
3. निर्माण नगर सेन्टर के द्वारा वर्ष 2022 में समाज के व्यक्तियों को लगभग 250 कूपन जाँच हेतु वितरित किये गये थे जिसमें निःशुल्क जाँच, बी.पी., ब्लड शुगर, क्रेटिनाईन तथा परामर्श डेन्टल, फिजियोथैरेपी सम्मिलित है।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

167 122

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. **अरूण** परतानी की देखरेख में सुचारू रूप से सेन्टर का संचालन हो रहा है।

Service	Sonography	Dialysis	Physiotherapy	2D-ECHO	X-Ray	ECG	No. of Patient
Total No. of Patient	3126	1208	1094	236	3146	1115	17469

10. ब्लड कलेक्शन सेन्टर

तिलक नगर : श्री माहेश्वरी डायलिसिस, डायग्नोस्टिक सेन्टर, निर्माण नगर के अन्तर्गत समाज बन्धुओं की सुविधार्थ श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं मे विस्तार करते हुये कलेक्शन सेन्टर श्री माहेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलक नगर, जयपुर में संचालित किया जा रहा है। जिसकी देख रेख के लिए **श्री राजकुमार झंवर** को संयोजक बनाया गया है।

श्याम नगर : डायग्नोस्टिक सेन्टर, विद्याधर नगर के अन्तर्गत श्याम नगर व सोडालावासियों की सुविधा हेतु कलेक्शन सेन्टर संचालित किया जा रहा है। जिसकी देख रेख के लिए **श्री सत्यनारायण मोदानी** को संयोजक बनाया गया है।

निवारू रोड : डायग्नोस्टिक सेन्टर, विद्याधर नगर के अन्तर्गत निवारू रोड़ पर कलेक्शन सेन्टर कि देख रेख के लिए **श्री धीरज मोहता** को संयोजक बनाया गया है।

टोंक रोड : श्री माहेश्वरी डायलिसिस डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर निर्माण नगर, द्वारा टोंक रोड़ स्थित महेश कॉलोनी के महेश सत्संग भवन के बेसमेन्ट में सभी प्रकार जाँचों के ब्लड कलेक्शन सेन्टर संचालित किया जा रहा है। जिसकी देख रेख के लिए **श्री राकेश फोफलिया** को संयोजक बनाया गया है।

11. श्री माहेश्वरी महिला परिषद, जयपुर - दिनांक 12 व 13 मार्च 2022 को गिरिराज पर्वत पूजन, फागोत्सव व कंडवारा तथा मथुरा में आयोजित भव्य चुनड़ी मनोरथ महोत्सव पूर्ण श्रद्धा–भक्ति व उल्लास के साथ संपन्न किया गया।

दिनांक 14 अप्रैल, 2022 को एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर परिसर में 'स्पोर्ट्स डे' आयोजित किया गया जिसकी विभिन्न स्पर्धाओं में सदस्याओं ने पूरे जोश व उत्साह के साथ भाग लिया। सदस्याओं के लिए विभिन्न इनडोर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

महिला परिषद द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन से संगृहीत राशि में से 5 लाख रुपए चांदपोल के सर्वधर्म मोक्षधाम हेतु भेंट किया गया। **नवीन सत्र 2022–25 के लिए निवार्चित अध्यक्ष श्रीमती ज्योति तोतला एवं सचिव श्रीमती अल्पना सारड़ा है।** महिला परिषद (सत्र 2022– 25) ने 6 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण की व 9 अगस्त 2022 से अपना कार्यभार संभाला।

दिनांक 18 सितंबर को समाज द्वारा आयोजित गोठ में महिला परिषद की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें 1 ब्लॉक की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ली व उसे बखूबी से निभाया।

महिला परिषद द्वारा एक भव्य व्यापार मेला 'नवरंग' का तीन दिवसीय आयोजन 31 अक्टूबर, 1 व 2 नवंबर को उत्सव जनोपयोगी भवन में किया गया। इसमें कुल 113 स्टॉल लगाई गई। इस आयोजन में लगभग प्रत्येक दिन 1500 से 2000 समाज बन्धुओं का आवागमन रहा।

13 नवंबर को समाज द्वारा आयोजित अन्नकूट महोत्सव में भगवान श्रीनाथ जी की महा आरती व छप्पन भोग प्रसादी का महिला परिषद् द्वारा जिम्मेदारी संभाली गई। अन्नकूट महोत्सव में एक पूरे ब्लॉक की पुरसगारी का बेड़ा भी उठाया।

नवगठित कार्यकारिणी (सत्र 2022–25) महिला परिषद ने नववर्ष 2023 की शुरुआत मानवकल्याणार्थ की सेवा शुरू करते हुए 3 जनवरी, 2023 को कृष्णधाम वृद्धाश्रम में 3 वर्ष के लिए सम्पूर्ण मसाले का सहयोग देने का संकल्प लिया। इसकी शुरुआत महिला परिषद ने 40,000 / – रुपये का चैक कृष्णधाम वृद्धाश्रम को प्रदान किया।

महिला परिषद द्वारा स्कूलों में एक जमवारामगढ़ रोड़ पर स्थित लांगडियावास गांव में और दूसरा चंदवाजी के पास मानपुरा माचेड़ी के गांव में गरीब बच्चों को 165 स्वेटर वितरण किए व वहाँ च्यवनप्राश के डिब्बे भी बांटे।

12. श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल, जयपुर - श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत सन् 1961 से माहेश्वरी युवकों की उन्नति के निमित्त सेवा, सहयोग, संगठन एवं सुधार कार्य करते हुए श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल जनसमुदाय की सेवा में कार्यरत है। श्री माहेश्वरी नवयुवक मण्डल (सत्र 2022–25) का निर्वाचन हो चुका है जिसके अध्यक्ष **श्री अभिषेक मांधना** एवं सचिव **सी.ए. अखिल भाला** है। सत्र 2022–23 में मण्डल द्वारा प्रथम कार्यक्रम सामूहिक गोठ एवं महेश मेला का भव्य आयोजन किया गया। द्वितीय कार्यक्रम डिस्को डांडिया 2022 का आयोजन दिनांक 16 अक्टूबर 2022 को किया गया। जिसके संयोजक **श्री सुमित काबरा** (श्रीमाधोपुर) एवं कोषाध्यक्ष **श्री हर्षित लोहिया** थे।

दिनांक 5 से 8 जनवरी, 2023 तक युवाओं का पसंदीदा खेल MCL-23 का आयोजन किया जिसमें समाजबन्धुओं ने हिस्सा लिया और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। इस कार्यक्रम के संयोजक **श्री गोविंद (विधान) मारू** एवं कोषाध्यक्ष **श्री मोहित मंत्री** रहे।

13. सर्वधर्म मोक्षधाम चांदपोल : श्री महेश्वरी समाज जयपुर द्वारा चांदपोल मोक्षधाम का कायाकल्प करके उसे सर्वधर्म मोक्षधाम के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसमें 4 शवदाह प्लेटफार्म बनाए गए हैं और 2 हॉल विश्राम के लिए बनाए गए हैं। वहां स्नानादि करने के लिए पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग–अलग बाथरूम की व्यवस्था की गई है एवं बाकी क्रियाओं के लिए भी टीन शेड में पक्के फर्श का निर्माण कराया गया है। मोक्षधाम को सुंदर रूप देने के लिए वहां दोनों विश्राम स्थल हॉल में सुंदर भगवत चित्रण किया गया है एवं वहां बगीचे व पेड़ पौधों का रोपण भी किया गया है। मोक्षधाम की मुख्य विशेषता यह है कि वहां शवदाह गौकाष्ठ से किया जाना अनिवार्य है, जो कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए एक कारगर कदम है। इसमें वर्तमान में श्री प्रदीप बाहेती चेयरमैन एवं श्री ओमप्रकाश मांधना सचिव हैं।

14. आरोग्यम् - माहेश्वरी - योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थान : मनुष्य देह प्रकृति के पंच तत्वों– अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से मिलकर बनी है। शरीर के भीतर इन तत्वों का उचित संतुलन ही शरीर को निरोगी बनाए रखता है। इनमें किसी भी प्रकार का असंतुलन होने पर हमारे शरीर में अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। इन व्याधियों के उपचार के लिए श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा संचालित 'माहेश्वरी आरोग्यम् प्राकृतिक

चिकित्सालय' का शुभारंभ बनीपार्क, जयपुर में किया गया। यहां चिकित्सालय में अनेक प्राकृतिक उपचार विधियों द्वारा जन साधारण को अत्याधुनिक, सुसज्जित व सुव्यवस्थित रूप से उपचार दिया जाता है, जिसकी देख–रेख के लिए **श्री चन्द्र मोहन कासट** को संयोजक बनाया गया है।

15. **पत्रिका प्रकाशन**- समाज द्वारा 'जयपुर माहेश्वरी पत्रिका' नई साज–सज्जा, आकर्षक कलेवर एवं सामयिक विषयों पर आधारित विभिन्न विशेषांकों के रूप में प्रतिमाह प्रकाशित की जा रही है। विशेषांकों में उपलब्ध कराई गई ज्ञानवर्धक, पठनीय एवं संग्रहणीय सामग्री के कारण ही प्रत्येक परिवार न केवल इन पत्रिकाओं को अपने घर में सुरक्षित रख रहा है वरन् अगले अंक की आतुरता से प्रतिमाह प्रतिक्षा भी करता है। विशेषांक से संबंधित सारगर्भित एवं उपयोगी सामग्री के अतिरिक्त सामाजिक, शैक्षणिक, ECMS से संबंधित सभी जानकारियाँ– आवश्यक सूचनाएँ एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों की जानकारी समाज बन्धुओं को पहुँचाने हेतु पत्रिका का प्रकाशन श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की ओर से **श्री मनोज मूंदड़ा** (महामंत्री) के नेतृत्व में संयुक्त मंत्री **श्री बृजमोहन बाहेती** एवं प्रचार मंत्री **श्री अरुण बाहेती** की देखरेख में किया जा रहा है। पत्रिका के संपादक **श्री संजय बियानी** एवं विज्ञापन संयोजक **श्री आशीष सोमानी** है।

16. **सदस्यता समिति :**- समाज के विधानानुसार प्रत्येक तीन कार्यकारिणी सत्र के पश्चात् जयपुर में रह रहे माहेश्वरी परिवारों की जनगणना करना अनिवार्य है। सत्र 2019–2022 में जनगणना का कार्य संगठन मंत्री श्री रमेश चन्द जाखोटिया की देखरेख में पूर्ण किया गया। जिसमें कुल 5589 परिवार एवं 26024 समाज सदस्य बनें एवं कार्यकारिणी के चुनाव हेतु 21727 मतदाता एवं महिला परिषद् के 10904 एवं नवयुवक मण्डल के 4554 मतदाता है। नवयुवक मण्डल एवं महिला परिषद् की पृथक् मतदाता सूची तैयार की गई है। वर्तमान कार्यकारिणी सत्र 2022–25 के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता प्रपत्रों का निरीक्षण व स्वीकृति समाज के विधानानुसार संगठन मंत्री **श्री विमलकिशोर सारड़ा** द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में समाज में लगभग कुल 5634 परिवार हैं एवं 21726 मतदाता सदस्य हैं।

17. **वस्तु भंडार**- वस्तु भंडार की शाखाएँ माहेश्वरी विद्यालय भवन, तिलक नगर, 'उत्सव' भवन, विद्याधर नगर एवं 'अभिनन्दन' भवन, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर में संचालित की जा रही हैं। भंडार में शादी विवाह तथा अन्य अवसरों पर आयोजित भोज में काम आने वाले सभी प्रकार के बर्तन उपलब्ध हैं। आधुनिक समय में अधिकतर सामूहिक भोज के कार्यक्रम केटरिंग व्यवस्था पर निर्भर होने से इनके उपयोग में कमी आई है। वस्तु भण्डार की देखरेख सत्र 2022–25 के लिये **श्री श्याम दास मंत्री** –भंडार मंत्री संभाल रहे हैं। विद्यालय भवन में आयोजित तीये की बैठकों / शोक सभाओं में वस्तु भण्डार दरियाँ, कुर्सियाँ, माइक व ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा है। बर्तन भण्डार का सुचारूरूप से संचालन करने के लिए समिति का गठन किया गया है। जिसके सदस्यगण सर्वश्री **हनुमान सहाय तोषनीवाल, अम्बिका प्रसाद भण्डारी, आनन्दी लाल बंग** एवं **मनीष मांधना** (चश्में वाले) है। बर्तन भण्डार तिलक नगर में अगस्त माह से अभी तक किये गये कार्यो में 6 वर्षों के बाद बर्तनों का भौतिक सत्यापन किया, बर्तन भण्डार के शटर, गेट व नाला रिपेयर, रंग रौगन का कार्य, फर्श को ठीक कराना एवं भट्टियों को ठीक करवाना भी शामिल है।

18. **माहेश्वरी गोल्ड कार्ड योजना**- समाज के समस्त सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों (अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेन्टर, मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेन्ट, होटल, स्वीट्स शॉप, ग्रोसरी स्टोर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, गारमेन्ट्स, ज्वैलरी इत्यादि) में आकर्षक रियायतें उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई थी। योजना से जुड़े संस्थानों की सूची समाज पत्रिका में समय–समय पर प्रकाशित की जाती है। नवीन सत्र 2022–25 के लिए गोल्ड कार्ड संयोजक **श्री मनोज कुमार बिड़ला** हैं।

19. **मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति**- श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा नवीन सत्र 2022–25 हेतु मध्यस्थता एवं विवाद निराकरण समिति का गठन किया गया है जिसके **सीए. ब्रह्मप्रकाश मूंदड़ा**–संयोजक, **श्री सत्यनारायण काबरा** (अम्बाबाडी), **श्री द्वारका दास सोमानी**, **श्री गोपाल सोमानी** (मिठ्डी वाले) एवं **श्री विश्वनाथ सिंगची** (एडवोकेट) सदस्य है।

20. **विधि सलाहकार समिति**- श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रथम बार विधि सलाकार समिति का गठन किया गया जिसके संयोजक **एडवोकेट श्री विकास सोमानी** हैं।

21. **रोजगार प्रकोष्ठ :** संयोजक **श्री हरी प्रसाद साबू** की देखरेख में माहेश्वरी युवक–युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रकोष्ठ प्रारम्भ किया गया। जिसके चेयरमैन **श्री पवन बजाज** (उपाध्यक्ष वित्त) को बनाया गया है। माहेश्वरी समाज, जयपुर के लिए छात्रों का सर्वांगीण विकास हमेशा ही सर्वोपरि रहा है। वर्तमान में युवा के लिए रोजगार प्राप्त करना एक चुनौती बन गया है। इस स्वप्न को साकार रूप देने हेतु रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

22. **निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा :** मानव सेवा में समर्पित एम्बुलेंस की सेवायें समाज के सभी परिवारों के लिए उपलब्ध है। इस सेवा को सुचारू से संचालित करने के लिए श्री माहेश्वरी डायलिसिस, डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर, निर्माण नगर, जयपुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।

23. **व्हाट्सअप नम्बर की सेवायें प्रारम्भ :** व्हाट्सअप नम्बर 01412623500 की सेवायें प्रारम्भ कर दी गई है। उक्त सेवा का समाज बन्धु न केवल लाभ उठा रहे हैं, वरन इस सेवा के चालू होने के बाद से कार्यालय में आने–जाने में श्रम एवं समय की भी बचत हो रही है।

24. **लेखों का अंकेक्षण:**- मैसर्स एमजीबी एण्ड कं. एलएलपी (सी.ए.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लेखों का अंकेक्षण किया जा चुका है। आन्तरिक अंकेक्षण मैसर्स बिड़ला गुप्ता एण्ड कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के माह सितम्बर, 2022 तक किया जा चुका है।

25. **आयकर की धारा 80G**- श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को दी जाने वाली दान राशि पर आयकर की धारा **80जी** के अन्तर्गत छूट प्राप्त होती है।

26. **निःशुल्क दुर्घटना बीमा**- सभी समाज सदस्यों की जानकारी के लिए यह उल्लेख करना जरूरी है कि 'दुर्घटना बीमा योजना' के अन्तर्गत सभी पंजीकृत समाज सदस्यों की 'बीमा प्रीमियम' समाज द्वारा वहन की जाती है। यह योजना केवल आकस्मिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर ही लागू है। 18 से 80 वर्ष आयु वर्ग के समाज सदस्यों को 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क उपलब्ध है। स्थाई अपंगता पर भी 50% क्लेम मिलेगा।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

27. **समाज परिसम्पत्तियों का किराया प्रबंधन**- समाज को दान में मिली हुई एवं किराए पर चल रही परिसम्पत्तियों के प्रबंधन एवं देखरेख **समाज भवन मंत्री** **श्री श्याम लाल मालपानी** द्वारा किया जा रहा है। समाज को दान में मिली हुई सम्पतियाँ इस प्रकार हैं :–
(1) परतानियों का रास्ता की सम्पत्ति– श्री बुलाकी चन्द मालपानी (भेंट–1954 में)
(2) पितलियों का चौक की सम्पत्ति– श्री कल्याणबक्स, अंचीबाई मणिहार (भेंट–1964 में)
(3) जोबनेर की सम्पत्ति– श्री रामस्वरूप साबू (भेंट–1972 में)

28. **97वाँ वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह**- श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर का 97वाँ वार्षिकोत्सव सूर्यसप्तमी सोमवार, 07 फरवरी, 2022 को माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल (MGPS) विद्याधर नगर, जयपुर में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विजय मंत्री (प्रमुख वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ) एवं विशिष्ट अतिथि (सीए) डॉ. कैलाश चन्द परवाल थे। श्री खगेश चितलांग्या के संयोजन में आयोजित 'प्रतिभा सम्मान' में खेलकूद, शैक्षणिक, सामाजिक, शिक्षा, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं चिकित्सा आदि क्षेत्रों की लगभग 42 प्रतिभाओं को समाज द्वारा स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति–पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया एवं महेश सेवा कोष में स्थापित कोषों से लगभग 76 प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को सम्मान स्वरूप चैक व प्रशस्ति–पत्र कोष स्थापितकर्ताओं के द्वारा दिये गये।

29. **होली स्नेह मिलन एवं चंग-ढफ-धमाल**- दिनांक 16 मार्च, 2022 को 'होली स्नेह मिलन समारोह एवं चंग–ढफ–धमाल' माहेश्वरी विद्यालय, तिलक नगर में आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री जे.डी. माहेश्वरी–शकुन ग्रुप (प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी) एवं विशिष्ट अतिथि श्री उमेश सोनी (प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी) थे। कार्यक्रम में समाज बन्धुओं ने प्रयागराज की सुप्रसिद्ध सोनाली–तरूण चोपड़ा एवं ग्रुप द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ स्वादिष्ट ठण्डाई एवं अल्पाहार का आनन्द लिया।

30. **महेश नवमी महोत्सव**- माहेश्वरी जाति का उत्पत्ति दिवस 'महेश नवमी' दिनांक 09 जून, 2022 को प्रातः चौड़ा रास्ता स्थित भवन में समाज की स्थापना के समय से विराजमान भगवान महेश के चित्र की विशेष पूजा–अर्चना के साथ प्रारम्भ हुआ। सायंकाल महेश भगवान की शोभा यात्रा माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, विद्याधर नगर से प्रारम्भ हुई। शोभा यात्रा में केसरिया परिधान में सुसज्जित महिलाएँ तथा सफेद धोती–कुर्ता व केसरिया दुपट्टा धारण किये पुरुष चल रहे थे। मार्ग में जगह–जगह पर समाज बन्धुओं द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन 'उत्सव', विद्याधर नगर में भगवान महेश की महाआरती की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री निर्मल मूंदड़ा (प्रमुख समाजसेवी एवं व्यवसायी), विशिष्ट अतिथि श्री राधाकृष्ण कोगटा (प्रमुख समाजसेवी एवं उद्योगपति) एवं स्वागताध्यक्ष श्री श्रीनाथ मालपानी (प्रमुख समाजसेवी एवं उद्योगपति) थे। कार्यक्रम में महेश सेवा कोष के लिए राशि प्रदान करने वाले भामाशाहों को बधाई पत्र, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात् प्रसादी का आयोजन किया गया।

31. **सामूहिक गोठ एवं महेश मेला**- दिनांक 18 सितम्बर, 2022 को श्री माहेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलक नगर प्रांगण में 54वीं सामूहिक गोठ एवं महेश मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में माहेश्वरी परिवारों ने भाग लेकर मेले व स्वादिष्ट दाल–बाटी–चूरमे का आनन्द प्राप्त किया। बादाम के चूरमे को समाज बंधुओं ने खूब सराहा। वरिष्ठजनों के लिए भोजन की पृथक् व्यवस्था की गई थी। मेले में खाद्य सामग्री, गेम्स, डिस्प्ले आदि की अनेक स्टॉल्स लगाई गईं एवं मनोरंजन के कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। गोठ के संयोजक **श्री राजेन्द्र मांधना** तथा महेश मेले के संयोजक **श्री विजय कृष्ण परवाल** थे। इस समारोह के मुख्य अतिथि **श्री कैलाश राठी** (प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी), स्वागताध्यक्ष **श्री कमल कुमार काबरा** (प्रमुख व्यवसायी एवं समाजसेवी) एवं विशिष्ट अतिथि **श्री रवि चाण्डक** व **श्री रमेश चन्द मनिहार** (समाज संरक्षक एवं प्रमुख व्यवसायी) **श्री रमेश कुमार मंत्री** द्वारा मेले का उद्घाटन किया गया। स्वादिष्ट प्रसादी का करीब 12 हजार बन्धुओं ने आनन्द प्राप्त किया।

32. **दीपावली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव**- दिनांक 13 नवम्बर, 2022 को माहेश्वरी विद्यालय, तिलक नगर प्रांगण में दीपावली स्नेह मिलन समारोह के अन्तर्गत भक्ति संगीत संध्या तथा अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गिरिराज पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाये हुए भगवान कृष्ण की नयनाभिराम की विशेष झांकी (छप्पन भोग सहित) सजाई गई व महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 4,000 समाज बंधुओं ने सम्मिलित होकर अन्नकूट प्रसादी का आनन्द लिया। आयोजन के मुख्य अतिथि **श्री गिरिराज अजमेरा** (प्रतिष्ठित फाईनेन्स ब्रोकर, होटल व्यवसायी एवं समाजसेवी), विशिष्ट अतिथि **श्री रामसहाय मांधना** (प्रमुख रत्न व्यवसायी एवं समाजसेवी), स्वागताक्ष **श्री प्रिंस राजेश लढ्ढा** थे। अन्नकूट संयोजक **श्री ओमप्रकाश सोढ़ानी**, कोषाध्यक्ष **श्री मुकेश कुमार लढ्ढा** तथा शेयर होल्डर संयोजक **श्री राजेन्द्र मूंधड़ा** थे।

33. **CELEBRATING LIFE टॉक शो**- समाज द्वारा दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 को एम.पी.एस. जवाहर नगर के तक्षशिला सभागार में CELEBRATING LIFE विषय पर एक आध्यात्मिक टॉक शो का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत प्रख्यात आध्यात्मिक वक्ता **बहन बी.के.शिवानी जी** का उद्‌बोधन समाज बन्धुओं के लिए प्रेरणादायी रहा। इस कार्यक्रम को समाज के यू–ट्यूब चैनल पर लगभग 14000 व्यक्ति देखकर लाभांवित हुए। सभागार में करीब 1000 बन्धु उपस्थित थे।

34. **टॉक शो (A WELLNESS CHAT ON HEART TO HEART)**- समाज द्वारा गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी, 2023 को एम.पी.एस., जवाहर नगर के तक्षशिला सभागार में विश्वप्रसिद्ध हृदय और कार्डियोथेरेसिक सर्जन पद्मश्री, पद्मभूषण **डॉ. नरेश त्रेहान** (Chairman & M.D. Medanta, Hospital) गुरुग्राम द्वारा एक टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रश्नोत्तर सेशन भी रहा। इस कार्यक्रम में करीब 1000 बन्धुओं की उपस्थित रही।

35. **महेश अस्पताल (संरक्षक श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर)**- वर्ष 2022 में महेश अस्पताल में ओ.पी.डी. (बाह्य रोगी) संख्या 29072, भर्ती रोगियों की संख्या 1425 एवं प्रसूती (डिलेवरी) 79 रही। दिनांक 26 जून, 2022 को श्री महेश मेडिकल रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी की सभा (सत्र 2022–25) के चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुए जिसमें अध्यक्ष–श्री तेजप्रकाश रांदड़ एवं सचिव– श्री रामअवतार आगीवाल निर्वाचित हुए।

केदार मल भाला
अध्यक्ष

मनोज मूंदड़ा
महामंत्री

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

समाज कार्यकारिणी सत्र 2022–25

केदार मल भाला अध्यक्ष	मनोज मूंदड़ा महामंत्री

संजय माहेश्वरी उपाध्यक्ष (समाज)	पवन बजाज (टोंक फाटक) उपाध्यक्ष (वित्त)	बजरंग लाल बाहेती उपाध्यक्ष (शिक्षा)
बृजमोहन बाहेती संयुक्त मंत्री	संदीप कचोलिया संयुक्त मंत्री	मधुसूदन बिहाणी महासचिव शिक्षा
कमल किशोर साबू शिक्षा सचिव (MHS, T.N.)	सीए. अमित गट्टानी शिक्षा सचिव (MPS, J.N.)	एडवोकेट प्रकाश बिड़ला शिक्षा सचिव (MBV)
घनश्याम कचौलिया शिक्षा सचिव (MGPS)	सीए. गणेश बांगड़ शिक्षा सचिव (MPS, P.N.)	दिनेश कुमार मोदानी शिक्षा सचिव (MCCA, P.N.)
दीपक सारड़ा (कम्प्यूटर इंजीनियर) शिक्षा सचिव (MPS Int., T.N.)	श्याम सुन्दर तोतला शिक्षा सचिव (MPS, Ajmer Road)	अशोक कुमार मालू शिक्षा सचिव (MPS, Kalwar Road)
अरूण कुमार मालू शिक्षा सचिव (MPS, Sanskriti)	सीए .रोहित माहेश्वरी शिक्षा सचिव (MPS, Sanskriti, Jagatpura)	रविन्द्र झंवर अर्थ मंत्री
सुशील जाजू कोषाध्यक्ष (समाज)	सीए. अनिल कुमार सारडा कोषाध्यक्ष (शिक्षण संस्थाएँ)	विमल किशोर सारड़ा संगठन मंत्री
अरूण बाहेती प्रचार मंत्री	श्याम दास मंत्री भंडार मंत्री	श्याम लाल मालपानी भवन मंत्री (समाज)
द्वारका दास नोवाल भवन मंत्री (MHS, TN)	सुमित काबरा भवन मंत्री (MPS, J.N.)	प्रकाश काहल्या भवन मंत्री (MBV)
आशीष जाखोटिया भवन मंत्री (MGPS)	अजय सारड़ा भवन मंत्री (MPS, P.N.)	रामअवतार काबरा भवन मंत्री (MCCA, P.N.)
महेश चाण्डक भवन मंत्री (MPS Int., T.N.)	अरविन्द मांधनिया भवन मंत्री (MPS, Ajmer Road)	श्याम सुन्दर जाजू भवन मंत्री (MPS, Kalwar Road)
वैभव सोमानी भवन मंत्री (MPS, Sanskriti)	विपिन साबू भवन मंत्री (MPS, Sanskriti, Jagatpura)	अमित कुमार लढ्ढा सांस्कृतिक मंत्री
सत्यनारायण करवा विवाह प्रकोष्ठ मंत्री	डॉ. अरूण परतानी स्वास्थ्य मंत्री	श्रीबल्लभ मारू वरिष्ठजन आवास एवं कल्याण मंत्री
	मालचन्द बाहेती महेश सेवा कोष मंत्री	

कार्यकारिणी सदस्यगण

अजय नोवाल	आलोक झंवर	अनिल कचोलिया
अनिल कुमार अजमेरा (गोवर्धन)	अनिल कोठ्यारी	आशीष मंत्री (गणगौर बेसन)
अशोक खटोड़	अशोक अजमेरा	भवानी शंकर बाहेती
चन्द्र मोहन कासट	चन्द्र प्रकाश धूत (सी.पी.)	दीपक बिड़ला
दीपक लढ्ढा	दिनेश कुमार सोनी (लड्डू जी)	द्वारका दास मालू (एडवोकेट)
गिरधर झंवर	गिरिराज लढ्ढा	गोपाल लाल मालपानी
गोविन्द मालपानी	हरीश भुराड़िया	हरीश कुमार डागा
कमल सोमानी	कमलेश लढ्ढा	कृष्ण गोपाल होलानी (के.जी.LIC)
महेश मूंदड़ा	मनीष गगरानी	मनीष कुमार सोमानी
मनीष जाजू	मनोज कुमार बिड़ला	नटवर कुमार सारड़ा (सी.ए.)
निर्मल दरगड़	ओम प्रकाश जैथलिया	ओम प्रकाश सोढ़ानी
पूनम चन्द भाला	प्रमोद हुरकट	प्रवीण लढ्ढा
राधा मोहन कचोलिया (सी.ए.)	राजीव बागड़ी	राजेश कुमार सोढ़ानी
राजकिशोर भाला	राकेश तोषनीवाल	रमेश चन्द जाखोटिया
रवि पेड़ीवाल	संदीप मून्दड़ा	संजय बांगड़
शांति लाल जागेटिया	शरद काबरा (सी.ए.)	सुरेश कुमार लढ्ढा
विजय सारड़ा		प्रदीप बाहेती (पदेन सदस्य)

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव् दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर

माहेश्वरी भवन, सिंधी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : माहेश्वरी पब्लिक स्कूल इन्टरनेशनल (MPS इन्टरनेशनल),
भाभा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004

Email : ecmsgs@hotmail.com • **Website** : www.ecmsjaipur.com

केदार मल भाला
अध्यक्ष
मो. 93145 03259

सोसायटी के अन्तर्गत सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालय की जानकारी

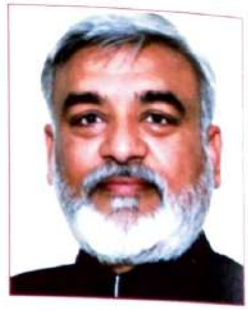

मधुसूदन बिहाणी
महासचिव शिक्षा
मो. 88901 40000

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर के अन्तर्गत दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव् दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर राजस्थान सोसाइटीज एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इसका पंजीयन क्रमांक 96 / 1956–57 हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित सार्थक शिक्षा प्रदान करने हेतु गठित यह सेवाभावी संस्था निरन्तर शैक्षिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए वर्तमान में जयपुर में निम्न 10 शिक्षण संस्थाओं, 1 महाविद्यालय एवं छात्रावास का कुशलता पूर्वक संचालन कर रही है, जिनमें वर्तमान में 24270 शिक्षार्थी लाभान्वित हो रहे हैं :

School	mhs	Mps-Jn	mbv	mgps	Mps-Pn	Mps-Int.	Mps-Bagru	Mps-kr	Mps-Sanskriti Banipark	Mps-Sanskriti Jagatpura	MGPGC-pn
Establish	1936	16.07.77	1984	18.04.01	28.04.08	2014	2014	01.05.18	09.07.18	28.05.22	13.07.10
Medium	Hin. & Eng.	English	English	English	English	English	English	English	English	English	English
Class	Eng I-XII Hin XI-XII	I to XII	Eng I-XII	I to XII	I to XII	I to XII	Nursery to XII	Nursery to XII	Nursery-KG-PREP	Nursery-KG-PREP	Higher
Education	Co-Edu.	Co-Edu.	Girls	Girls	Co-Edu.	Co-Edu.	Co-Edu.	Co-Edu.	Co-Edu.	Co.-Edu	Girls
Students	2067 + 302	4279	2123	3882	3037	3485	1209	3098	373	22	390
Board	RBSE	CBSE	RBSE	CBSE	CBSE	CBSE	CBSE	CBSE	-	-	University
X Result	98.47 %	100 %	96.48%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	-	-	-
90 % + (x)	10	107	18	127	85	39	4	26	-	-	-
XII Result	100 %	100 %	97.37 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-
90 % + (XII)	17	71	26	97	48	65	8	-	-	-	-

विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा परिणाम संख्यात्मक व गुणात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों का विवरण निम्नानुसार है :

	mhs	Mps-Jn	mbv	mgps	Mps-Pn	Mps-Int.	Mps-Bagru	Mps-Kr	College
X	Manu Sharma 95.17%	Darsh Maheshwari 97.83%	Dhruvi Maheshwari 96.50%	Avni Jhalani 99.50%	Jyotsana Bansal 99%	Samriddhi Arora 99%	Mohamad Shaan 92.80%	Aanika Maheshwari 97.80%	
XII Sci.	Priyanshu Joshi 97.20%	Sanyam Jain 98.60%	Vanshika Sharma 93.80%	Anshita Khandelwal 97.60%	Dishita Agarwal 96%	Gunjit Jain 97.20%	Vastu Agarwal 95%		
XII Com.	Ansh Mittal 92.20%	Pranav Dhoot 97.40%	Krtika Sharma 97.20	Vishakha Gupta 97.60 %	Ishika Jain 97.20%	Daksh Juneja 96.60%	Janhvi Noval 97%		
XII Hum.	--			Anushka Sharma 97.10 %	Muskan Sharma 95.20%	Yash Jha 96.60%	Palak Choudhary 94.20%		
College									Priyal Asudani 75.78% University Topper Gold Medalist

127

सोसायटी द्वारा विभिन्न कार्यों का सुदृढ़ व पारदर्शी सम्पादन :

दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर के द्वारा कुशल संचालन एवं प्रबन्धन की दृष्टि से निम्न समितियों का गठन किया गया है, जो कि पारदर्शिता के साथ विधिवत रूप से कार्य संपादित कर रही हैं :

समिति का नाम	पद
केन्द्रीय क्रय समिति (विद्यालय सामग्री)	चेयरमैन : श्री बजरंग लाल बाहेती, उपाध्यक्ष (शिक्षा) संयोजक : श्री गोविन्द (महेश) परवाल
सोसायटी / प्रबन्ध समिति विधान संशोधन समिति	संयोजक : श्री मनोज माहेश्वरी (नांगलिया) (FCS,LLB)
केन्द्रीय परीक्षा समिति (CEC)	संयोजक : सीए. प्रमोद कुमार बूब समन्वयक : सीए. अमित गट्टानी, मानद् सचिव (mps-jn)

1. शैक्षणिक दृष्टिकोण :

- **पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा / मूल्यांकन :**

सोसायटी के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं **(CBSE/RBSE)** तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (**Pre Primary Classes**) से संबंधित 100 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों की पाठ्यपुस्तकों, पाठ्य सामग्री तथा उसके प्रस्तुतीकरण, पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र का स्वरूप, उनकी प्रामाणिकता इत्यादि की पारदर्शिता के साथ सतत् मूल्यांकन एवं समीक्षा का कार्य 3 से 5 जनवरी, 2023 के मध्य माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर परिसर में प्रातः 9:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक श्री प्रमोद कुमार जी बूब के निर्देशन में करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रक्रिया के तहत सोसायटी के अन्तर्गत संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं से लगभग 200 योग्य व अनुभवी विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया है जिन्होंने लगभग 4000 से अधिक पाठ्यपुस्तकों के परीक्षण के उपरान्त निर्धारित मापदण्डों का अवलोकन करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कार्य में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर, जयपुर के मानद् सचिव श्री अमित जी गट्टानी एवं श्री बृज मोहन जी बाहेती ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया। सोसायटी स्तर पर रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक चर्चा के उपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

- **मैरिट स्कॉलरशिप :**

दी एज्यूकेशन कमेटी ऑव् दी माहेश्वरी समाज (सोसायटी), जयपुर की सभा दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 में लिए गए निर्णयानुसार सोसायटी के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 11 व 12 में अध्ययनरत शिक्षार्थियों को सत्र 2022–23 से मैरिट स्कॉलरशिप का दायरा बढाते हुए निम्नानुसार मैरिट स्कॉलरशिप प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कक्षा 10 व 11 के लिए अंक प्रतिशत की गणना में अंकतालिका (Mark Sheet) में अंकित सभी विषयों के प्राप्तांक शामिल किए जाएँगे। ये नियम दिनांक 1.4.2022 से प्रभावी किए गए हैं :

- ➤ कक्षा 10 अथवा 11 में 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले शिक्षार्थियों को 100 प्रतिशत शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी।
- ➤ कक्षा 10 अथवा 11 में 95 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करने तथा NTSE उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थियों को 100 प्रतिशत शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी।
- ➤ कक्षा 10 अथवा 11 में 95 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत से कम अंक अर्जित करने वाले शिक्षार्थियों को शिक्षण शुल्क में 100 प्रतिशत शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी।
- ➤ राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी।
- ➤ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले शिक्षार्थी को 100 प्रतिशत शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी।
- ➤ विद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थी के अध्ययन के दौरान यदि उनके माता एवं पिता जीवित नहीं रहे हैं, उनकी भी 100 प्रतिशत शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाएगी।
- ➤ खेलकूद प्रतियोगिता की श्रेणी को छोडकर अन्य सभी श्रेणियों में मैरिट स्कॉलरशिप पाने वाले शिक्षार्थी को न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि किसी शिक्षार्थी की उपस्थिति निर्धारित मापदण्ड से कम है, तो उन्हें मैरिट स्कॉलरशिप प्रदान नहीं की जाएगी।

- **श्री माहेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, तिलक नगर को CBSE से सम्बद्धता का निर्णय :**

श्री माहेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, तिलक नगर, जयपुर की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर सोसायटी की सभा में आवश्यक विचार विमर्श के उपरान्त शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों की माँग को ध्यान में रखते हुए विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के समक्ष ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विद्यालय को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

- **माहेश्वरी गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, प्रताप नगर में सहशिक्षा :**

माहेश्वरी गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, प्रताप नगर की प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर सोसायटी की सभा में आवश्यक विचार विमर्श के उपरान्त आज के परिपेक्ष्य की आवश्यकता एवं अभिभावकों की माँग को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय को सह शिक्षा के अन्तर्गत संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय स्तर पर इसकी मान्यता हेतु निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. सह-शैक्षणिक दृष्टिकोण :

- **गणतन्त्र दिवस समारोह, 2022 का आयोजन :**

सोसायटी द्वारा गणतन्त्र दिवस समारोह, 2022 का आयोजन 26 जनवरी, 2022 को प्रातः 10:15 बजे श्री माहेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल प्रांगण में कोविड दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री राम कुमार जी भूतडा, प्रमुख समाज सेवी एवं कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान तथा अध्यक्ष–अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, पुष्कर उपस्थित रहे।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

- **स्वाधीनता दिवस समारोह, 2022 का आयोजन :**

सोसायटी द्वारा स्वाधीनता दिवस समारोह, 2022 का आयोजन 15 अगस्त, 2022 को प्रातः 9:00 बजे श्री माहेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री डॉ. अशोक जी काबरा, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ एवं बतौर विशिष्ट अतिथि श्री राजेश जी माहेश्वरी, संयुक्त निदेशक, राज्य कर (जी.एस.टी.) उपस्थित रहे।

- **शिक्षक दिवस समारोह, 2022 का आयोजन :**

सोसायटी द्वारा शिक्षक दिवस समारोह, 2022 का आयोजन 5 सितम्बर, 2022 को सायं 6:00 बजे माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर के तक्षशिला ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता प्रभु श्रीमान् शुभ विलास जी एवं बतौर विशिष्ट अतिथि श्री बी. एल. सोनी जी, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपस्थित रहे।

3. प्रशासनिक दृष्टिकोण :

- **केन्द्रीय परीक्षा समिति (CEC) :**

सोसायटी के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं में समान प्रश्न पत्र योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय परीक्षा समिति (**CEC**) का गठन करते हुए परीक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्यों को सम्यक् प्रकार से संचालित करवाने हेतु सीए. प्रमोद कुमार जी बूब को संयोजक तथा सीए. अमित जी गट्टानी, मानद् सचिव, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर, जयपुर को समन्वयक मनोनीत किया गया है। इस समिति के अन्तर्गत सुनिश्चित तिथि में पाठ्यक्रम समाप्ति, समान दोहरान कार्य, समान वर्कशीट, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नपत्रों की अवधि, प्रश्नपत्रों का स्तर, समान अंक योजना, समान तिथि में प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित करवाना इत्यादि कार्य सौंपे गए। समस्त शिक्षण संस्थाओं के परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग व डीकोडिंग के द्वारा सतत् मूल्यांकन कर परिणाम तैयार किया गया। इस सम्पूर्ण कार्य में पूरी पारदर्शिता तथा गोपनीयता बरती गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षार्थी को बोर्ड परीक्षा हेतु तैयार करना है। विषयों पर बड़े व्यापक रूप से सकारात्मक चर्चा के उपरान्त ही इसे प्रभावी किया गया है। केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा (**CEC**) समान विषय कार्यभार तथा परीक्षा संबंधी समस्त कार्यों के तहत एक समान प्रथम एवं द्वितीय सत्र को सम्मिलित करने हेतु तथा नवीन योजना के अनुसार अंकों के विभक्तिकरण हेतु साप्ताहिक परख तथा यूनिट टेस्ट का आयोजन करना निश्चित किया गया है। इसमें **CBSE** तथा **RBSE** के परीक्षा संबंधी समस्त कार्यों का सम्पादन किया जाएगा।

- **विधान संशोधन समिति का गठन :**

सोसायटी के विधान, प्रबन्ध समिति के गठन एवं संचालन संबंधी नियमावली में आवश्यक संशोधन हेतु श्री मनोज जी माहेश्वरी (नांगलिया) (**FCS, LLB**) के संयोजन में विधान संशोधन समिति का गठन किया गया।

- **सोसायटी के इतिहास का संकलन एवं पुस्तक प्रकाशन :**

सोसायटी की स्थापना संबंधी भ्रांतियों को दूर करते हुए पुराने तथ्यों, हस्त लिखित मिनिट्स व अन्य तथ्यात्मक जानकारी संकलित करते हुए सोसायटी के इतिहास संबंधी पुस्तक, एच. आर. मैनुअल तथा एम.पी.एस. संस्कृति की एस.ओ.पी. का विमोचन रविवार दिनांक 29 मई, 2022 को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षशिला ऑडिटोरियम में सम्पन्न हुआ, जिसमें बतौर अतिथि श्री पुरूषोत्तम जी बिहाणी–**(IAS)**, श्री ललित जी माहेश्वरी–**(IPS)**, श्री गौरीशंकर जी आगीवाल–**(IFS)** एवं श्री बृजेश जी डागरा उपस्थित रहे।

4. निर्माण कार्य :

- **बहुउद्देशीय शिक्षा संस्थान, जय सिंह हाईवे :**

जयसिंह हाईवे में खरीद किए गए भूखण्ड पर 2 मंजिला तलधर, प्रथम तीन मंजिला पर एम.पी.एस. संस्कृति, एक मंजिल पर ऑडिटोरियम, दो मंजिलों में योग एवं कौशल शिक्षा का प्रावधान किया गया। बुधवार 25 मई, 2022 को इसका लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिडला के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री राधाकृष्ण जी कोगटा (चेयरमैन, कोगटा फाइनेन्शियल इण्डिया लिमिटेड), विशिष्ट अतिथि श्रीमती कमला जी बिहाणी एवं श्री अशोक जी बागला के कर कमलों से सम्पन्न हुआ।

- **एम.पी.एस. संस्कृति, जगतपुरा :**

लाजपत नगर, जगतपुरा, जयपुर में एम.पी.एस. संस्कृति हेतु 703.01 वर्ग गज भूमि मय भवन खरीद की गई। इस भवन का जीर्णोद्धार कर इसका विधिवत उद्‌घाटन शनिवार 28 मई, 2022 को प्रमुख समाजसेवी श्री श्याम सुन्दर जी भूतडा एवं विधायक (सांगानेर) श्री अशोक जी लाहोटी के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। सत्र 2022–23 के जुलाई माह से विद्यालय प्रारम्भ किया गया।

- **ऑडिटोरियम, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, कालवाड रोड :**

विद्यालय में 10500 वर्ग फुट एरिए में 700 दर्शकों की क्षमता का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम "कोटिल्य सभागार" तैयार करवाया गया। इस सभागार का लोकार्पण रविवार 27 मार्च, 2022 को लाकार्पणकर्ता श्री आर. डी. बाहेती जी, समाज संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष–श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर (आर.डी. बाहेती चैरिटेबल ट्रस्ट) के कर कमलों से हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय डॉ. श्री बी. डी. कल्ला जी तथा बतौर विशिष्ट अतिथि श्री रमेश कुमार जी बंग (चेयरमैन, महेश बैंक, हैदराबाद) उपस्थित रहे।

- **निर्माण नगर में शैक्षणिक उपयोग हेतु भूखण्ड की खरीद :**

निर्माण नगर में शैक्षणिक उपयोग हेतु 2032 वर्ग गज भूमि की खरीद की गई। इस भूखण्ड का विधिवत भूमि पूजन शुक्रवार दिनांक 13 मई, 2022 को श्री आर. डी. बाहेती जी, संरक्षक एवं पूर्व अध्यक्ष (श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर) एवं श्रीमती रेखा–श्री विरेन्द्र कुमार शारदा (इण्डोनेशिया) के कर कमलों द्वारा किया गया।

- **एकलव्य स्पोर्ट्स एरिना–माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, अजमेर रोड :**

शिक्षार्थियों में खेल भावना के विकास तथा खेलों के महत्त्व को समझते हुए विद्यालय परिसर में 9312 वर्ग मीटर क्षेत्र में 23000 वर्ग फीट निर्मित सेमी

129

सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, एक भव्य पवेलियन, 500 दर्शनार्थियों हेतु दर्शक दीर्घा का निर्माण, 8000 वर्ग फीट में लॉन टेनिस कोर्ट एवं सिंथेटिक मैटेरियल से निर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया। विद्यालय में पॉलीकार्बनिक शीट का प्रयोग करते हुए 5000 वर्ग फीट का डोम का निर्माण किया गया। इसका लोकार्पण रविवार दिनांक 20 मार्च, 2022 को लोकार्पणकर्ता श्री ओम प्रकाश जी तोषनीवाल (ड्रोम मार्बल्स, किशनगढ) एवं मुख्य अतिथि माननीय जिन्दा शहीद मनिन्दरजीत सिंह जी बिट्टा (अध्यक्ष–ऑल इण्डिया एंटी टेररिस्ट फ्रन्ट) के कर कमलों से सम्पन्न हुआ।

- **बास्केटबॉल कोर्ट–माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, प्रताप नगर :**

  विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट तथा छोटे बच्चों के लिए प्ले स्टेशन तैयार करवाया गया। इसका लोकार्पण गुरुवार दिनांक 26 मई, 2022 को श्री विनोद जी कालानी एवं श्री विनोद जी मांधना के कर कमलों से सम्पन्न हुआ।

- **प्रयोगशाला निर्माण–माहेश्वरी गर्ल्स पी. जी. कॉलेज, प्रताप नगर :**

  महाविद्यालय में विज्ञान संकाय हेतु बायोलॉजी, फिजिक्स एवं कैमिस्ट्री की नवीन प्रयोगशालों का निर्माण हुआ जिनका लोकार्पण बुधवार दिनांक 13 अप्रेल, 2022 को लोकार्पणकर्ता मुम्बई निवासी श्री प्रदीप जी माला के कर कमलों द्वारा किया गया। लोकार्पण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर श्री राजीव जी जैन, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय एवं बतौर विशिष्ट अतिथि श्री साँवरमल जी परवाल उपस्थित हुए।

- **प्रयोगशाला निर्माण–माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, कालवाड रोड :**

  विद्यालय में सांइस लैब, मैथ्स लैब, लैंग्वेज लैब, बायोलोजी लैब, फिजिक्स लैब, कैमिस्ट्री लैव / ज्योग्राफी लैब और कम्प्यूटर लैब का निर्माण हुआ।

5. उपलब्धियाँ :

- माहेश्वरी शिक्षा समिति की दो शिक्षण संस्थाएँ 'एज्यूकेशन वर्ल्ड' द्वारा सम्मानित : एज्यूकेशन वर्ल्ड के द्वारा सत्र 2022–23 के लिए इण्डिया स्कूल रैकिंग में "सहशिक्षा डे स्कूल" की श्रेणी में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर को राजस्थान व जयपुर में चतुर्थ रैकिंग, "गर्ल्स डे स्कूल" की श्रेणी में माहेश्वरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल, विद्याधर नगर को राजस्थान में चतुर्थ व जयपुर में द्वितीय रैकिंग प्रदान की है।

6. आगामी योजनाएँ :

सोसायटी की आगामी तीन वर्षों की कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रकल्पों को पूरा करने का सतत् प्रयास किया जाएगा :

1. आगामी सत्र से सभी विद्यालयों की कक्षा 6 से 8 के शिक्षार्थियों हेतु विद्यालय समाप्ति के पश्चात् प्रतिदिन अतिरिक्त ऑनलाईन कक्षा के द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाएगा जिससे सभी शिक्षार्थियों को विषय संबंधी शंका का समाधान किया जाना संभव हो सकेगा।
2. आगामी सत्र से सभी विद्यालयों की कक्षा 9 से 10 के शिक्षार्थियों हेतु विद्यालय समय में ही प्रतिदिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुभवी विषय विशेषज्ञों के माध्यम से ऑनलाईन शिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा। सभी शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ ही विद्यालय में पढाई गई ऑनलाईन कक्षा की रिकार्डिंग भी मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे शिक्षार्थी घर पर भी इसका अवलोकन कर सकेगा। अब विद्यालयों में शिक्षक पाठ्यक्रम की तर्ज पर खेलकूद एवं सह शैक्षणिक व्यवस्थाओं का भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।
3. शिक्षा समिति द्वारा संस्कार शिक्षा हेतु प्री प्राइमरी विद्यालय एम.पी.एस. संस्कृति का संचालन सत्र 2018 से शुरू किया गया था। इन विद्यालयों में वर्तमान में लगभग 1000 शिक्षार्थी अध्ययनरत हैं। प्री प्राईमरी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी करने हेतु विश्व स्तरीय संस्थान के पाठ्यक्रम को लागू किया लागू किया जा रहा है।
4. एम.पी.एस. संस्कृति, बनीपार्क एवं माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर विद्यालय में सांयकाल डान्स, म्यूजिक, थियेटर की हॉबी क्लासेस प्रारम्भ की जाएँगी तथा इस क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से प्रमाण पत्र हेतु विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा।
5. आगामी शिक्षा सत्र से बुकशाप व गणवेश वितरण व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु ऑनलाईन विक्रय व्यवस्था लागू की जाएगी।
6. जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है उन विद्यार्थियों की शत प्रतिशत स्कूल फीस एवं परिवहन फीस माफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त अन्य माहेश्वरी विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
7. उच्च शिक्षा हेतु ई. स्टडी लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, इस हेतु उच्च स्तरीय ऑन लाईन बैबसाईट्स से लाइसेन्स लिया जाएगा।
8. वर्तमान में शिक्षार्थियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण हेतु रूझान बढ़ रहा है। इसी क्रम में शिक्षा समिति द्वारा उच्च स्तर पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से अनुबन्ध कर शिक्षार्थियों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता एवं छात्रवृति हेतु प्रयास किया जाएगा। साथ ही ईसीएमएस के द्वारा भी उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आगामी शिक्षा सुचारू रूप से जारी रह सके।
9. उच्च शिक्षा हेतु अन्य शहरों से आने वाले स्वजातीय शिक्षार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना की जाएगी।
10. अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु भूमि क्रय करते हुए माहेश्वरी विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूर्त्त रूप देने का कार्य किया जाएगा।
11. सनातन संस्कार एवं आधुनिक परिदृश्य के सामंजस्य की स्थापना हेतु एम.पी.एस. संस्कृति (पूर्व प्राथमिक विद्यालय) की स्थापना की जाएगी।
12. प्रशासनिक सेवा (UPSC, RPSC), न्यायिक सेवा (RJS), CLAT, IIT-JEE, CPMT, CAT आदि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के माध्यम से मार्गदर्शन देने हेतु EDUCATION HUB की स्थापना की जाएगी।
13. मेधावी व जरूरतमंद शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु राशि रुपये 3000 / – प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी।
14. सोसायटी के निर्माणाधीन बनीपार्क भवन एवं निर्माण नगर भवन के निर्माण कार्य की पुनः विवेचना कर उनके उपलब्ध स्थान की उपयोगिता के अनुसार मूल्यांकन करते हुए योजना का पुनः निर्धारण किया जाएगा।
15. यदि शैक्षणिक उपयोग हेतु भविष्य में नया प्रोजेक्ट लाया जाएगा तो उसके लिए सभी वरिष्ठ महानुभावों से विचार विमर्श के उपरान्त ही सर्व सम्मति से कार्य संपादित किया जाएगा।

केदार मल भाला	Kedar Bhala	मधु सूदन बिहाणी
अध्यक्ष	अध्यक्ष	महासचिव शिक्षा
महामंत्री	श्री माहेश्वरी समाज जयपुर	
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर		

ECMS कार्यकारिणी सत्र 2022-25

केदार मल भाला
अध्यक्ष

बजरंग लाल बाहेती
उपाध्यक्ष शिक्षा

मधु सूदन बिहाणी
महासचिव शिक्षा

अनिल कुमार सारड़ा (सीए)
कोषाध्यक्ष

शिक्षा सचिव

कमल किशोर साबू
शिक्षा सचिव (MHS, T.N.)

अमित गट्टानी (सीए)
शिक्षा सचिव (MPS, J.N.)

प्रकाश बिड़ला
शिक्षा सचिव (MBV)

घनश्याम कचौलिया
शिक्षा सचिव (MGPS)

गणेश बांगड़ (सीए.)
शिक्षा सचिव (MPS, P.N.)

दिनेश कुमार मोदानी
शिक्षा सचिव (MCCA, P.N.)

दीपक सारड़ा (कम्प्यूटर इंजीनियर)
शिक्षा सचिव (MPS Int., T.N.)

श्याम सुन्दर तोतला
शिक्षा सचिव (MPS, Ajmer Road)

अशोक कुमार मालू
शिक्षा सचिव (MPS, Kalwar Road)

अरूण कुमार मालू
शिक्षा सचिव (MPS, Sanskriti, Banipark)

रोहित (माहेश्वरी) परवाल (सीए)
शिक्षा सचिव (MPS, Sanskriti, Jagatpura)

भवन मंत्री

द्वारका दास नोवाल
भवन मंत्री (MHS, T.N.)

सुमित काबरा
भवन मंत्री (MPS, J.N.)

प्रकाश काहल्या
भवन मंत्री (MBV)

आशीष जाखोटिया
भवन मंत्री (MGPS)

अजय सारड़ा
भवन मंत्री (MPS, P.N.)

राम अवतार काबरा
भवन मंत्री (MCCA, P.N.)

महेश चांडक
भवन मंत्री (MPS Int., T.N.)

अरविन्द मांधनिया
भवन मंत्री (MPS, Ajmer Road)

श्याम सुन्दर जाजू
भवन मंत्री (MPS, Kalwar Road)

वैभव सोमानी
भवन मंत्री (MPS, Sanskriti, Banipark)

विपिन साबू
भवन मंत्री (MPS, Sanskriti, Jagatpura)

सदस्य

महेश परवाल

महेश साबू

भगवान लढ्ढा

राजेश सोढानी

पदेन सदस्य

मनोज मूंदड़ा
महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

प्रदीप बाहेती
निवर्तमान अध्यक्ष

नटवर लाल अजमेरा
निवर्तमान महासचिव शिक्षा

98वाँ वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह

स्वागताध्यक्ष

श्री गोकुलदास माहेश्वरी (नांगलिया)

श्री गोकुल दास जी माहेश्वरी पुत्र स्व. श्री रूपचन्द जी माहेश्वरी का जन्म 7 मई, 1972 को जयपुर में हुआ। आपकी माताजी स्व. श्रीमती शंकुतला देवी माहेश्वरी बहुत ही धर्मपरायण एवं गिर्राजधरण की अन्नय भक्त थी।

चार भाइयों में सबसे छोटे श्री गोकुल जी माहेश्वरी शकुन ग्रुप के निदेशक है। शकुन ग्रुप प्रिन्ट मिडिया एवं आउटडोर एडवरटाइजमेन्ट में सम्पूर्ण भारतवर्ष में अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

शकुन ग्रुप होटल व्यवसाय, रियल एस्टेट एवं अन्य कई व्यापारिक क्षेत्रों में कार्यरत है। इनके द्वारा जतीपुरा (गिर्राज जी) में गंगाधाम के नाम से एक बहुत ही सुन्दर भवन भी बनवाया गया है जो कि सर्वसमाज के बन्धुओं को रियायती दरों पर रूकने के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। आपके द्वारा रूप शकुन वृद्धाश्रम का निर्माण भी गोवर्धन में किया जा रहा है।

गोकुल जी को विरासत में अपने पिताजी स्व. श्री रूपचन्द जी नांगलिया से मानव मात्र की सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। इनके द्वारा विभिन्न सेवा कार्य सोनल माहेश्वरी मैमोरियल ट्रस्ट के अंतर्गत किये जा रहे है, जिनमें मुख्य रूप से वृद्धजन, महिलाओं, निर्धन एवं जरूरतमंद बालक बालिकाओं को भोजन, राशन, वस्त्र, कम्बल, पाठ्य पुस्तकों आदि का समय-समय पर वितरण शामिल है।

जयपुर के प्रशासनिक हल्के में भी गोकुल दास जी माहेश्वरी अपना विशिष्ट स्थान रखते है।

मुख्य अतिथि

श्री खेमचंद फोफलिया

जयपुर माहेश्वरी समाज के प्रतिष्ठित फोफलिया परिवार में पिताश्री स्व. श्री भगवानदासजी एवं माताश्री स्व. श्रीमती चंदा देवी के घर 14.9.1948 को चौथी संतान के रूप में जन्मे श्री खेमचंदजी फोफलिया अपने बचपन से ही एक मेधावी व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आगे आ रहे थे।

अपनी स्वयं की शिक्षा के दौरान अन्य बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा कर अपनी शिक्षा पूरी की। शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी परिश्रमी एवं बहुमुखी प्रतिभा के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ज्वॉइन किया।

आपका विवाह श्रीमती ललिता माहेश्वरी सुपुत्री स्व. श्री जमनादासजी गट्टानी के साथ सम्पन्न हुआ। आपके दो पुत्रियाँ श्रीमती दीपिका बांगड़ धर्मपत्नी श्री जगदीश बांगड़ एवं श्रीमती श्रद्धा काबरा धर्मपत्नी श्री परेश काबरा है।

सन् 2006 में सेवा निवृत्ति पश्चात स्वयं के व्यावासाय का संचालन कर रहें हैं।

अपने कार्यक्षेत्र की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ युवा अवस्था से ही निरंतर समाज की सेवा में सक्रिय योगदान देकर इन्होंने अपना एक विशेष स्थान अर्जित किया है।

131

"उत्सव"
श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन
(अन्तर्गत : श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर)

पी–10, सेक्टर 2, विद्याधर नगर, जयपुर

फोन नं. 0141-2236743-44

Website : www.utsavjaipur.in | E-mail : utsavjaipur@yahoo.com

यूनिट	विवरण	किराया राशि
	ब्लॉक ए	
I	भोजन व्यवस्था के लिये उपयुक्त लॉन, 2 एसी विश्राम कक्ष एंव रसोई सहित	24600/-
II	1000 व्यक्तियों के लिये सुसज्जित एसी बैंक्वेट हॉल, फूडकोर्ट, 1 पूजाकक्ष, 1 एसी शयनकक्ष एवं रसोई सहित	65500/-
III	एसी मिनी हॉल, 17 एसी कमरे (58 स्थापित बेड), रसोई, भोजन कक्ष	32800/-
IV	एसी मिनी हॉल, 17 एसी कमरे (58 स्थापित बेड), रसोई, भोजन कक्ष	32800/-
	तृतीय तल पर भोजनकक्ष एवं रसोई	3000/-
	अतिरिक्त शयनकक्ष मेजनाईन तल पर (डबल बेड 5 कमरे)	800/- प्रति रूम
	प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर डॉरमिट रूम - 2 (डॉरमिटरी 8 बेड)	2500/- प्रति रूम
	ब्लॉक बी	
V	300 व्यक्तियों के लिये सुसज्जित एसी हॉल, रसोई, एसी शयनकक्ष व भोजन कक्ष सहित	21000/-
VI	11 एसी कमरे ([illegible] स्थापित बेड) व पूजा घर	24600/-
	अतिरिक्त शयनकक्ष (डबल बेड 3 कमरे)	800/- प्रति रूम

- माहेश्वरी परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिये किराया राशि में 50% छूट।
- माहेश्वरी परिवारों को धार्मिक आयोजनों हेतु एसी हॉल (भूतल) सहित 1 दिन या उससे अधिक के लिये आरक्षण करवाने पर मूल किराया राशि में 60% छूट एवं सामान (कुर्सी, टेबल, गद्दे आदि) पर 40% की छूट।
- यूनिट III व IV में आवश्यकतानुसार कमरों, मिनी हॉल अथवा भोजन कक्ष व किचन की बुकिंग अलग-अलग भी की जा सकती है। (कार्यक्रम से अधिकतम 15 दिवस पूर्व)
- श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर बर्तन भंडार हलवाई के बर्तनों हेतु।
- सभी कमरे मिनी फ्रिज, इलैक्ट्रिक कैटल, टीवी, गीजर, इंटरकॉम आदि सभी सुविधा सम्पन्न
- 3 पैसेंजर लिफ्ट एंव 1 सर्विस लिफ्ट
- बेसमेंट कार पार्किंग एंव वैलेट पार्किंग की सुविधा
- 3 स्टाफरूम की सुविधा उपलब्ध (10 व्यक्ति प्रति रूम)
- 24 घंटे पावर बैकअप, स्वागत कक्ष पर डिजिटल डिस्प्ले एंव फ्री वाई-फाई सम्पूर्ण भवन में।

भवन के वीडियो टूर के लिये स्कैन करें।

अग्रिम बुकिंग का समय : प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक
सम्पर्क : 9251033701, 9251033703, 9251033700

विशेष: यूनिट V (हॉल एंव भोजनकक्ष) की किराया दर रुपये 32800/- **प्रतिदिन से अब कम करके रुपये 21000/- प्रतिदिन की गई है,** लाभ उठावें।

- भवन के सभी कमरों में कुल 186 बेड स्थापित हैं एंव 63 अतिरिक्त बैड लगाने की व्यवस्था है।
- सभी यूनिट्स का किराया रुपये 201300/- प्रतिदिन है। GST 18% अतिरिक्त देय है।

केदार मल भाला
अध्यक्ष, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

मनोज मूंदड़ा
महामंत्री, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

संचालन समिति सत्र 2022-2025

विनोद कुमार तोतला – चेयरमैन
सुरेश कालानी – सचिव
बृजमोहन सारड़ा – वाईस चेयरमैन (संचालन)
घनश्याम भूतड़ा – वाईस चेयरमैन (वित्त)
रामसहाय मांधना – सह सचिव
सुनील बिहाणी – भवन मंत्री
विपिन तोतला – कोषाध्यक्ष

सदस्य : एम.डी. बांगड़, गिर्राज प्रसाद सोढ़ानी, श्रीगोपाल भूतड़ा, कृष्णा कुमार राठी

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

132 (409)

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

जनोपयोगी भवन

"अभिनन्दन"

कृष्णा सागर कॉलोनी, पत्रकार कॉलोनी रोड
बी.टी. रोड के सामने, मानसरोवर, जयपुर-302020
सम्पर्क : फोन : 0141-2980659, मो.: 7414038883

चैक इन टाइम : 12 PM • चैक आउट टाइम : 9 AM

अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न

- 70 वातानुकूलित कमरे (8 डॉरमेट्री सहित + 2 पूजा रूम सहित)
- भव्य वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल (105'x 78'-डबल हाइट)
- सुसज्जित वातानुकूलित डायनिंग हॉल एवं मंडप एरिया (ग्राउंड फ्लोर पर)
- 2 मिनी बैंक्वेट हॉल, 2 डायनिंग हॉल
- 4 किचन, 2 पैसेंजर व 1 लगेज लिफ्ट
- प्रत्येक कमरे में मिनि फ्रिज एवं टी-कैटल सुविधा
- डबल बैसमेंट सहित वैलेट पार्किंग सुविधा
- सम्पूर्ण भवन wi-fi & CCTV सुविधायुक्त
- प्रत्येक कमरे में डिजिटल लॉकर व इंटरकॉम सुविधा
- 24 hrs Room Services, Receptionist & House Keeping Staff, Security Guard, Electricity Backup Facility Available

ग्राउण्ड फ्लोर (Unit-I)	: डायनिंग हॉल, लॉन व किचन	प्रथम तल (Unit-II)	: मुख्य बैंक्वेट हॉल (डबल हाइट)
द्वितीय तल (Unit-III)	: 22 कमरे (4 डॉरमेट्री सहित)	तृतीय तल (Unit-IV)	: 13 कमरे (पूजा रूम सहित), 1 मिनि हॉल, 1 डायनिंग हॉल, किचन
चतुर्थ तल (Unit-V)	: 13 कमरे (पूजा रूम सहित), 1 मिनी हॉल, 1 डायनिंग हॉल, किचन	पंचम तल (Unit-VI)	: 22 कमरे (4 डॉरमेट्री सहित)

केदार मल भाला
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

मनोज मूंदड़ा
महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

प्रबन्ध समिति
(सत्र 2022-25)

शांति लाल जागेटिया चेयरमैन	गिरिराज प्रसाद मोदानी वाईस चेयरमैन (वित्त)	अशोक कुमार फलोड़ वाईस चेयरमैन (संचालन)
महेश कुमार साबू सचिव	सुरेन्द्र कुमार मान्धना सह सचिव	राधामोहन तोतला भवन मंत्री
कैलाश चन्द्र परवाल कोषाध्यक्ष		

Manoj
महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्री माहेश्वरी समाज के बढ़ते कदम

श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर

(श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा संचालित)
पी-10ए, सेक्टर 2, उत्सव भवन के पास, विद्याधर नगर, जयपुर-39
फोन : 0141-2230511, 7976420180
Website : www.shrimaheshwaridiagnostic.com

समय : प्रातः 7.30 बजे से सायं 7 बजे तक
(सोमवार से शनिवार)
प्रातः 7.30 बजे से सायं 4 बजे तक (रविवार)

आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों द्वारा जाँचें

CT एवं Digital X-Ray

सोनोग्राफी के लिए रजिस्ट्रेशन सुबह 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है।

3D व 4D कलर सोनोग्राफी सुविधा

[illegible] जाँच ही किफायती दरों पर की जाती हैं एवं रिपोर्ट WhatsApp से भेजी जाती है।
[illegible] :- सैम्पल कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है (शुल्क अतिरिक्त)

रिपोर्ट WhatsApp पर प्राप्त करने हेतु 9649044777 सेव करें

PREVENTIVE HEALTH CHECKUP (खाली पेट)
Special Price ₹2500/-

- CBC
- LIPID PROFILE
- FASTING BLOOD SUGAR
- POST PARANDIAL BLOOD SUGAR
- BLOOD UREA
- CREATININE
- URIC ACID
- VITAMIN D3
- VITAMIN B12
- T3, T4, TSH
- HBAIC
- LIVER FUNCTION TEST
- ESR
- CALCIUM
- URINE ROUTINE
- PSA (MALE) / PRL (FEMALE)

घर से सैम्पल के लिए सम्पर्क करें 7976420180

Blood Sugar 35/-	SGOT 40/-
Cholesterol 40/-	Creatinine 45/-
SGPT 50/-	Urine R/E 50/-
Calcium 60/-	Uric Acid 60/-
CBC 120/-	E.C.G. 100/-
Thyroid Profile 300/-	CRP 150/-
Liver Function 250/-	Hb A1C 250/-
Lipid Profile 300/-	RFT 450/-

CARDIO DIABETES PACKAGE (खाली पेट)
Special Price ₹700/-

CBC FASTING BLOOD SUGAR
POST PARANDIAL BLOOD SUGAR
CREATININE SGOT URINE ROUTINE
HbA1C LIPID PROFILE SGPT

WHOLE BODY CHECKUP (खाली पेट)
Special Price ₹1299/-

CBC ESR BLOOD SUGAR FASTING
BLOOD SUGAR 2 HRS PP LFT
RFT LIPID PROFILE IRON TIBC
URINE ROUTINE ECG X-RAY CHEST

MRI 3.0 Tesla से
Special Price ₹3500/-

नया कलैक्शन सेन्टर निवारू रोड

श्री माहेश्वरी डायग्नोस्टिक सेन्टर
(श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा संचालित)
शॉप नं. 59, सैन्ट ऐन्सलम स्कूल के सामने
मदरलैण्ड स्कूल के पास, निवारू रोड, जयपुर
फोन : 0141-3511857, 6377506355, 6376409567

कलैक्शन सेन्टर का समय
प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

134 105 406

श्री माहेश्वरी डायलिसिस डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर

(श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा संचालित)

210-ए, गौतम मार्ग, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नगर, निर्माण नगर, जयपुर-19
फोन : 0141-2948770, 8306300304
Email : smddrclab@gmail.com

Quality Dental Care | PHYSIOTHERAPY START / ₹200/-

लैब का समय — प्रातः 7:30 बजे से सायं 7 बजे (सोमवार से शनिवार)
प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 4 बजे (रविवार)

CT एवं 2D-ECHO की सुविधाएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध

DIALYSIS START / ₹850/-

सोनोग्राफी — प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक

Digital X-Ray 200/- से शुरु

PREVENTIVE HEALTH CHECKUP (खाली पेट)

Special Price / ₹2500/-

CBC
LIPID PROFILE
FASTING BLOOD SUGAR
POST PARANDIAL BLOOD SUGAR
BLOOD UREA
CREATININE
URIC ACID
VITAMIN D3
VITAMIN B12
T3, T4, TSH
LIVER FUNCTION TEST
HBAIC
ESR
CALCIUM
URINE ROUTINE
PSA (MALE) / PRL (FEMALE)

Blood Sugar 35/-	SGOT 40/-
Cholesterol 40/-	Creatinine 45/-
SGPT 50/-	Urine R/E 50/-
Calcium 60/-	Uric Acid 60/-
CBC 120/-	E.C.G. 100/-
Thyroid Profile 300/-	CRP 150/-
Liver Function 250/-	Hb A1C 250/-
Lipid Profile 300/-	RFT 450/-

CARDIO DIABETES PACKAGE (खाली पेट)

Special Price / ₹700/-

CBC FASTING BLOOD SUGAR
POST PARANDIAL BLOOD SUGAR
CREATININE SGOT URINE ROUTINE
HbA1C LIPID PROFILE SGPT

WHOLE BODY CHECKUP (खाली पेट)

Special Price / ₹1299/-

CBC ESR BLOOD SUGAR FASTING
BLOOD SUGAR 2 HRS. PP LFT
RFT LIPID PROFILE IRON TIBC
URINE ROUTINE ECG X-RAY CHEST

MRI 3.0 Tesla से

Special Price / ₹3500/-

सैंपल कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है, शुल्क अतिरिक्त

आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों द्वारा जाँचें

ब्लड कलेक्शन सेन्टर

महेश सत्संग भवन, नियर जे.पी. अंडरपास, महेश कॉलोनी जयपुर,
फोन:0141-3517910, 8306300165

87, सरती नगर, जनपथ, श्याम नगर, जयपुर-19,
फोन: 0141-4924112, 9414074134

कलेक्शन सेन्टर्स का समय
प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA , JAIPUR
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021

Particulars	Sch. No.	As at 31-03-2021	As at 31-03-2020
Sources of Funds			
Corpus Fund	1	27,60,78,364	25,46,33,635
Accumulated Surplus	2	3,14,35,609	5,32,77,852
TOTAL		30,75,13,973	30,79,11,487
Application of Funds			
Fixed Assets	3	29,22,21,312	29,74,81,766
Investments	4	5,46,47,574	5,44,84,792
Current Assets and Advances	5	6,32,54,684	2,26,77,742
Less: Current Liabilities & Provisions	6	10,26,09,597	6,67,32,813
Net Current Assets		(3,93,54,913)	(4,40,55,071)
TOTAL		30,75,13,973	30,79,11,487

Schedule No. 1 to 15 and Accounting Policy and Notes to Accounts forming part of Balance Sheet
In terms of our audit report of even date
For MGB & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj Jaipur

Sandeep Jhanwar
Partner
M. No. 078146
UDIN: 22078146AAAAAH1359
Place: Jaipur
Date: 28 DEC 2021

Pradeep Baheti
(President)

Gopal Lal Malpani
(Maha Manti)

Radha Vallabh Ajmera
(Treasurer)

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

135

136

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
CONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2021

	Particulars	Sch. No.	For the Year Ended 31.03.2021	For the Year Ended 31.03.2020
I.	**Income from Donation & Property held under trust**			
	Donation Received		42,67,685	96,34,743
	House Rent		9,85,934	16,10,804
	Interest			
	Interest on FDR		27,91,472	29,91,073
	Saving A/c Interest		1,97,454	1,57,527
	Interest on IT Refund		22,976	34,732
	Bartan Rent		1,70,504	7,54,355
	Other Income	7	34,27,936	27,31,252
	Income from Vridhashram	8	15,42,885	19,00,907
	Surplus from Diag Centre		3,30,605	23,67,434
	Surplus from Samaj Bookshop		47,62,617	-
	Surplus from Utsav		-	58,98,747
	Total (I)		**1,85,00,068**	**2,80,81,574**
II.	**Application/Expenditure**			
	Welfare Expenses :			
	Education Help		2,98,460	4,44,301
	Monthly Help		58,63,500	79,59,000
	Medical Help		2,39,153	3,78,774
	Marriage Help		-	94,000
	Help during Coronavirus pendamic		2,46,769	1,43,630
	Other Expenses :			
	Social & Other Activities	10	17,15,555	34,78,936
	Administrative Expenses	11	24,18,783	29,07,234
	Repairs & Maintenance Expenses		7,977	1,35,394
	Interest on TDS		-	1,941
	Deficit from Abhinandan		2,22,80,423	1,61,97,902
	Vridhasram Expenses	9	22,41,939	22,85,822
	Deficit from Diagnostic,dialysis		4,52,070	-
	Deficit from Utsav		43,92,485	-
	Total (II)		**4,01,57,113**	**3,40,26,934**
	Surplus for the year		**(2,16,57,046)**	**(59,45,360)**
	Income Transfered to Corpus Fund (Kosh)		1,85,197	2,27,817
	Surplus transfered to Balance Sheet		**(2,18,42,243)**	**(61,73,177)**

In terms of our audit report of even date
For MGB & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj Jaipur

Sandeep Jhanwar
Partner
M. No. 078146
UDIN: 22078146AAAAAH1359
Place: Jaipur
Date: 28 DEC 2021

Pradeep Baheti
(President)

Gopal Lal Malpani
(Maha Manti)

Radha Vallabh Ajmera
(Treasurer)

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

137

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
Schedules Forming an integral part of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2021

SCHEDULE - 1 "CORPUS FUND"

PARTICULAR	AMOUNT AS ON 01.04.2020	RECEIVED DURING THE YEAR	OTHER ADDITION	DELETION	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Corpus Fund of Samaj	5,27,42,813	14,66,000	44,14,263	26,48,785	5,59,74,291
Building Fund of Samaj	2,71,080	-	-	-	2,71,080
Land Fund of Samaj	3,000	-	-	-	3,000
Corpus Fund of Vridhashram	1,12,67,408				1,12,67,408
Corpus Fund of Abhinandan	12,97,20,176	-			12,97,20,176
Corpus Fund of Utsav	6,06,29,159	12,00,000			6,18,29,159
Corpus fund of Diagnostic and dialysis	12,21,000	1,57,92,251			1,70,13,251
TOTAL	25,58,54,635	1,84,58,251	44,14,263	26,48,785	27,60,78,364

SCHEDULE - 2 "ACCUMULATED SURPLUS"

PARTICULAR	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Accumulated Surplus as on 31.03.2020	5,32,77,851	5,94,51,029
Add: Surplus of current year	(2,18,42,243)	(61,73,177)
Accumulated Surplus as on 31.03.2021	3,14,35,609	5,32,77,852

SCHEDULE - 4 "INVESTMENTS"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
At Shri Maheshwari Samaj Chaura Rasta		
Punjab National Bank	3,98,00,777	3,96,51,110
State bank of Bikaner & Jaipur	2,50,000	2,50,000
UCO Bank	32,47,111	32,47,111
Union Bank Of India	34,35,212	34,35,212
Total (A)	**4,67,33,100**	**4,65,83,433**
At Utsav		
Bank of India	79,14,474	79,01,359
Total (B)	**79,14,474**	**79,01,359**
GRAND TOTAL	**5,46,47,574**	**5,44,84,792**

SCHEDULE - 5 "CURRENT ASSETS AND ADVANCES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Advances		
Advance Against Salary	3,85,168	1,78,000
Advance against Construction	-	-
Advance to supplier	5,000	
Other Advances	18,62,968	3,06,900
Security Deposits	12,54,170	10,25,228
Tax Deducted at Source	23,62,663	27,54,380
Prepaid Expenses	6,59,924	6,46,343
GST Input	35,92,818	23,57,961
Sundry Debtors	15,98,389	14,35,870
Accrued Interest	17,920	1,15,999
Bank Balances	2,73,53,936	1,36,59,673
Cheque in Hand	1,32,045	-
Stock of cement and other	-	8,180
Closing Stock of Book Shop	2,36,86,847	-
Cash in hand	3,42,837	1,89,209
TOTAL	**6,32,54,684**	**2,26,77,743**

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

SCHEDULE - 6 "CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Sundry Creditors	3,52,20,842	11,80,281
Advance Booking Receipts	2,20,33,388	1,76,10,915
Advances from customers (Samaj)	6,705	62,565
Security Deposits	68,50,300	70,40,300
Duties & Taxes Payable	4,97,206	3,09,931
Outstanding Expenses	6,89,618	10,15,862
Other Current Liabilites	3,73,11,537	3,95,12,959
TOTAL	**10,26,09,597**	**6,67,32,813**

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

SCHEDULE - 7 "OTHER INCOME"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Income From Mahesh Expo	-	-
Sundry Income	4,897	63,494
Gold Card Income	-	-
Advertisement Income	17,64,400	25,19,186
Sponsorship Income	-	-
Registration Income	-	1,28,136
Discount Received	400	20,436
Canteen Licence Fees	9,91,364	-
Uniform Licence Fees	6,66,875	-
Sundry Written Back	-	-
TOTAL	**34,27,936**	**27,31,252**

SCHEDULE - 8 "INCOME FROM VRIDHASHRAM"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Savings Bank A/c Interest	14,681	20,997
Interest on FDR	29,386	63,889
Sale Of Scrap	480	323
Registration Fees	2,000	4,500
Income From Kitchen (Net)	15,541	3,51,178
Donation At Vridhashram	14,07,794	14,58,068
Received from utsav	15,000	-
Sundry Written Back	58,003	1,952
TOTAL	15,42,885	19,00,907

SCHEDULE - 9 "VRIDHASHRAM EXPENSES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Payment to and Provision for Employees:		
Salary	11,57,355	9,63,528
Conveyance Expenses	18,000	27,802
Sundry Expenses	81,574	1,66,002
Office Expenses	3,625	1,685
Gardening Expenses	-	25,150
Electricity & Water Expenses	2,39,278	2,49,304
Depreciation	6,61,511	7,38,580
Repair & Maintenance Exp.	80,596	1,13,771
Travelling Expenses	-	-
TOTAL	22,41,939	22,85,822

SCHEDULE - 10 "SOCIAL & OTHER ACTIVITIES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Monthly Patrika Expenses	12,31,760	15,50,572
Badhai Patra Expenses	56,106	1,07,265
Festival Expenses	1,10,739	12,27,098
Marriage bureau exepenses	16,950	-
Grant Paid	3,00,000	5,94,000
TOTAL	17,15,555	34,78,935

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

SCHEDULE - 11 "ADMINISTRATIVE EXPENSES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2021	AMOUNT AS ON 31.03.2020
Payment to and Provision for Employees:		
Salary	10,55,240	10,97,123
Staff & Labour Welfare Expense	44,883	48,790
Bonus to Staff	-	18,600
Conveyance Expenses	1,12,617	1,22,148
Leave Encashment	22,962	26,789
Advertisement Expenses	72,108	16,175
Internal & Management Audit Fees	42,000	36,000
Statutory Audit Fees	55,000	55,000
Bank Charges	9,896	16,799
Legal & Professional Expenses	16,000	75,000
Sundry Expenses	94,855	3,02,963
Insurance Charges	3,38,836	3,11,577
Office Expenses	3,60,203	5,38,172
Election Expenses	58,161	86,192
SMS Charges	44,769	48,500
Depreciation	91,253	1,07,406
TOTAL	24,18,783	29,07,234

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
Schedules Forming an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2021

SCHEDULE - 3 "FIXED ASSETS"

Sr. No.	PARTICULARS	W.D.V. AS ON 01.04.2020	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS More than 180 days	ADDITIONS Less than 180 days	Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2021
A. TANGIBLE ASSETS									
LAND									
A.	Samaj	4,69,73,939	0	2,10,182	-	9,62,869	4,62,21,252	-	4,62,21,252
B.	Vridhashram	53,567	0	-	-	-	53,567	-	53,567
C.	Utsav	75,85,660	0	-	-	-	75,85,660	-	75,85,660
D.	Diagnostic and dialysis				9,62,869		9,62,869		9,62,869
	Total (i)	**5,46,13,166**		**2,10,182**	**9,62,869**	**9,62,869**	**5,48,23,348**	-	**5,48,23,348**
BUILDINGS									
A.	Samaj	81,897	10	-	-	-	81,897	8,190	73,707
B.	Vridhashram	50,54,942	10	-	-	-	50,54,942	5,05,494	45,49,448
C.	Utsav	1,87,56,073	10	-	52,20,327		2,39,76,400	21,36,623	2,18,39,777
D.	Abhinandan	14,30,77,184	10	-	-	-	14,30,77,184	1,43,07,718	12,87,69,466
E.	Diagnostic and dialysis		10	-	1,65,96,754	-	1,65,96,754	8,29,838	1,57,66,916
	Total (ii)	**16,69,70,096**		-	**2,18,17,081**	-	**18,87,87,177**	**1,77,87,863**	**17,09,99,313**
FURNITURE & FIXTURES									
A.	Samaj	1,94,087	10	-	-	-	1,94,087	19,409	1,74,678
B.	Vridhashram	6,07,422	10	-	25,240	-	6,32,662	62,004	5,70,658
D.	Utsav	27,64,994	10	-	2,68,474	-	30,33,468	2,89,923	27,43,545
E.	Diagnostic Centre	24,53,773	10	-	-	-	24,53,773	2,45,377	22,08,396
F.	Abhinandan	2,00,40,496	10	-	-	-	2,00,40,496	20,04,050	1,80,36,446
G.	Diagnostic and dialysis		10	-	3,16,115	-	3,16,115	15,806	3,00,309
	Total (iii)	**2,60,60,772**		-	**6,09,829**	-	**2,66,70,601**	**26,36,569**	**2,40,34,032**
UTENSILS									
A.	Samaj	3,23,074	10	-	-	-	3,23,074	32,308	2,90,766
	Total (iv)	**3,23,074**		-	-	-	**3,23,074**	**32,308**	**2,90,766**
PLANT & MACHINERY									
A.	Samaj	39,376	15	24,988	8,802	-	73,167	10,314	62,853
B.	Vridhashram	6,22,873	15	-	7,750	-	6,30,623	94,013	5,36,610
C.	Utsav	71,42,557	15	-	3,59,096	-	75,01,653	10,98,316	64,03,337
D.	Diagnostic Centre	6,68,981	15	1,450	-	-	6,70,431	1,00,564	5,69,867
E.	Abhinandan	2,89,86,022	15	-	-	-	2,89,86,022	43,47,904	2,46,38,118
F.	Diagnostic and dialysis		15	-	23,800	-	23,800	1,785	22,015
	Total (v)	**3,74,59,809**		**26,438**	**3,99,448**	-	**3,78,85,695**	**56,52,896**	**3,22,32,800**
Electrical and Medical Equipment		-							
A.	Diagnostic and dialysis	-	**40**	-	**98,95,710**	-	98,95,710	**19,79,142**	79,16,568
	Total (vi)	-		-	**98,95,710**	-	**98,95,710**	**19,79,142**	**79,16,568**
Borewell									
A.	Diagnostic and dialysis	-	**30**	-	**2,22,380**	-	2,22,380	**33,357**	1,89,023
	Total (vii)			-	**2,22,380**	-	**2,22,380**	**33,357**	**1,89,023**

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

139

Sr. No.	PARTICULARS	W.D.V. AS ON 01.04.2020	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS More than 180 days	ADDITIONS Less than 180 days	Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2021
COMPUTERS & PRINTERS									
E	Samaj	52,581	40	-	-	-	52,581	21,032	31,549
F	Utsav	37,086	40	-	-	-	37,086	14,835	22,251
G	Abhinandan	1,18,169	40	-	-	-	1,18,169	47,267	70,902
H	Diagnostic Centre	23,71,078	40	16,900	-	-	23,87,978	9,55,191	14,32,787
	Total (vi)	**25,78,914**		**16,900**	**-**	**-**	**25,95,814**	**10,38,325**	**15,57,490**
	Total[A]	**28,80,05,830**		**2,53,521**	**3,39,07,317**	**9,62,869**	**32,12,03,798**	**2,91,60,460**	**29,20,43,339**
B. INTANGIBLE ASSETS									
A	Abhinandan	95,813	25	-	-	-	95,813	23,953	71,860
B.	Diagnostic Centre	89,662	25	18,000	-	-	1,07,662	26,916	80,746
C	Diagnostic and dialysis	-	25	-	28,991	-	28,991	3,624	25,367
	Total [B]	**1,85,475**		**18,000**	**28,991**	**-**	**2,32,465**	**54,493**	**1,77,973**
C. CAPITAL WORK IN PROGRESS									
A	Dialysis and Diagnostic Centre						-	-	-
B	Utsav	-			-	-	-	-	-
	Total [C]	-	-	-	-	-	-	-	-
	GRAND TOTAL [A]+[B]+[C]	**28,81,91,305**	-	**2,71,521**	**3,39,36,309**	**9,62,869**	**32,14,36,263**	**2,92,14,953**	**29,22,21,312**

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

141 ~~480~~ 155 (143)

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

Choura Rasta, Jaipur

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts forming part of consolidated financial statement as on 31-03-2020

A) Significant Accounting Policies

i) Basis of consolidation

Consolidated financial statement consists of Shri Maheshwari Samaj (HO), Janupyogi Bhawan-UTSAV, Janupyogi Bhavan- Abhinandan, Shri Maheshwari Diagnostic Centre, Shri Maheshwari Dialysis, Diagnostic & Research Centre, Shri Maheshwari Samaj Book Shop and Shri Maheshwari Vridhashram- Krishnadham.

Consolidated financial statement has been prepared on the basis of consolidation of separate standalone financial statements: in case of Janupyogi Bhawan- Utsav and Abhinandan, net surplus/deficit is consolidated whereas in case of Shri Maheshwari Samaj (HO), Shri Maheshwari Diagnostic Centre, Shri Maheshwari Dialysis, Diagnostic & Research Centre, Shri Maheshwari Samaj Book Shop and Shri Maheshwari Vridhashram-Krishnadham major head wise items/group is consolidated and inter branch transactions and balances have been eliminated for consolidated financial statement.

ii) Method of Accounting & Revenue/Expenditure Recognition:

- The Financial Statements have been prepared on the historical cost convention. These statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and the applicable mandatory accounting standards.
- Mercantile system of accounting has been followed and all incomes and expenses are recognized on accrual basis except expenses of recurring nature which have been recorded on cash basis.
- In respect of events organized by Shri Maheshwari Samaj namely "Annkut", "Goth", "Surya Saptmi", "Holi Sneh Milan" and "Mahesh Navmi" only those receipts and expenses are recorded which are received and paid by Samaj and accordingly net surplus or deficit of such receipts over expenses incurred is disclosed in Income and Expenditure Account.

iii) Donation:

- The donation received by the Trust which have been received for some specific purpose have been accounted under the corpus head of the Trust and donation received for the general purpose have been accounted in the Income & Expenditure Account.
- Donation received otherwise than by cash or bank (i.e. in kind) is recorded through in stock entry only.

iv) Specified fund (Kosh)

Donation received towards corpus fund is invested in Fixed Deposits with banks and interest earned on these fixed deposits is used as per the instructions given by Donor.

Kedar Bhaly

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

142 (144)

Since there is no one to one correlation of Fund with Fixed Deposit, due to which interest earned at different rates on different Fixed Deposits cannot be allocated to respective corpus funds. So at the year-end fund value is increased with a notional average rate of interest @ 6.30% and such notional interest is utilized as per instructions given.

v) **Fixed Assets:**

- Fixed assets are stated at cost of acquisition including directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use,less depreciation till date.
- Fixed assets received in donation are recorded in fixed assets register (only quantity) without any value in financial statements. However, where donation is received as reimbursement for particular fixed assets are recognized in books at gross value.

vi) Depreciation:

- Depreciation is charged on the written down value method at the rate and manner prescribed under Income Tax Act, 1961.
- In case of depreciation on bartan fund, the amount of depreciation is reduced from fund balance.

Kedar Bhaly

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

143

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

JAIPUR

B) Notes on Accounts

- As certified by the management the current assets, loans & advances have a value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet.
- Since there is no one to one correlation of Fund with Fixed Deposit, due to which interest earned at different rates on different Fixed Deposits cannot be allocated to respective corpus funds. So at the year-end fund value is increased with a notional average rate of interest @ 6.30% and such notional interest is utilized as per instructions given.
- Previous year figures have been recast and regrouped wherever necessary to make it comparative with current year figures.

For MGB& Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj, Jaipur

Sandeep Jhanwar	Pradeep Baheti	Gopal Lal Malpani	Radha Vallabh Ajmera
(Partner)	(President)	(Mahamantri)	(Treasurer)

M. No. 078146

UDIN: 22078146AAAAAH1359
PLACE: JAIPUR
Date: 28 DEC 2021

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA , JAIPUR
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2022

Particulars	Sch. No.	As at 31-03-2022	As at 31-03-2021
Sources of Funds			
Corpus Fund	1	28,38,22,209	27,60,78,364
Accumulated Surplus	2	4,58,90,834	3,14,35,609
TOTAL		**32,97,13,043**	**30,75,13,973**
Application of Funds			
Fixed Assets	3	27,38,91,234	29,22,21,312
Capital Work in Progress (Mokshdham)	3	1,98,55,413	-
Investments	4	6,66,37,357	5,46,47,574
Current Assets and Advances	5	7,31,64,560	6,32,54,684
Less: Current Liabilities & Provisions	6	10,38,35,520	10,26,09,597
Net Current Assets		**(3,06,70,960)**	**(3,93,54,913)**
TOTAL		**32,97,13,043**	**30,75,13,973**

Schedule No. 1 to 15 and Accounting Policy and Notes to Accounts forming part of Balance Sheet
In terms of our audit report of even date

For MGB & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj Jaipur

Sandeep Jhanwar
Partner
M. No. 078146
UDIN: 22078146AXUPBW8802
Place: Jaipur
Date: 30 SEP 2022

Kedar Mal Bhala
(President)

Manoj Kumar Moondhra
(Maha mantri)

Sushil Jaju
(Treasurer)

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

144

145 147

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
CONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2022

	Particulars	Sch. No.	For the Year Ended 31.03.2022	For the Year Ended 31.03.2021
I.	**Income from Donation & Property held under trust**			
	Donation Received		3,56,16,488	42,67,685
	House Rent		10,78,543	9,85,934
	Interest			
	Interest on FDR		28,11,121	27,91,472
	Saving A/c Interest		2,48,152	1,97,454
	Interest on IT Refund		57,798	22,976
	Bartan Rent		3,93,465	1,70,504
	Other Income	7	31,59,026	34,27,936
	Income from Vridhashram	8	14,67,767	15,42,885
	Surplus from Diag Centre		15,38,527	3,30,605
	Surplus from Samaj Bookshop		1,52,22,841	47,62,617
	Total (I)		**6,15,93,728**	**1,85,00,068**
II.	**Application/Expenditure**			
	Welfare Expenses :			
	Education Help		3,16,300	2,98,460
	Monthly Help		85,29,550	58,63,500
	Medical Help		3,64,744	2,39,153
	Marriage Help		1,14,000	-
	Help during Coronavirus pendamic		3,18,171	2,46,769
	Other Expenses :			
	Social & Other Activities	10	37,02,061	17,15,555
	Administrative Expenses	11	35,73,273	24,18,783
	Repairs & Maintenance Expenses		41,377	7,977
	Interest on TDS		26	-
	Deficit from Abhinandan		1,39,29,046	2,22,80,423
	Vridhasram Expenses	9	21,79,910	22,41,939
	Deficit from Diagnostic,dialysis		1,06,26,802	4,52,070
	Deficit from Utsav		32,41,728	43,92,485
	Total (II)		**4,69,36,988**	**4,01,57,113**
	Surplus for the year		**1,46,56,740**	**(2,16,57,046)**
	Income Transfered to Corpus Fund (Kosh)		2,01,515	1,85,197
	Surplus transfered to Balance Sheet		**1,44,55,225**	**(2,18,42,243)**

In terms of our audit report of even date
For MGB & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj Jaipur

Sandeep Jhanwar
Partner
M. No. 078146
UDIN: 22078146AXUBW8802
Place: Jaipur
Date: 30 SEP 2022

Kedar Mal Bhala (President)

Manoj Kumar Moondhra (Maha Manti)

Sushil Jaju (Treasurer)

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

146 ~~149~~ ~~148~~ (148)

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

Choura Rasta, Jaipur

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts forming part of consolidated financial statement as on 31-03-2022

A) **Significant Accounting Policies**

i) **Basis of consolidation**

Consolidated financial statement consists of Shri Maheshwari Samaj (HO), Janupyogi Bhawan-UTSAV, Janupyogi Bhavan- Abhinandan, Shri Maheshwari Diagnostic Centre, Shri Maheshwari Dialysis, Diagnostic & Research Centre, Shri Maheshwari Samaj Book Shop and Shri Maheshwari Vridhashram- Krishnadham.

Consolidated financial statement has been prepared on the basis of consolidation of separate standalone financial statements: in case of Janupyogi Bhawan- Utsav and Abhinandan, net surplus/deficit is consolidated whereas in case of Shri Maheshwari Samaj (HO), Shri Maheshwari Diagnostic Centre, Shri Maheshwari Dialysis, Diagnostic & Research Centre, Shri Maheshwari Samaj Book Shop and Shri Maheshwari Vridhashram-Krishnadham major head wise items/group is consolidated and inter branch transactions and balances have been eliminated for consolidated financial statement.

ii) **Method of Accounting & Revenue/Expenditure Recognition:**

- The Financial Statements have been prepared on the historical cost convention. These statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and the applicable mandatory accounting standards.
- Mercantile system of accounting has been followed and all incomes and expenses are recognized on accrual basis except expenses of recurring nature which have been recorded on cash basis.
- In respect of events organized by Shri Maheshwari Samaj namely "Annkut", "Goth", "Surya Saptmi", "Holi Sneh Milan" and "Mahesh Navmi" only those receipts and expenses are recorded which are received and paid by Samaj and accordingly net surplus or deficit of such receipts over expenses incurred is disclosed in Income and Expenditure Account.

iii) **Donation:**

- The donation received by the Trust which have been received for some specific purpose have been accounted under the corpus head of the Trust and donation received for the general purpose have been accounted in the Income & Expenditure Account.
- Donation received otherwise than by cash or bank (i.e. in kind) is recorded through in stock entry only.

iv) **Specified fund (Kosh)**

Donation received towards corpus fund is invested in Fixed Deposits with banks and interest earned on these fixed deposits is used as per the instructions given by Donor.

Since there is no one to one correlation of Fund with Fixed Deposit, due to which interest earned at different rates on different Fixed Deposits cannot be allocated to respective corpus funds. So at the year-end fund value is increased with a notional average rate of interest @ 6.30% and such notional interest is utilized as per instructions given.

v) **Fixed Assets:**

- Fixed assets are stated at cost of acquisition including directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use,less depreciation till date.
- Fixed assets received in donation are recorded in fixed assets register (only quantity) without any value in financial statements. However, where donation is received as reimbursement for particular fixed assets are recognized in books at gross value.

महामंत्री अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

147

vi) **Depreciation:**

- Depreciation is charged on the written down value method at the rate and manner prescribed under Income Tax Act, 1961.
- In case of depreciation on bartan fund, the amount of depreciation is reduced from fund balance.

Kedar Bhala

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

148 120

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR

Schedules Forming an integral part of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2022

SCHEDULE - 1 "CORPUS FUND"

PARTICULAR	AMOUNT AS ON 01.04.2021	RECEIVED DURING THE YEAR	OTHER ADDITION	DELETION	AMOUNT AS ON 31.03.2022
Corpus Fund of Samaj	5,59,74,291	37,75,612	68,42,344	28,74,111	6,37,18,136
Building Fund of Samaj	2,71,080	-	-	-	2,71,080
Land Fund of Samaj	3,000	-	-	-	3,000
Sarvdharam Mokshdham Chandpole Income	-	-	-	-	-
Corpus Fund of Vridhashram	1,12,67,408	-			1,12,67,408
Corpus Fund of Abhinandan	12,97,20,176	-			12,97,20,176
Corpus Fund of Utsav	6,18,29,159				6,18,29,159
Corpus fund of Dingnostic and dialysis	1,70,13,251	-			1,70,13,251
TOTAL	**27,60,78,364**	**37,75,612**	**68,42,344**	**28,74,111**	**28,38,22,209**

SCHEDULE - 2 "ACCUMULATED SURPLUS"

PARTICULAR	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Accumulated Surplus as on 31.03.2021	3,14,35,609	5,32,77,851
Add: Surplus of current year	1,44,55,225	(2,18,42,243)
Accumulated Surplus as on 31.03.2022	**4,58,90,834**	**3,14,35,609**

SCHEDULE - 4 "INVESTMENTS"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
At Shri Maheshwari Samaj Chaura Rasta		
Punjab National Bank	5,11,21,106	3,98,00,777
State bank of Bikaner & Jaipur	2,50,000	2,50,000
UCO Bank	32,47,111	32,47,111
Union Bank Of India	34,35,212	34,35,212
Total (A)	**5,80,53,429**	**4,67,33,100**
At Utsav		
Bank of India	85,83,928	79,14,474
Total (B)	**85,83,928**	**79,14,474**
GRAND TOTAL	**6,66,37,357**	**5,46,47,574**

SCHEDULE - 5 "CURRENT ASSETS AND ADVANCES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Advances		
Advance Against Salary	35,000	3,85,168
Advance to supplier	6,98,537	5,000
Other Advances	32,000	18,62,968
Security Deposits	12,92,170	12,54,170
Tax Deducted at Source	20,88,561	23,62,663
Prepaid Expenses	10,46,069	6,59,924
GST Input	44,23,185	35,92,818
Sundry Debtors	22,14,538	15,98,389
Accrued Interest	22,936	17,920
Bank Balances	4,18,18,148	2,73,53,936
Cheque in Hand	-	1,32,045
Closing Stock of Book Shop	1,72,48,780	2,36,86,847
Cash in hand	22,14,636	3,42,837
Petty Cash	30,000	-
TOTAL	**7,31,64,560**	**6,32,54,684**

SCHEDULE - 6 "CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Sundry Creditors	3,28,82,408	3,52,20,842
Advance Booking Receipts	2,75,23,618	2,20,33,388
Advances from customers (Samaj)	71,530	6,705
Security Deposits	88,77,300	68,50,300
Duties & Taxes Payable	4,49,068	4,97,206
Outstanding Expenses	13,05,005	6,89,618
Other Current Liabilites	3,22,23,273	3,73,11,537
Bank Overdraft		
PNB A/c No. 103117	5,03,319	-
TOTAL	**10,38,35,520**	**10,26,09,596**

SCHEDULE - 7 "OTHER INCOME"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Sundry Income	5,80,335	4,897
Advertisement Income	19,63,610	17,64,400
Sponsorship Income	151000	-
Registration Income	4,47,606	-
Discount Received	16,475	400
Canteen Licence Fees	-	9,91,364
Uniform Licence Fees	-	6,66,875
TOTAL	**31,59,026**	**34,27,936**

Kedar Bhaly

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

149 (150)

SCHEDULE - 8 "INCOME FROM VRIDHASHRAM"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Savings Bank A/c Interest	13,754	14,681
Interest on FDR	-	29,386
Sale Of Scrap	450	480
Registration Fees	2,500	2,000
Sahyog by Residents	4,10,000	5,27,000
Donation At Vridhashram	10,41,063	14,07,794
Received from utsav	-	15,000
Sundry Written Back	-	58,003
TOTAL	14,67,767	20,54,344

SCHEDULE - 9 "VRIDHASHRAM EXPENSES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Payment to and Provision for Employees:		
Salary	10,35,848	11,57,355
Conveyance Expenses	24,300	18,000
Sundry Expenses	35,876	81,574
Office Expenses	2,901	3,625
Kitchen Expenses	2,73,382	5,11,459
Electricity & Water Expenses	2,03,742	2,39,278
Depreciation	5,92,505	6,61,511
Repair & Maintenance Exp.	11,356	80,596
TOTAL	21,79,910	27,53,398

SCHEDULE - 10 "SOCIAL & OTHER ACTIVITIES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Monthly Patrika Expenses	17,02,114	12,31,760
Badhai Patra Expenses	54,817	56,106
Festival Expenses	8,60,997	1,10,739
Marriage bureau exepenses	47,185	16,950
Grant Paid	3,00,000	3,00,000
Programme for Emotional Intelligence	7,17,452	-
Parichay Sammelan Exp.	19,495	-
TOTAL	37,02,061	17,15,555

SCHEDULE - 11 "ADMINISTRATIVE EXPENSES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2022	AMOUNT AS ON 31.03.2021
Payment to and Provision for Employees:		
Salary	12,77,329	10,55,240
Staff & Labour Welfare Expense	29,000	44,883
Bonus to Staff	17,700	-
Conveyance Expenses	1,61,436	1,12,617
ESI Employer Contribution	34,627	-
Leave Encashment	33,338	22,962
Advertisement Expenses	3,67,131	72,108
Internal & Management Audit Fees	36,000	42,000
Statutory Audit Fees	55,000	55,000
Bank Charges	8,368	9,896
Legal & Professional Expenses	1,62,000	16,000
Sundry Expenses	3,35,231	94,855
Insurance Charges	4,21,891	3,38,836
Office Expenses	4,72,400	3,60,203
Election Expenses	-	58,161
SMS Charges	61,791	44,769
Depreciation	1,00,031	91,253
TOTAL	35,73,273	24,18,783

Kedar Bhaly

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR

SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR

Schedules Forming an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2022

SCHEDULE - 3 "FIXED ASSETS"

Sr. No.	PARTICULARS	W.D.V. AS ON 01.04.2021	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS		Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2022
				More than 180 days	Less than 180 days				
A. TANGIBLE ASSETS									
LAND									
A.	Samaj	4,62,21,252	0	-	3,67,603	-	4,65,88,855	-	4,65,88,854
B.	Vridhashram	53,567	0	-	-	-	53,567	-	53,566
C.	Utsav	75,85,660	0	-	-	-	75,85,660	-	75,85,660
D.	Diagnostic and dialysis	9,62,869	0	-	-	-	9,62,869	-	9,62,869
	Total (i)	5,48,23,348		-	3,67,603	-	5,51,90,951	-	5,51,90,949
BUILDINGS									
A.	Samaj	73,707	10	-	-	-	73,707	7,371	66,336
B.	Vridhashram	45,49,448	10	-	-	-	45,49,448	4,54,945	40,94,503
C.	Utsav	2,18,39,777	10	-	8,20,919		2,26,60,696	22,25,024	2,04,35,672
D.	Abhinandan	12,87,69,466	10	-	13,77,928	-	13,01,47,394	1,29,45,843	11,72,01,550
E.	Diagnostic and dialysis	1,57,66,916	10	20,68,509		-	1,78,35,425	17,83,543	1,60,51,882
	Total (ii)	17,09,99,313		20,68,509	21,98,847	-	17,52,66,669	1,74,16,726	15,78,49,943
FURNITURE & FIXTURES									
A.	Samaj	1,74,678	10	-	-	-	1,74,678	17,468	1,57,210
B.	Vridhashram	5,70,658	10	-	-	-	5,70,658	57,066	5,13,591
D.	Utsav	27,43,545	10	-	80,000	-	28,23,545	2,78,355	25,45,190
E.	Diagnostic Centre	21,89,361	10	36,850	11,884	-	22,38,095	2,23,215	20,14,880
F.	Abhinandan	1,80,36,446	10	-	16,51,260	-	1,96,87,706	18,86,208	1,78,01,498
G.	Diagnostic and dialysis	3,19,344	10	5,91,856	38,822	-	9,50,022	93,061	8,56,961
	Total (iii)	2,40,34,032		6,28,706	17,81,966	-	2,64,44,703	25,55,373	2,38,89,330
UTENSILS									
A.	Samaj	2,90,766	10	-	1,440	-	2,92,206	29,149	2,63,057
	Total (iv)	2,90,766		-	1,440	-	2,92,206	29,149	2,63,057
PLANT & MACHINERY									
A.	Samaj	62,853	15	62,712	65,671	-	1,91,236	23,760	1,67,475
B.	Vridhashram	5,36,610	15	-	-	-	5,36,610	80,492	4,56,118

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

150

Sr. No.	PARTICULARS	W.D.V. AS ON 01.04.2021	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS		Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2022
				More than 180 days	Less than 180 days				
C.	Utsav	64,03,337	15	1,26,966	5,97,545	-	71,27,848	10,24,361	61,03,487
D.	Diagnostic Centre	5,48,728	15	-	83,273	-	6,32,001	88,555	5,43,447
E.	Abhinandan	2,46,38,118	15	8,886	12,28,072	-	2,58,75,076	37,89,156	2,20,85,920
F.	Diagnostic and dialysis	22,015	15	4,32,500	-	-	4,54,515	68,177	3,86,338
	Total (v)	3,22,11,661		**6,31,064**	**19,74,561**	-	**3,48,17,285**	**50,74,501**	**2,97,42,784**
ELECTRICAL & MEDICAL EQU		-							
A.	Diagnostic and dialysis	79,71,308	40	9,52,028	1,59,238	-	90,82,574	36,01,182	54,81,392
	Total (vi)	79,71,308		**9,52,028**	**1,59,238**	-	**90,82,574**	**36,01,182**	**54,81,392**
BOREWELL									
A.	Diagnostic and dialysis	1,89,023	30	11,550	-	-	2,00,573	60,172	1,40,401
	Total (vii)	**1,89,023**		**11,550**	-	-	**2,00,573**	**60,172**	**1,40,401**
COMPUTERS & PRINTERS									
A.	Samai	31,549	40	21,700	4,900	-	58,149	22,280	35,869
B.	Utsav	22,251	40	-	-	-	22,251	8,901	13,350
C.	Abhinandan	70,902	40	-	-	-	70,902	28,361	42,542
D.	Diagnostic Centre	14,66,434	40	1,66,144	1,51,230	-	17,83,808	6,83,277	11,00,531
F.	Diagnostic and dialysis	-	40	-	72,550	-	72,550	14,510	58,040
	Total (vi)	**15,91,137**		**1,87,844**	**2,28,680**	-	**20,07,661**	**7,57,329**	**12,50,332**
	Total[A]	**29,21,10,588**		**44,79,701**	**67,12,335**	-	**30,33,02,623**	**2,94,94,432**	**27,38,08,188**
B. INTANGIBLE ASSETS									
A.	Abhinandan	71,860	25	-	-	-	71,860	17,965	53,896
B.	Diagnostic Centre	13,500	25	-	-	-	13,500	3,375	10,125
C.	Diagnostic and dialysis	25,367	25	-	-	-	25,367	6,342	19,025

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

Sr. No.	PARTICULARS	W.D.V. AS ON 01.04.2021	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS		Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2022
				More than 180 days	Less than 180 days				
	Total [B]	1,10,727		-	-	-	1,10,727	27,682	83,046
	TOTAL [A]+[B]	29,22,21,315	-	44,79,701	67,12,335	-	30,34,13,350	2,95,22,114	27,38,91,234
CAPITAL WORK IN PROGRESS									
A.	Samaj				1,98,55,414		1,98,55,414	-	1,98,55,413
	TOTAL [C]	-	-	-	1,98,55,414	-	1,98,55,414	-	1,98,55,413
	TOTAL [A]+[B]+[C]	29,22,21,315	-	44,79,701	2,65,67,749	-	32,32,68,764	2,95,22,114	29,37,46,647

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

152

153

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

JAIPUR

B) **Notes on Accounts**

- As certified by the management the current assets, loans & advances have a value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet.
- Since there is no one to one correlation of Fund with Fixed Deposit, due to which interest earned at different rates on different Fixed Deposits cannot be allocated to respective corpus funds. So at the year-end fund value is increased with a notional average rate of interest @ 6.30% and such notional interest is utilized as per instructions given.
- Previous year figures have been recast and regrouped wherever necessary to make it comparative with current year figures.

For MGB& Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj, Jaipur

Sandeep Jhanwar	Kedar Mal Bhala	Manoj Kumar Moondhra	Sushil Jaju
(Partner)	(President)	(Mahamantri)	(Treasurer)

M. No. 078146

UDIN: 22078146AXUPBW8802
Place: Jaipur
Date: 30 SEP 2022

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

154

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA , JAIPUR
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31.03.2023

Particulars	Sch. No.	For the Year Ended 31.03.2023
Sources of Funds		
Corpus Fund	1	28,89,47,470
Accumulated Surplus	2	8,15,60,610
Total of Sources of Fund		37,05,08,080
Application of Funds		
Fixed Assets	3	27,66,21,508
Capital Work in Progress	3	43,07,666
Investments	4	10,58,88,483
Sub Total (A)		**38,68,17,657**
Current Assets and Advances	5	7,15,07,663
Less: Current Liabilities & Provisions		8,78,17,240
Sub Total (B)		**(1,63,09,577)**
Total of Application of Fund (A+B)		37,05,08,080

Schedule No. 1 to 12 and Accounting Policy and Notes to Accounts forming part of Balance Sheet

In terms of our audit report of even date
For MGB & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj Jaipur

Sandeep Jhanwar Partner	Kedar Mal Bhala (President)	Manoj Kumar Moondhra (Maha mantri)	Sushil Jaju (Treasurer)

M. No. 078146
Place: Jaipur
Date: 31.10.2023
UDIN: 23078146BGWIFM2229

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

155 (124)

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
CONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

	Particulars	Sch. No.	For the Year Ended 31.03.2023
I.	**Income from Donation & Property held under trust**		
	Donation Received		2,36,08,581
	House Rent		16,07,670
	Interest		
	Interest on FDR		35,00,253
	Saving A/c Interest		5,37,029
	Interest on IT Refund		-
	Bartan Rent		7,70,597
	Other Income		2,83,77,587
	Contributions & Other Receipts		
	At Vridhashram	6	23,18,506
	At Yoga Natural Chikitsalya	7	11,55,821
	Surplus At Diagnostic Centre		9,93,356
	Surplus At Utsav		57,56,439
	Total (I)		**6,86,25,840**
II.	**Application/Expenditure**		
	Welfare Expenses :		
	Education Help		3,09,065
	Monthly Help		87,11,820
	Medical Help		1,34,313
	Marriage Help		2,07,000
	Help during Coronavirus pendamic		-
	Other Expenses :		
	Social & Other Activities	8	54,75,065
	Administrative Expenses	9	83,33,229
	Repairs & Maintenance Expenses		89,832
	Interest on TDS		-
	Deficit From Abhinandan		16,869
	Vridhasram Expenses	10	25,66,469
	Deficit From Mokshdham		54,235
	Yoga Natural Chikitsalya Expenses	11	14,89,600
	Deficit From Dialysis & Diagnostic Research Centre		54,59,444
	Total (II)		**3,28,46,941**
	Surplus for the year		**3,57,78,898**
	Income Transfered to Corpus Fund (Kosh)		1,09,126
	Surplus transfered to Balance Sheet		**3,56,69,772**

Schedule No. 1 to 12 and Accounting Policy and Notes to Accounts forming part of Balance Sheet

In terms of our audit report of even date
For MGB & Co. LLP
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj Jaipur

Sandeep Jhanwar
Partner
M. No. 078146

Kedar Mal Bhala
(President)

Manoj Kumar Moondhra
(Maha mantri)

Sushil Jaju
(Treasurer)

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

156 1028

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

Choura Rasta, Jaipur

Significant Accounting Policies & Notes on Accounts forming part of consolidated financial statement as on 31-03-2023

A) Significant Accounting Policies

i) Basis of consolidation

Consolidated financial statement consists of Shri Maheshwari Samaj (HO), Janupyogi Bhawan-UTSAV, Janupyogi Bhavan- Abhinandan, Maheshwari Diagnostic Centre, Maheshwari Dialysis, Diagnostic & Research Centre, Shri Maheshwari Samaj Book Shop, Sarvadharm Mokshdham, Maheshwari Yog Natural Chikitsalya and Vridhashram-Krishnadham.

Consolidated financial statement has been prepared on the basis of consolidation of separate standalone financial statements: in case of Janupyogi Bhawan- Utsav and Abhinandan, net surplus/deficit is consolidated whereas in case of Shri Maheshwari Samaj (HO), Maheshwari Diagnostic Centre, Maheshwari Dialysis, Diagnostic & Research Centre, Shri Maheshwari Samaj Book Shop, Sarvadharm Mokshdham, Maheshwari Yog Natural Chikitsalya and Vridhashram-Krishnadham major head wise items/group is consolidated and inter branch transactions and balances have been eliminated for consolidated financial statement.

ii) Method of Accounting & Revenue/Expenditure Recognition:

- The Financial Statements have been prepared on the historical cost convention. These statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and the applicable mandatory accounting standards.
- Mercantile system of accounting has been followed and all incomes and expenses are recognized on accrual basis except expenses of recurring nature which have been recorded on cash basis.
- In respect of events organized by Shri Maheshwari Samaj namely "Annkut", "Goth", "Surya Saptmi", "Holi Sneh Milan" and "Mahesh Navmi" only those receipts and expenses are recorded which are received and paid by Samaj and accordingly net surplus or deficit of such receipts over expenses incurred is disclosed in Income and Expenditure Account.

iii) Donation:

- The donation received by the Trust which have been received for some specific purpose have been accounted under the corpus head of the Trust and donation received for the general purpose have been accounted in the Income & Expenditure Account.
- Donation received otherwise than by cash or bank (i.e. in kind) is recorded through in stock entry only.

iv) Specified fund (Kosh)

Donation received towards corpus fund is invested in Fixed Deposits with banks and interest earned on these fixed deposits is used as per the instructions given by Donor.

CHARTERED mab&co

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

157 196 (129)

Since there is no one to one correlation of Fund with Fixed Deposit, due to which interest earned at different rates on different Fixed Deposits cannot be allocated to respective corpus funds. So at the year-end fund value is increased with a notional average rate of interest @ 5.00% and such notional interest is utilized as per instructions given.

v) **Fixed Assets:**

- Fixed assets are stated at cost of acquisition including directly attributable cost of bringing the assets to its working condition for the intended use,less depreciation till date.
- Fixed assets received in donation are recorded in fixed assets register (only quantity) without any value in financial statements. However, where donation is received as reimbursement for particular fixed assets are recognized in books at gross value.

vi) **Depreciation:**

- Depreciation is charged on the written down value method at the rate and manner prescribed under Income Tax Act, 1961.
- In case of depreciation on bartan fund, the amount of depreciation is reduced from fund balance.

CHARTERED mgb&co LLP ACCOUNTANTS

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

158

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
Schedules Forming an Integral part of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023

SCHEDULE - 1 "CORPUS FUND"

PARTICULAR	AMOUNT AS ON 31.03.2022	RECEIVED DURING THE	OTHER ADDITION	DELETION	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Corpus Fund of Samaj	6,37,18,136	17,60,323	46,69,773	31,05,835	6,70,42,397
Building Fund of Samaj	2,71,080	-	-	-	2,71,080
Land Fund of Samaj	3,000	-	-	-	3,000
Sarvdharam Mokshdham Chandpole Income	-	-	-	-	-
Corpus Fund of Vridhashram	1,12,67,408	-			1,12,67,408
Corpus Fund of Abhinandan	12,97,20,176	-			12,97,20,176
Corpus Fund of Utsav	6,18,29,159				6,18,29,159
Corpus fund of Diagnostic and dialysis	1,70,13,251	18,01,000			1,88,14,251
TOTAL	28,38,22,209	35,61,323	46,69,773	31,05,835	28,89,47,470

SCHEDULE - 2 "ACCUMULATED SURPLUS"

PARTICULAR	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Accumulated Surplus as on 31.03.2021	4,58,90,834
Add: Surplus of current year	3,56,69,777
Accumulated Surplus as on 31.03.2022	**8,15,60,610**

DULE - 4 "INVESTMENTS"

PARTICULARS	OPENING AS ON 01.04.2022	FDRs Made	FDRs Matured	AMOUNT AS ON 31.03.2023
At Shri Maheshwari Samaj Chaura Rasta				
Punjab National Bank	5,11,21,106	1,71,69,648	1,29,52,875	5,53,37,879
State bank of Bikaner & Jaipur	2,50,000	-	2,50,000	-
UCO Bank	32,47,111	-	32,47,111	-
Union Bank Of India	34,35,212	-	34,35,212	-
AU Small Finance Bank	-	4,75,00,000	-	4,75,00,000
Total (A)	**5,80,53,429**	**6,46,69,648**	**1,98,85,198**	**10,28,37,879**
At Utsav				
Bank of India	85,83,928	61,50,604	1,16,83,928	30,50,604
Total (B)	**85,83,928**	**61,50,604**	**1,16,83,928**	**30,50,604**
GRAND TOTAL (A+B)	6,66,37,357	7,08,20,252	3,15,69,126	10,58,88,483

SCHEDULE - 5 "CURRENT ASSETS AND ADVANCES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Advances	
Advance Against Salary	32,000
Advance to supplier	19,310
Other Advances	-
Security Deposits	13,11,451
Tax Deducted at Source	27,28,982
TCS	12,107
Prepaid Expenses	12,87,986
GST Input	54,84,812
Sundry Debtors	1,46,13,204
Accrued Interest	56,574
Bank Balances	2,32,53,932
Cheque in Hand	-
Closing Stock of Book Shop	2,23,96,340
Cash in hand	3,10,966
Petty Cash	-
TOTAL	7,16,07,663

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

SCHEDULE - 6 "INCOME FROM VRIDHASHRAM"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Saving Bank Interest	11,177
Interest on FDR	51,956
Scrap Sales	240
Registration Fee	13,500
Sahyog by Residents	5,63,300
Donation	16,78,333
TOTAL	23,18,506

159

SHRI MAHESHWARI SAMAJ JAIPUR

SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR

Schedules Forming an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2022

E - 3 "FIXED ASSETS"

PARTICULARS	W.D.V. AS ON 31.03.2022	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS More than 180 days	ADDITIONS Less than 180 days	Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2022
IBLE ASSETS								
Samaj	4,65,88,854	-	-	-	-	4,65,88,855	-	4,65,88,855
Vridhashram	53,566	-	-	-	-	53,567	-	53,567
Utsav	75,85,660	-	-	-	-	75,85,660	-	75,85,660
Diagnostic and dialysis	9,62,869	-	-	-	-	9,62,869	-	9,62,869
	5,51,90,949		-	-	-	**5,51,90,951**	-	5,51,90,951
UILDINGS								
Samaj	66,336	10	2,39,88,912	-	-	2,40,55,248	24,05,525	2,16,49,723
Vridhashram	40,94,503	10	-	-	-	40,94,503	4,09,450	36,85,053
Utsav	2,04,35,672	10	-	-	-	2,04,35,672	20,43,566	1,83,92,106
Abhinandan	11,72,01,550	10	12,46,151	17,05,647	-	12,01,53,349	1,19,30,053	10,82,23,296
Diagnostic and dialysis	1,60,51,882	10	-	-	-	1,60,51,882	16,05,188	1,44,46,694
	15,78,49,943		**2,52,35,063**	**17,05,647**	-	**18,47,90,654**	**1,83,93,782**	**16,63,96,872**
RNITURE & FIXTURES								
Samaj	1,57,210	10	5,00,323	8,925	-	6,66,457	66,199	6,00,258
Vridhashram	5,13,591	10	-	-	-	5,13,592	51,360	4,62,232
Utsav	25,45,190	10	-	-	-	25,45,190	2,54,521	22,90,669
Diagnostic Centre	20,14,880	10	21,602	13,228	-	20,49,710	2,04,311	18,45,399
Abhinandan	1,78,01,498	10	3,52,906	3,38,900	-	1,84,93,306	18,32,386	1,66,60,920
Diagnostic and dialysis	8,56,961	10	13,589	-	-	8,70,549	87,054	7,83,495
Yoga	-	10		28,380		28,380	1,420	26,960
l]	**2,38,89,330**		**8,88,420**	**3,89,433**	-	**2,51,67,183**	**24,97,251**	**2,26,69,932**
SILS								
Samaj	2,63,057	10	17,600	13,677	-	2,94,333	28,750	2,65,583
al	**2,63,057**		**17,600**	**13,677**	-	**2,94,333**	**28,750**	2,65,583

CHARTERED ACCOUNTANTS mgb&co LLP

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

PARTICULARS	W.D.V. AS ON 31.03.2022	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS More than 180 days	ADDITIONS Less than 180 days	Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2022
ANT & MACHINERY								
Samaj	1,67,475	15	7,67,577	45,360	-	9,80,412	1,43,660	8,36,752
Vridhashram	4,56,118	15	6,365	1,02,072	-	5,64,553	77,026	4,87,527
Utsav	61,03,487	15	16,000	-	-	61,19,487	9,17,923	52,01,564
Diagnostic Centre	5,43,447	15	17,731	-	-	5,61,178	84,177	4,77,001
Abhinandan	2,20,85,920	15	34,703	1,73,217	-	2,22,93,841	33,31,085	1,89,62,756
Diagnostic and dialysis	3,86,338	15	-	-	-	3,86,338	57,951	3,28,387
	2,97,42,784		**8,42,376**	**3,20,649**	-	**3,09,05,808**	**46,11,822**	**2,62,93,987**
CTRICAL & MEDICAL EQUIPMENTS								
Diagnostic and dialysis	54,81,392	40	5,59,092	-	-	60,40,286	24,16,630	36,23,656
Yoga	-	40		22,905		22,905	1,718	21,187
i)	**54,81,392**		**5,59,092**	**22,905**	-	**60,63,191**	**24,18,348**	**36,44,843**
EWELL								
Diagnostic and dialysis	1,40,401	30	-	-	-	1,40,401	42,120	98,281
ii)	**1,40,401**		-	-	-	**1,40,401**	**42,120**	98,281
IPUTERS & PRINTERS								
Sama	35,869	40	33,375	-	-	69,244	27,698	41,546
Utsav	13,350	40	30,084.00	-	-	43,434	17,373	26,061
Abhinandan	42,542	40	-	-	-	42,541	17,016	25,524
Diagnostic Centre	11,00,531	40	50,636	17,75,000	4,00,000	25,26,167	6,55,467	18,70,700
Diagnostic and dialysis	58,040	40	-	-	-	58,240	23,296	34,944
ii)	12,50,332		1,14,095	**17,75,000**	4,00,000	27,39,626	7,40,850	19,98,775
	27,38,08,188		2,76,56,646	42,27,312	4,00,000	30,52,92,147	2,87,32,922	27,65,59,225
NGIBLE ASSETS								
Abhinandan	53,896	25	-	-	-	53,894	13,474	40,421
Diagnostic Centre	10,125	25	-	-	-	10,125	2,531	7,594
Diagnostic and dialysis	19,025	25	-	-	-	19,025	4,756	14,269
i)	83,046	-	-	-	-	83,045	20,761	62,284
(A)+(B)	27,38,91,234	-	2,76,56,646	42,27,312	-	30,53,75,192	2,87,53,683	27,66,21,508

CHARTERED mgb&co LLP ACCOUNTANTS

Manoj
महामंत्री
माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

PARTICULARS	W.D.V. AS ON 31.03.2022	RATE OF DEP.(%)	ADDITIONS		Sale/ Transfer/ Discard	TOTAL	DEPRECIATION (Rs.)	W.D.V. AS ON 31.03.2022
			More than 180 days	Less than 180 days				
AL WORK IN PROGRESS								
amaj	1,98,55,413		41,33,498	-	2,39,88,912	-	-	
iagnostic Centre	-	-	-	19,68,666	-	19,68,666	-	19,68,666
tsm	-	-	23,39,000	-	-	23,39,000	-	23,39,000
C)	1,98,55,413	-	64,72,498	19,68,666	2,39,88,912	43,07,666	-	43,07,666
A)+(B)+(C)	29,37,46,647	-	3,41,29,144	61,95,978	2,39,88,912	30,96,82,858	2,87,53,683	28,09,29,174

CHARTERED mgb&co ACCOUNTANTS

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
Schedules Forming an integral part of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023

SCHEDULE - 7 "INCOME FROM YOGA NATURAL CHIKITSALYA"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Natural Yog Income	11,52,293
Bank Interest Receivable	3,528
TOTAL	11,55,821

SCHEDULE - 8 "SOCIAL & OTHER ACTIVITIES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Patrika Expenses	23,63,463
Badhai Patra Expenses	92,510
Festival Expenses	20,00,198
Marriage Bureau Expense	19,415
Anudan Expense	3,00,000
Programme for Emotional Intelligence	-
Parichay Sammelan Exp.	6,99,479
TOTAL	54,75,065

SCHEDULE - 9 "ADMINISTRATIVE EXPENSES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Payment to and Provision for Employees:	
Salary	15,15,569
Staff Welfare Expenses	45,100
Bonus to Staff	21,700
Conveyance	1,02,347
ESI Employer Contribution	31,579
Leave Encashment	46,397
Advertisement Expenses	2,91,887
Internal & Management Audit	63,000
Statutory Audit	1,00,000
Bank Charges	5,166
Legal & Professional Expenses	1,21,000
Sundry Expenses	3,42,051
Sundry Balances Written off	2,39,237
Insurance Expenses	4,07,378
Office Expenses	5,02,817
Election Expenses	7,20,657
SMS Charges	1,08,378
Depreciation	26,71,832
Goth Expense	1,65,000
Grant Of Institution	6,84,000
Housekeeping Exp	37,796
	1,10,339
TOTAL	83,33,229

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

CHARTERED ACCOUNTANTS mgb&co LLP

163

SHRI MAHESHWARI SAMAJ
SANGHI JI KA RASTA, CHAURA RASTA, JAIPUR
Schedules Forming an integral part of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2023

SCHEDULE - 10 "VRIDHASHRAM EXPENSES"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Payment to and Provision for Employees:	
Salary Expense	8,35,534
Local Conveyance	18,000
General Expense	1,38,290
Office Expenses	730
Kitchen Expense	5,35,353
Electricity and Water Expense	3,19,275
Depreciation	5,37,836
Repair & Maintenance Expense	1,64,263
AMC Charges	17,188
TOTAL	25,66,469

SCHEDULE - 12 "EXPENSES OF YOGA NATURAL CHIKITSALYA"

PARTICULARS	AMOUNT AS ON 31.03.2023
Accounting Charge	30,000
[illegible]ral Expenses	5,490
[illegible]dware & Sanitary Expenses	2,060
Office Expenses	3,921
Priting & Stationery Expenses	5,897
(Staff) Insentive Expenses	23,540
Administration Charges on Pf	2,828
Bank Charge	284
Consumable Item	17,274
Electricals Item	4,460
Freight & Cartage Expenses	2,250
Housekeeping Expenses	1,32,882
Mobile Expenses	2,876
Natural Yog Expenses	1,54,720
Repair & Maintence Expenses	29,153
Salary Expenses	10,64,513
Staff Walefare Expenses	4,314
Depreciation	3,138
TOTAL	14,89,600

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhaly
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

CHARTERED ACCOUNTANTS mgb & CO LLP

SHRI MAHESHWARI SAMAJ

JAIPUR

B) **Notes on Accounts**

- As certified by the management the current assets, loans & advances have a value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet.
- Since there is no one to one correlation of Fund with Fixed Deposit, due to which interest earned at different rates on different Fixed Deposits cannot be allocated to respective corpus funds. So at the year-end fund value is increased with a notional average rate of interest @ 5.00% and such notional interest is utilized as per instructions given.
- Previous year figures have been recast and regrouped wherever necessary to make it comparative with current year figures.

For **MGB& Co. LLP**
Chartered Accountants
FRN: 101169W/W-100035

For Shri Maheshwari Samaj, Jaipur

Sandeep Jhanwar	Kedar Mal Bhala	Manoj Kumar Moondhra	**Sushil Jaju**
(Partner)	**(President)**	**(Mahamantri)**	**(Treasurer)**

M. No. 078146

UDIN: 23078146BGWIFM2229
PLACE: Jaipur
Date: 31.10.2023

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

LAYOUT PLAN OF SHRIDHAR NAGAR

in KH.NO. 107,109, 110, 111, 111/178, 112 ... 128,130, 131, 131/179, 137,138, 139, 139/180, 140,108, 136, 134, 135, 99, 104, ... 123, 124, 125, 126, 127, 129, 149, 149/182, 149/183, 149/184, 149/185, 149/186, 150, 152/2, 153, 155/2, 155/3, 156/2, 158/2 IN VILLAGE-JAIPURIYON KA BAS, TEHSIL-JAIPUR, DIST.-JAIPUR

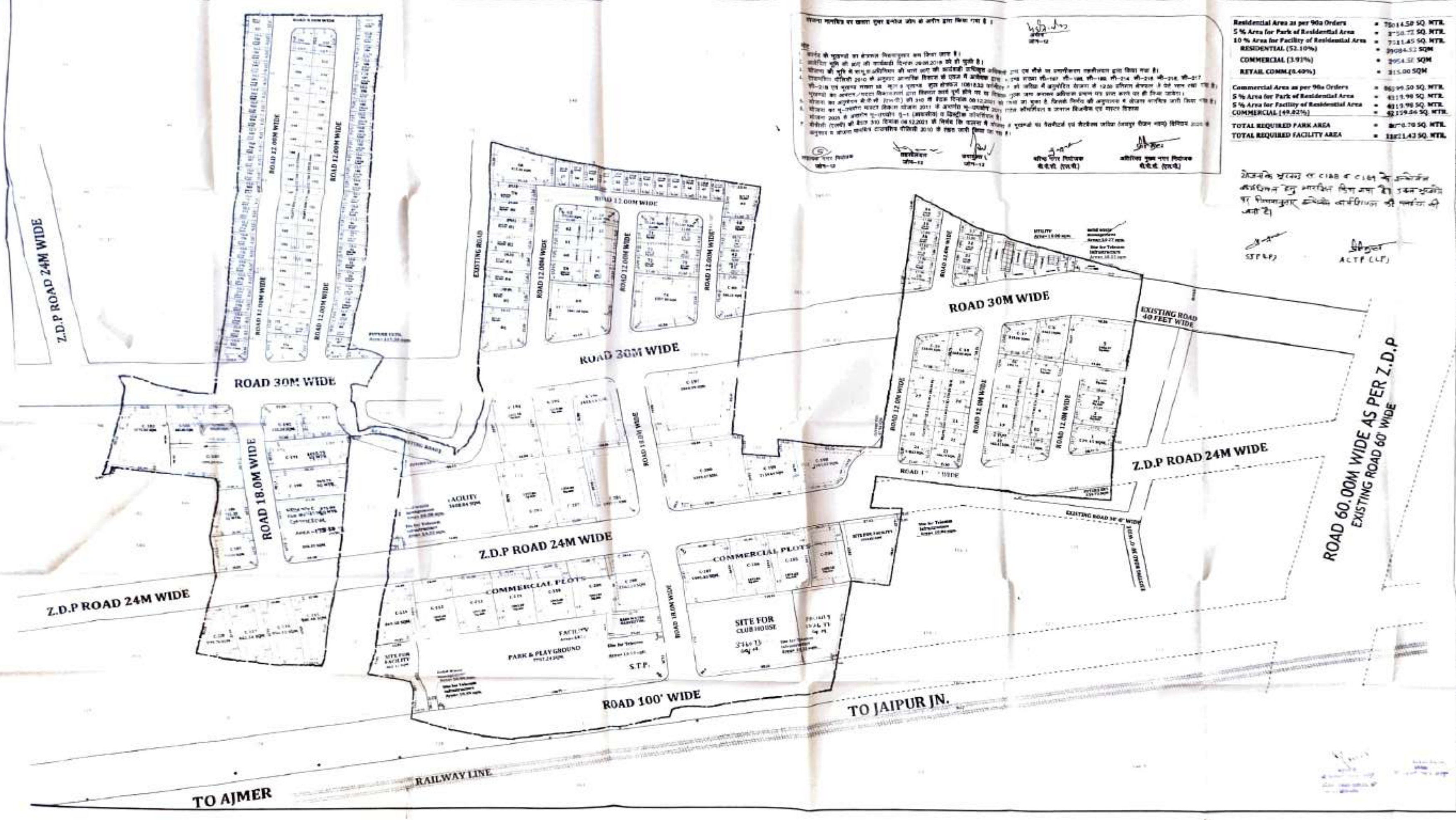

Residential Area as per 90a Orders	=	78014.50 SQ. MTR.
5 % Area for Park of Residential Area	=	3750.72 SQ. MTR.
10 % Area for Facility of Residential Area	=	7311.45 SQ. MTR.
RESIDENTIAL (52.10%)	=	39084.52 SQM
COMMERCIAL (3.93%)	=	2954.58 SQM
RETAIL COMM.(0.40%)	=	315.00 SQM
Commercial Area as per 90a Orders	=	86399.50 SQ. MTR.
5 % Area for Park of Residential Area	=	4319.98 SQ. MTR.
5 % Area for Facility of Residential Area	=	4319.98 SQ. MTR.
COMMERCIAL (49.82%)	=	42159.04 SQ. MTR.
TOTAL REQUIRED PARK AREA	=	8070.70 SQ. MTR.
TOTAL REQUIRED FACILITY AREA	=	11821.43 SQ. MTR.

STP (LP)

ACTP (LP)

J.D.A

987/8 01-4.22

SHRIDHAR NAGAR

NOT TO SCALE

AREA CALCULATION

LANDUSE	AREA	%	
RESIDENTIAL	39084.52SQM	24.55 %	53.21 %
COMMERCIAL	43562.46SQM	27.38 %	
Retail COMM.	2044.58 SQM	01.28 %	
PARK	8071.86 SQM	05.07 %	46.79 %
FACILITY	11831.50 SQM	07.43 %	
SOLID WASTE MANAGEMENT	150.35 SQM	00.09 %	
TELECOM FACILITY	62.71 SQM	00.04 %	
ZDP/SEC. ROAD	18181.57 SQM	11.42 %	
ROAD	36181.37 SQM	22.73 %	
TOTAL AREA	159196.60 SQM	100.00 %	100.00 %
FUTURE EXT.	1404.27 SQM		
TOTAL SCHEME AREA	160600.87 SQM		

NAME OF SOCIETY :- NIJI KHATEDARI

NAME OF SCHEME :- SHRIDHAR NAGAR

ZONE NO.-12

SCALE:- 1 : 1000 DRG. NO.

AMIN (ZONE) T.D.R (ZONE) A.T.P (ZONE)

D.C (ZONE) S.T.P (PROJECT) A.C.T.P

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

166

क्रमांक– जविप्रा/अआ(एलपीसी)/24/डी– 86 दिनांकः 18/01/2024

केदार मल भाला,
अध्यक्ष,
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
प्रशासनिक कार्यालयः समाज परिसर,
तृतीय तल, एम.पी.एस इंटरनेशनल स्कूल,
तिलक नगर, जयपुर–302004

विषयः–श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जनउपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 को आवंटन करवानें हेतु।

संदर्भः– आपका पत्रांक पंजीयन क्रमांक 406748 दिनांक 27.12.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 3408 व.मी (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन–12 में आवंटन करने हेतु जो आवेदन किया है उसमें प्रस्तावित प्रयोजना के लिए कि स्त्रोत से आय प्राप्त होगी कि सूचना से अवगत नहीं कराया गया है तथा प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है। (2) प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू करने का समय एवं पूर्ण करने की अवधि की कोई सूचना संलग्न नही है।

अतः भूमि आवंटन नीति–2015 की प्रतिपूर्ति में उक्त पूर्तियां की जाकर इस कार्यालय को भिजवानें का श्रम करें।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

167

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

दिनांक :– 29.01.2024

श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

DC (LPC)

AAO

AC (LPC) 29/1/2024

TD (LPC) 31/1/24

विषय :– श्रीधर नगर, गांव जयपुरिया को बास में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408.04 वर्ग मीटर (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 आवंटन करवाने हेतु।

सन्दर्भ :– आपका पत्र कमांक–जविप्रा/अआ (एलपीसी)/ 24/डी–86 दिनांक 18–01–2024 के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में लेख है कि श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 3408.04 वर्ग मीटर (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 में आवंटन करने हेतु जो आवेदन किया गया है उसमें प्रस्तावित प्रयोजना के लिए पत्रावली में प्रस्तुत स्त्रोत से आय के लिए गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट में Corpus Fund में राशि का विवरण दर्शाया गया है पेज कमांक 107 से 136 पर उपलब्ध है तथा प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्यय का ब्यौरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेज कमांक 09 पर दर्शाया गया है। प्रस्तावित निर्माण कार्य भूमि आवंटन होने एवं समस्त कार्यवाही सम्पादन के 3–4 माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र का सम्पूर्ण निर्माण कार्य लगभग 18 माह से कम समय पर ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः भूमि आवंटन नीति–2015 की प्रतिपूर्ति में उक्त पूर्तिया की जाकर आपके समक्ष प्रेषित की जा रही है। कृपया भूमि आवंटन करवाने की कृपा करे।

Kedar Bhala

(केदार मल भाला)
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक– जविप्रा/अआ(एलपीसी)/24/डी– 86 दिनांकः 18/01/2024

केदार मल भाला,
अध्यक्ष,
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
प्रशासनिक कार्यालयः समाज परिसर,
तृतीय तल, एम.पी.एस इंटरनेशनल स्कूल,
तिलक नगर, जयपुर–302004

विषयः–श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जनउपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलबल फैसिलिटी एरिया) जोन.संख्या–12 को आवंटन करवानें हेतु।

संदर्भः– आपका पत्रांक पंजीयन क्रमांक 406748 दिनांक 27.12.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ 3408 व.मी (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन–12 में आवंटन करने हेतु जो आवेदन किया है उसमें प्रस्तावित प्रयोजना के लिए कि स्त्रोत से आय प्राप्त होगी कि सूचना से अवगत नहीं कराया गया है तथा प्रस्तावित निर्माण कार्य की प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया है। (2) प्रस्तावित निर्माण कार्य शुरू करने का समय एवं पूण करने की अवधि की कोई सूचना संलग्न नही है।

अतः भूमि आवंटन नीति–2015 की प्रतिपूर्ति में उक्त पूर्तियां की जाकर इस कार्यालय को भिजवानें का श्रम करें।

(आनन्दी लाल वैष्णव)
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष (+91 0141 2570122) ईपीबीएक्स 91+0141-2569696 एक्सटेंशन (7019) फैक्स +91-141-2574555
ई-मेल (aclpc jda@rajasthan gove in)

D:\letter 2020 docx

ak

169

प्रपत्र–अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	संस्था/संगठन का नाम	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	केदार मल भाला– अध्यक्ष
3.	डाक पता, टेलिफोन नं., मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इन्टरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर मो. नं. 9314503259 ई–मेल : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
4.	भूमि आवंटन का उद्धेश्य	समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग व आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु रियायती दरों पर उपलब्ध करवाना
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	श्रीधर नगर, गांव जयपुरिया का बास में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केंद्र हेतु लगभग 3408.04 वर्ग मीटर (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 में
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	3408.04 वर्ग मीटर
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांक्ष (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	संलग्न है। पेज कमांक 09
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	संलग्न है। पेज कमांक 06–07
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i. रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र	संलग्न है। कमांक 60/जयपुर/ 1960–61 दिनांक 02–11–1960 पेज कमांक 10
	ii. बाईलॉज/रेग्युलेशन्स	संलग्न है। पेज कमांक 10–96 तक
	iii. गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेन्स शीट	संलग्न है। पेज कमांक 107–136 तक
	iv. संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न है। पेज कमांक 08 पर
	v. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न है। पेज कमांक 09
	vi. रूपये 5000/– (पांच हजार रूपये) का बैंक का डी.डी. / पे–आर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न है। पंजाब नेशनल बैंक, राजापार्क, जयपुर डी.डी. नं. 410013 दिनांक 26–12–2023 राशि 5000/– पक्ष सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नही छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तो/निर्देशों व उप–विधियों आदि की समस्त शर्तो की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तो की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

Kedar Bhala

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक : 29.01.2024
स्थान : जयपुर
नाम व पद :– केदार मल भाला– अध्यक्ष, श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

170 164

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BR 835640

स्व–घोषणा पत्र

मैं **केदार मल भाला** पुत्र **स्व. श्री ओम प्रकाश भाला** उम्र **66वर्ष**, निवासी **बी–31, पार्श्वनाथ मार्ग, सुभाष नगर, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान** घोषणा करता हूँ कि:

1. श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर एक सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य जन–समुदाय की उन्नति के निमित सेवा, सहयोग संगठन एवं सुधार कार्य करना जिसमें उन्नत जन–समुदाय भारतीय राष्ट्र को सहयोग देता हुआ सार्वजनिक कल्याण कार्य में भाग लेना है इस उद्देश्य पूर्ति के साधन निम्न प्रकार से हैः–

(क) सत्संग द्वारा सुनागरिक धर्म का प्रचार करना ।

(ख) सम्मेलनों का आयोजन करके पारम्परिक प्रेम और एकता में वृद्धि करना तथा देशकालानुसार हितकर सामाजिक नीति का निर्धारण करके उसे कार्यान्वित कराना।

(ग) विद्यालयों की स्थापना करके बालक व बालिकाओं के लिये मानसिक, व्यवसायिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षण, उपलब्ध कराना।

(घ) आश्रमों, की स्थापना करना जिसमें निराश्रित, असमर्थ और वृद्ध भाई–बहिनों, बालक–बालिकाओं एवं विधवा स्त्रियों को आश्रय प्राप्त हो, उनकी सेवा–सुश्रुषा हो और विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हो।

(ड.) सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों के आयोजनों हेतु एवं सामाजिक कार्यक्रमों व सम्मेलनों में आने वाले भाई–बहिनों के ठहरने व अन्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनोपयोगी भवनों की समाज के तत्वावधान में स्थापना करना, उसके लिए दान प्राप्त करना और अपने निज के विधान अथवा नियमावली के अन्तर्गत जनोपयोगी भवनों का निर्माण,प्रबंध व संचालन कर सके।

Kedar Bhala

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED

GANESH KATARIA
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.) INDIA
Reg. No. 19138 Exp. Dt. 5-2-2025

26 DEC 2023

171 (65) (07)

(च) समाज के किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अलग–अलग व सम्मिलित कोषों की स्थापना करना, कोष (Corpus) के लिये दान स्वीकार करना, निराश्रित भाई –बहिनों को निर्वाह एवं विद्याध्ययन निमित्त सहायता देना।

(छ) समाज की सुविधा के लिये वस्तु भंडार की स्थापना करना।

(ज) समाज के सदस्यों को सदाचार एवं सुरीति का स्वयं पालन करके उदाहरण उपस्थित करना तथा प्रेरणा से प्रचार करना।

(झ) सार्वजनिक सेवायें करते हुए राष्ट्रीय भावना को जागृत करना।

(ण) नवयुवकों तथा नवयुवतियों के स्वयं सेवक दलों की स्थापना करके प्रयत्न करना।

(ट) सामाजिक नियम भंग करने वाले व्यक्ति के सुधार निमित्त यथासंभव प्रयत्न करना।

(ठ) महिला परिषद्, नवयुवक मण्डल एवं अन्य उपयोगी परिषदों की स्थापना करना जो इस संस्था के तत्वावधान में कार्य करें।

(ड़) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

(ढ) सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा कला एवं संस्कृति के प्रोत्साहन में सहयोग करना।

जिसका पंजीयन क्रमांक : 60 / जयपुर / 1960–61 तथा पंजीयन दिनांक 2 नवम्बर, 1960 है।

2. श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को पूर्व में इसी शहर में निम्न भूमि आवंटित की गई थी। निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया था नाम आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है:

(i) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक: ज.वि.प्रा. / जोन ए–2 / वि.न. / 2002 / डी–2887 दिनांक 30.09.2003 से योजना विद्याधर नगर की भूखण्ड संख्या पी–10 ए, सेक्टर–2, क्षेत्रफल 1000 वर्गगज नि:शुल्क श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित किया गया। जिसमें **'कृष्णधाम वृद्धाश्रम'** का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

(ii) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र क्रमांक: ज.वि.प्रा. / जोन ए–2 / वि.न. / 2002 / डी–3046 दिनांक 18.10.2003 से योजना विद्याधर नगर की भूखण्ड संख्या पी–10, सेक्टर–2, क्षेत्रफल 5000 वर्गमीटर सुरक्षित दर 2630/– का 25 प्रतिशत प्रति वर्गमीटर दर पर श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर को आवंटित किया गया। जिसमें श्री माहेश्वरी समाज जनोपयोगी भवन **'उत्सव'** का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है।

(iii) यह कि उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 पर उल्लेखित जनोपयोगी भवन एवं वृद्धाश्रम का वाणिज्य उपयोग नही किया जा रहा है तथा इनमें जयपुर शहर के सभी वर्गों के व्यक्तियों को समान रूप से उपयोग हेतु देकर नियमानुसार सामाजिक–मांगलिक कार्यक्रमों की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है।

संस्था को आवंटित होने वाली भूमि का वाणिज्य उपयोग नहीं किया जायेगा।

NOTARY GOVT. OF INDIA
GANESH KATARIA
Reg. No. 19138
Exp. Dt. 5-2-2025

दिनांक : 10 अक्टूबर, 2023

स्थान : जयपुर

ATTESTED
GANESH KATARIA
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.) INDIA
Reg. No. 19138 Exp. Dt. 5-2-2025

[illegible] DEC 2023

Kedar Bhala
(केदार मल भाला)
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज, [illegible]

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंघी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003

प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एस.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

दिनांक 10 अक्टूबर, 2023

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर की कार्यकारिणी सभा दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 में पारित प्रस्ताव में लिये गये निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपीः–

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर वर्ष 1960 से समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिको की सेवा करता आ रहा है। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा जनोपयोगी भवनो का संचालन समाज के नियमानुसार कर रहा है। समाज का यह लक्ष्य है कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समाज की व्यवस्थाओं एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जोन संख्या–12 में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण में आंवटित करवा कर समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग एवं आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध करवाई जावें। जिससे जयपुर शहर के निवासियों को रियायती दरों पर सेवाएँ उपलब्ध करा कर राज्य सरकार के लक्ष्यों को पुरा करने का प्रयास हो सके।

सभा में उपस्थित सदस्यों की राय थी कि जयपुर शहर के विकास एवं वृद्धि को देखते हुए समाज एवं सभी वर्गों के जन–समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जोन संख्या–12 में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) जयपुर में लगभग 3408 वर्ग मीटर भूमि आवंटित हेतु आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किया जाए।

सभा में उपस्थित सदस्यों ने आपसी विचार विमर्श के पश्चात् जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु राजस्थान सरकार के निकायों के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने तथा अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही हेतु समाज के अध्यक्ष श्री केदार मल भाला एवं समाज महामंत्री श्री मनोज कुमार मूंदड़ा को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।

–: प्रमाणित प्रतिलिपि :–

Kedar Bhala

(केदार मल भाला)
अध्यक्ष

(मनोज कुमार मूंदड़ा)
महामंत्री

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

।। श्री महेश्वराय नमः ।।

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

फोन : 0141-2621100
0141-2623500

रजि. कार्यालय : श्री माहेश्वरी भवन, सिंधी जी का रास्ता, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003
प्रशासनिक कार्यालय : समाज परिसर, तृतीय तल, एम.पी.एस. इंटरनेशनल स्कूल, तिलक नगर, जयपुर-302004

अध्यक्ष
केदारमल भाला
93145 03259

E-mail : shrimaheshwarisamaj.jaipur@gmail.com
Website : www.maheshwarisamajjaipur.com

महामंत्री
मनोज मूंदड़ा
93142 22222

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

श्रीधर नगर, गाँव जयपुरिया का बास, जयपुर
लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि जनोपयोगी भवन सामुदायिक केन्द्र

क्र. स.	विवरण	एरिया (लगभग)	लागत (लगभग)
1	ग्राउण्ड फ्लोर : डायनिंग हॉल, लॉन व किचन	15,000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
2	प्रथम तल : मुख्य बैक्वेट हॉल, डबल हाईट	15,000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
3	द्वितीय तल : 25 कमरे (4 डॉरमेट्री सहित)	15,000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
4	तृतीय तल : 20 कमरे (1 मिनी हॉल, 1 डायनिग हॉल, 1 डॉरमेट्री हॉल, किचन	15,000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
5	चतुर्थ तलः तृतीय तल : 20 कमरे (1 मिनी हॉल, 1डायनिग हॉल, 1 डॉरमेट्री हॉल, किचन)	15,000 स्क्वायर फीट	2 करोड़ रूपये
6	भूमि की लागत व लीज इत्यादि शुल्क		1.5 करोड़ रूपये

Means of Finance

Particulars	Amount
Corpus Fund	8.00 Crores
Contrubution/Donations	4.00 Crores
Total	**12.00 Crores**

Approx Cost of Project: 11.5 Crores

श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर वर्ष 1960 से समाज एवं अन्य समाजों के आम नागरिको की सेवा करता आ रहा है। श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर द्वारा जनोपयोगी भवनो का संचालन समाज के नियमानुसार कर रहा है। समाज का यह लक्ष्य है कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समाज की व्यवस्थाओं एवं प्रतिष्ठा के अनुरूप जयपुर शहर में जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जोन संख्या–12 में जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु श्रीधर नगर गांव जयपुरिया का बास (नॉन सैलेबल फैसिलिटी एरिया) लगभग 3408 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण में आंवटित करवा कर समाज एवं सभी समाजों के हर वर्ग एवं आम नागरिकों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु रियायती दरों पर सुविधा उपलब्ध करवाई जावें। जिससे जयपुर शहर के निवासियों को रियायती दरों पर सेवाएँ उपलब्ध करा कर राज्य सरकार के लक्ष्यों को पुरा करने का प्रयास हो सके।

भूमि आवंटन होने एवं समस्त कार्यवाही सम्पादन के 3–4 माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। जनोपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र का सम्पूर्ण निर्माण कार्य लगभग 18 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

Kedar Bhala
अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

174 (68) (10)

TRUECOPY

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक : 60 / जयपुर / 1960–61

यह प्रमाणित किया जाता है कि **श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर** जिला–जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 27 फरवरी, 2019 को जयपुर में किया गया।

दिनांक:– 02 नवम्बर, 1960

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
एव उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

महामंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जयपुर

अध्यक्ष
श्री माहेश्वरी समाज जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः—श्री माहेश्वरी समाज द्वारा श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जनउपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 में भूखण्ड आवंटन कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि श्री माहेश्वरी समाज द्वारा श्रीधर नगर, गॉव जयपुरिया का बास में जनउपयोगी भवन/सामुदायिक केन्द्र हेतु लगभग 3408 व.मी भूमि (नॉन सैलबल फैसिलिटी एरिया) जोन संख्या–12 में भूखण्ड आवंटन कराने के क्रम में जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत् प्रकोष्ठ की मूल पत्रावली इस यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर आपको भिजवाई जा रही है।

कृपया प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन पत्र को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

संलग्न– मूल पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

सिस्टम एनालिस्ट

क्रमांकः जविप्रा/अआ/एलपीसी/2024/डी– 151

दिनांकः– 13/2/24

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-(+91-0141-2570122) : ईपीबीएक्स -91+0141-2569696 एक्सटेंशन: (7019): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (aclpc.jda@rajasthan.gove.in)